

खण्ड - क

भारतीय वित्तीय प्रणाली

इकाई 1. भारतीय बैंकिंग प्रणाली - एक विहंगावलोकन

इकाई 2. बैंकिंग विनियमन

इकाई 3. खुदरा बैंकिंग, थोक एवं अन्तरराष्ट्रीय बैंकिंग, अमरीकी निक्षेपागार रसीद (ADR), वैश्विक निक्षेपागार रसीद (GDR) तथा सहभागिता (Participatory) नोट

इकाई 4. पूंजी बाजार, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) की भूमिका एवं उनके कार्य

इकाई 5. पारस्परिक निधियों की भूमिका एवं उनके कार्य

इकाई 6. बीमा कम्पनियों, बैंकबीमा तथा बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की भूमिका एवं उनके कार्य

इकाई 7. लेनदारी लेखा क्रय (Factoring), फॉरफेटिंग (Forfaiting) सेवाएं और तुलनपत्र में शामिल न की जाने वाली मदें

इकाई 8. जोखिम प्रबन्धन एवं बासेल 2 - एक विहंगावलोकन

इकाई 9. गंठजोड़/विलयन/समेकन

इकाई 10. ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड (CIBIL), कर्ज वसूली हेतु सदाचरण संहिता और भारतीय बैंकिंग आचार संहिता एवं मानक बोर्ड

इकाई 11. भारतीय बैंकिंग प्रणाली की हाल ही की घटनाएं

इकाई 1

भारतीय वित्तीय प्रणाली एक विहंगावलोकन

रूपरेखा

1.0 उद्देश्य

1.1 वित्तीय प्रणाली क्या है ?

- 1.1.1 केन्द्रीय बैंकिंग प्राधिकरण की भूमिकाओं एवं उसके कार्यों का संक्षिप्त ब्यौरा
- 1.1.2 वाणिज्यिक बैंक
- 1.1.3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां (NBFCs)
- 1.1.4 प्राथमिक व्यापारी (PDs)
- 1.1.5 वित्तीय संस्थाएं (FIs)
- 1.1.6 सहकारी बैंक
- 1.1.7 भुगतान एवं निपटान प्रणाली
- 1.1.8 सरकारी ऋण का प्रबन्धन
- 1.1.9 सरकार का बैंकर
- 1.1.10 बैंकों के अन्तिम ऋणदाता
- 1.1.11 आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR)
- 1.1.12 सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR)

1.2 इक्विटी एवं ऋण बाजार

- 1.2.1 शेयर बाजार
- 1.2.2 दलाल
- 1.2.3 इक्विटी एवं ऋण जुटाने वाले
- 1.2.4 निवेश बैंकर (व्यापारी बैंकर)
- 1.2.5 विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs)
- 1.2.6 निक्षेपागार
- 1.2.7 पारस्परिक निधियां
- 1.2.8 पंजीयक (Registrars)

1.2 बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA)

1.3 सारांश

1.4 अपनी प्रगति जांचिए

1.5 'अपनी प्रगति जांचिए' के उत्तर


1.0 उद्देश्य

यह इकाई वित्तीय प्रणाली, उसकी भूमिका तथा देश में उसके संघटकों के सम्बन्ध में एक विहंगावलोकन प्रदान करती है।

1.1 वित्तीय प्रणाली क्या है ?

वित्तीय प्रणाली से आशय है वह ढांचा जो किसी अर्थव्यवस्था में अधिशेष रखने वाले उसके विविध क्षेत्रों से पूंजी जुटाने तथा उसे विभिन्न जरूरतमंद क्षेत्रों को आवंटित एवं वितरित करने के लिए उपलब्ध होता है। 'बचतों' को 'निवेश एवं उपभोग' में रूपान्तरित करने का कार्य वित्तीय प्रणाली द्वारा निभाई जाने वाली सक्रिय भूमिका से आसान हो जाता है। रूपान्तरण की इस प्रक्रिया को 'निवेशकों' और 'व्ययकर्ताओं', दोनों ही की अलग-अलग आवश्यकताओं एवं मांगों के लिए उपयुक्त विविध प्रकार की वित्तीय आस्तियों से सहायता प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार की इन वित्तीय आस्तियों के प्रस्ताव को उन 'वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं' से समर्थन प्राप्त होता है जो निवेशकों और व्ययकर्ताओं के इन दो वर्गों के बीच अनिवार्य रूप से (वित्तीय) मध्यस्थता करती हैं। इन मध्यवर्ती संस्थाओं के उदाहरण हैं बैंक, वित्तीय संस्थाएं, पारस्परिक निधियां आदि। जहां इस प्रकार के कार्यकलाप संपादित होते हैं उस स्थान से वित्तीय बाजार का लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जा सकता है।

आकृति 1.1 वित्तीय बाजार के विविध वर्गों का निरूपण करती है।



मांग/सूचना खजाना बिल सावधि मुद्रा जमा प्रमाणपत्र संस्था जमा वाणिज्यिक पत्र पुनः खरीद
प्रमाणपत्र
वाणिज्यिक बिल

आकृति 1.1 : वित्तीय बाजार के वर्ग

वित्तीय प्रणाली में उन मध्यवर्ती संस्थाओं, बाजारों एवं लिखतों के मिश्रण का समावेश होता है जो एक-दूसरे से सम्बन्धित होते हैं। इससे एक ऐसी प्रणाली का निर्माण होता है जिसके द्वारा बचतों निवेश के रूप में रूपान्तरित हो जाती हैं। इसे सरल बनाने के लिए समग्र वित्तीय प्रणाली को आकृति 1.2 में यथा प्रदर्शित आरेखीय रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

1.1.1 केन्द्रीय बैंकिंग प्राधिकरण की भूमिका एवं कार्यों का संक्षिप्त ब्यौरा

केन्द्रीय बैंकिंग प्राधिकरण (भारतीय रिजर्व बैंक) की दो सुस्पष्ट भूमिकाएं होती हैं; मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने सहित मौद्रिक नियंत्रण तथा बैंक पर्यवेक्षण। अन्य देशों में भी सभी महत्वपूर्ण केन्द्रीय बैंक इन दोनों ही प्रकार के कार्यों को संपादित करते हैं तथा यह सुनिश्चित करने का दायित्व निभाते हैं कि बैंकों की समग्र वित्तीय स्थिति दुर्बल न हो। यह बैंकों पर परोक्ष एवं प्रत्यक्ष निगरानी रखते हुए सुनिश्चित किया जाता है। मौद्रिक नियंत्रण आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात व्यवस्था तथा बैंक एवं रेपो दरों - अग्रणी बैंकों की मूल उधार (Prime) दरों को नियंत्रित रखने हेतु केन्द्रीय बैंकों को उपलब्ध मुख्य उपकरण के माध्यम से किया जाता है। केन्द्रीय बैंक बैंकिंग प्रणाली के लिए अन्तिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करते हैं तथा वे एक कुशल भुगतान एवं निपटान प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं।

वित्तीय प्रणाली

केन्द्रीय बैंकिंग
प्राधिकरण

पूँजी बाजार
विनियामक
प्राधिकरण

बीमा एवं पेंशन
विनियामक

<ol style="list-style-type: none"> 1. मौद्रिक नियंत्रण 2. निम्नलिखित का पर्यवेक्षण : *वाणिज्यिक बैंक *गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां *प्राथमिक व्यापारी *वित्तीय संस्थाएं *सहकारी बैंक *समाशोधन एवं निपटान प्रणाली 3. सरकारी ऋण का प्रबन्धन 4. सरकार का बैंकर 5. बैंकों के अन्तिम ऋणदाता 6. मौद्रिक लिखतों (आरक्षित नकदी निधि अनुपात, सांविधिक चलनिधि अनुपात, बैंक दर, रेपो दर) के माध्यम से मुद्रा बाजारों को विनियमित करना 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ईक्विटी बाजार एवं ऋण बाजार का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण 2. निम्नलिखित का पर्यवेक्षण : *शेयर बाजार *दलाल *इक्विटी एवं ऋण जुटाने वाले *निवेश बैंकर (व्यापारी बैंकर) *विदेशी संस्थागत निवेशक *अभिरक्षक *निक्षेपागार *पारस्परिक निधियां *शेयर बाजार की सूची में शामिल कम्पनियां *पूँजी बाजार को पंजीयकों जैसे सेवा-प्रदाता 	<ol style="list-style-type: none"> 1. बीमा कारोबार को चलाने के लिए नियमों एवं विनियमों सहित विनियामक ढांचा 2. सामान्य और जीवन बीमा दोनों ही प्रकार के कारोबार करने वाली सभी बीमा कम्पनियों का पर्यवेक्षण करना 3. बीमा कम्पनियों के मूल्य-निर्धारण, निवेश एवं लागत ढांचे को विनियमित करना 4. व्यक्तियों और बैंकों दोनों ही प्रकार की एजेन्सियों सहित बीमा दलालों का विनियमन करना पेंशन <ol style="list-style-type: none"> 1. पेंशन निधियों के लिए नियम बनाना 2. सभी पेंशन निधियों का विनियमन करना
---	--	--

आकृति 1.2 : वित्तीय प्रणाली - एक योजनाबद्ध प्रस्तुतिकरण

टिप्पणी : यह योजनाबद्ध रेखाचित्र वित्तीय प्रणाली के विविध संघटकों तथा उन व्यापक श्रेणियों का निदर्शन करता है जिनमें उन्हें उन कार्यकलापों के आधार पर श्रेणीकृत किया जा सकता है, जिन्हें वे चलाते हैं।

1.1.2 वाणिज्यिक बैंक

वाणिज्यिक बैंकों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों तथा निजी क्षेत्र के बैंकों का समावेश होता है। उधार देने या निवेश करने के उद्देश्य हेतु जनता से जमाराशिया स्वीकार करना उनके कार्यकलाप का मुख्य क्षेत्र होता है।

1.1.3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां (NBFCs)

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को जनता से जमाराशि के रूप में धनराशि जुटाने तथा उसे पट्टेदारी, किराया खरीद और बिल की भुनाई आदि सहित विविध लिखतों के माध्यम से उधार देने की अनुमति होती है। ये केन्द्रीय बैंकिंग प्राधिकरण द्वारा लाइसेंसित एवं पर्यवेक्षित होती हैं। केन्द्रीय बैंक ने यह निर्धारित कर रखा है कि केन्द्रीय बैंकिंग प्राधिकरण से वैध लाइसेंस के बिना कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी परिचालन नहीं कर सकती।

1.1.4 प्राथमिक व्यापारी (PDs)

प्राथमिक व्यापारी, जिन्हें पीडी के नाम से भी जाना जाता है, सरकारी प्रतिभूतियों से सम्बन्धित कामकाज करते हैं तथा वे प्राथमिक और अनुषंगी, दोनों ही बाजारों से जुड़े होते हैं। उनका मूल उत्तरदायित्व सरकारी प्रतिभूतियों के लिए बाजार उपलब्ध कराना तथा सरकारी प्रतिभूति बाजारों को सुदृढ़ करना होता है।

1.1.5 वित्तीय संस्थाएं (FIs)

वित्तीय संस्थाएं ऐसी विकासपरक वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो उद्योग और कृषि को दीर्घावधिक निधियां उपलब्ध कराती हैं। ये सभी संस्थाएं केन्द्रीय बैंकिंग प्राधिकरण की परीक्षा एवं प्रत्यक्ष निगरानी में कार्य करती हैं। वित्तीय संस्थाएं अपने संसाधन वित्तीय प्रणाली से दीर्घकालिक बॉण्डों और अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से उधार के माध्यम से जुटाती हैं।

1.1.6 सहकारी बैंक

इन्हें जनता से जमा राशियां जुटाने और उसे अग्रिम प्रदान करने की अनुमति होती है। शहरी सहकारी बैंक राज्य सरकारों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित होते हैं, जबकि अन्य सहकारी बैंक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) एवं राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित होते हैं। जमा राशियों पर अपेक्षाकृत अधिक ब्याज दर का भुगतान करने को छोड़ कर शहरी सहकारी बैंकों का विनियामक ढांचा अन्य बैंकों के जैसा ही है।

1.1.7 भुगतान एवं निपटान प्रणाली

किसी सुसंचालित वित्तीय प्रणाली के लिए एक कार्यकुशल एवं प्रभावी भुगतान एवं निपटान प्रणाली एक आवश्यक शर्त होती है। विविध केन्द्रों पर समाशोधन गृहों का रख-रखाव, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में मुद्रा रखने की तिजोरियों का निर्माण तथा निधियों के इलेक्ट्रॉनिक अन्तरण की व्यवस्था किया जाना केन्द्रीय बैंकों द्वारा संपादित महत्वपूर्ण कार्यकलाप हैं।

1.1.8 सरकारी ऋण का प्रबन्धन

अधिकांश केन्द्रीय बैंक सरकारी ऋण के निर्गम और शोधन का प्रबन्धन करते हैं। इसमें कीमत अन्वेषण, जुटाई जाने वाली मात्रा, ऋण की अवधि तथा उसका उक्त ऋण के सर्वांगीण नकदी प्रबन्धन से संतुलन बिठाना शामिल होता है।

1.1.9 सरकार का बैंकर

अधिकांश केन्द्रीय बैंक सरकारी जमा राशि का एक खाता रखते हैं तथा उनके नकदी प्रबन्धन का बॉण्डों के निर्गम एवं खजाना बिलों के माध्यम से संचालन करते हैं।

1.1.10 बैंकों के अन्तिम ऋणदाता

केन्द्रीय बैंक बैंकों को उनकी अल्पकालिक चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद (रेपो) सुविधा के माध्यम से अस्थायी आधार पर चलनिधि सहायता प्रदान करता है।

1.1.11 आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR)

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) वह अनिवार्य जमा है जो बैंकों द्वारा अपेक्षित मौद्रिक प्राधिकारी के पास रखी जानी होती है। यह उनकी मांग एवं सावधि देयताओं के प्रतिशत पर आधारित होता है। इसमें वृद्धि या कमी केन्द्रीय बैंक द्वारा बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि को बढ़ाने या उसे कम करने के लिए की जा सकती है।

1.1.12 सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR)

सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) किसी बैंक की मांग एवं सावधि देयताओं का वह निर्धारित प्रतिशत होता है जो निर्धारित प्रतिभूतियों, अधिकांशतया सरकारी प्रतिभूतियों में रखा जाना होता है। आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात में वृद्धि या कमी से ऋण निर्माण में संकुचन और बढ़ोत्तरी आती है।

1.2 इक्विटी और ऋण बाजार

कम्पनी प्रतिभूतियों यथा बॉण्डों, डिबेंचरों एवं परिवर्तनीय डिबेंचरों की विक्रेयता कम्पनियों को ऋण जुटाने में समर्थ बनाती है, जबकि डिबेंचर धारकों को अत्यधिक चलनिधि उपलब्ध होती है। शेयर बाजारों में उद्धृत तथा इन बाजारों में मुक्त रूप से खरीदी और बेची जाने वाली प्रतिभूतियों को पूंजी बाजार के विनियामक अर्थात् भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही जारी किया जा सकता है।

1.2.1. शेयर बाजार

कोई शेयर बाजार निवेशकों की ओर से प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद की व्यवस्था करने हेतु विनियामकों द्वारा विहित रूप से अनुमोदित होता है। ये शेयर बाजार भुगतानों का समायोजन एवं प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी करने हेतु समाशोधन गृह सुविधा प्रदान करते हैं। समाशोधन गृह सभी भुगतानों और सुपुर्दगियों की गारंटी प्रदान करते हैं। प्रतिभूतियों में इक्विटियों, ऋण एवं व्युत्पन्नियों का समावेश होता है।

1.2.2. दलाल

केवल पूंजी बाजार विनियामक द्वारा अनुमोदित दलाल ही शेयर बाजार में परिचालन कर सकते हैं। ये दलाल प्रतिभूतियों के क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच मध्यस्थता करने का कार्य करते हैं। वे आदेश पुस्तिका का निर्माण करने, कीमत अन्वेषण का कार्य सम्पन्न करने में सहायता करते हैं तथा दलालों की संविदाओं का पालन किए जाने हेतु उत्तरदायी होते हैं। उनकी सेवाएं दलाली की शर्त पर उपलब्ध होती हैं।

1.2.3 इक्विटी एवं ऋण जुटाने वाले

शेयर बाजारों के माध्यम से इक्विटी या ऋण जुटाने की इच्छुक कम्पनियों को इक्विटी एवं ऋण जुटाने की अनुमति के लिए तथा उन्हें शेयर बाजार की सूची में शामिल कराने हेतु निर्धारित आवेदनों और प्रोफार्मा विवरणिका के साथ पूंजी बाजार विनियामक से सम्पर्क करना होगा।

1.2.4 निवेश बैंकर (व्यापारी बैंकर)

व्यापारी बैंक शेयरों के निर्गम, निधि जुटाने एवं प्रबन्धन का कार्य करने जैसे कई प्रकार के कार्यकलाप संपादित करते हैं। वे सलाहकारी सेवाएं भी प्रदान करते हैं तथा विलयन एवं अधिग्रहण आदि के सम्बन्ध में परामर्श देते हैं। वे पूंजी बाजार के विनियामकों द्वारा लाइसेंस प्राप्त होते हैं।

1.2.5 विदेशी संस्थागत निवेशक (FII's)

विदेशी संस्थागत निवेशक विदेश-आधारित निधि होते हैं जो भारतीय इक्विटी एवं ऋण बाजार में शेयर बाजारों के माध्यम से निवेश करने हेतु पूंजी बाजार के विनियामक द्वारा प्राधिकृत होते हैं।

1.2.6 निक्षेपागार (Depositories)

निक्षेपागार प्रतिभूतियों को (भौतिक रूप के प्रतिकूल) कागज-रहित (डिजिट) रूप में रखते हैं, निक्षेपागार के सहभागियों के लेखे (हिसाब) रखते हैं, जो पुनः अपने ग्राहकों के उप-लेखे रखते हैं। शेयर बाजार के समाशोधन गृह से प्रलेखीकरण सहित अनुदेश प्राप्त होने पर निक्षेपागार प्रतिभूतियों को क्रेता के खाते से विक्रेता के खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप में अन्तरित कर देता है।

1.2.7 पारस्परिक निधियां

पारस्परिक निधि सामूहिक निवेश का एक रूप होती है जो निवेशकों से मुद्रा को संग्रहीत करती है तथा उसका शेयरों, ऋण एवं अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करती है। यह किसी एकल निवेशक के लिए एक कम जोखिमपूर्ण निवेश का विकल्प है। पारस्परिक निधियों को कोई आरिष्ठ प्रबन्धन कम्पनी (निधि) आरंभ करने के लिए विनियामक के अनुमोदन की आवश्यकता होती है तथा प्रत्येक योजना का उसका आरंभ किए जाने के पहले विनियामक द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है।

1.2.8 पंजीयक (Registrars)

पंजीयक शेयर और डिबेंचर धारकों का एक रजिस्टर रखता है तथा निर्गमों का अभिदान किए जाने पर शेयर एवं डिबेंचर आवंटनों की छानबीन करता है। पंजीयकों को भी अपना कारोबार चलाने के लिए विनियामकों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

1.3 बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA)

सामान्य और जीवन बीमा, दोनों ही प्रकार के बीमा व्यवसाय का विनियामक बीमा कम्पनियों के लाइसेंसकरण, व्यवसाय संचालन के सम्बन्ध में विनियम तैयार करने तथा देश में सभी प्रकार के बीमा कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करने आदि सहित बीमा व्यवसाय के सभी पहलुओं को विनियमित करता है।

1.4 सारांश

वित्तीय प्रणाली में उन मध्यवर्ती संस्थाओं, बाजारों एवं लिखतों के मिश्रण का समावेश होता है जो एक-दूसरे से सम्बन्धित होते हैं। यह एक ऐसी प्रणाली उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा बचतों को निवेश में रूपान्तरित कर दिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक केन्द्रीय प्राधिकारी की हैसियत से मौद्रिक नियंत्रण रखता है तथा बैंकिंग संस्थाओं का पर्यवेक्षण करता है। वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों, पारस्परिक निधियों, बीमा कम्पनियों, प्राधिकृत व्यापारियों, दलालों, निक्षेपागारों और बीमा एजेंटों जैसी विभिन्न संस्थाएं तथा पूंजी बाजार एवं मुद्रा बाजार जैसे विभिन्न बाजार भी इस वित्तीय प्रणाली के ही अंग हैं। तीन विनियामक प्राधिकरण अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) एवं बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) क्रमशः बैंकिंग, पूंजी बाजार और बीमा क्षेत्र का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण कर रहे हैं।

संलग्नक

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

कार्यपालक निदेशक

महा प्रबन्धक (विभाग)		महा प्रबन्धक (परिचालन)	
उप महा प्रबन्धक	उप महा प्रबन्धक	उप महा प्रबन्धक	उप महा प्रबन्धक
	सहायक महा प्रबन्धक		अंचल प्रबन्धक
	मुख्य प्रबन्धक		क्षेत्रीय प्रबन्धक
वरिष्ठ प्रबन्धक	वरिष्ठ प्रबन्धक	वरिष्ठ प्रबन्धक	शाखा प्रबन्धक
	प्रबन्धक	प्रबन्धक	

आकृति A1.1 : सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक का संगठनात्मक चार्ट

प्रधान कार्यालय

अंचल कार्यालय		अंचल कार्यालय	
क्षेत्रीय कार्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय
शाखा	शाखा	शाखा	शाखा

आकृति A 1.2 : एक वाणिज्यिक बैंक का संगठनात्मक चार्ट

शाखा

डीएसए/ डीएमए

डीएसए/ डीएमए

एटीएम

एटीएम

एटीएम

आकृति A 3 : शाखा का वितरण चैनल

1.5 अपनी प्रगति जांचिए

- बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य ।
 - भारतीय रिजर्व बैंक निक्षेपागारों और पारस्परिक निधियों का प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण करता है ।
 - मौद्रिक नियंत्रण आरक्षित नकदी निधि अनुपात एवं सांविधिक चलनिधि अनुपात के माध्यम से किया जाता है ।
 - प्राथमिक व्यापारी मुख्यतः शेयरों, पारस्परिक निधि की यूनियों का कार्य करते हैं ।
 - सरकारी ऋण के निर्गम एवं शोधन का प्रबन्धन वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है ।
 - सांविधिक चलनिधि अनुपात में कमी ऋण निर्माण में संकुचन लाती है ।
- कोष्ठक में से सही शब्द/शब्दों का चयन करें और वाक्य पूरा करें ।
 - निक्षेपागार प्रतिभूतियों को -----रूप में रखते हैं । (डिमैट, भौतिक)
 - आरक्षित नकदी निधि अनुपात बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी जाने वाली ----- जमा होती है । (स्वैच्छिक, अनिवार्य)
 - भुगतानों के समायोजन एवं प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी के लिए समाशोधन गृह सुविधा उपलब्ध कराते हैं । (प्राथमिक व्यापारी, शेयर बाजार)
 - शहरी सहकारी बैंक -----और -----द्वारा नियंत्रित होते हैं । (नाबार्ड, राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड)
 - पट्टेदारी, किराया खरीद और बिलों की भुनाई -----के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं । (गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों, पारस्परिक निधियों, वाणिज्यिक बैंकों)
- सत्रांत प्रश्न
 - बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के बीच प्रभेद को स्पष्ट करें.
 - भारतीय वित्तीय प्रणाली पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें ।
 - भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका पर प्रकाश डालें ।
 - व्यापारी बैंकों द्वारा कौन-सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं ? क्या निवेश बैंकर और व्यापारी बैंकर एक ही हैं ।
 - बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (IRDA) की भूमिका का संक्षेप में वर्णन करें ।

1.6 "अपनी प्रगति जांचिए " के उत्तर

- सत्य या असत्य
 - असत्य (संकेत : सेबी) (ख) सत्य
 - असत्य संकेत : सरकारी प्रतिभूतियां) (घ) असत्य (संकेत : भारतीय रिजर्व बैंक)
 - असत्य (संकेत : ऋण निर्माण बढ़ाती है)

2. सही शब्द चुनें

(क) डिमैट

(ग) शेयर बाजार

(ड) गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां

(ख) अनिवार्य

(घ) राज्य सरकारें और भारतीय रिजर्व बैंक

इकाई 2

बैंकिंग विनियमन

रूपरेखा

2.0 उद्देश्य

2.1 प्रस्तावना

2.2 भारतीय रिजर्व बैंक का गठन और उद्देश्य

2.3 भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य

2.3.1 नोटों का निर्गम

2.3.2 सरकार का बैंकर

2.3.3 बैंकों का बैंक

2.3.4 बैंकों का पर्यवेक्षण

2.3.5 वित्तीय प्रणाली का विकास

2.3.6 विदेशी मुद्रा विनियमन नियंत्रण

2.3.7 मौद्रिक नियंत्रण

2.4 मौद्रिक नियंत्रण के उपकरण

2.4.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR)

2.4.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR)

2.4.3 बैंक दर

2.4.4 खुले बाजार के कार्यकलाप (OMOs)

2.4.5 चयनात्मक ऋण नियंत्रण (SCC)

2.5 अन्य उपकरण

2.6 उधार देने पर विनियामक प्रतिबन्ध

2.7 सारांश

2.8 अपनी प्रगति जांचिए

2.9 'अपनी प्रगति जांचिए' के उत्तर

2.10 प्रमुख शब्द

2.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन कर लेने के बाद आप में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा प्रयुक्त बैंकिंग विनियमन के उन विविध उपकरणों एवं तकनीकों की समझ पैदा हो जानी चाहिए जो भारत में वाणिज्यिक बैंकों की कार्यपद्धति को प्रभावित करते हैं। यह इकाई भारत में बैंकिंग की आधारभूत बातों को बेहतर ढंग से जान लेने में आप की सहायता करेगी तथा आप को निम्नलिखित से परिचित कराएगी :

- * भारतीय रिजर्व बैंक का गठन और उद्देश्य,
- * भारतीय बैंकिंग प्रणाली के विनियामक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य,
- * भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक उपकरण और बैंकों पर उनका प्रभाव,
- * प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम - उनकी संरचना तथा उनका औचित्य, और
- * बैंक उधार पर विनियामक प्रतिबन्ध

2.1 प्रस्तावना

इकाई 1 में आप देख चुके हैं कि भारत में बैंकिंग प्रणाली देश के केन्द्रीय बैंकिंग प्राधिकरण के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती है। बैंकिंग विनियमन भारत के लिए अनोखा नहीं है, क्योंकि प्रत्येक देश की बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धित देश के कानूनों के अनुसार किसी प्राधिकरण द्वारा विनियमित होती है। यहां तक कि इंग्लैंड में भी, जहां बैंकिंग को किसी कानूनी पुस्तक में परिभाषित नहीं किया गया है, एक अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय बैंकिंग प्राधिकरण के रूप में बैंकिंग प्रणाली बैंक आफ इंग्लैंड द्वारा विनियमित होती है। भारत में भी बैंकिंग प्रणाली भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती है।

संस्थाओं (Players) की उस अदूरदर्शिता, जो बैंकिंग प्रणाली में जनता के विश्वास को डिगा सकती है, पर रोक लगाने के लिए बैंकिंग प्रणाली का ऐसा उपयुक्त विनियमन अनिवार्य है। वित्तीय प्रणाली जनता की धनराशि से सम्बद्ध होती है तथा यह आवश्यक है कि हर समय पर्याप्त सावधानी बरतते हुए उसके दुरुपयोग और यहां तक कि वित्तीय प्रणाली के किसी भी संस्था (Player) द्वारा बरती जाने वाली अदूरदर्शिता की सभी संभावनाओं का निवारण करते हुए और उन्हें नियंत्रित रखते हुए बैंकिंग प्रणाली में जनता के विश्वास एवं भरोसे का सृजन किया जाए, उसे टिकाए रखा जाए तथा उसे बढ़ावा दिया जाए। इस प्रकार वित्तीय/बैंकिंग प्रणाली के विनियमन के औचित्य निम्नानुसार हैं :

- * वित्तीय/बैंकिंग प्रणाली में जनता के विश्वास एवं भरोसे का सृजन करना, उसे टिकाए रखना और बढ़ावा देना।
- * संस्थाओं द्वारा पर्याप्त/सामयिक प्रकटन के माध्यम से निवेशकों के हितों का संरक्षण करना और निवेशकों द्वारा सूचना तक पहुंच का अवसर दिया जाना।
- * यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय बाजार उचित एवं कार्यकुशल दोनों ही हों।
- * यह सुनिश्चित करना कि सहभागी बाजार-स्थल के नियमों के अनुरूप हों।

भारत, जो एक विकासशील देश है, में एक स्थिर बैंकिंग/वित्तीय प्रणाली के इसके पूर्व वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति में बैंकिंग विनियामक (भारतीय रिजर्व बैंक) और प्रतिभूति बाजार के विनियामक (भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड - सेबी) की भी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक का यह अतिरिक्त दायित्व बनता है कि वह राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों के अनुरूप बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया को सरल बनाए और उसमें सहायक हो। इस इकाई में भारतीय रिजर्व बैंक के सन्दर्भ में बैंकिंग प्रणाली के पूर्व-वर्णित उद्देश्यों पर चर्चा की जाएगी। बैंकिंग के ऐसे विविध पहलुओं, जिन पर उत्तरवर्ती इकाइयों में चर्चा की जाएगी, को बेहतर ढंग से समझने में आपको समर्थ बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के सांविधिक उद्देश्यों और विनियामक कार्यों की इस इकाई में व्याख्या की जाएगी।

2.2 भारतीय रिजर्व बैंक का गठन और उसके उद्देश्य

भारतीय रिजर्व बैंक गठन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन किया गया था तथा उसने 1 अप्रैल, 1935 से कार्य करना आरंभ किया। विकासशील देशों में परिचालनरत केन्द्रीय बैंकों में भारतीय रिजर्व बैंक सर्वाधिक पुराना है, यद्यपि वह विकसित देशों के रूप में इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में केन्द्रीय बैंकों के रूप में परिचालनरत क्रमशः बैंक आफ इंग्लैंड

और दि फेडरल रिजर्व बोर्ड की तुलना में काफी नया है। भारतीय रिजर्व बैंक (लोक स्वामित्व को अन्तरण) अधिनियम, 1948 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी स्वामित्वाधीन संस्था है। यह अधिनियम केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति (अधिकार) प्रदान करता है कि वह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक को ऐसे निर्देश जारी करे जो लोक-हित में आवश्यक समझे जाते हों। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और चार उप गवर्नर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रण उस केन्द्रीय निदेशक मण्डल में निहित होता है जिसमें गवर्नर, चार उप गवर्नरों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित 15 निदेशकों का समावेश होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का आन्तरिक प्रबन्धन कार्यपरक विशेषज्ञता और लगभग उन 20 विभागों के बीच समन्वय पर आधारित होता है जिनका मुख्यालय मुंबई में है, जो देश की वित्तीय राजधानी है।

भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना में सन्निहित हैं। यह इस प्रकार पठित होता है, 'जबकि बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करने तथा भारत में मौद्रिक स्थिरता लाने की दृष्टि से तथा सामान्यतया देश की मुद्रा एवं ऋण प्रणाली का उसके लाभार्थ परिचालन करने के लिए भारत के लिए एक रिजर्व बैंक का गठन किया जाना समयोचित है।' भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख उद्देश्यों का विशिष्ट रूप से निम्नानुसार उल्लेख किया जा सकता है:

- (i) मौद्रिक स्थिरता को इस प्रकार बनाए रखना कि देश का व्यवसाय और आर्थिक जीवन एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के कल्याणकारी लाभ प्रदान करने में सक्षम हो सके।
- (ii) वित्तीय स्थिरता बनाए रखना तथा सुदृढ़ वित्तीय संस्थाओं का सुनिश्चयन, ताकि आर्थिक इकाइयां अपने व्यवसाय का विश्वास के साथ संचालन कर सकें।
- (iii) स्थिर भुगतान प्रणाली का रख-रखाव करना, ताकि वित्तीय लेनदेनों का सुरक्षापूर्वक और कुशलतापूर्वक निष्पादन किया जा सके।
- (iv) यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय प्रणाली द्वारा किया जाने वाला ऋण आवंटन व्यापक रूप से राष्ट्रीय आर्थिक प्राथमिकताओं एवं सामाजिक सरोकारों का प्रतिबिंबन करे।
- (v) एक उपयुक्त स्तर की मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा एवं ऋण की समस्त मात्रा का विनियमन करना।
- (vi) वित्तीय बाजारों एवं प्रणालियों को कुशलतापूर्वक परिचालन/विनियमन करने में आत्मसक्षम बनाने के लिए उनके विकास को बढ़ावा देना।

2.3 भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य

भारतीय रिजर्व बैंक को यह अनन्य अधिकार है कि वह करेन्सी नोट जारी करे तथा उन्हें प्रचलन में लाए, उन्हें वापस ले ले या उनकी अदला-बदली करे। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 रुपये के उन नोटों तथा सभी सिक्कों को छोड़ कर जो भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, किन्तु प्रचलन में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही लाए जाते हैं, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 रुपये के मूल्यवर्ग में नोट जारी किए हैं तथा उन्हें प्रचलन में लाए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास लगभग सत्रह निर्गम कार्यालय और 4,000 से अधिक ऐसी मुद्रा तिजोरियां (currency chests) हैं, जिनमें नये और पुनः जारी किए जाने योग्य नोटों को भण्डारित किया जाता है। मुद्रा तिजोरियां विविध बैंकिंग समूहों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के एजेन्टों के रूप में रखी जाती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक समूह के पास 2,800 से अधिक मुद्रा तिजोरियां हैं, राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास लगभग 800 तिजोरियां हैं, खजानों के पास लगभग 420 तथा निजी क्षेत्र के बैंकों के पास लगभग 20 मुद्रा-तिजोरियां हैं। जारी नोटों की सुरक्षा राशि के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक कुल अनुमोदित आस्तियों के एक भाग के रूप में न्यूनतम मूल्य के सोने के सिक्के, चांदी और विदेशी प्रतिभूतियां रखता है।

2.3.2 सरकार का बैंकर

भारतीय रिजर्व बैंक केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार वह उन्हें धनराशि जमा करने, निधियों के आहरण, भुगतान करने और प्राप्तियां स्वीकार करने, निधियों की वसूली और उनके अन्तरण तथा लोक ऋण के प्रबन्धन की सेवाएं उपलब्ध कराता है। सरकारी जमा राशियां ब्याज-रहित प्राप्त की जाती हैं और भारतीय रिजर्व बैंक को सरकार के नेमी बैंकिंग कारोबार के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं प्राप्त होता। भारतीय रिजर्व बैंक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्णीत राजकोषीय घाटे को कम करने की दृष्टि से ओवरड्राफ्टों की रकम के सम्बन्ध में कुछेक नियमों और सीमाओं के

अधीन केन्द्रीय और राज्य सरकारों को 'अर्थोपाय अग्रिम' भी प्रदान करता है। लोक ऋण के प्रबन्धन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक सम्बन्धित सरकारों से कमीशन और ओवरड्राफ्टों पर ब्याज वसूल करता है।

2.3.3 बैंकरों का बैंक

प्रत्येक केन्द्रीय बैंक बैंकरों के बैंकर के रूप में कार्य करता है और भारतीय रिजर्व बैंक भी वैसा ही करता है। वाणिज्यिक बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों, जो अनुसूचित बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल) होते हैं, को उनकी मांग एवं सावधि देयताओं (DTL) के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में निर्धारित आरक्षित निधि नकद एवं अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखनी होती है। इस इकाई में ही बाद वाले अनुच्छेद में यथा चर्चित ये आरक्षित निधियां ऋण निर्मित करने में बैंक की क्षमता का विनियमन करती हैं तथा अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक बैंक ऋण की लागत को विनियमित करने के लिए अपनी बैंक दर और उसके माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से अपनी मात्रा को भी परिवर्तित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक अर्ध- वार्षिक रूप से घोषित की जाने वाली अपनी ऋण नीति में यथा निर्धारित शर्तों के अधीन कुछेक प्रकार के ऋणों के लिए बिलों की पुनर्भुनाई करते हुए तथा पुनर्वितीयन व्यवस्था के माध्यम से बैंकों के लिए अन्तिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है।

2.3.4 बैंकों का पर्यवेक्षण

नवम्बर, 1993 से भारतीय रिजर्व बैंक का बैंकिंग पर्यवेक्षी कार्य उसके परम्परागत केन्द्रीय बैंकिंग कार्यों से अलग कर दिया गया है। न केवल वाणिज्यिक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, अपितु अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (AIFIs) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (NBFCs) के भी समावेश वाली भारतीय बैंकिंग प्रणाली का पर्यवेक्षण करने हेतु वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (BFS) का गठन 1994 में हुआ था। उसके अध्यक्ष के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के अलावा वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के पास एक पूर्णकालिक उपाध्यक्ष और छः अन्य सदस्य हैं।

इसके नीचे यथा उल्लिखित वाणिज्यिक बैंकों के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक के (की) पर्यवेक्षी अधिकार (शक्तियां) पर्याप्त व्यापक हैं तथा उनका उद्देश्य देश में एक सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली विकसित करना है :

- (i) नये बैंकों और अस्तित्वाधीन बैंकों की नयी शाखाओं के लिए लाइसेंस जारी करना।
- (ii) प्रदत्त पूंजी और आरक्षित निधि, आरक्षित नकदी निधि एवं अन्य नकद आस्तियों के रख-रखाव के लिए न्यूनतम आवश्यकता निर्धारित करना।
- (iii) उनकी कार्य पद्धति की सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए भारत और विदेशों में स्थित अनुसूचित बैंकों की कार्य पद्धति का समस्त प्रासंगिक दृष्टिकोणों से निरीक्षण करना।
- (iv) बैंकों से सम्बन्धित शिकायतों, अनियमितताओं एवं धोखाधडियों की तदर्थ जांच-पड़ताल करना।
- (v) निजी बैंकों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की नियुक्तियों, पुनर्नियुक्तियों, पदच्युतियों को नियंत्रित करना।
- (vi) दो बैंकों के समामेलन या विलयन को अनुमोदित करना या करवाना। इसका हाल ही का उदाहरण है 2004 की शुरुआत में ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के भारतीय रिजर्व बैंक के अधिस्थगन के उपरान्त उसका ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ विलयन।

2.3.5 वित्तीय प्रणाली का विकास

यह इसके पहले यथा उल्लिखित बैंकों के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामक एवं पर्यवेक्षी भूमिका के प्रतिकूल उसकी विकासपरक भूमिका का द्योतन करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित के लिए विशिष्टीकृत वित्तीय संस्थाओं का निर्माण कर रखा है :

- (i) **औद्योगिक वित्त:** 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI)। 1989 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)।
- (ii) **कृषि ऋण:** 1981 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)।
- (iii) **निर्यात-आयात वित्त:** 1981 में भारतीय निर्यात- आयात बैंक (एक्विजम बैंक)।
- (iv) 1961 में भारतीय निक्षेप बीमा निगम जो बाद में भारतीय निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम (DICGC) बन गया।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग के विविध पहलुओं से सम्बन्धित कतिपय योजनाओं की शुरुआत भी की है, जिन्होंने पिछले पांच दशकों में देश में बैंकिंग के विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। उनमें से कुछेक निम्नानुसार हैं :

- (i) 1952 और 1970 की बिल बाजार योजना।
- (ii) पिछड़े जिलों के विकास हेतु अग्रणी बैंक योजना (1970 वाला दशक)।
- (iii) बैंक ऋण हेतु मालसूची मानदंडों पर पी.एल. टण्डन समिति, 1974 *
- (iv) ऋण प्राधिकरण योजना (1960 वाला दशक) *
- (v) सहायता संघ वित्तीयन योजना (1970 वाला दशक) *
- (vi) प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम योजना (इस इकाई में बाद में चर्चित)।

टिप्पणी : तारांकित योजनाएं 1991 से जारी उदारीकरण प्रक्रिया के बाद समाप्त कर दी गई हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने विशाल असंगठित वित्तीय क्षेत्र (देशी बैंकरों, विविध प्रकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों आदि) को उन्हें कुछ सीमा तक विनियमित कर के संगठित वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करने का भी प्रयास किया है। हालांकि, यह कार्य इतना वृहत् और जटिल है कि इन दोनों ही क्षेत्रों का वांछित एकीकरण करने में भारतीय रिजर्व बैंक को काफी समय लगेगा, ताकि वे देश में एक ही वित्तीय प्रणाली के रूप में कार्य कर सकें।

2.3.6 विदेशी मुद्रा विनियमन नियंत्रण

भारतीय रिजर्व बैंक को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह राष्ट्रीय मुद्रा- भारतीय रुपये के विदेशी (बाह्य) मूल्य की स्थिरता को बनाए रखे। वह देश के विदेशी मुद्रा बाजार का (1973 में संशोधित एवं विस्तारित) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, (FERA) 1947 के अनुसार विनियमन किया करता था। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 को विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम, 1999 (FEMA) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है और अब भारतीय रिजर्व बैंक इस नये अधिनियम के प्रावधानों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करता है। भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित कार्य करता है :

- (i) वह विदेशी मुद्रा विनियमन नियंत्रण का प्रबन्धन अपने विदेशी मुद्रा विनियमन नियंत्रण विभाग के माध्यम से करता है। वह बैंकों की विशिष्टीकृत शाखाओं और प्राधिकृत व्यापारी (ADs) कहे जाने वाले अन्य व्यापारियों को निर्धारित प्रकार के विदेशी मुद्रा लेनदेनों का कार्य करने हेतु प्राधिकृत कर देता है तथा इस प्रकार के लेनदेनों को विनियमित करने हेतु परिपत्रों की प्राधिकृत व्यापारी (AD) श्रृंखला जारी करता है।
- (ii) वह प्राधिकृत व्यापारियों को/से विदेशी मुद्रा बेचने और खरीदने के माध्यम से तथा अन्य उपायों के माध्यम से भारतीय रुपये और विदेशी मुद्राओं के बीच वाली विनियमन दरों का प्रबन्धन करता है।
- (iii) वह देश की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का प्रबन्धन करता है तथा सोने एवं विदेशी सरकारों और अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में आरक्षित निधि बनाए रखता है।

2.3.7 मौद्रिक नियंत्रण

भारतीय रिजर्व बैंक (बैंक दर के माध्यम से) मुद्रा आपूर्ति, बैंक ऋण की मात्रा तथा बैंक ऋण की लागत और उसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में होने वाली समस्त मुद्रा आपूर्ति का भी नियंत्रण करता है। मुद्रा आपूर्ति में परिवर्तन अर्थव्यवस्था में मौजूद स्फीतिकारी एवं अपस्फीतिकारी स्थितियों को नियंत्रित करने की एक तकनीक होती है। भारतीय रिजर्व बैंक देश की मौद्रिक नीति ठीक उसी प्रकार जारी करता है जैसे वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति जारी करता है और वाणिज्य मंत्रालय समय-समय पर देश की निर्यात-आयात नीति जारी करता है। ये सभी नीतियां उन स्थूल आर्थिक नीतियों में शामिल होती हैं जो देश के विविध व्यवसायों को प्रभावित करती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक एवं ऋण नीति वार्षिक आधार पर जारी करता है।

2.4 मौद्रिक नीति के उपकरण

भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति का उपयोग मौद्रिक नियंत्रण के निम्नलिखित में से किसी एक या उससे अधिक उपकरणों का उपयोग करते हुए अर्थव्यवस्था में मौजूद मुद्रास्फीतिकारी या अपस्फीतिकारी स्थितियों को नियंत्रित करने हेतु करता है।

2.4.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR)

इसका आशय है वह नकदी जो सभी (अनुसूचित एवं गैर-अनुसूचित) बैंकों के लिए उनकी मांग एवं सावधि देयताओं (DTL) के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना आवश्यक होता है। जैसाकि आप जानते हैं किसी बैंक की मांग देयताओं से उसकी उन जमा राशियों का पता चलता है, जो जमाकर्ताओं की मांग पर देय होती हैं (अर्थात् चालू और बचत जमा राशियाँ) तथा सावधि देयताओं से आशय है उसकी वे सावधि जमा राशियाँ जो विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं पर पुनर्देय होती हैं। इन देयताओं को समय पर पूरा करने (अर्थात् नकदी रखने) के उद्देश्य से किसी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास विनियामक आरक्षित नकदी निधि रखनी होती है (जो इस समय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए 6.5 प्रति शत है)। यदि कोई बैंक निर्धारित अन्तरालों पर निर्धारित आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखने में असफल हो जाता है तो उसे भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशियों पर प्राप्य ब्याज से समायोजन के माध्यम से उस कमी पर दण्डस्वरूप ब्याज का भुगतान करना होता है। आरक्षित नकदी निधि अनुपात में किसी प्रकार की कमी से बैंकों की ऋण देने योग्य निधियों में वृद्धि हो जाती है तथा मांग एवं सावधि मुद्रा बाजार पर उनकी निर्भरता में कमी आ जाती है। इससे मांग दरों में गिरावट आ जाएगी। आरक्षित नकदी निधि अनुपात में किसी प्रकार की वृद्धि से बैंकिंग प्रणाली की चलनिधि में कमी आ जाएगी तथा उनके उधार परिचालनों का स्तर घट जाएगा और मांग दर बढ़ने लगेगी।

2.4.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR)

इससे आशय है आरक्षित नकदी निधि अनुपात के अलावा बैंकों की चल आरक्षित निधि की अनुपूरक आवश्यकता। सभी (अनुसूचित और गैर-अनुसूचित) बैंकों द्वारा सांविधिक चलनिधि अनुपात हाथ में नकदी (न्यूनतम आरक्षित नकदी निधि अनुपात को छोड़कर), भारतीय स्टेट बैंक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य वाणिज्यिक बैंकों के पास चालू खाते में शेष राशियों, भारग्रस्तता-रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों और सोने के रूप में रखा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों की मांग एवं सावधि देयताओं के 0 प्रति शत से 40 प्रति शत तक का सांविधिक चलनिधि अनुपात निर्धारित कर सकता है (यह इस समय 25 प्रति शत है)। सांविधिक चलनिधि अनुपात के तीन उद्देश्य होते हैं :

- बैंकों के ऋण विस्तार को प्रतिबन्धित करना,
- अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश को बढ़ाना,
- बैंकों की शोधक्षमता बढ़ाना।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सांविधिक चलनिधि अनुपात में वृद्धि का प्रभाव उनकी मांग एवं सावधि देयताओं के एक निश्चित अंश के सरकारी या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के पूर्वक्रय द्वारा बैंकों की उधार देने की क्षमता में कमी के रूप में सामने आता है। इसलिए इसका न केवल बैंकों की ऋण देने योग्य निधियों की आपूर्ति के रूप में अपितु बैंक ऋण की बढ़ती मांग की पृष्ठभूमि में उधार दरों में बढ़ोत्तरी के रूप में भी अर्थव्यवस्था पर अपस्फीतिकारी प्रभाव होता है। सांविधिक चलनिधि अनुपात में कमी किए जाने की स्थिति में इसके विपरीत स्थिति निर्मित होती है।

2.4.3 बैंक दर

बैंक दर वह मानक दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों से विनिमय बिल या अन्य पात्र वाणिज्यिक पत्र खरीदने या उनकी पुनर्भुनाई करने हेतु तैयार होता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक से पुनर्भुनाई या पुनर्वितीयन सुविधा प्राप्त करने की मूल लागत होती है। अतएव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर का उपयोग पुनर्वित्त की लागत एवं उसकी उपलब्धता को प्रभावित करने और बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के ऋण देने योग्य संसाधनों को परिवर्तित करने हेतु किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में किए जाने वाले परिवर्तन से बैंकिंग प्रणाली में ऋणों एवं जमा राशियों से सम्बन्धित ब्याज दरें सभी स्तरों पर यदि उसी सीमा तक नहीं तो निश्चित रूप से उसी दिशा में प्रभावित होती हैं। अविनियमन और 1991 से आरंभ बैंकिंग सुधारों के पश्चात् भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रमिक रूप से जमा एवं उधार दरों के अपने प्रत्यक्ष विनियमन में ढील दे दी और कुछेक अपवादों को छोड़कर अब यह निर्णय करना उनके निदेशक मण्डलों के माध्यम से बैंकों पर छोड़ दिया गया है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक अब भी जब कभी अर्थव्यवस्था की स्थिति उसे आवश्यक बना दे, अपनी बैंक दर में परिवर्तन के माध्यम से ब्याज दरों को प्रभावित कर सकता है।

2.4.4 खुले बाजार के कार्यकलाप(OMOs)

इसका आशय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि को बढ़ाने या घटाने के उद्देश्य से (केन्द्रीय या राज्य सरकारों या दोनों ही) सरकारों की प्रतिभूतियों का क्रय या विक्रय और उसके माध्यम से बैंकों के पास मौजूद ऋण देने योग्य निधियों को प्रभावित करना है। भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजार की बिक्री/खरीद की मूल्य-निर्धारण से सम्बन्धित अपनी नीति के माध्यम से ब्याज दर ढांचे को भी परिवर्तित कर सकता है।

2.4.5 चयनात्मक ऋण नियंत्रण (SCC)

भारतीय रिजर्व बैंक विनिर्दिष्ट संवेदनशील पण्यों पर बैंक अग्रिमों पर कतिपय प्रतिबन्धों का निर्धारण करते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम की धाराओं 21 और 35 ए के तहत निम्नानुसार निर्देश जारी करता है :

दालों, अन्य खाद्यान्नों (अर्थात् मोटे अनाजों), तिलहनों, वनस्पति सहित तेलों, सभी आयातित तिलहनों एवं तेलों, (सुरक्षित भण्डार और चीनी मिलों के पास पड़े अनिर्गमित स्टाक को छोड़कर) आयातित चीनी सहित चीनी, गुड़ एवं खांडसारी, रूई एवं कपास, धान/चावल और गेहूं।

चयनात्मक ऋण नियंत्रण (SCC) निर्देश जारी करने के पीछे भारतीय रिजर्व बैंक का उद्देश्य आवश्यक जिन्सों की जमाखोरी और उसके फलस्वरूप उनकी कीमतों में होने वाली वृद्धि को रोकना होता है। चयनात्मक ऋण नियंत्रण के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक के सामान्य दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं :

- (i) बैंकों को चयनात्मक ऋण नियंत्रण जिन्सों का व्यापार करने वाले ग्राहकों को (बही ऋणों/प्राप्य राशियों या यहां तक कि बीमा पॉलिसियों, शेयरों, स्टाकों तथा स्थावर संपदा जैसी संपार्थिक प्रतिभूतियों सहित) पर कोई भी ऐसी ऋण - सुविधा नहीं देनी चाहिए जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चयनात्मक ऋण नियंत्रण निर्देशों का उद्देश्य ही विफल हो जाए।
- (ii) चयनात्मक ऋण नियंत्रण निर्देशों में शामिल प्रत्येक जिन्स पर ऋण सीमाएं पृथकीकृत होनी चाहिए और इस प्रकार पृथकीकृत प्रत्येक सीमा पर चयनात्मक ऋण नियंत्रण प्रतिबन्धों को लागू किया जाना चाहिए।

वर्तमान में केवल चीनी का सुरक्षित भण्डार, चीनी मिलों के पास पड़ा अनिर्गमित स्टाक जो खुले बाजार में बिक्री वाली चीनी और उगाही (लेवी) चीनी के रूप में होता है, ही चयनात्मक ऋण नियंत्रण में शामिल है।

2.5 अन्य उपकरण

अतीत में भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियमन के अन्य उपकरणों का उपयोग किया है। हालांकि, 1991 की उदारीकरण नीति के उपरान्त इन उपकरणों में से अधिकांश अब बंद हो गए हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सद्यः उनका उपयोग नहीं किया जाता। ये उपकरण निम्नानुसार हैं :

*ऋण का नियंत्रित वितरण (Rationing)/ आवंटन	*ऋण प्राधिकरण योजना
*ऋण आयोजना	*माल-सूची और ऋण मानदंड

2.6 उधार देने पर विनियामक प्रतिबन्ध

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (BRA) के अनुसार बैंकों द्वारा उधार दिए जाने के सम्बन्ध में कतिपय विनियामक प्रतिबन्ध हैं, जो निम्नानुसार हैं :

- (i) बैंकों के स्वयं अपने शेयरों या किसी कम्पनी के आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों की प्रतिभूति पर किसी भी प्रकार का अग्रिम या ऋण नहीं मंजूर किया जा सकता।
- (ii) कोई भी बैंक किसी कम्पनी में शेयर धारण नहीं कर सकता :
 - (क) गिरवीदार या बन्धकग्राही के रूप में उस कम्पनी की चुकता (प्रदत्त) पूंजी के 30 प्रति शत की सीमा से अधिक या बैंक की चुकता पूंजी एवं आरक्षित निधियों का 30 प्रति शत, इनमें से जो भी कम हो (बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 19 (ii)।

- (ख) जिसके प्रबन्धन से बैंक का प्रबन्ध निदेशक या प्रबन्धक हितबद्ध हो (बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 19)
- (ii) |
- (iii) शेयरों, जमा प्रमाण पत्रों (CDs), बॉण्डों आदि में बैंक का कुल निवेश पिछले वर्ष के अन्त में बैंक की निवल स्वाधिकृत निधियों के 40 प्रति शत की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (iv) किसी भी बैंक को निम्नलिखित पर ऋण नहीं मंजूर करना चाहिए :
- (क) जमा प्रमाण पत्रों
- (ख) अन्य बैंकों द्वारा जारी मीयादी जमाराशियों
- (ग) मुद्रा बाजार की पारस्परिक निधियों
- (v) बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के चयनात्मक ऋण नियंत्रण निर्देशों में शामिल जिन्सों की प्रतिभूति पर ऋणों के मामले में ऋण के स्तर, मार्जिन और ब्याज दर आदि से सम्बन्धित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए। बैंकों द्वारा निम्नलिखित को कोई ऋण नहीं मंजूर किया जाना चाहिए :
- * बैंक के निदेशकों या उन फर्मों को जिनमें कोई निदेशक भागीदार/प्रबन्धक/कर्मचारी/गारंटीदाता के रूप में हितबद्ध हो (कतिपय छूटों की अनुमति है)।
- *अन्य बैंकों के निदेशकों के सम्बन्धियों को (सम्बन्धी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित किए गए हैं) - इस प्रकार के ऋण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा या बैंकों के निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकृत किए जा सकते हैं।
- (vi) बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की 'इरादतन चूककर्ताओं' की सूची में शामिल उधारकर्ताओं को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उक्त सूची की प्रकाशन तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक कोई नयी या अतिरिक्त सुविधा नहीं स्वीकृत करनी चाहिए।

2.7 सारांश

संयुक्त राज्य अमेरिका में दि फेडरल रिजर्व बोर्ड तथा इंग्लैंड में बैंक आफ इंग्लैंड की ही भांति भारतीय बैंकिंग प्रणाली का केन्द्रीय बैंकिंग प्राधिकरण और विनियामक भारतीय रिजर्व बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक का गठन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन हुआ था तथा वह अपने (नी) विनियामक अधिकार (शक्तियां) इस अधिनियम तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम से भी ग्रहण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख उद्देश्य हैं बैंकिंग प्रणाली में वित्तीय शोधक्षमता एवं चलनिधि, विदेशी मुद्रा विनिमय दर और रुपये के आन्तरिक मूल्य में स्थिरता और बैंक ऋण के प्रवाह को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाए रखना तथा वित्तीय संस्थाओं का सुदृढ़ आधार पर विकास करना।

ऊपर वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक बहुविध कार्य संपादित करता है। उसके मुख्य कार्यों में नोटों का प्रवर्तन, सरकार का बैंकर, बैंकरों का बैंक, बैंकों का पर्यवेक्षण, वित्तीय प्रणाली का विकास, विदेशी मुद्रा विनिमय नियंत्रण तथा मौद्रिक नियंत्रण शामिल हैं।

मौद्रिक नियंत्रण के मुख्य उपकरण हैं आरक्षित नकदी निधि अनुपात, सांविधिक चलनिधि अनुपात, खुले बाजार के कार्यकलाप, बैंक दर और चयनात्मक ऋण नियंत्रण। भारतीय रिजर्व बैंक इन उपकरणों का उपयोग अर्थव्यवस्था या बैंकिंग प्रणाली में समय-समय पर पैदा होने वाली विशिष्ट मौद्रिक स्थितियों को नियंत्रित करने या उन्हें सुधारने के लिए एक-एक कर के या सामूहिक रूप में करता है। इन उपायों से वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखने के अलावा बैंक ऋण की मात्रा एवं लागत भी प्रभावित होती है।

गरीबी उन्मूलन तथा समाज के सुविधा से वंचित वर्गों की आर्थिक स्थिति सुधारने की सरकारी नीति के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को विनिर्दिष्ट प्राथमिकता क्षेत्र को कृषि, समाज के कमजोर वर्गों और अत्यधिक गरीब वर्गों के लिए विनिर्दिष्ट उप-लक्ष्य सहित उनके निवल बैंक ऋण के न्यूनतम 40 प्रति शत के लक्ष्य के साथ उधार देने का निर्देश दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के लिए उधार की शर्तों और परिचालनों में कतिपय रियायतें भी निर्धारित की गई हैं।

बैंककारी विनियमन अधिनियम के अनुसार तथा विवेक के आधार पर भी एवं बैंक ऋण के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कतिपय विनियामक प्रतिबन्ध भी लगाए गए हैं।

2.8 अपनी प्रगति जांचिए

- यह बताएं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य ?
 - भारत में बैंकों और प्रतिभूतियों के बाजार का विनियामक भारतीय रिजर्व बैंक है।
 - भारतीय रिजर्व बैंक ने 1934 और उसके बाद से कार्य करना आरंभ किया।
 - भारतीय रिजर्व बैंक भारत में वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय स्थिरता बनाए रखता है।
 - 1 रुपये से ले कर 1000 रुपये तक के मूल्यवर्ग वाले नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं।
 - निजी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक करता है।
 - कमजोर बैंकों को सुदृढ़ बैंकों में समामेलित करने का/की अधिकार/शक्ति भारतीय रिजर्व बैंक के पास नहीं है।
 - भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण प्राधिकरण और सहायता संघ वित्त योजनाएं भारत में वाणिज्यिक बैंकों के लिए अब भी अनिवार्य हैं।
 - वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा विनियमन नियंत्रण को विनियमित करने का/की अधिकार/शक्ति विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA) 1973 से ग्रहण करता है।
 - अनुसूचित बैंकों की सभी शाखाएं विदेशी मुद्रा विनियमन के लेनदेनों का संचालन कर सकती हैं।
 - सांविधिक चलनिधि अनुपात आरक्षित नकदी निधि अनुपात से कम है।
 - चूंकि लघु उद्योग क्षेत्र के लिए कोई उप-लक्ष्य नहीं है, उसका समावेश प्राथमिकता क्षेत्र में नहीं होता।
- निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों को उपयुक्त शब्द/दों से भरें :
 - भारतीय बैंकिंग प्रणाली -----अधिनियम, 1934 और -----अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित होती है।
 - संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड में बैंकिंग विनियमन क्रमशः -----और----- द्वारा होता है।
 - भारतीय रिजर्व बैंक ----- स्वामित्वाधीन संस्था है।
 - भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय निदेशक मण्डल में एक-----, चार-----और पन्द्रह ----- का समावेश होता है।
 - नये और जारी किए जाने योग्य नोट भारतीय रिजर्व बैंक के -----के रूप में बैंकों द्वारा रखी जाने वाली -----में भण्डारित किए जाते हैं।
 - भारतीय रिजर्व बैंक केन्द्रीय और -----सरकारों के-----के रूप में कार्य करता है।
 - भारतीय बैंकिंग प्रणाली में भारतीय रिजर्व बैंक -----बैंक और ----- के भी रूप में कार्य करता है।
 - बैंक दर में कमी के फलस्वरूप बैंकों की ब्याज दरों में -----होने की संभावना रहती है।
 - मौद्रिक और ऋण नीति -----द्वारा प्रत्येक वर्ष-----बार जारी की जाती है।
 - आरक्षित नकदी निधि अनुपात में किसी कमी से बैंकिंग प्रणाली की चलनिधि में -----हो जाएगी।
 - अर्थव्यवस्था में मौजूद मुद्रास्फीतिकारी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक -----या/और-----या/और----- मौद्रिक उपकरणों में से एक या उससे अधिक की बढ़ोत्तरी कर सकता है।
- निम्नलिखित प्रथमाक्षरी नामों के पूर्ण रूप लिखें :

(क) FERA	(ख) FEMA	(ग) ADs
(घ) CRR	(ङ) SLR	(च) DTL
(छ) OMO	(ज) SCC	(झ) PSA
(ञ) SSI	(ट) DRI	
- सत्रान्त प्रश्न
 - किसी देश में बैंकिंग प्रणाली को विनियमित किए जाने के विविध कारणों को सुस्पष्ट ढंग से समझाएं।
 - वाणिज्यिक बैंकों के सन्दर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक के (की) प्रमुख पर्यवेक्षी अधिकारों (शक्तियों) का वर्णन करें।

- (ग) आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात में वृद्धि का बैंकिंग प्रणाली पर होने वाले प्रभाव की व्याख्या करें। क्या भारतीय रिजर्व बैंक इन दोनों ही उपकरणों का उपयोग साथ-साथ कर सकता है ?
- (घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के पास यह अधिकार (शक्ति) है कि वह भारत में कार्यरत बैंकों की ब्याज दरों को नियंत्रित कर सके या उन्हें प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित कर सके, यदि वैसा है तो वह किस विधि से और किस सीमा तक है ?
- (ङ) प्राथमिकता क्षेत्र के कम से कम आठ उदाहरण दें। प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के औचित्य को भी समझाएं।

2.9 'अपनी प्रगति जांचिए' के उत्तर

- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| (क) असत्य | (ख) असत्य | (ग) सत्य |
| (घ) असत्य | (ङ) सत्य | (च) असत्य |
| (छ) असत्य | (ज) असत्य | (झ) असत्य |
| (ञ) असत्य | (ट) असत्य | |
- (क) भारतीय रिजर्व बैंक; बैंककारी विनियमन
 (ख) फेडरल रिजर्व बोर्ड; बैंक आफ इंग्लैंड
 (ग) सरकारी
 (घ) गवर्नर; उप गवर्नरों; निदेशकों
 (ङ) मुद्र तिजोरियां (Currency Chests); एजेन्टों (च) राज्य; बैंकर
 (छ) बैंकरों; अन्तिम (ज) कमी
 (झ) भारतीय रिजर्व बैंक; दो (ञ) बढ़ोत्तरी
 (ट) आरक्षित नकदी निधि अनुपात; सांविधिक चलनिधि अनुपात; बैंक दर
- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| (क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम | (ख) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम |
| (ग) प्राधिकृत व्यापारी | (घ) आरक्षित नकदी निधि अनुपात |
| (ङ) सांविधिक चलनिधि अनुपात | (च) मांग एवं सावधि देयताएं |
| (छ) खुले बाजार के कार्यकलाप | (ज) चयनात्मक ऋण नियंत्रण |
| (झ) प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम | (ञ) लघु उद्योग |
| (ट) विभेदक ब्याज दर | |

2.10 प्रमुख शब्द

Monetary Stability	मौद्रिक स्थिरता
Payment System	भुगतान प्रणाली
Board of Financial Supervision	वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड
Cash Reserve Ratio (CRR)	आरक्षित नकदी निधि अनुपात
Statutory Liquidity Ratio (SLR)	सांविधिक चलनिधि अनुपात
Bank Rate	बैंक दर
Open Market Operations (OMO)	खुले बाजार के कार्यकलाप
Priority Sector	प्राथमिकता क्षेत्र
Exchange Control	विदेशी मुद्रा विनियमन

इकाई

3

खुदरा बैंकिंग, थोक एवं अन्तरराष्ट्रीय बैंकिंग, अमरीकी निक्षेपागार रसीदें, वैश्विक निक्षेपागार रसीदें एवं सहभागिता नोट

रूपरेखा

3.0 उद्देश्य

3.1 खुदरा बैंकिंग

3.1.1 भारत में खुदरा बैंकिंग की प्रस्तावना

3.1.2 खुदरा बैंकिंग क्या है ?

3.1.3 खुदरा उत्पाद

3.1.4 भारत में खुदरा बैंकिंग के संचालक

3.1.5 भारत में खुदरा बैंकिंग के अवसर

3.2 थोक बैंकिंग एवं अन्तरराष्ट्रीय बैंकिंग

3.2.1 थोक बैंकिंग क्या है ?

3.2.2 उत्पाद

3.3 अन्तरराष्ट्रीय बैंकिंग

3.3.1 प्रस्तावना

3.3.2 निर्यातकों की आवश्यकताएं

3.3.3 आयातकों की अपेक्षाएं

3.3.4 विप्रेषण सेवाएं

3.4 सर्वव्यापी बैंकिंग

3.4.1 भारत में सर्वव्यापी बैंकिंग की प्रगति

3.5 अमरीकी निक्षेपागार रसीदें (ADRs) और वैश्विक निक्षेपागार रसीदें (GDRs)

3.5.1 निक्षेप रसीद व्यवस्था

3.5.2 निक्षेपागार रसीदों के लाभ

3.6 सहभागिता नोट

3.7 अपनी प्रगति जांचिए

3.8 'अपनी प्रगति जांचिए' के उत्तर

3.9 प्रमुख शब्द

3. उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन आपकी निम्नलिखित में सहायता करेगा :

खुदरा बैंकिंग की संकल्पना, उसके उत्पादों, वृद्धि के संचालकों एवं अवसरों को पहचानने।

थोक बैंकिंग के तहत विविध उत्पादों की एक झलक पाने।

अन्तरराष्ट्रीय बैंकिंग के अर्थ और विभिन्न उत्पादों को समझने।

अमरीकी निक्षेपागार रसीदों (ADRs) और वैश्विक निक्षेपागार रसीदों (GDRs) के नाम से ज्ञात वित्तीय लिखतों और उनकी कार्य पद्धति के बारे में जानने।

सहभागिता (Participatory) नोटों से परिचित होने।

3.1 खुदरा बैंकिंग

3.1.1 भारत में खुदरा बैंकिंग की प्रस्तावना

वाणिज्यिक बैंक व्यक्तियों, एकल स्वामित्व/भागीदारी फर्मों, क्लबों, संघों, न्यासों, विद्यालयों, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों आदि जैसे विभिन्न प्रकार के ग्राहकों से व्यवहार करते हैं। 1990 वाले दशक के उत्तरार्ध तक बैंक इन सभी ग्राहकों से जमाराशियां जुटाया करते थे, किन्तु उधार केवल व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र को ही दिया करते थे। वास्तव में सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करने पर केन्द्रित था कि राष्ट्र के दुर्लभ संसाधनों को उत्पादन-उन्मुख आर्थिक गतिविधियों में लगाया जाए तथा उपभोगपरक व्ययों के लिए बैंक वित्तीयन को हतोत्साहित किया जाता था। इसके फलस्वरूप बैंक व्यक्तियों को उनकी उपभोगपरक आवश्यकताओं के लिए वित्तीयन करने के प्रति उदासीन थे। हालांकि, प्राथमिकता क्षेत्र उधार के अन्तर्गत बैंक व्यक्तियों का कृषि एवं संलग्न गतिविधियों तथा उनके आर्थिक एवं वित्तीय उद्धार के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित विविध योजनाओं के तहत उदारतापूर्वक वित्तीयन कर रहे थे। इसलिए एक अलग बाजार खण्ड के रूप में अलग-अलग (व्यक्तिगत) ग्राहकों पर बैंकों द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता था।

1990 वाले दशक के प्रारंभिक दिनों में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत के साथ ही बैंकिंग क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए मुक्त कर दिया गया और क्रमिक रूप से सम्पूर्ण क्षेत्र को अविनियमित कर दिया गया। इसके फलस्वरूप बैंकों में परिचालनात्मक लचीलापन एवं कार्यपरक स्वायत्तता आई, किन्तु प्रतिस्पर्धियों के बीच प्रतियोगिता भी अत्यधिक गहन हो गई। उदारीकरण के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था भी तीव्र गति से विकास करने लगी तथा भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश के प्रबल प्रवाह से सहायता पा कर बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि में पर्याप्त वृद्धि हुई है। विशेषतः उभरती अर्थव्यवस्थाओं में खुदरा उधारों में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हुई द्रुत प्रगति, विकासशील स्थूल-आर्थिक परिवेश, वित्तीय बाजार के सुधारों तथा कतिपय सूक्ष्म-स्तरीय मांग एवं आपूर्ति से सम्बन्धित कारकों के कारण 1990 वाले दशक में उल्लेखनीय वृद्धि परिलक्षित हुई। विश्व-स्तरीय प्रौद्योगिकी के साथ निजी क्षेत्र के बैंक कारोबार में अत्यधिक आक्रामक हो बैठे तथा उनकी ही जैसी गति से चलने तथा प्रतिस्पर्धा का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने भी उनका अनुसरण किया।

भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें युवा जनसंख्या शामिल है, के उदारीकरण के फलस्वरूप आय और क्रय-शक्ति, बेहतर जीवन-शैली की आकांक्षाओं तथा उच्चतर गुणवत्ता वाले उत्पादों एवं सेवाओं की अपेक्षाओं में वृद्धि हुई है (जो अन्तरराष्ट्रीय प्रवृत्तियों (फैशन) और अन्तरराष्ट्रीय ब्राण्डों को वरीयता के बढ़ते प्रभाव का परिणाम है)। औसत भारतीय, जो ऋण के प्रति प्रबल विरुधि रखता था, वह अब खरीदारी करने में सुविधा के लिए, आवास, वाहन (ऑटोमोबाइल) तथा टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के वित्तीयन के लिए और यहां तक कि छुट्टियों के लिए भी ऋण के पक्ष में है। कर्ज से जुड़े लांछन में पर्याप्त कमी आ गई है। उपभोक्तावाद बढ़ रहा है तथा ऋण संस्कृति बनी रहने वाली है।

3.1.2 खुदरा बैंकिंग क्या है ?

बैंक भी अपने उधार संविभाग (Portfolio) को बढ़ाने तथा अपने पोर्टफोलियो जोखिम को विशाखीकृत करने की हताशापूर्ण आवश्यकता का अनुभव कर रहे थे। बैंकों ने इस अवसर का लाभ व्यक्तियों को एक अलग कारोबार बाजार के रूप में खण्डित कर के उनकी बहुविध बैंकिंग आवश्यकताएं पूरी करने में उठाया और इसे खुदरा बैंकिंग का नाम दिया। इस प्रकार, हम खुदरा बैंकिंग को अलग-अलग ग्राहकों के साथ बैंकिंग कारोबार करने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं।

हालांकि, खुदरा बैंकिंग स्वरूप की दृष्टि से अत्यधिक व्यापक है--इससे आशय है वाणिज्यिक बैंकों का अलग-अलग ग्राहकों के साथ, तुलन पत्र के देयता और आस्ति, दोनों ही पक्षों में व्यवहार करना। देयता पक्ष में मीयादी, चालू/बचत खाते; और आस्ति पक्ष में वैयक्तिक ऋण, आवासीय, वाहन ऋण तथा शैक्षणिक ऋण बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। सम्बन्धित अनुषंगी सेवाओं में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और निक्षेपागार सेवाएं शामिल हैं। आज का खुदरा बैंकिंग क्षेत्र इन मूलभूत विशेषताओं से सम्पन्न है :

1. बहुविध उत्पाद (जमाराशियां, क्रेडिट कार्ड, बीमा, निवेश एवं प्रतिभूतियां)
2. वितरण के बहुविध चैनल (काल सेंटर, शाखा, इंटरनेट एवं कियोस्क); तथा
3. बहुविध ग्राहक समूह (उपभोक्ता, छोटे व्यवसाय तथा कम्पनी)

3.1.3 खुदरा उत्पाद

भारतीय खुदरा बैंकिंग खण्ड में प्रदान किए जाने वाले विशिष्ट उत्पाद निम्नानुसार हैं :

खुदरा जमा उत्पाद

- बचत बैंक खाता, आवर्ती जमा
- आवर्ती जमा खाता
- चालू जमा खाता
- सावधि जमा खाता
- वेतनभोगी वर्ग के लोगों के लिए शून्य जमा शेष खाता
- सामान्य व्यक्ति के लिए तड़क-भड़क रहित (No frills) खाता
- वरिष्ठ नागरिक जमा खाते आदि।

खुदरा ऋण उत्पाद

- निवासी भारतीयों को भूमि की खरीद और आवासीय मकान के निर्माण/तैयारशुदा निर्मित मकान की खरीद हेतु/वर्तमान मकान की मरम्मत और नवीकरण के लिए गृह ऋण।
- अनिवासी भारतीयों को गृह ऋण।
- वाहन ऋण-नये/प्रयुक्त चौपहिया एवं दुपहिया वाहनों की खरीद हेतु
- उपभोक्ता ऋण-घरेलू सामान और टिकाऊ वस्तुओं की खरीद हेतु
- वैयक्तिक ऋण-रत्नों की खरीद हेतु, घरेलू उपभोग पूरा करने आदि के लिए।
- शैक्षणिक ऋण-भारत और विदेश, दोनों ही में उच्चतर अध्ययन जारी रखने के लिए।
- व्यक्तियों को व्यापार से सम्बन्धित अग्रिम-व्यवसाय, खुदरा व्यापार आदि शुरू करने के लिए
- खेतिहर कृषकों को फसल ऋण
- क्रेडिट कार्ड आदि

खुदरा सेवाएं

- सुरक्षित जमा लॉकर
- निक्षेपागार सेवाएं
- बैंकबीमा उत्पाद आदि

हाल के वर्षों में मार्च 2004 में खुदरा संविभाग के कुल बकाया अग्रिमों के 21.5 प्रतिशत हो जाने के साथ खुदरा उधार बैंकों के लिए लाभ का प्रमुख संचालक बन गया है। बताया जाता है कि खुदरा ऋण संविभाग की कुल क्षति सम्पूर्ण ऋण संविभाग की सकल अनर्जक आस्तियों से काफी कम थी। खुदरा खण्ड के भीतर आवासीय ऋणों की सकल आस्ति क्षति सब से कम थी। वास्तव में खुदरा बिक्री से बैंकिंग क्षेत्र में प्रचुर व्यावसायिक अनुभूति होती है।

3.1.4 भारत में खुदरा कारोबार के संचालक

1. आर्थिक समृद्धि और उसके फलस्वरूप क्रय-शक्ति में हुई वृद्धि से उपभोक्ता व्यापार उत्कर्ष को बढ़ावा प्राप्त हुआ है। 1992 के बाद चौदह वर्षों के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था 6.8 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ी तथा वह उससे उच्चतर दर से निरंतर बढ़ रही है- जो विश्व की एक अनूठी घटना है।
2. बदलती उपभोक्ता जनसांख्यिकियों से उपभोग में गुणवत्तापरक और मात्रात्मक, दोनों ही रूपों में वृद्धि की विशाल संभावनाओं का संकेत मिलता है। भारत उन देशों में से एक है जिनकी जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात (70 प्रतिशत) पैंतीस वर्ष से कम उम्र वाला (युवा जनसंख्या) है। ब्राजील, रूस, भारत और चीन (BRIC) के लिए गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में इस जनसांख्यिकीय लाभ के कारण भारत के लिए उज्ज्वल भविष्य का पूर्वानुमान लगाया गया है।
3. डेबिट कार्ड, इंटरनेट और फोन बैंकिंग, सर्वत्र और सदैव बैंकिंग के रूप में सुविधापरक बैंकिंग ने बहुत सारे नये ग्राहकों को बैंकिंग के क्षेत्र में आकर्षित किया है। क्रेडिट/डेबिट कार्ड, एटीएमों, प्रत्यक्ष नामे और फोन बैंकिंग के बढ़ते उपयोग से सम्बन्धित प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषों ने भारत में खुदरा बैंकिंग के विकास में योगदान किया है।
4. अर्थव्यवस्था में ब्याज दर जो 1990 वाले दशक में 12 प्रतिशत से अधिक के स्तर पर मंडरा रही थी, 2000 के बाद से अचानक कम होने लगी तथा वह घट कर 2004 में 5 से 6 प्रतिशत के अत्यल्प स्तर पर आ गई। प्रारंभ में इस घटती ब्याज दर ने इस प्रकार के ऋणों की मांग बढ़ा कर खुदरा ऋणों की वृद्धि में योगदान किया। अर्थव्यवस्था में हुई सुदृढ़ वृद्धि के साथ ही ब्याज दरों में कमी के फलस्वरूप बहुत सारी कम्पनियों ने अपेक्षाकृत अधिक लाभ दर्ज किया तथा इसका परिणाम उनके द्वारा ऋणों के उठाव में मंदी के रूप में सामने आया।
5. अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के पश्चात् भारतीय बैंकों ने लेखांकन की सर्वोत्तम अन्तरराष्ट्रीय परम्पराएं अपनाई तथा जोखिम प्रबन्धन प्रणालियों को एकीकृत किया। खुदरा ऋण संविभाग में हुई वृद्धि ने बैंकों को उनके जोखिमों को विविधीकृत करने का अवसर भी प्रदान किया।
6. इसके अलावा अपचार दर अर्थात् खुदरा अग्रिमों से सम्बन्धित चूकों की घटनाएं समग्र बैंक ऋणों की तुलना में सहज रूप से कम रहीं तथा खुदरा ऋणों ने उनके आय प्रवाहों का विविधीकरण करने के अलावा बैंकों पर प्रावधानीकरण के भार को तुलनात्मक रूप से कम कर दिया है। खुदरा खण्ड में आवासीय ऋणों की सकल आर्स्ति क्षति सबसे कम रही।

3.1.5 भारत में खुदरा बैंकिंग के अवसर

भारत जैसी वृद्धिशील अर्थव्यवस्था में खुदरा बैंकिंग के लिए प्रचुर अवसर मौजूद हैं। भारतीय मध्यम वर्ग का उदय इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण सहायक कारक है। भारतीय उद्योगों द्वारा विशेष रूप से सॉफ्टवेयर उद्योग और उससे सम्बन्धित क्षेत्र में दर्शाई गई आश्चर्यजनक वृद्धि के कारण मध्यम से उच्च-आय वाले भारतीय गृहस्थों के प्रतिशत में वृद्धि की प्रवृत्ति जारी रहने की आशा है। उपर्युक्त कारकों के संयोजन से खुदरा क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि की आशा है। अन्त में, खुदरा बैंकिंग का आशय केवल उधार देना ही नहीं है। हमें खुदरा जमाकर्ताओं द्वारा निर्भाई जाने वाली भूमिका को भूलना नहीं चाहिए। गृह-निर्माता, खुदरा दुकानदार, पेंशनभोगी, स्व-नियोजित तथा असंगठित क्षेत्र में नियोजित व्यक्तियों- इन सभी को बैंकों में स्थान पाने की आवश्यकता होती है। इन दिनों भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार वित्तीय अन्तर्वेशन के प्रति अत्यधिक गंभीर हैं तथा समूचा बैंकिंग उद्योग इसकी एक उभरते व्यावसायिक अवसर के रूप में पुनरीक्षा कर रहा है।

दूसरी ओर बढ़ती ऋणग्रस्तता भविष्य में चिंता का कारण बन सकती है। जहां तक खुदरा बैंकिंग का सम्बन्ध है, गृहस्थों के ऋण सम्बन्धी पूर्व-वृत्त से सम्बन्धित सूचना में हिस्सेदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड (CIBIL) का लक्ष्य वाणिज्यिक और उपभोक्ता, दोनों ही प्रकार के उधारकर्ताओं से सम्बन्धित ऋण सूचना को एकत्रित, समाकलित एवं प्रसारित कर के ऋण मंजूरकर्ता संस्थाओं की व्यापक ऋण सूचना की आवश्यकता को पूरा करना है।

3.2 थोक बैंकिंग एवं अन्तरराष्ट्रीय बैंकिंग

3.2.1 थोक बैंकिंग क्या है ?

थोक बैंकिंग से आशय है औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, घरेलू व्यावसायिक घरानों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की उत्कृष्ट कम्पनियों सहित प्रायः कार्पोरेटों एवं व्यापारिक घरानों के साथ बैंकिंग कारोबार करना। भारत में कार्यरत बैंक इस प्रकार का कारोबार परम्परागत रूप से करते आ रहे हैं तथा कारोबार के इस खण्ड को कार्पोरेट बैंकिंग या वाणिज्यिक बैंकिंग भी कहा जाता है। ग्राहकों के इस खण्ड को सेवा प्रदान करने में भी खुली प्रतिस्पर्धा होने के कारण बैंक वाणिज्यिक, लेनदेनपरक और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग उत्पादों की एक व्यापक श्रृंखला उपलब्ध कराने में एक-दूसरे से होड़ कर रहे हैं। बैंक इस उद्देश्य को नवोन्मेषी उत्पाद विकास तथा सम्बन्ध प्रबन्धन के सुसमेकित दृष्टिकोण के माध्यम से प्राप्त कर रहे

हैं। प्रत्येक बैंक श्रेष्ठ उत्पाद की सुपुर्दगी, उद्योग के न्यूनतम मानदंडों वाले सेवा-स्तरो तथा सुदृढ़ ग्राहक-अभिमुखीकरण का वचन देता है। उत्पाद प्रस्ताव ग्राहक की जोखिम प्रोफाइल तथा विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त रूप से तैयार किए जाते हैं।

3.2.2 उत्पाद

प्रस्तावित उत्पादों को चार प्रमुख समूहों अर्थात् निधि आधारित सेवाओं, गैर-निधि आधारित सेवाओं, मूल्य-योजित सेवाओं तथा इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए निजी क्षेत्र के एक अग्रणी बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले उत्पाद समूह का उल्लेख नीचे किया गया है :

1. निधि आधारित सेवाएं

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| (क) सावधि उधार | (ख) अल्पावधिक वित्त |
| (ग) कार्यशील पूंजी वित्त | (घ) बिल भुनाई |
| (ङ) विन्यस्त वित्त | (च) निर्यात ऋण |

2. गैर-निधि आधारित सेवाएं

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| (क) बैंक गारंटियां | (ख) साख पत्र |
| (ग) बिलों एवं प्रलेखों की वसूली | |

3. मूल्य-योजित सेवाएं

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| (क) नकदी प्रबन्धन सेवाएं | (ख) चैनल वित्तीयन |
| (ग) विक्रेता वित्तीयन | (घ) तत्काल सकल भुगतान |
| (ङ) कम्पनी वेतन खाते | (च) संघीयन सेवाएं |
| (छ) विदेशी मुद्रा विनिमय डेस्क | (ज) मुद्रा बाजार डेस्क |
| (झ) व्युत्पन्नी डेस्क | (ञ) कर्मचारी न्यास |
| (ट) कर वसूली | (ठ) अधिकार/सार्वजनिक निर्गम के बैंकर |

4 इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं

- | | |
|---|----------------------------------|
| (क) भुगतान मुख्य द्वार (Gateway) सेवाएं | (ख) कार्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग |
| (ग) आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन | (घ) आपूर्ति श्रृंखला में भागीदार |

सरकारी क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी बैंकों के पास अनन्य रूप से विन्यस्त उत्पाद मौजूद हैं। बैंकों के पास समाशोधन उप-सदस्यता, सम मूल्य पर देय मांग ड्राफ्ट/चेकों, तत्काल सकल भुगतान-उप-सदस्यता, चेक वसूली, निधि अन्तरण, एटीएमों के गंठजोड़ों आदि जैसे क्षेत्रों में अन्य बैंकों के अनुकूल उत्पाद मौजूद हैं। वे वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकताओं को भी नकदी प्रबन्धन सेवाओं जैसे उत्पाद प्रदान करके तथा पारस्परिक निधियों की वसूली सेवाओं, भुगतान सेवाओं, अभिरक्षण सेवाओं तथा निधि अन्तरण के क्षेत्रों में उत्पाद प्रदान कर के पूरी करते हैं। बैंक शेयर दलालों की इक्विटी एवं व्युत्पन्नी खण्ड के सम्बन्ध में समाशोधन समायोजन बैंकरों, राष्ट्रीय शेयर बाजार व्युत्पन्नियों के व्यावसायिक समाशोधन की सदस्यता, बैंक गारंटियों आदि जैसी आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं।

3.3 अन्तरराष्ट्रीय बैंकिंग

3.3.1 प्रस्तावना

प्रत्येक देश अपनी आवश्यकता के अतिरिक्त कुछेक सामानों एवं सेवाओं का विनिर्माण करता है तथा उन्हें इस अधिशेष उत्पादन को अन्य देशों को बेचने (निर्यात करने) की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार कोई भी देश अपनी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर नहीं होता और इसलिए उसे कुछेक सामानों एवं सेवाओं को अन्य देशों से खरीदने (आयात करने) की आवश्यकता पड़ती है, ताकि वह अपनी अर्थव्यवस्था में मांग एवं आपूर्ति के अन्तर को मिटा सके। इसके अलावा, एक उदारीकृत मुक्त व्यापार वाली अर्थव्यवस्था में एक देश की सरकार और जनता किसी अन्य देश में पूंजी और श्रम का निवेश कर सकते हैं तथा उसके बदले में लाभ, लाभांश, ब्याज, स्वामित्व (रॉयल्टी) आदि अर्जित कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार वह स्थान है जहां प्रत्येक देश/व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के लिए भुगतान कर सकता है तथा अपनी पात्रता को स्वयं अपने देश की मुद्रा में प्राप्त कर सकता है। बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार के सक्रिय सदस्य होते हैं तथा वे अपने ग्राहकों को कुछेक प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, जिन्हें अन्तरराष्ट्रीय बैंकिंग सेवाएं कहा जाता है।

सीमा- पार लेनदेनों की आवश्यकताएं पूरी करने वाली बैंकिंग सेवाओं को अन्तरराष्ट्रीय बैंकिंग कहा जाता है। बैंक अन्तरराष्ट्रीय व्यवसाय करने वाले लोगों को परम्परागत रूप से विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं। इन सेवाओं को व्यापक रूप से निम्नानुसार समूहित किया जा सकता है :

3.3.2 निर्यातकों की आवश्यकताएं

- 1. निर्यात पैकिंग ऋण :** बैंक भारत से निर्यात हेतु माल के विनिर्माण या उसकी पैकिंग के लिए निर्यातकों की सहायता करने हेतु रुपये और विदेशी मुद्राओं, दोनों ही में निर्यात पैकिंग ऋण (EPC) के रूप में पूर्व-पोतलदान वित्त प्रदान करते हैं।
- 2. निर्यात बिल परक्रामण :** बैंक प्रलेखों के पूर्णतया साख पत्र की शर्तों के अनुसार पाए जाने पर साख पत्र (LC) के अधीन आहरित निर्यात बिलों का परक्रामण करते हैं तथा निर्यातक को बिल का भुगतान आयातकों से बिलों की वसूली होने के पहले भी कर दिया जाता है।
- 3. निर्यात बिल की खरीद एवं भुनाई :** निर्यात के साख पत्र के अधीन न होने पर भी बैंक पोतलदान के तत्काल बाद निर्यातकों को ऋण सीमाएं स्वीकृत करते हैं और बीजक के मूल्य का बट्टे पर भुगतान कर देते हैं। निर्यात प्रलेख प्रस्तुत किए जाते हैं तथा वसूली होने पर आगमों को अग्रिम खाते में जमा कर दिया जाएगा।
- 4. निर्यात बिल वसूली सेवाएं :** निर्यात प्रलेख निर्यातक द्वारा उसके बैंकर के माध्यम से उनके प्रस्तुतन पर विदेशी खरीदार द्वारा भुगतान हेतु वसूली में भेज दिए जाते हैं। क्रेता के बैंक द्वारा प्रलेखों की सुपुर्दगी पर प्राप्त इस प्रकार के भुगतान वसूलकर्ता बैंक को विप्रेषित कर दिए जाते हैं तथा आगमों को कमीशन और अन्य प्रभार, यदि कोई हो, काट लेने के बाद उसके खाते में जमा कर दिया जाता है।
- 5. बैंक गारंटियां :** बैंक ऋण सीमाओं की उपलब्धता की शर्त पर या 100 प्रतिशत नकदी मार्जिन पर विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम के तहत यथा परिभाषित अनुमोदित उद्देश्यों के लिए निर्यातकों की ओर से विदेशी मुद्राओं में गारंटियां भी जारी करते हैं।
- 6. निर्यात बिलों पर रुपये में अग्रिम :** यदि कोई निर्यातक उसके बीजक बनाने वाली मुद्रा के और अधिक बढ़ने की अपेक्षा करता है तथा नियत तिथि से पहले विदेशी मुद्रा के निर्यात मूल्य को अभ्यर्षित नहीं करना चाहता, तो बैंक निर्यात बिलों पर सीमा की उपलब्धता और भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों की शर्त पर प्राप्य राशियों की नियत तिथि तक रुपये में अग्रिम प्रदान करते हैं।
- 7. निर्यात साख पत्र की सूचना देना :** विश्व भर के अग्रणी बैंकों के साथ प्रतिनिधि (Correspondent) बैंकिंग सम्बन्ध के फलस्वरूप साख पत्र की सूचना बैंकों के माध्यम से दी जाती है।
- 8. निर्यात साख पत्र की पुष्टि :** जब निर्यातक को साख पत्र खोलने वाले बैंक की ऋण अवस्थिति (credit standing) में विश्वास नहीं होता या क्रेता के देश का राजनीतिक माहौल या ऋण जोखिम सन्तोषजनक न होने पर बैंक साख पत्र पुष्टि सेवाएं प्रदान करते हैं।
- 9. आपूर्तिकर्ता का ऋण :** यह सुविधा भारतीय निर्यातकों को पोतदानोत्तर चरण में आयातकों (विदेशी) को पात्र माल के लिए सावधि ऋण देने में समर्थ बनाती है।

3.3.3. आयातकों की आवश्यकताएं

- 1. आयात वसूली बिल सेवाएं :** विदेशों से खरीदे गए माल के लिए प्रलेखी वसूलियां भुगतान की सामान्य एवं लचीली पद्धति है। सैद्धान्तिक रूप से अपेक्षाकृत सरल होने पर भी उन पर विनिमय बिलों, विनिमय बिल पर मुद्रांकन (stamping) सम्बन्धी आवश्यकताओं, लदान बिलों और अन्य प्रलेखों की दृष्टि से सतर्क एवं पर्याप्त ध्यान दिए जाने की जरूरत होती है। बैंक आयात वसूली प्रलेखों का संचालन अति सावधानी से करते हैं तथा आयात मूल्य विप्रेषित करने में आयातकों की सहायता करते हैं।
- 2. प्रत्यक्ष आयात बिल :** विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम आयातकों को कुछेक शर्तों के अधीन आयात प्रलेखों को विदेशी आपूर्तिकर्ता से सीधे प्राप्त करने की अनुमति देता है तथा बैंक प्रत्यक्ष आयात पर भुगतान का निपटान करने में आयातकों की सहायता करते हैं।
- 3. आयात हेतु अग्रिम भुगतान :** जब कभी किसी विदेशी आपूर्तिकर्ता को कोई अग्रिम भुगतान करना आवश्यक हो जाता है, तो बैंक सलाहकारी सेवाएं प्रदान करते हैं तथा आपूर्तिकर्ताओं को त्वरित विप्रेषण में सहायता करते हैं।
- 4. आयात साख पत्र :** बैंक आयातकों की ओर से आयात साख पत्र जारी करते हैं।

5. क्रेता और विक्रेता के ऋणों की व्यवस्था करना : बैंक आयातकों को अपतटीय वित्तीय विकल्पों की व्यापक श्रेणियां प्रदान करते हैं तथा उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। बैंक आपूर्तिकर्ता के ऋण और क्रेता के ऋण के रूप में आयातकों की आयात आवश्यकताओं के वित्तीय की भी व्यवस्था करते हैं।

6. बैंक गारंटियां : बैंक विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम के तहत यथा परिभाषित सभी अनुमोदित उद्देश्यों के लिए 100 प्रतिशत नकदी मार्जिन या नियमित सीमाओं के अधीन आयातकों की ओर से बैंक गारंटियां जारी करते हैं।

3.3.4 विप्रेषण सेवाएं

1. विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता सेवाएं : बैंक सभी अनुमत मुद्राओं में विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता (EEFC) रखने की सुविधाएं प्रदान करते हैं।

2. विदेशी आवक विप्रेषण की प्राप्ति सेवाएं : बैंक उन्हें विदेशों से प्राप्त करते हैं और भारतीय हिताधिकारियों के खातों में जमा करते हैं।

3. विदेशों को भुगतान सेवाएं (जावक विप्रेषण) : विदेशी मुद्रा विनियम के प्राधिकृत व्यापारियों के रूप में बैंक किसी भी देश को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक किसी भी अनुमत उद्देश्य हेतु विदेशी मुद्रा में विप्रेषण सुविधाएं प्रदान करते हैं।

3.4 विश्वव्यापी बैंकिंग

विश्वव्यापी बैंकिंग से आशय है बैंकिंग, बीमा, पारस्परिक निधियों, शेयर दलाली, पण्य दलाली सहित सभी प्रकार के वित्तीय उत्पादों, पूंजी बाजार से सम्बन्धित उत्पादों, सोने/चांदी, सरकारी/कार्पोरेट बाण्डों की बिक्री जैसे उत्पादों को उपलब्ध कराना, सलाहकारी और व्यापारी बैंकिंग कार्यकलाप आदि की सेवाएं -सब कुछ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना। बैंकिंग उत्पादों में सभी प्रकार के जमा (देयता) उत्पादों और अल्प, मध्य (कालिक) ऋण (आरिस्त) उत्पादों एवं दीर्घकालिक सावधि ऋणों (परियोजना वित्त) का समावेश होगा। बीमा उत्पादों में स्वास्थ्य बीमा उत्पादों सहित जीवन एवं सामान्य, दोनों ही प्रकार के बीमा उत्पाद शामिल होंगे। दूसरे शब्दों में, विश्वव्यापी बैंकिंग से आशय है निजी/सार्वजनिक/सरकारी निकायों द्वारा एक ही छत के नीचे बेचे जाने वाले सभी वित्तीय उत्पादों का एक सुपर वित्तीय केन्द्र। विश्वव्यापी बैंकिंग का मुख्य लाभ बैंकों की उनके उत्पादों की विशाल ग्राहक समुदाय को प्रति-बिक्री करने और उसके माध्यम से निधि-आधारित तथा गैर-निधि-आधारित, दोनों ही प्रकार की आय का अर्जन करने की क्षमता में निहित है। ग्राहक समान रूप से लाभान्वित होता है, क्योंकि इससे वह बहुत सारा समय लगाने और यात्रा करने से बच जाता/जाती है तथा उत्पादों की एक ही स्थल पर त्वरित सुपुर्दगी प्राप्त करने में उसे सहायता मिलती है।

3.4.1 भारत में विश्वव्यापी बैंकिंग की प्रगति

भारतीय बैंकिंग परिदृश्य में विश्वव्यापी बैंकिंग की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम में वह परिवर्तन करते हुए उठाया गया जिसमें बैंकों को या तो जोखिम में सहभागिता करते हुए या फिर सहभागिता किए बिना ही बीमा कम्पनियों के कार्पोरेट एजेंटों के रूप में बीमा व्यवसाय में शामिल होने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, बीमा क्षेत्र के निजी निवेश हेतु मुक्त कर दिए जाने के फलस्वरूप अधिकांश बैंकों ने या तो स्वयं अपनी बीमा कम्पनियां आरंभ कर दी हैं या फिर उन्होंने अपने सुपुर्दगी चैनलों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बीमा उत्पादों के वितरण के लिए बैंकबीमा नाम के अधीन बीमा कम्पनियों के साथ रणनीतिक गठजोड़ कर लिया है। अर्थव्यवस्था के अधिकाधिक उदारीकरण के फलस्वरूप पारस्परिक निधियों ने भी उनके उत्पादों के विपणन हेतु वाणिज्यिक बैंकों के साथ गठजोड़ किया है तथा आज बैंक उपयुक्त गठजोड़ व्यवस्था के तहत विभिन्न पारस्परिक निधियों के उत्पादों को बेच रहे हैं। विश्वव्यापी बैंकिंग की दिशा में एक अन्य कदम था आईसीआईसीआई का आईसीआईसीआई बैंक के साथ विलयन तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में बने रहते हुए आईडीबीआई लिमिटेड के साथ विलयन।

इस प्रकार, दो शक्तिशाली विकासपरक वित्तीय संस्थाओं का वाणिज्यिक बैंकों में विलयन हुआ तथा कई वाणिज्यिक बैंकों ने आधारभूत संरचना परियोजनाओं का वित्तीय आरंभ कर दिया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) जैसी पुनर्वित्त संस्थाओं के भी प्रत्यक्ष वित्तीयन में लग जाने के फलस्वरूप कई एक बैंकों ने सह-वित्तीयन नाम के अधीन संयुक्त मूल्यांकन और कारोबारी हिस्सेदारी के लिए इन संस्थाओं के साथ गठजोड़ व्यवस्था कर ली है। बैंकों को दी जा रही अधिकाधिक स्वतंत्रता और भारतीय रिजर्व बैंक के क्रमिक रूप से बैंकों के विशुद्ध पर्यवेक्षक बनते जाने के कारण विकासपरक वित्तीय संस्थाओं और वाणिज्यिक बैंकों के बीच का विभेद व्यापक रूप से समाप्त हो गया है। वर्ष 2002 में भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूति बाजार में सहभागिता की अनुमति प्रदान कर दी और कुछेक बैंक ग्राहकों को ऋण बाजार में भी प्रत्यक्ष रूप से निवेश करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। भारत में अधिकांश

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से विदेशों में स्थित प्रतिष्ठित टकसालों के साथ गंठजोड़ व्यवस्था कर के 999.9 की शुद्धता वाले (निवेश श्रेणी वाले विशुद्ध सोने) आयातित सोने के सिक्के बेचते हैं। भारत में कार्यरत बैंक प्रत्यक्ष रूप से या उनकी सहायक कम्पनियों के माध्यम से या तो राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) लिमिटेड (NSDL) या फिर सीडीएसएल के साथ निक्षेपागार सहभागी बन गए हैं तथा निवेशकों को कागज-रहित (डिमैट) सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। बैंक अपने ग्राहकों को प्रत्यक्ष रूप से या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ गंठजोड़ व्यवस्था के माध्यम से पंजीकृत दलालों को पूंजी बाजार में लेन-देन करने हेतु इंटरनेट-आधारित इलेक्ट्रानिक-दलाली (ई-ब्रोकिंग) सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं। कुछेक बैंक अपने स्थानिक अनिवासी भारतीय ग्राहकों को पोर्टफोलियो निवेश योजनाएं भी उपलब्ध करा रहे हैं। इस प्रकार भारत के बैंक प्रगामी रूप से विश्वव्यापी बैंकिंग की दिशा में प्रस्थान कर रहे हैं।

3.5 अमरीकी निक्षेपागार रसीदें (ADRs) और वैश्विक निक्षेपागार रसीदें (GDRs)

निक्षेपागार रसीद (DR) एक इस प्रकार की परक्राम्य (हस्तांतरणीय) वित्तीय लिखत होती है जिसका किसी देश के स्थानीय शेयर बाजार में लेन-देन किया जाता है, किन्तु जो सामान्यतया उस इक्विटी के रूप में ऐसी प्रतिभूति होती है जो स्थानीय शेयर बाजार की सूची में सार्वजनिक रूप से शामिल किसी विदेशी कम्पनी द्वारा जारी की गई होती है। यह निक्षेपागार रसीद जो एक भौतिक प्रमाण पत्र होती है निवेशकों को अन्य देशों की इक्विटी में शेयर धारण करने की अनुमति देती है। सर्वाधिक सामान्य प्रकार की निक्षेप रसीदों में से एक है अमरीकी निक्षेपागार रसीद (ADR) जो कम्पनियों, निवेशकों और व्यापारियों को 1920 वाले दशक से ही वैश्विक निवेश के अवसर प्रदान करती आ रही है।

तभी से निक्षेप रसीदें वैश्विक निक्षेपागार रसीदों (GDRs) (निक्षेप रसीद का एक अन्य सर्व सामान्य प्रकार), यूरोपीय निक्षेप रसीदों और अन्तरराष्ट्रीय निक्षेप रसीदों के रूप में विश्व के अन्य भागों में फैल गई हैं। अमरीकी निक्षेपागार रसीदों का विशिष्ट रूप से न्यूयार्क शेयर बाजार (NYSE) जैसे अमरीकी राष्ट्रीय शेयर बाजार या अमरीकी शेयर बाजार में क्रय-विक्रय होता है, जबकि वैश्विक निक्षेपागार रसीदें सामान्यतया लंदन शेयर बाजार जैसे यूरोपीय शेयर बाजारों की सूची में शामिल होती हैं। अमरीकी निक्षेपागार रसीदें और वैश्विक निक्षेपागार रसीदें, दोनों ही सामान्यतया अमरीकी डालरों के मूल्यवर्ग में होती हैं, किन्तु वे यूरो में भी मूल्यवर्गित की जा सकती हैं।

3.5.1 निक्षेप रसीद व्यवस्था

निक्षेप रसीद उस समय बनाई जाती है जब कोई विदेशी कम्पनी उसके पहले से ही सार्वजनिक रूप से लेन-देन किए जाने वाले शेयरों या ऋण प्रतिभूतियों को किसी विदेशी शेयर बाजार की सूची में शामिल कराना चाहती है। उसके किसी विशिष्ट शेयर बाजार की सूची में शामिल किए जाने के पहले सम्बन्धित कम्पनी को शेयर बाजार द्वारा निर्धारित की जाने वाली कुछेक आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। हालांकि, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPOs) भी निक्षेप रसीद का रूप ले सकते हैं। निक्षेप रसीदों का सार्वजनिक रूप से या काउंटर पर लेन-देन हो सकता है।

उदाहरण

भारत में एक सॉफ्टवेयर कम्पनी ने निक्षेपागार रसीद की सूचीबद्धता की आवश्यकताओं को पूरा कर दिया है और अब वह उसके सार्वजनिक रूप से क्रय-विक्रय किए जाने वाले शेयरों को न्यूयार्क शेयर बाजार में अमरीकी निक्षेपागार रसीद के रूप में सूची में शामिल कराना चाहती है। शेयर बाजार में उक्त सॉफ्टवेयर कम्पनी के शेयरों का मुक्त रूप से क्रय-विक्रय किए जाने के पहले एक अमरीकी दलाल किसी अन्तरराष्ट्रीय कार्यालय या भारत में स्थित एक स्थानीय दलाली प्रतिष्ठान के माध्यम से भारतीय बाजार से देशी (घरेलू) शेयरों को खरीद लेगा और फिर उन्हें निक्षेपागार बैंक के स्थानीय (भारतीय) अभिरक्षक बैंक को सुपुर्द करवा देगा। निक्षेपागार बैंक वही अमरीकी संस्था है जो अमेरिका में अमरीकी निक्षेपागार रसीदें जारी करती है। इस उदाहरण में, हम निक्षेपागार बैंक को बैंक आफ न्यूयार्क मान लेते हैं। बैंक आफ न्यूयार्क के भारत स्थित स्थानीय अभिरक्षक बैंक के शेयरों को प्राप्त कर लिए जाने पर यह अभिरक्षक बैंक बैंक आफ न्यूयार्क को यह सूचित कर के शेयरों की सुपुर्दगी का सत्यापन करता है कि अब ये शेयर अमेरिका में जारी किए जा सकते हैं। तदुपरान्त बैंक आफ न्यूयार्क अमरीकी निक्षेपागार रसीदें उस दलाल को सुपुर्द कर देता है, जिसने प्रारंभिक रूप से उन्हें खरीदा था।

निर्धारित अमरीकी निक्षेपागार रसीद अनुपात के आधार पर प्रत्येक अमरीकी निक्षेपागार रसीद एक या उससे अधिक भारतीय स्थानीय शेयरों के रूप में जारी की जानी है तथा प्रत्येक अमरीकी निक्षेपागार रसीद की कीमत का उल्लेख निक्षेपागार बैंक द्वारा रखे जा रहे शेयरों की समतुल्य भारतीय कीमत से परिवर्तित अमरीकी डालरों में किया जाएगा। ये अमरीकी निक्षेपागार

रसीदें अब निक्षेपागार द्वारा धारित स्थानीय भारतीय शेयरों के रूप में हैं तथा न्यूयार्क शेयर बाजार में मुक्त रूप से क्रय-विक्रय वाली इक्विटी हो सकते हैं।

जिस प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय सॉफ्टवेयर कम्पनी की नयी अमरीकी निक्षेपागार रसीद जारी की जाती है उसे पूरी करने के बाद उक्त अमरीकी निक्षेपागार रसीद निवेशकों के बीच मुक्त रूप से खरीदी-बेची जा सकती है तथा वह अन्तः बाजार व्यापार (intra-market trading) के नाम से ज्ञात कार्यविधि के माध्यम से न्यूयार्क शेयर बाजार में क्रेता से विक्रेता को हस्तांतरित की जा सकती है। भारतीय सॉफ्टवेयर कम्पनी के समस्त अमरीकी निक्षेपागार लेनदेन अब अमरीकी डालरों में सम्पन्न होंगे तथा उनका निपटान किसी भी अन्य अमरीकी लेनदेन की भांति ही न्यूयार्क शेयर बाजार में होगा। अमरीकी निक्षेपागार रसीद के निवेशक को मतदान का अधिकार और नकद लाभांश जैसी वही विशेष सुविधाएं प्राप्त होंगी जो साधारण शेयरों के शेयरधारकों को प्राप्त होती हैं। अमरीकी निक्षेपागार रसीद धारक के अधिकारों का उल्लेख अमरीकी निक्षेपागार रसीद के प्रमाण पत्र पर रहता है।

3.5.2 निक्षेपागार रसीदों के लाभ

निक्षेपागार रसीद वैश्विक व्यापार बढ़ाने के एक साधन के रूप में कार्य करती है, जो बदले में स्थानीय और विदेशी बाजार में न केवल मात्राओं, अपितु सूचना, प्रौद्योगिकी, विनियामक कार्यविधियों और बाजार की पारदर्शिता का विनिमय करने में भी सहायता कर सकता है। इस प्रकार जैसी कि उभरते बाजारों में प्रायः स्थिति होती है, विदेशी निवेश की अड़चनों का सामना करने के बजाय निक्षेपागार रसीद में निवेशक और कम्पनी, दोनों ही विदेशों में निवेश से लाभान्वित हो सकते हैं। आइए इन लाभों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन करें।

तालिका 3.1 : निक्षेपागार रसीदों के लाभ

देश के लिए	निवेशक के लिए
कोई कम्पनी अपेक्षाकृत अधिक निवेश (exposure) प्राप्त करने के लिए निक्षेपागार रसीदें जारी कर सकती है तथा तथा वैश्विक बाजार में पूंजी जुटाने के लिए निक्षेपागार रसीदें जारी किए जाने में उसके स्थानीय बाजार (कम्पनी के शेयरों का लेन-देन अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर होता है) में कम्पनी की प्रतिष्ठा बढ़ाते हुए उसके शेयरों की चलनिधि में बढ़ोत्तरी का अतिरिक्त लाभ निहित होता है। निक्षेपागार रसीदें अन्तरराष्ट्रीय शेयरधारक आधार को प्रोत्साहित करती हैं तथा विदेशों में रहने वाले निवासियों को स्वदेशों में निवेश करने के अपेक्षाकृत सरल अवसर उपलब्ध कराती हैं। इसके अलावा, विशेषतः उभरते बाजार वाले कई देशों में रुकावटें विदेशी निवेशकों को स्थानीय बाजार में प्रवेश करने से प्रायः रोक देती हैं। निक्षेपागार रसीद जारी कर के कोई कम्पनी उन अवरोधों की चिंता किए बिना जो किसी विदेशी निवेशक के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं, विदेशों से निवेश को प्रोत्साहित कर सकती है।	निक्षेपागार रसीद की खरीद किसी निवेशक के पोर्टफोलियो को तत्कल वैश्विक पोर्टफोलियो में बदल देती है। निवेशकों को परिचित निपटान एवं समाशोधन स्थितियों में स्वयं उनके ही बाजार में क्रय-विक्रय करते हुए विविधीकरण के लाभ प्राप्त हो जाते हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि निक्षेपागार रसीद में निवेशक विदेशी बाजारों में सीधे जाने के उन अतिरिक्त जोखिमों, जो बदलती विनियामक कार्यविधियों से उत्पन्न होने वाली पारदर्शिता के अभाव या अस्थिरता से उपस्थित हो सकते हैं, को उठाए बिना ही सामान्यतया इन अपेक्षाकृत अधिक जोखिमों, अपेक्षाकृत अधिक प्रतिलाभ वाली इक्विटियों के लाभ उठाने में समर्थ हो जाते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि किसी निवेशक को उभरती अर्थव्यवस्थाओं और समाजों में व्याप्त अनिश्चितताओं से पैदा होने वाले कुछेक विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिमों को अब भी वहन करना होगा। दूसरी ओर, निवेशक अधिकांश विदेशी मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डालर और यूरो की प्रतिस्पर्धी दरों से भी लाभ उठा सकता है।

इस प्रकार विदेशी बाजार में किसी कम्पनी द्वारा अमरीकी निक्षेपागार रसीद/वैश्विक निक्षेपागार रसीद का निर्गम लोगों को इन प्रतिभूतियों को उनके पोर्टफोलियो में शामिल कर के, स्वयं उनकी सरहदों के बाहर निवेश करने के अनावश्यक जोखिमों की उपेक्षा करते हुए विदेशी निवेश के अतिरिक्त लाभ उठाने के अवसर प्रदान करता है। हालांकि, जैसा कि किसी भी प्रतिभूति में होता है, अमरीकी निक्षेपागार रसीदों में निवेश करने के लिए इस समझ की आवश्यकता होती है कि उनका उपयोग क्यों किया जाता है तथा उनका निर्गम और लेन-देन कैसे किया जाता है।

3.6 सहभागिता नोट

विदेशियों और अनिवासियों (अर्थात् अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों को छोड़कर भारत से बाहर रहने वाले लोग) को भारतीय शेयर बाजार में सीधे निवेश करने की अनुमति नहीं है। भारतीय पूंजी बाजार से उनकी संलग्नता की व्यवस्था किसी विदेशी संस्था के माध्यम से की जानी है, जिसके लिए उसे अपने आप को एक विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) के रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) के पास पंजीकृत कराने की आवश्यकता होती है।

सहभागिता नोट संविदा नोटों की भांति होते हैं। ये नोट विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) द्वारा उन कम्पनियों (entities) को जारी किए जाते हैं जो भारतीय शेयर बाजार में निवेश करना चाहती हैं, किन्तु अपने आप को सेबी के पास पंजीकृत नहीं कराना चाहतीं। सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक और उनके उप-खाते (sub-accounts) सहभागिता नोट जारी कर सकते हैं, उनका सौदा कर सकते हैं तथा उन्हें धारण कर सकते हैं।

इन नोटों के समक्ष विचाराधीन प्रतिभूति किसी भी भारतीय शेयर बाजार की सूची में शामिल या शामिल किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रतिभूति होगी। विदेशी संस्थागत निवेशक इन नोटों को खरीदे जा सकने वाले शेयरों तथा एक निश्चित समयावधि के भीतर अपेक्षित प्रतिलाभों के विवरणों के साथ विदेशों में स्थित निवेशकों को जारी कर सकते हैं। यदि ग्राहक सहमत होता है, तो वे निधियों को विदेशी संस्थागत निवेशक की विदेशी शाखा में जमा कर देते हैं। तदुपरान्त विदेशी संस्थागत निवेशक की भारतीय शाखा भारतीय बाजार में शेयरों को खरीद और उनका स्वयं अपने खाते में समायोजन कर के लेनदेन की दिशा में आगे बढ़ती है। अन्तिम निवेशक के विवरणों का पता भारतीय बाजार को या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड को कतई नहीं लगने दिया जाता। किसी वित्तीय विनियामक के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों के मामले के ठीक विपरीत सहभागिता नोटों के सम्बन्ध में हितकारी स्वामित्व के स्वरूप या निवेशक की पहचान का पता नहीं लगता।

वर्ष 2004 में लाहिरी समिति की सिफारिश पर भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने यह विनियम पारित किया कि विचाराधीन भारतीय प्रतिभूतियों के समक्ष सहभागिता नोटों जैसे व्युत्पन्नी लिखत केवल विनियमित कम्पनियों (entities) को ही जारी किए जा सकते हैं तथा आगे के हस्तांतरण, यदि कोई हों, भी केवल अन्य विनियमित कम्पनियों को ही हो सकते हैं। अतएव इस प्रकार के व्युत्पन्नी लिखत जारी करने वाले विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए विहित तत्परता बरतने तथा 'अपने ग्राहक को जानिए' सिद्धान्त के आधार पर निवेशकों के सम्पूर्ण विवरण रखने की आवश्यकता होगी। सेबी के शब्दों में "कोई विदेशी संस्थागत निवेशक या उप-लेखा/खाता (sub-accounts) भारत में किसी भी शेयर बाजार की सूची में शामिल या शामिल किए जाने हेतु प्रस्तावित विचाराधीन प्रतिभूतियों, सहभागिता नोटों, इक्विटी सम्बद्ध नोटों जैसे अपतटीय व्युत्पन्नी लिखतों या उसी प्रकार के किन्हीं अन्य नोटों को 'अपने ग्राहक को जानिए' अपेक्षा के अनुपालन की शर्त पर केवल उन्हीं संस्थाओं (entities) के पक्ष में जारी कर सकता है, उनका सौदा कर सकता है या उन्हें धारित कर सकता है जो उनके निगमन या स्थापना वाले देशों के सम्बन्धित विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनियमित हों।"

विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय नागरिकों, भारतीय मूल के व्यक्तियों या विदेशी निगमित निकायों (जिनमें से अधिसंख्य अनिवासी भारतीयों के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हैं) को सहभागिता नोट जारी करने की अनुमति नहीं है। यह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि सहभागिता नोटों के मार्ग का उपयोग काले धन के वैधीकरण के उद्देश्य हेतु न हो।

विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए यह आवश्यक है कि वे सहभागिता नोटों के जारी, नवीकृत, निरस्त या मोचित किए जाने पर भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड को मासिक आधार पर रिपोर्ट करें। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड सहभागिता नोटों की जांच-पड़ताल करने हेतु कुछेक तिमाही रिपोर्ट भी मंगवाता है।

3.7 अपनी प्रगति जांचिए

1. खुदरा उधार के तहत ऋण मूल्य (ऋण की रकम) सामान्यतया-----के बीच होती है।
(क) 20,000 रुपये से लेकर 100 लाख रुपये तक (ख) 100 लाख रुपये से लेकर 10 करोड़ रुपये तक
(ग) 10 करोड़ रुपये से अधिक (घ) कोई नहीं
2. वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदत्त खुदरा ऋण सामान्य रूप से -----की अवधि हेतु होते हैं।
(क) 15-20 वर्ष की लम्बी अवधि हेतु मंजूर आवासीय ऋणों सहित पांच से लेकर सात वर्ष
(ख) केवल 5 वर्ष से कम
(ग) केवल 1 वर्ष से कम
(घ) कोई नहीं

3. हाल के वर्षों में खुदरा उधार के तहत भारत के बैंकों के अनुभव से यह पता चला है कि निम्नलिखित ऋणों से सम्बन्धित क्षति (चूक) सबसे कम थी :

- (क) गृह ऋण संविभाग (क) उपभोक्ता ऋण संविभाग
(ग) वाहन ऋण संविभाग (घ) कोई नहीं

4. थोक बैंकिंग से आशय है -----के साथ बैंकिंग कारोबार करना।

- (क) व्यक्तियों
(ख) सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों सहित औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं
(ग) केवल कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत कम्पनियों
(घ) उनकी श्रेणी पर ध्यान दिए बिना बड़े उधारकर्ताओं

5. निक्षेपागार रसीद (DR) -----का एक प्रकार होती है।

(क) परक्राम्य (हस्तांतरणीय) वित्तीय लिखत जिसका किसी देश के स्थानीय शेयर बाजार में क्रय-विक्रय किया जाता है, किन्तु जो सामान्यतया उस इक्विटी के रूप में ऐसी प्रतिभूति होती है जो स्थानीय शेयर बाजार की सूची में सार्वजनिक रूप से शामिल किसी विदेशी कम्पनी द्वारा जारी होती है।

(ख) परक्राम्य (हस्तांतरणीय) वित्तीय लिखत जिसका किसी विदेशी शेयर बाजार में क्रय-विक्रय किया जाता है, किन्तु जो सामान्यतया उस इक्विटी के रूप में ऐसी प्रतिभूति होती है जो सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध किसी विदेशी कम्पनी द्वारा जारी होती है।

(ग) परक्राम्य (हस्तांतरणीय) वित्तीय लिखत जिसका किसी देश के स्थानीय शेयर बाजार में क्रय-विक्रय किया जाता है, किन्तु जो सामान्यतया उस इक्विटी के रूप में ऐसी प्रतिभूति होती है जो स्थानीय शेयर बाजार की सूची में सार्वजनिक रूप से शामिल किसी कम्पनी द्वारा जारी होती है।

(घ) किसी निक्षेपागार के निक्षेपागार सहभागी द्वारा प्रदत्त रसीद

6. विदेशी निक्षेपागार बैंक से आशय है -----।

(क) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्डों या जारीकर्ता कम्पनी द्वारा जारी शेयरों पर वैश्विक निक्षेपागार रसीदें जारी करने हेतु जारीकर्ता कम्पनी द्वारा प्राधिकृत बैंक

(ख) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्डों या जारीकर्ता कम्पनी द्वारा जारी शेयरों पर वैश्विक निक्षेपागार रसीदें जारी करने हेतु सरकार द्वारा प्राधिकृत बैंक

(ग) विदेशी मुद्रा प्राप्ति पर वैश्विक निक्षेपागार रसीदें जारी करने हेतु जारीकर्ता कम्पनी द्वारा प्राधिकृत बैंक

(घ) वह बैंक जहां विदेशी मुद्राओं में जमा राशियां जमा की जा सकें

7. सहभागिता प्रमाण पत्र -----द्वारा जारी संविदा नोटों की भांति होते हैं।

(क) विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा (FII) उन कम्पनियों (entities) को जारी किए जाते हैं जो भारतीय शेयर बाजार में निवेश करना चाहती हैं, किन्तु अपने आप को सेबी के पास पंजीकृत नहीं कराना चाहतीं।

(ख) वाणिज्यिक बैंको द्वारा उनके निवेशकों को

(ग) भारत सरकार द्वारा बैंकों को

(घ) कोई नहीं

8. वर्ष 2004 में लाहिरी समिति की सिफारिश पर भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने यह विनियम पारित किया कि विचाराधीन भारतीय प्रतिभूतियों के समक्ष सहभागिता नोटों जैसे व्युत्पन्नी लिखत -----जारी किए जा सकते हैं।

(क) केवल विनियमित कम्पनियों को ही तथा आगे के हस्तांतरण, यदि कोई हों, भी केवल अन्य विनियमित कम्पनियों को ही हो सकते हैं।

(ख) केवल विदेशी बैंकों को

(ग) केवल सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों को

(घ) कोई नहीं

3.8 'अपनी प्रगति जांचिए' के उत्तर

1. (क), 2. (क), 3. (क), 4. (ख), 5 (क), 6. (क), 7. (क), 8. (क)

3.9 प्रमुख शब्द

Retail Banking

Wholesale Banking

International Banking

Depository Receipt

participatory Notes

खुदरा बैंकिंग

थोक बैंकिंग

अन्तरराष्ट्रीय बैंकिंग

निक्षेपागार रसीद

सहभागिता नोट

इकाई 4

पूंजी बाजार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की भूमिका एवं उनके कार्य

रूपरेखा

4.0 उद्देश्य

4.1 पूंजी बाजार

- 4.1.1 प्राथमिक बाजार
- 4.1.2 अनुषंगी बाजार
- 4.1.3 भारत में शेयर बाजार
- 4.1.4 शेयर बाजारों का कम्पनीकरण
- 4.1.5 शेयर दलाल
- 4.1.6 अनुषंगी बाजार में बेचे जाने वाले वित्तीय उत्पाद/लिखत
- 4.1.7 कम्पनी ऋण प्रतिभूतियों के लिए सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट विनियामक अपेक्षाएं
- 4.1.8 पूंजी बाजार में सामान्यतया प्रयुक्त शब्द
- 4.1.9 प्राथमिक बाजार में पूंजी निर्गमों के प्रकार
- 4.1.10 पूंजी निर्गम लाने की पात्रता सम्बन्धी मानदण्ड
- 4.1.11 प्राथमिक बाजार में किसी निर्गम में मध्यवर्ती संस्थाएं

4.2 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)

- 4.2.1 बोर्ड के कार्य
- 4.2.2 जांच-पड़ताल करने का (की) अधिकार (शक्ति)
- 4.2.3 रोकने और विरत होने की कार्यवाही

4.3 शेयर दलालों, उप-दलालों, शेयर अन्तरण एजेन्टों आदि का पंजीकरण

4.4 सशर्त संस्थागत खरीदार ()

4.5 अपनी प्रगति जांचिए

4.6 'अपनी प्रगति जांचिए' के उत्तर

4.7 प्रमुख शब्द

4.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन कर लेने पर पाठक निम्नलिखित को समझने में समर्थ होगा :

- भारत में पूंजी बाजार का ढांचा, और
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) की भूमिका एवं उसके कार्य

4.1 पूंजी बाजार

प्रस्तावना

कोई भी व्यवसाय आरंभ करने के लिए किसी उद्यमी को पूंजी के रूप में निवेश की आवश्यकता होती है। परियोजना के आकार के आधार पर पूंजी की आवश्यकता में अन्तर होगा। अधिकांश मामलों में उद्यमी स्वयं उसकी धनराशि से आवश्यक पूंजी लाने में समर्थ नहीं होगा। उद्यमी को उक्त धनराशि बैंकों/वित्तीय संस्थाओं, मित्रों या सम्बन्धियों से उधार लेनी पड़ सकती है। उधार की ब्याज के रूप में लागत आती है तथा यह विशेषतः लम्बी उत्पादन-पूर्व अवधियों वाली परियोजनाओं के मामले में व्यवसाय की लाभप्रदता पर गंभीर दबाव सिद्ध हो सकती है। इसके साथ ही ब्याज लागत के कुछ कर-लाभ भी होते हैं। प्रवर्तकों को उसमें आने वाली विविध लागतों को ध्यान में रखते हुए परियोजना के वित्तीयन के पहलुओं के बारे में निर्णय लेना होगा। चूंकि बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा उनके ऋणों के लिए संपार्श्विक के रूप में प्रतिभूति की मांग की जा सकती है, प्रवर्तक पूंजी धन की उनकी आवश्यकता के एक बड़े हिस्से को जनता से जुटाने के लिए उन्हें इक्विटी शेयरों, डिबेंचरों, बॉण्डों और उनके जैसी ही कुछेक लिखतें देने के प्रस्ताव का चयन कर सकते हैं। जनता से धन जुटाने के उद्देश्य से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने कुछेक नियम एवं विनियम निर्धारित कर रखे हैं तथा उनका अनुपालन करते हुए प्रवर्तक उनकी वित्तीय आवश्यकता को पूंजी बाजार के नाम से ज्ञात एक बाजार में जुटा सकते हैं।

पूंजी बाजार दीर्घावधिक ऋण और इक्विटी शेयरों का बाजार होता है। इस बाजार में इक्विटी और ऋण दोनों के ही समावेश वाली पूंजी निधियां जारी की जाती हैं और उनका लेन-देन किया जाता है। इसमें ऋण और इक्विटी के निजी नियोजन स्रोतों तथा शेयर बाजारों जैसे संगठित बाजारों का भी समावेश होता है। पूंजी बाजार को प्राथमिक एवं अनुषंगी बाजारों के रूप में और भी विभाजित किया जा सकता है।

4.1.1 प्राथमिक बाजार

प्राथमिक बाजार में पूंजी या निधियां जुटाने के उद्देश्य से जनता को अभिदान के लिए प्रतिभूतियां (शेयर/बॉण्ड/डिबेंचर) प्रदान किए जाते हैं। प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियों, शेयरों या बॉण्डों का निर्गम सेबी द्वारा निर्धारित कुछेक निर्गम-पूर्व दिशानिर्देशों को पूरा किए जाने तथा कम्पनी अधिनियम के विविध प्रावधानों के अनुपालन की शर्त पर होता है। प्राथमिक बाजार 'सार्वजनिक निर्गम' बाजार और 'निजी नियोजन' बाजार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक बाजार में व्यापारी बैंकर और निर्गम प्रबन्धक, अग्रणी व्यवस्थापक आदि जैसी कई एक मध्यवर्ती संस्थाएं होती हैं।

बैंक उक्त बाजार में निर्गमों में अभिदान के लिए सहभागिता करते हैं तथा उक्त निर्गम के बैंकर भी होते हैं, हामीदारी आदि की व्यवस्था करते हैं।

4.1.2 अनुषंगी बाजार

अनुषंगी बाजार से आशय है वह बाजार जहां प्राथमिक बाजार में प्रारंभिक रूप से जनता को प्रस्तावित किए जाने के बाद प्रतिभूतियों का लेन-देन किया जाता है और/या उन्हें शेयर बाजार की सूची में शामिल किया जाता है। अनुषंगी बाजार में इक्विटी बाजार और ऋण बाजार शामिल होते हैं। अनुषंगी बाजार वह व्यापारिक पथ है जिसमें पहले से विद्यमान/पूर्व-निर्गमित प्रतिभूतियों का निवेशकों में लेन-देन किया जाता है। अनुषंगी बाजार या तो एक नीलामी या फिर व्यापारी बाजार हो सकता है। जहां शेयर बाजार नीलामी बाजार का ही एक भाग होता है, वहीं काउंटर के ऊपर (OTC) बाजार व्यापारी बाजार का एक भाग होता है।

सामान्य निवेशकों के लिए अनुषंगी बाजार प्रतिभूतियों के लेन-देन और मूल्य अन्वेषण हेतु एक कार्यकुशल मंच उपलब्ध कराता है। कम्पनी के प्रबन्धकों के लिए, अनुषंगी (इक्विटी) बाजार मूल्यवर्धक नियंत्रण कार्यकलापों को सुसाध्य बनाते हुए, प्रोत्साहन-आधारित प्रबन्धन संविदाओं के कार्यान्वयन को समर्थ बनाते हुए तथा उस सूचना को जो प्रबन्धन निर्णयों का पथ-प्रदर्शन करती है, (मूल्य अन्वेषण के माध्यम से) एकत्रित करते हुए -निगरानी एवं नियंत्रण नली का काम करते हैं। बैंक अनुषंगी बाजार के लेनदेनों को व्यक्तियों और कम्पनियों के नाम से प्रत्यक्ष व्यापार एवं डिमैट खाते खोल कर सुगम बना देते हैं। बैंक प्रतिभूतियों पर ऋण भी प्रदान करते हैं। वे समाशोधन गृह बैंक के रूप में भी काम कर सकते हैं।

4.1.3 भारत में शेयर बाजार

भारत में 22 मान्यताप्राप्त शेयर बाजार हैं। कानूनी ढांचे की दृष्टि से भारत में शेयर बाजारों को दो व्यापक समूहों में पृथकीकृत किया जा सकता है- उन्नीस शेयर बाजार जिनकी स्थापना या तो गारंटियों द्वारा या फिर शेयरों द्वारा मर्यादित (लिमिटेड) कम्पनियों के रूप में की गई थी तथा 3 शेयर बाजार जो व्यक्तियों के संघ (AOPs) थे अर्थात् बम्बई शेयर बाजार (BSE), अहमदाबाद शेयर बाजार (ASE) तथा मध्य प्रदेश शेयर बाजार (MPSE)। उन्नीस शेयर बाजार जो कम्पनियों के रूप में कार्य कर रहे थे उनमें बेंगलूर, भुवनेश्वर, कलकत्ता, कोचीन, कोयम्बतूर, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, अन्तरसम्बद्ध एसई, जयपुर, लुधियाना, मद्रास, मगध, पुणे, सौराष्ट्र-कच्छ, उत्तर प्रदेश, वडोदरा, राष्ट्रीय शेयर बाजार (NSE) तथा ओवर दि काउंटर एक्सचेंज आफ इंडिया (OTCEI) शामिल हैं। राष्ट्रीय शेयर बाजार (NSE) को छोड़कर सभी शेयर बाजार, चाहे उनकी स्थापना निगमित निकायों के रूप में हुई हो या फिर व्यक्तियों के संघ (AOPs) के रूप में, लाभ न कमाने वाले संगठन थे।

शेयर बाजारों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें निगमीकृत किया जाए। निगमीकरण इन शेयर बाजारों के संगठनात्मक ढांचे को गैर-कार्पोरेट से बदल कर कार्पोरेट कर देने की प्रक्रिया है। परम्परागत रूप से भारत में कुछेक शेयर बाजारों की स्थापना व्यक्तियों के संघ (AOPs) के रूप में की गई थी यथा बम्बई शेयर बाजार (BSE), अहमदाबाद शेयर बाजार (ASE) और मध्य प्रदेश शेयर बाजार (MPSE)। इस प्रकार के शेयर बाजारों का निगमीकरण उन्हें निगमित कम्पनियों के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है।

4.1.4 शेयर बाजारों का कम्पनीकरण

कम्पनीकरण से आशय है किसी शेयर बाजार की 'पारस्परिक रूप से' स्वाधिकृत एक संघ से 'शेयरधारकों की स्वाधिकृत' कम्पनी के रूप में संक्रमण की प्रक्रिया। दूसरे शब्दों में किसी शेयर बाजार के कानूनी ढांचे को पारस्परिक रूप से रूपान्तरित करते हुए व्यावसायिक निगम का रूप देने की प्रक्रिया को कम्पनीकरण कहा जाता है। प्रभावी तौर पर उपर्युक्त से आशय है कि कम्पनीकरण के उपरान्त शेयर बाजार में स्वामित्व, प्रबन्धन एवं व्यापारिक अधिकार एक-दूसरे से अलग कर दिए गए हैं।

किसी पारस्परिक शेयर बाजार में स्वामित्व, प्रबन्धन एवं व्यापार के तीनों ही कार्य एक ही समूह में अन्तर्वेष्टित होते हैं। यहां शेयर बाजार के दलाल सदस्य शेयर बाजार के स्वामी और व्यापारी दोनों ही हैं तथा इसके अलावा वे शेयर बाजार का प्रबन्धन भी करते हैं। दूसरी ओर किसी कम्पनीकृत शेयर बाजार में ये तीनों ही कार्य अर्थात् स्वामित्व, प्रबन्धन एवं व्यापार सुस्पष्ट रूप से पृथकीकृत होते हैं तथा अलग-अलग हाथों में होते हैं।

बम्बई शेयर बाजार (BSE), राष्ट्रीय शेयर बाजार (NSE) और ओवर दि काउंटर एक्सचेंज आफ इंडिया (OTCEI) न केवल निगमीकृत हैं, अपितु वे सदस्यों के स्वामित्व एवं व्यापारिक अधिकारों के पृथकीकरण सहित कम्पनीकृत भी हैं।

राष्ट्रीय शेयर बाजार (NSE) की शुरुआत 1992 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI), आईएल एवं एफएस (IL&FS) भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम (ICICI), पंजाब नैशनल बैंक (PNB) और सामान्य बीमा निगम (GIC) सहित बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा की गई। अब विदेशी संस्थागत निवेशक भारत में शेयर बाजारों में 49 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं। हालांकि, किसी भारतीय शेयर बाजार में कोई एकल निवेशक, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से 5 प्रतिशत की सीमा से अधिक के शेयर नहीं धारित कर सकता। राष्ट्रीय शेयर बाजार (NSE) में एक सक्षम प्रावधान पहले से ही मौजूद है, जिसके अनुसार किसी विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) को 26 प्रतिशत तक तथा उसकी चुकता (प्रदत्त) पूंजी के 23 प्रतिशत की सीमा तक के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की अनुमति है। इस समय राष्ट्रीय शेयर बाजार (NSE) की चुकता पूंजी 45 करोड़ रुपये है। जनवरी, 2007 में चार चुनिंदा विदेशी निवेशकों यथा दि न्यूयार्क शेयर बाजार समूह, गोल्डमैन सैक्स, जनरल अटलांटिक तथा जापान की सॉफ्टबैंक एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड- प्रत्येक ने 2250-2500 करोड़ रुपये के प्रतिफल पर राष्ट्रीय शेयर बाजार की पूंजी का 5 प्रतिशत हस्तगत कर लिया।

4.1.5 शेयर दलाल

दलाल किसी मान्यताप्राप्त शेयर बाजार का ऐसा सदस्य होता है, जिसे विभिन्न शेयर बाजारों की स्क्रीन-आधारित व्यापार प्रणाली पर लेन-देन करने की अनुमति होती है। वह सम्बन्धित शेयर बाजार में सदस्य के रूप में नामांकित तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास पंजीकृत होता है।

उप-दलाल मान्यताप्राप्त शेयर बाजार के दलाल से सम्बद्ध होता है तथा ऐसा व्यक्ति होता है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास पंजीकृत हो।

4.1.6 अनुषंगी बाजार में बेचे जाने वाले वित्तीय उत्पाद/लिखत

अनुषंगी बाजार में बेचे जाने वाले वित्तीय उत्पाद/लिखत निम्नानुसार हैं :

इक्विटी : इक्विटी किसी कम्पनी में सामान्य और अधिमान शेयरों के धारकों का स्वामित्व हित होती है। विविध प्रकार के इक्विटी शेयर निम्नानुसार हैं :

इक्विटी शेयर : किसी इक्विटी शेयर को सामान्यतया एक सामान्य शेयर के रूप में जाना जाता है। यह उस आंशिक स्वामित्व वाले रूप का द्योतक होता है जिसमें कोई शेयरधारक एक आंशिक स्वामी के रूप में किसी व्यावसायिक उद्यम से जुड़े उद्यमकर्ता जोखिम को उठाता है। इक्विटी शेयर के धारक कम्पनी के सदस्य होते हैं तथा उन्हें मताधिकार प्राप्त होता है। कोई कम्पनी इस प्रकार के शेयर मतदान के विभेदक अधिकारों, लाभांश (Dividend) के भुगतान आदि के साथ जारी कर सकती है।

अधिकार (Rights) निर्गम/अधिकार शेयर : इससे आशय वर्तमान शेयरधारकों को पहले से धारित शेयरों के अनुपात में नयी प्रतिभूतियां जारी किए जाने से है।

बोनस शेयर : ये शेयर कम्पनियों द्वारा उनके शेयरधारकों को पूर्ववर्ती वर्षों में अर्जित लाभों से संचित आरक्षित निधियों के पूंजीकरण द्वारा या शेयर प्रीमियम खाते से जारी किए जाते हैं।

अधिमान्य स्टाक/अधिमान शेयर : ये शेयर मताधिकार नहीं प्रदान करते। इन शेयरों के स्वामी एक नियत लाभांश या इक्विटी शेयर के सम्बन्ध में भुगतान किए जा सकने वाले किसी लाभांश के पहले नियमित रूप से भुगतान किए जाने वाले एक स्थायी दर पर परिकलित लाभांश के पात्र होते हैं। इन शेयरधारकों को अधिशेष के भुगतान में इक्विटी शेयरधारकों पर प्राथमिकता भी प्राप्त होती है। परिसमापन की स्थिति में उनके दावों पर कम्पनी के लेनदारों, बॉण्डधारकों/डिबेंचरधारकों आदि के दावों के बाद, किन्तु इक्विटी शेयरधारकों के दावों के पहले विचार किया जाता है।

संचयी अधिमान शेयर : यह अधिमान शेयरों का वह प्रकार होता है जिस पर उसके अदत्त होने पर ब्याज लाभांश संचित होता रहता है। एक विनिर्दिष्ट तिथि के बाद ये शेयर कम्पनी की इक्विटी पूंजी में परिवर्तित हो जाएंगे।

संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर : यह इस प्रकार का अधिमान शेयर है जिसमें उस पर देय लाभांश प्रदत्त न होने पर संचित होता रहता है। एक विनिर्दिष्ट अवधि के बाद ये शेयर कम्पनी की इक्विटी पूंजी में परिवर्तित हो जाएंगे।

सहभागी अधिमान शेयर : इससे आशय है संविदाकृत एक विनिर्दिष्ट नियत लाभांश का भुगतान कर दिए जाने के बाद कुछेक अधिमान शेयरधारकों के लाभ में सहभागिता के अधिकार से। सहभागिता अधिकार इक्विटी शेयरों पर एक विशिष्ट विनिर्दिष्ट स्तर से अधिक प्रदत्त लाभांश की मात्रा से सम्बद्ध होता है।

प्रतिभूति रसीदें : प्रतिभूति रसीदों से आशय है किसी प्रतिभूतिकरण कम्पनी या किसी पुनर्निर्माण कम्पनी द्वारा किसी योजना के अनुसरण में किसी सशर्त संस्थागत खरीदार को उसके धारक द्वारा प्रतिभूतिकरण में शामिल वित्तीय आस्तियों में किसी अविभक्त अधिकार, हक या हित की की गई खरीद या किए गए अधिग्रहण को प्रमाणित करते हुए जारी रसीदें या अन्य प्रतिभूतियां।

सरकारी प्रतिभूतियां (G-secs) : ये सर्वश्रेष्ठ (sovereign) (ऋण जोखिम-रहित) कूपन-वाहक लिखतें होती हैं जो केन्द्रीय सरकार के बाजार से उधार कार्यक्रम के स्थान पर भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती हैं। इन प्रतिभूतियों में एक नियत कूपन रहता है जिसका अर्ध-वार्षिक आधार पर विशिष्ट तिथियों को भुगतान किया जाता है। ये प्रतिभूतियां अल्पकालिक (एक वर्ष से कम) से लेकर दीर्घकालिक (30 वर्ष तक) की परिपक्वता तिथियों की व्यापक सीमा में उपलब्ध होती हैं। सरकार शून्य (Zero) कूपन बॉण्ड/प्रतिभूतियां भी जारी करती है।

डिबेंचर : डिबेंचर किसी कम्पनी द्वारा जारी बॉण्ड होते हैं जिन पर स्थायी दर पर ब्याज मिलता है तथा जो अर्ध वार्षिक आधार पर विशिष्ट तिथियों को देय होते हैं और मूलधन की रकम डिबेंचरों के मोचन पर एक विशिष्ट तिथि को पुनर्देय होती है। डिबेंचर सामान्यतया डिबेंचर धारक के पक्ष में कम्पनी की आस्तियों पर प्रतिभूत/प्रभारित होते हैं।

बॉण्ड : बॉण्ड ऋणग्रस्तता को प्रमाणित करने वाला एक परक्राम्य लिखत होता है। यह सामान्यतया अप्रतिभूत होता है। बॉण्ड (ऋण प्रतिभूति) प्रतिभूति सामान्य रूप से किसी कम्पनी, नगरपालिका, या सरकारी एजेन्सी द्वारा जारी की जाती है। बॉण्ड-

निवेशक जारीकर्ता को धन उधार देता है और बदले में जारीकर्ता ऋण की रकम को एक विनिर्दिष्ट परिपक्वता तिथि को चुकाने का वचन देता है। जारीकर्ता सामान्यतया बॉण्ड धारक को उक्त ऋण के बने रहने तक आवधिक ब्याज भुगतान की अदायगी करता रहता है। विविध प्रकार के बॉण्ड निम्नानुसार हैं :

1. कूपन बॉण्ड : ये ऐसे सामान्य बॉण्ड होते हैं जिन पर जारीकर्ता निवेशक/धारक को सहमत अन्तरालों पर, सामान्यतया वर्ष में दो बार पूर्व-निर्धारित दर (कूपन के रूप में ज्ञात) ब्याज का भुगतान करता है। बॉण्ड की परिपक्वता का पता उस अवधि से चलता है जिसके लिए वह जारी किया गया है। अनुषंगी बाजार में चूंकि ब्याजगत आय अंकित मूल्य से नियत होती है, इन बॉण्डों का लेन-देन ब्याज की बाजार दरों के आधार पर परिपक्वता पर प्रतिफल पर होता है।

2. शून्य कूपन बॉण्ड : बड़े पर जारी तथा अंकित मूल्य पर चुकता बॉण्ड को शून्य कूपन बॉण्ड कहा जाता है। इस मामले में किसी प्रकार के आवधिक ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता। निर्गम मूल्य और मोचन मूल्य में अन्तर धारक को होने वाला प्रतिलाभ होता है। इन बॉण्डों के खरीदार को बॉण्ड की परिपक्वता पर केवल एक ही भुगतान प्राप्त होता है।

3. परिवर्तनीय बॉण्ड : निवेशक को एक नियत मूल्य पर बॉण्ड को इक्विटी में परिवर्तित करने का विकल्प देने वाले बॉण्ड को परिवर्तनीय बॉण्ड कहा जाता है।

वाणिज्यिक पत्र : वाणिज्यिक पत्र किसी कम्पनी की बाजार से उधार होते हैं। वे नियत रकम चुकाने के अल्पकालिक वचनों का रूप ले लेते हैं। उन्हें या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर विशेषीकृत मध्यवर्ती संस्थाओं के माध्यम से बाजार में नियोजित किया जाता है। वाणिज्यिक पत्र सामान्यतया अधिक ऋण अवस्थिति (credit standing) वाली कम्पनियों द्वारा परिपक्वता पर धारक को सम मूल्य पर प्रतिदेय वचन पत्रों के रूप में जारी किए जाते हैं और इसलिए उन्हें किसी प्रकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं होती। वाणिज्यिक पत्र सामान्यतया नब्बे दिनों की अवधि हेतु जारी मुद्रा बाजार लिखत होते हैं।

खजाना बिल : ये सरकार द्वारा उसकी नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए (भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से) जारी अल्पकालिक (इक्यान्बे दिनों तक) धारक बड़े वाली प्रतिभूति होते हैं।

4.1.7 कम्पनी ऋण प्रतिभूतियों के लिए सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट विनियामक अपेक्षाएं

किसी सार्वजनिक निर्गम द्वारा जारी प्रतिभूतियों को एक या उससे अधिक शेयर बाजारों की सूची में आवश्यक रूप से शामिल होना चाहिए। सूची में शामिल कम्पनियों सहित कम्पनियों (अर्थात् जिन्होंने या तो इक्विटी या फिर ऋण के रूप में अपनी किसी भी प्रतिभूति को किसी प्रस्ताव प्रलेख के माध्यम से प्रस्तावित कर रखा है और जो किसी मान्यताप्राप्त शेयर बाजार की सूची में शामिल हैं तथा जिनमें ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का भी समावेश है, जिनकी प्रतिभूतियां किसी मान्यताप्राप्त शेयर बाजार की सूची में शामिल हैं) द्वारा 365 दिनों से अधिक की परिपक्वता वाली ऋण प्रतिभूतियों के निजी नियोजन के आधार पर निर्गम को सेबी द्वारा उन्हें शेयर बाजार की सूची में शामिल कराने हेतु समय-समय पर निर्धारित शर्तों का आवश्यक रूप से अनुपालन करना चाहिए। इसके अलावा, सूची में न शामिल कम्पनियां/सांविधिक निगम/अन्य संस्थाएं, यदि वे चाहें, तो सम्बन्धित शर्तों का अनुपालन करके उनकी निजी रूप से नियोजित ऋण प्रतिभूतियों को शेयर बाजार की सूची में शामिल करा सकती हैं। ऋण प्रतिभूतियां सेबी के पास पंजीकृत ऋण रेटिंग एजेन्सी से ऋण रेटिंग कराएंगी। ऋण प्रतिभूतियां डिमैट रूप में जारी और क्रीत-विक्रीत की जाएंगी।

4.1.8 पूंजी बाजार में सामान्यतया प्रयुक्त शब्द

प्रतिभूति लेन-देन कर (STT) : प्रतिभूति लेन-देन कर (STT) एक ऐसा कर है जो शेयर बाजार में किए गए सभी लेन-देनों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली दर पर वसूल किया जाता है। वित्त (सं.2) अधिनियम, 2004 के अधिनियमन के अनुसरण में भारत सरकार ने प्रतिभूति लेन-देन कर नियम, 2004 को अधिसूचित किया और प्रतिभूति लेन-देन कर 1 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी हुआ।

चल (Rolling) समझौता : चल समझौते में दिन के दौरान निष्पादित व्यापार (लेन-देन) का उस दिन की निवल देयताओं के आधार पर निपटारा किया जाता है। वर्तमान में चल समझौते से सम्बन्धित लेन-देन टी+2 दिन के आधार पर निपटारा जाता है, जिसमें टी लेनदेन दिवस के लिए प्रयुक्त होता है। इसलिए सोमवार को निष्पादित लेन-देन विशिष्ट रूप से बुधवार (लेन-देन के दिन से 2 कार्य दिवसों का विचार करते हुए) निपटारे जाते हैं। निधियों और प्रतिभूतियों का पे-इन (Pay-in) और पे-आउट (Pay-out) टी+2 दिवस को किया जाता है।

पे-इन (Pay-in) दिवस और पे-आउट (Pay-out) दिवस : पे-इन दिवस वह दिन होता है जब दलाल शेयर बाजार को भुगतान या प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी करते हैं। पे-आउट दिवस वह दिन होता है जब शेयर बाजार दलाल को भुगतान या शेयरों की सुपुर्दगी करता है। निपटारा चक्र 1 अप्रैल, 2003 से टी+2 चल समझौते के आधार पर चलता है। शेयर बाजारों को यह

सुनिश्चित करना होता है कि दलाल द्वारा ग्राहकों को निधियों एवं प्रतिभूतियों का पे-आउट के 24 घण्टों के भीतर पे-आउट कर दिया जाए। पे-आउट के तत्कल बाद शेयर बाजारों को प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी होगी।

नीलामी : शेयर बाजार का मुख्य कार्य यह होता है कि किसी लेनदेन के दोनों ही आधार अर्थात् नकदी और प्रतिभूति निपटारे के लिए उपलब्ध हों तथा सुपुर्दगियां खोटी न हों। किसी सदस्य द्वारा सुपुर्दगी न किए जाने की स्थिति में शेयर बाजार आवश्यक मात्रा नीलामी बाजार में खरीदता है तथा उन्हें खरीद करने वाले या व्यापार करने वाले सदस्य को दे देता है। कमियों को एक नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से पूरा किया जाता है तथा संविदा नोट में उल्लिखित मूल्य और नीलामी के माध्यम से प्राप्त मूल्य में अन्तर की रकम का सदस्य द्वारा शेयर बाजार को भुगतान किया जाता है , जो तब ग्राहक से वसूल किए जाने की भागी होती है।

प्रतिभूति उधारदात्री योजना : प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने की योजना वह है जो बेकार पड़ी प्रतिभूतियों को निवेशकों द्वारा समाशोधन निगम को उधार दिए जाने तथा उसके माध्यम से प्रतिलाभ अर्जित किए जाने के कार्य को सुगम बनाती है। प्रतिभूतियों को उधार देने और लेने की इस प्रणाली के लिए शेयर बाजार का समाशोधन निगम नोडीय एजेन्सी होगा तथा अनुमोदित मध्यवर्ती संस्था (Als) के रूप में पंजीकृत होगा। समाशोधन निगम कमी को पूरा करने के उद्देश्य से सदस्यों की ओर से प्रतिभूतियां उधार ले सकेगा। चूककर्ता बिक्री दलाल को समाशोधन निगम द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सुपुर्दगी करनी होगी। चूककर्ता बिक्री दलाल के विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सुपुर्दगी करने में असफल हो जाने की स्थिति में समाशोधन निगम को प्रतिभूतियां खुले बाजार से खरीदनी होंगी तथा उन्हें सात व्यापार दिवसों के भीतर उधारदाता को वापस करनी होंगी। बाजार से प्रतिभूतियों की खरीद में किसी असमर्थता की स्थिति में उक्त लेनदेन निरस्त कर दिया जाएगा।

4.1.9 प्राथमिक बाजार में पूंजी निर्गमों के प्रकार

प्राथमिक बाजार में निर्गमों को सार्वजनिक, अधिकार (Rights) या अधिमानी निर्गमों (निजी नियोजन के रूप में भी ज्ञात) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जहां सार्वजनिक एवं अधिकार निर्गमों में एक विस्तृत कार्यविधि शामिल रहती है, वहीं निजी नियोजन या अधिमानी निर्गम तुलनात्मक रूप से सरल होते हैं।

सार्वजनिक निर्गमों को प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (IPOs) तथा प्रोत्साहन सार्वजनिक प्रस्तावों (FPOs) के रूप में और आगे वर्गीकृत किया जा सकता है। सार्वजनिक प्रस्ताव में जारीकर्ता नये निवेशक के लिए उसके शेयरधारक परिवार में प्रवेश करने हेतु एक प्रस्ताव रखता है। जारीकर्ता कम्पनी प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण (DIP) दिशानिर्देशों के अनुसार उसके प्रस्ताव प्रलेखों में विस्तृत प्रकटन करती है तथा उसे अभिदान हेतु प्रस्तुत करती है।

प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव वह प्रस्ताव है जो तब लाया जाता है जब शेयर बाजार की सूची में न शामिल कोई कम्पनी या तो प्रतिभूतियों के किसी नये निर्गम को या फिर उसकी वर्तमान प्रतिभूतियों की बिक्री या दोनों ही का प्रस्ताव पहली बार जनता के समक्ष लाती है। यह कार्रवाई जारीकर्ता की प्रतिभूतियों को सूची में शामिल कराने और उसके लेन-देन का मार्ग प्रशस्त करती है।

प्रोत्साहन सार्वजनिक प्रस्ताव (FPO) तब लाया जाता है जब पहले से ही सूची में शामिल कोई कम्पनी प्रस्ताव प्रलेख के माध्यम से या तो जनता के समक्ष प्रतिभूतियों का कोई नया निर्गम या फिर जनता को बिक्री का कोई प्रस्ताव लाती है। ऐसे परिदृश्य में बिक्री के किसी प्रस्ताव की अनुमति केवल तभी होती है जब वह सूचीकरण या निरंतर सूचीकरण की बाध्यताओं को पूरा करने हेतु हो।

अधिकार (Rights) निर्गम (RI) तब होता है जब शेयर बाजार की सूची में शामिल कम्पनी उसके वर्तमान शेयरधारकों को किसी रिकार्ड की गई तिथि को नयी प्रतिभूतिया जारी करना चाहती है। अधिकार सामान्यतया उक्त निर्गम के पहले धारित प्रतिभूतियों की संख्या के विशिष्ट अनुपात में प्रदान किए जाते हैं। उन कम्पनियों के लिए यह मार्ग सर्वाधिक अनुकूल होता है जो उनके शेयरधारकों के जोखिम को, जब तक कि वे उनकी पात्रता के अनुसार अभिदान न करना चाहते हों, कम किए बिना ही पूंजी जुटाना चाहती हैं।

निजी नियोजन किसी कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 81 के तहत व्यक्तियों के चुनिंदा समूह को शेयरों का या परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का एक निर्गम होता है, जो न तो अधिकार (Rights) निर्गम और न ही सार्वजनिक निर्गम होता है। यह इक्विटी पूंजी जुटाने का कम्पनी का अपेक्षाकृत त्वरित तरीका होता है।

सशर्त संस्थागत नियोजन (QIP) इक्विटी शेयरों या सूची में शामिल किसी कम्पनी द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) के दिशानिर्देशों के अध्याय XIII क के अनुसार केवल सशर्त संस्थागत खरीदारों को इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निजी नियोजन होता है।

4.1.10 पूंजी निर्गम लाने की पात्रता सम्बन्धी मानदंड

सेबी ने सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में प्रवेश करने वाली संस्थाओं के लिए पात्रता सम्बन्धी मानदंड निर्धारित कर रखे हैं। सूची में शामिल उस कम्पनी के लिए जो अधिकार निर्गम ला रही है पात्रता सम्बन्धी कोई मानदंड नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसा प्रस्ताव है जो उन वर्तमान शेयरधारकों को दिया जा रहा है जिनसे उनकी कम्पनी से परिचित होने की अपेक्षा की जाती है। अधिमान निर्गम लाने वाली सूची में शामिल कम्पनी के लिए भी पात्रता सम्बन्धी कोई मानदंड नहीं है। हालांकि सशर्त निजी नियोजन के मामले में केवल वही कम्पनियां पात्र होती हैं, जिनके शेयर राष्ट्रीय शेयर बाजार या बम्बई शेयर बाजार की सूची में शामिल हैं तथा वे जिनके पास सूचीकरण करार के अनुसार यथा आवश्यक न्यूनतम सार्वजनिक निर्गम मुद्रा मौजूद हैं।

सार्वजनिक निर्गम लाने वाली किसी भी कम्पनी या 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य वाले अधिकार निर्गम लाने वाली सूची में शामिल किसी कम्पनी के लिए यह आवश्यक है कि वह सेबी के प्रेक्षण के लिए उसके पास प्रस्ताव प्रलेख का एक प्रारूप प्रस्तुत करे। सेबी के प्रेक्षण पत्र की वैधता अवधि केवल तीन माह होती है, अर्थात् कम्पनी को अपना निर्गम तीन माह के भीतर ही खोलना होगा। अधिमानि आवंटन और सशर्त निजी नियोजन के मामले में सेबी को किसी प्रकार के प्रस्ताव प्रलेख/नोटिस प्रस्तुत किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। सशर्त निजी नियोजन में निर्गम का संचालन करने वाले व्यापारी बैंकर को नियोजन प्रलेख की एक प्रति आवंटन के उपरान्त रिकार्ड के उद्देश्य से सेबी के पास जमा करानी होती है।

व्यापारी बैंक ऐसी विशिष्टीकृत मध्यवर्ती संस्थाएं होते हैं जिनसे सेबी को प्रस्ताव प्रलेख प्रस्तुत करते समय विहित तत्परता दिखाने और यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण की सभी अपेक्षाओं का पालन हुआ है। उनकी ओर से किसी प्रकार के अननुपालन पर सेबी (व्यापारी बैंकर) विनियमन के अनुसार सेबी की ओर से दंडात्मक कार्यवाही की जाती है। व्यापारी बैंकर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव प्रलेख का प्रारूप सार्वजनिक टिप्पणी के लिए वेबसाइट पर भी रखा जाता है। सेबी के अधिकारी विविध स्तरों पर प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण के अनुपालन की जांच करते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रस्ताव प्रलेख के प्रारूप में सभी प्रकार की आवश्यक एवं महत्वपूर्ण सूचना प्रकट की गई है।

प्रस्ताव प्रलेख से आशय है किसी सार्वजनिक निर्गम के मामले में विवरणिका या बिक्री हेतु प्रस्ताव तथा किसी अधिकार (Rights) निर्गम के मामले में ऐसे प्रस्ताव पत्र जो कम्पनी रजिस्ट्रार (ROC) और शेयर बाजारों के पास जमा कराए गए हों। किसी प्रस्ताव प्रलेख में निवेशक को निवेश करने के बारे में स्वयं उसका निर्णय लेने में सहायता करने हेतु सभी प्रासंगिक सूचनाओं का समावेश होता है।

प्रस्ताव प्रलेख के प्रारूप से आशय है प्रारूप स्तर पर प्रस्ताव प्रलेख। कम्पनी रजिस्ट्रार/शेयर बाजारों (ROC/SEs) को प्रस्ताव प्रलेख प्रस्तुत किए जाने के कम से कम इक्कीस दिन पहले प्रस्ताव प्रलेख का प्रारूप सेबी के पास जमा कराया जाता है। सेबी प्रस्ताव प्रलेख के प्रारूप में परिवर्तन, यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट कर सकता है और जारीकर्ता अथवा अग्रणी व्यापारी बैंकर (LM) प्रस्ताव प्रलेख को कम्पनी रजिस्ट्रार/शेयर बाजारों को प्रस्तुत करने से पूर्व प्रस्ताव प्रलेख के प्रारूप में इस प्रकार के परिवर्तनों को कार्यान्वित करेगा। प्रस्ताव प्रलेख का प्रारूप सार्वजनिक टिप्पणी के लिए उसे सेबी को प्रस्तुत किए जाने के दिन से इक्कीस दिन की अवधि तक सेबी की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।

लाल लहरदार बखिये वाली (Red Herring) विवरणिका (RHP) एक ऐसी विवरणिका है जिसमें प्रस्तावित किए जा रहे के मूल्य या उनकी संख्या या निर्गम की रकम के विवरण नहीं होते। इसका तात्पर्य यह है कि मूल्य प्रकट न किए जाने की स्थिति में शेयरों की संख्या और उच्चतर एवं निम्नतर मूल्य पट्टियां प्रकट रहती हैं। दूसरी ओर कोई जारीकर्ता निर्गम के आकार का उल्लेख कर सकता है तथा शेयरों की संख्या का निर्धारण बाद में होता है। प्रोत्साहन सार्वजनिक प्रस्ताव हेतु लाल लहरदार बखिये वाली विवरणिका (RHP) कम्पनी रजिस्ट्रार के पास मूल्य-पट्टी के बिना जमा कराई जा सकती है। ऐसी स्थिति में आधार मूल्य या मूल्य-पट्टी निर्गम खुलने के एक दिन पहले विज्ञापन के माध्यम से अधिसूचित की जा सकती है। बही-निर्मित (book-built) निर्गमों के मामले में यह मूल्य-अन्वेषण की प्रक्रिया होती है तथा जब तक बोली लगाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, मूल्य -निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ऐसे विवरण कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत की जाने वाली लाल लहरदार बखिये वाली विवरणिका (RHP) में नहीं दर्शाए जाते। प्रस्ताव प्रलेख में

अन्तिम मूल्य के विवरणों का समावेश बोली लगाने की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद ही किया जाता है। उसके बाद कम्पनी रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत प्रस्ताव प्रलेख को विवरणिका कहा जाता है।

निर्गम का मूल्य-निर्धारण

भारतीय प्राथमिक बाजार में मुक्त मूल्य-निर्धारण के युग की शुरुआत 1992 में हुई। इसके अनुसरण में दिशानिर्देशों में यह व्यवस्था की गई है कि व्यापारी बैंकर के परामर्श से जारीकर्ता मूल्य-निर्धारण करेगा। सेबी द्वारा मूल्य के बारे में कोई सूत्र नहीं निर्धारित किया गया है। मूल्य-निर्धारण में सेबी की कोई भूमिका नहीं होती। हालांकि, कम्पनी और व्यापारी बैंकर से यह अपेक्षित होता है कि वे उन मानदंडों का पूर्ण रूप से खुलासा करें जिन पर उन्होंने निर्गम मूल्य निर्धारित करते समय विचार किया था। निर्गम दो प्रकार के होते हैं, एक वह होता है, जिसमें कम्पनी और अग्रणी व्यापारी एक मूल्य (जिसे नियत मूल्य कहा जाता है) नियत कर देते हैं, और दूसरा वह है, जिसमें कम्पनी और अग्रणी व्यापारी एक आधार (floor) मूल्य या एक मूल्य-पट्टी निर्धारित कर देते हैं तथा अन्तिम मूल्य निर्धारित करने का दायित्व बाजार की शक्तियों (बही-रचना (book building) प्रक्रिया के माध्यम से मूल्य-अन्वेषण) पर छोड़ देते हैं।

जारीकर्ता कम्पनी को निर्गम का मुक्त रूप से मूल्य नियत करने की अनुमति होती है। निर्गम मूल्य का आधार प्रस्ताव प्रलेख में प्रकटित रहता है, जिसमें जारीकर्ता निर्गम मूल्य का औचित्य सिद्ध करने वाले गुणात्मक एवं मात्रात्मक कारकों के बारे में विस्तार से प्रकटन करता है। जारीकर्ता कम्पनी सेबी को प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव प्रलेख के प्रारूप में 20 प्रतिशत की मूल्य-पट्टी (मूल्य-पट्टी में छूट आधार मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती) का उल्लेख कर सकता है तथा वास्तविक मूल्य बाद वाले किसी ऐसे दिन निर्धारित किया जा सकता है जो अन्तिम प्रस्ताव प्रलेख सेबी/कम्पनी रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत किए जाने से पहले हो।

बही-रचना (Book Building) से आशय है अपनाई गई वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से किसी निगमित निकाय द्वारा जारी किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रतिभूतियों की मांग को बढ़ाया और समुन्नत किया जाता है तथा इन प्रतिभूतियों के मूल्य का निर्धारण जारीकर्ता द्वारा अभिदान हेतु प्रदत्त प्रतिभूतियों की मात्रा के लिए प्राप्त बोलियों के आधार पर किया जाता है। यह पद्धति बाजार को यह अवसर उपलब्ध कराती है कि वह प्रतिभूतियों के मूल्य का पता लगा ले।

बही निर्मित (book built) निर्गम आवंटन में खुदरा वैयक्तिक निवेशक (RIIs), गैर-संस्थागत निवेशक (NIIs) और सशर्त संस्थागत खरीदार (QIBs) क्रमशः 35: 15: 50 के अनुपात में होते हैं। बही-निर्मित निर्गमों के प्रतिभूति संविदा विनियमन नियमों (SCR) के नियम 19(2)(ख) के अनुसार सशर्त संस्थागत खरीदारों (QIBs) को 60 प्रतिशत के अनिवार्य आवंटन की आवश्यकता के अनुसरण में लाए जाने की स्थिति में सम्बन्धित आंकड़े खुदरा वैयक्तिक निवेशकों (RIIs) के लिए 30 प्रतिशत तथा गैर-संस्थागत निवेशकों (NIIs) के लिए 10 प्रतिशत हैं।

खुदरा वैयक्तिक निवेशक से आशय है वह निवेशक जो 1,00,000 रुपये से अनधिक मूल्य वाली प्रतिभूतियों के लिए आवेदन करता है या बोली लगाता है।

4.1.11 प्राथमिक बाजार में किसी निर्गम में मध्यवर्ती संस्थाएं

निर्गम के व्यापारी बैंकर या बही रखने वाले (Book Running) अग्रणी प्रबन्धक (BRLM), समूह सदस्य, निर्गम के पंजीयक (registrars), निर्गम के बैंकर, कम्पनी के लेखा-परीक्षक, हामीदार, न्यायाभिकर्ता (Solicitors) आदि प्राथमिक बाजार में किसी निर्गम के मध्यवर्ती होते हैं।

बही रखने वाले अग्रणी प्रबन्धक (BRLM) : सेबी (व्यापारी बैंकर) विनियम, 1992 के अनुसार वैध सेबी पंजीकरण रखने वाला व्यापारी बैंकर किसी निर्गम के बही रखने वाले अग्रणी प्रबन्धक के रूप में कार्य करने का पात्र होता है।

सुरक्षा पाश : किसी भी सुरक्षा पाश योजना या किसी सार्वजनिक निर्गम में अग्रणी व्यापारी बैंकर के साथ प्रस्तावित शेरों की पुनः क्रय व्यवस्था को अन्तिम रूप जारीकर्ता कम्पनी द्वारा अग्रिम रूप से दिया जाएगा तथा उसे विवरणिका में प्रकट किया जाएगा। इस प्रकार की सुरक्षा पाश या पुनः क्रय व्यवस्था केवल मूल निवासी वैयक्तिक आवंटियों को ही उपलब्ध कराई

जाएगी जो प्रति आवंटी अधिकतम 1000 शेयरों तक सीमित होगी तथा प्रस्ताव को प्रतिभूतियों के प्रेषण की अन्तिम तिथि से 6 माह की अवधि तक खुला रखा जाएगा।

न्यूनतम मूल्य : बही रचना (Book building) निर्गम में जारीकर्ता के लिए यह आवश्यक होता है कि वह लाल लहरदार बखिये वाली विवरणिका (RHP) में या तो मूल्य-पट्टी या फिर आधार मूल्य का उल्लेख करे। इस निर्गम मूल्य को न्यूनतम (Cut Off) मूल्य कहा जाता है। इसका निर्णय जारीकर्ता और अग्रणी प्रबन्धक द्वारा शेयरों के प्रति 'बही और निवेशक की अभिरुचि' को ध्यान में रखने के बाद किया जाता है। सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश केवल खुदरा वैयक्तिक निवेशकों को ही न्यूनतम मूल्य पर आवेदन करने के विकल्प की अनुमति देते हैं।

4.2 भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)

भारत सरकार ने प्रतिभूतियों में निवेश करने वालों के हितों का संरक्षण करने और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देने तथा उससे सम्बद्ध या उससे प्रासंगिक मामलों का विनियमन करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के नाम से एक बोर्ड की स्थापना की जाने की व्यवस्था करने के लिए 4 अप्रैल, 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) अधिनियम, 1992 अधिनियमित किया। (सेबी के गठन से पूर्व कुछेक नियंत्रणात्मक कार्य नियंत्रक, पूंजी निर्गम एवं कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा किए जाते थे।)

4.2.1 बोर्ड के कार्य

1. इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों का संरक्षण करे तथा निम्नलिखित के माध्यम से प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा दे और उसका विनियमन करे :

- (क) शेयर बाजारों और किसी अन्य प्रतिभूति बाजारों में व्यवसाय को विनियमित करना;
- (ख) (i) शेयर दलालों, उप-दलालों, शेयर अन्तरण एजेंटों, निर्गम के बैंकरों, न्यास विलेखों के न्यासियों, किसी निर्गम के पंजीयकों, व्यापारी बैंकरों, हामीदारों, पोर्टफोलियो प्रबन्धकों, निवेश सलाहकारों तथा ऐसी अन्य मध्यवर्ती संस्थाओं, जो प्रतिभूति बाजार से किसी भी अन्य विधि से जुड़े हों, की कार्यप्रणाली का पंजीयन एवं विनियमन करना;
- (ii) निष्पेक्षागारों, सहभागियों, प्रतिभूतियों के अभिरक्षकों, विदेशी संस्थागत निवेशकों, ऋण निर्धारण एजेंट्सियों की कार्यप्रणाली का पंजीकरण एवं विनियमन करना।
- (ग) जोखिम पूंजी निधियों और पारस्परिक निधियों सहित सामूहिक निवेश योजनाओं की कार्यप्रणाली का पंजीयन एवं विनियमन करना;
- (घ) स्व-विनियामक संगठनों को बढ़ावा देना तथा उनका विनियमन करना;
- (ङ) प्रतिभूति बाजार से सम्बन्धित कपटपूर्ण एवं अनुचित व्यापार परम्पराओं को निषिद्ध करना;
- (च) निवेशकों के शिक्षण एवं प्रतिभूति बाजार के मध्यवर्तियों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देना;
- (छ) प्रतिभूतियों में भेदिया लेन-देन को निषिद्ध करना;
- (ज) शेयरों के पर्याप्त अभिग्रहण तथा कम्पनियों के अधिग्रहण को विनियमित करना;
- (झ) शेयर बाजारों, पारस्परिक निधियों, प्रतिभूति बाजार से जुड़े अन्य व्यक्तियों, शेयर बाजार में मध्यवर्तियों और स्व-विनियामक संगठनों से सूचना मंगवाना, उनका निरीक्षण करना, उनकी जांच एवं लेखा-परीक्षा करना;
- (ञ) (i) किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रतिभूतियों में लेनदेन के सम्बन्ध में स्थापित या गठित किसी भी ऐसे बैंक या किसी भी अन्य प्राधिकरण या बोर्ड या निगम जो बोर्ड द्वारा जांच-पड़ताल या जांच के अधीन हो, से सूचना या रिकार्डों की मांग करना;
- (ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के प्रावधानों के अधीन इस प्रकार के कार्य करना तथा इस प्रकार के/की अधिकारों/शक्तियों का प्रयोग करना जैसा/सी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यायोजित किया गया/की गई हो।
- (ट) इस खण्ड के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुल्क या अन्य प्रभार वसूल करना;
- (ठ) उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए अनुसंधान करना;
- (i) किसी भी ऐसी एजेंसी, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, से या को इस प्रकार की सूचना मंगवाना या देना जो उसके द्वारा उसके कार्यों के कुशल निर्वाह के लिए आवश्यक समझी जाए;
- (ड) इस प्रकार के अन्य कार्य संपादित करना जो निर्धारित किए जाएं।

2. जहां यह विश्वास करने के लिए बोर्ड के पास उपयुक्त आधार मौजूद हों कि इस प्रकार की कम्पनी भेदिया लेन-देन या प्रतिभूति बाजार से सम्बन्धित कपटपूर्ण और अनुचित व्यापार परम्पराओं में लिप्त रही है, वह सूची में शामिल ऐसी किसी भी सार्वजनिक कम्पनी या किसी सार्वजनिक कम्पनी (मध्यवर्ती संस्था नहीं) जो किसी मान्यताप्राप्त शेयर बाजार की सूची में

उसकी प्रतिभूतियों को शामिल कराना चाहती हो, की किसी भी बही या रजिस्टर या अन्य प्रलेख या रिकार्ड का निरीक्षण करने के उपाय करेगा।

3. निम्नलिखित मामलों में वाद पर विचार करते समय बोर्ड को वही अधिकार/शक्तियां प्राप्त होंगे/होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं अर्थात् :

(क) बहियों और खाता-बहियों तथा अन्य प्रलेखों की इस प्रकार के स्थल एवं समय पर खोज और प्रस्तुति जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं;

(ख) व्यक्तियों को बुलवाना और उनकी उपस्थिति प्रवर्तित करना तथा उन्हें शपथ दिलवा कर उनका परीक्षण करना;

(ग) किसी भी व्यक्ति की किसी भी बही, रजिस्टर और अन्य प्रलेखों का किसी भी स्थल पर निरीक्षण;

(घ) कम्पनी की किसी भी बही या रजिस्टर और अन्य प्रलेखों या रिकार्ड का निरीक्षण;

(ङ) साक्षियों या प्रलेखों के परीक्षण हेतु समादेश (commissions) जारी करना।

4. बोर्ड निवेशकों या प्रतिभूति बाजार के हित में लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से एक आदेश द्वारा या तो जांच-पड़ताल या फिर जांच के अनिर्णीत रहने या इस प्रकार की जांच-पड़ताल या जांच के पूरी हो जाने पर निम्नलिखित में से कोई भी उपाय कर सकता है, अर्थात् :

(क) किसी मान्यताप्राप्त शेयर बाजार में किसी भी प्रतिभूति के लेन-देन को निलम्बित कर देना;

(ख) व्यक्तियों को प्रतिभूति बाजार में प्रवेश करने से वर्जित कर देना तथा प्रतिभूति बाजार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को प्रतिभूतियां खरीदने, बेचने और उनका सौदा करने से निषिद्ध कर देना;

(ग) किसी भी शेयर बाजार या स्व-विनियामक संगठन के किसी भी पदाधिकारी को इस प्रकार के पद पर बने रहने से निलम्बित कर देना;

(घ) किसी भी ऐसे लेनदेन से सम्बन्धित प्राप्य राशियों या प्रतिभूतियों को अवरुद्ध कर देना जिसकी जांच-पड़ताल चल रही हो;

(ङ) अधिकार क्षेत्र रखने वाले किसी प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी (Magistrate) द्वारा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत आवेदन पर आदेश पारित किए जाने के बाद इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन से जुड़े किसी भी मध्यवर्ती या प्रतिभूति बाजार से किसी भी विधि से जुड़े किसी भी व्यक्ति के एक या उससे अधिक बैंक खाते या खातों को एक माह से अनधिक अवधि के लिए कुर्क कर देना। यह इस शर्त पर होगा कि जहां तक इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के उल्लंघन से वास्तविक रूप से जुड़ी प्राप्य राशियों का सम्बन्ध है, केवल उसी/उन्हीं बैंक खाते या खातों या उनमें दर्ज किसी भी लेनदेन को कुर्क किए जाने की अनुमति होगी।

(च) प्रतिभूति बाजार से किसी भी विधि से जुड़े किसी भी मध्यवर्ती या व्यक्ति को किसी भी ऐसी आस्ति को निपटाने या हस्तांतरित न करने का निर्देश देना जो किसी ऐसे लेनदेन का अंग हो जिसकी जांच-पड़ताल चल रही है।

प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु धन-याचना करते हुए विवरणिका, प्रस्ताव प्रलेख या विज्ञापन जारी किए जाने को विनियमित या निषिद्ध करने से सम्बन्धित सेबी के /की अधिकार /शक्तियां : कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निवेशकों के संरक्षण हेतु सेबी निम्नलिखित उपाय कर सकता है :

(क) विनियमन के द्वारा विनिर्देश करना:

(i) पूंजी निर्गम, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण से सम्बन्धित मामले तथा उनसे प्रासंगिक अन्य मामले; और

(ii) इस प्रकार के मामले कम्पनी द्वारा जिस विधि से प्रकटित किए जाएंगे;

(ख) सामान्य अथवा विशेष आदेशों द्वारा:

(i) किसी भी कम्पनी को प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु धन-याचना करते हुए विवरणिका, कोई भी प्रस्ताव प्रलेख या विज्ञापन जारी करने से निषेध;

(ii) उन शर्तों का उल्लेख करना जिनके अधीन विवरणिका, इस प्रकार के प्रस्ताव प्रलेख या विज्ञापन, यदि निषिद्ध न किए गए हों, जारी किए जा सकते हैं।

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 21 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सेबी प्रतिभूतियों के सूचीकरण एवं हस्तांतरण की अपेक्षाओं और उससे प्रासंगिक अन्य मामलों का विनिर्देश कर सकता है।

4.2.2 जांच-पड़ताल करने का/की अधिकार/शक्ति

जब सेबी के पास यह विश्वास करने का उपयुक्त आधार मौजूद हो कि :

(क) प्रतिभूतियों में लेनदेन इस विधि से किए जा रहे हैं जो निवेशकों या प्रतिभूति बाजार के लिए हानिकर है; या
 (ख) किसी भी मध्यवर्ती या प्रतिभूति बाजार से जुड़े किसी भी व्यक्ति ने इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों या सेबी द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन किया है।
 वह किसी भी समय लिखित रूप में आदेश द्वारा किसी भी व्यक्ति (इस प्रकार की मध्यवर्ती संस्था या प्रतिभूति बाजार से जुड़े व्यक्ति के कार्यकलापों की जांच-पड़ताल करने के लिए विनिर्दिष्ट) को उसके सम्बन्ध में यथोचित कार्रवाई करने के लिए बोर्ड को रिपोर्ट करने का निदेश दे सकता है।

4.2.3 रोकने और विरत करने की कार्यवाही

जांच कराई जाने की व्यवस्था के बाद यदि सेबी को ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति ने इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया है या उल्लंघन करने वाला है, तो वह एक ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो इस प्रकार के व्यक्ति/यों के लिए इस प्रकार का उल्लंघन करने या करवाने से रुक जाने और विरत होने को आवश्यक बना दे।

4.3 शेयर बाजारों, उप-दलालों, शेयर अन्तरण एजेन्टों आदि का पंजीकरण

1. कोई भी शेयर दलाल, उप-दलाल, शेयर अन्तरण एजेन्ट, किसी निर्गम का बैंकर, न्यास विलेख का न्यासी, किसी निर्गम का पंजीयक, व्यापारी बैंकर, हामीदार, पोर्टफोलियो प्रबन्धक, निवेश सलाहकार तथा इस प्रकार की अन्य मध्यवर्ती संस्था जो प्रतिभूति बाजार से जुड़ी हो सकती है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार सेबी से प्राप्त पंजीकरण प्रमाण पत्र की शर्तों के अधीन और उनके अनुसार को छोड़कर प्रतिभूतियों की खरीद, बिक्री या लेन-देन नहीं करेगा।
 2. जैसा कि बोर्ड इस सम्बन्ध में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे कोई भी निक्षेपागार, सहभागी, प्रतिभूतियों का अभिरक्षक, विदेशी संस्थागत निवेशक, ऋण-निर्धारण एजेन्सी या शेयर बाजार से जुड़ी कोई भी अन्य मध्यवर्ती संस्था इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार सेबी से प्राप्त पंजीकरण प्रमाण पत्र की शर्तों के अधीन और उनके अनुसार को छोड़कर प्रतिभूतियों की खरीद, बिक्री या लेन-देन नहीं करेगा।
 3. कोई भी व्यक्ति जब तक कि वह विनियमों के अनुसार सेबी से पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त कर लेता, जोखिम पूंजी निधियों या पारस्परिक निधियों सहित सामूहिक निवेश योजनाओं को प्रायोजित नहीं करेगा या उनका प्रायोजन नहीं कराएगा या उनका संचालन नहीं करेगा या संचालन नहीं कराएगा।
 4. पंजीकरण हेतु प्रत्येक आवेदन इस विधि से तथा इस प्रकार के शुल्क के भुगतान पर होगा जो विनियमों द्वारा निर्धारित किया जाए।
 5. सेबी किसी पंजीकरण प्रमाण पत्र को आदेश द्वारा इस विधि से निलम्बित या निरस्त कर सकता है जो विनियमों द्वारा निर्धारित की जाए।
- शर्त यह है कि इस उप-धारा के अधीन जब तक कि सम्बन्धित व्यक्ति को सुने जाने का उपयुक्त अवसर न प्रदान कर दिया गया हो, कोई भी आदेश नहीं पारित किया जाएगा।

4.4 सशर्त संस्थागत खरीदार (QIBs)

सशर्त संस्थागत खरीदार (QIBs) वे संस्थागत निवेशक होते हैं, जिन्हें सामान्यतया पूंजी बाजारों का मूल्यांकन करने में विशेषज्ञता तथा उनमें निवेश करने की वित्तीय शक्ति रखने वाला समझा जाता है। प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण (DIP) दिशानिर्देशों के खण्ड 2.2.2 ख (v) के अनुसार किसी सशर्त संस्थागत खरीदार से आशय होगा :

- (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 4 क में यथा परिभाषित सार्वजनिक वित्तीय संस्था;
- (ख) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक;
- (ग) पारस्परिक निधियां;
- (घ) सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक;
- (ङ) बहुराष्ट्रीय एवं द्विपक्षीय विकासपरक वित्तीय संस्थाएं;
- (च) सेबी के पास पंजीकृत जोखिम पूंजी निधियां;
- (छ) सेबी के पास पंजीकृत विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक;
- (ज) राज्य औद्योगिक विकास निगम;
- (झ) बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) के पास पंजीकृत बीमा कम्पनियां;
- (ञ) 25 करोड़ रुपये की न्यूनतम मूल निधि वाली भविष्य निधियां;

(ट) 25 करोड़ रुपये की न्यूनतम मूल निधि वाली पेंशन निधियां;

इन संस्थाओं के लिए सशर्त संस्थागत खरीदारों के रूप में सेबी के पास पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं होती। ऊपर विनिर्दिष्ट श्रेणियों में आने वाली किसी भी संस्था को प्राथमिक बीमा प्रक्रिया में सहभागिता करने के उद्देश्य से सशर्त संस्थागत खरीदार माना जाता है।

4.5 अपनी प्रगति जांचिए

1. सेबी का मुख्य कार्य ----- है।
 - (क) प्रतिभूतियों में निवेश करने वालों के हितों का संरक्षण करना
 - (ख) प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना
 - (ग) प्रतिभूति बाजार का विनियमन करना
 - (घ) उपर्युक्त सभी
2. कुछेक मामलों में सेबी को वही अधिकार/शक्तियां प्राप्त हैं -----।
 - (क) जो किसी वाद पर विचार करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं
 - (ख) जो किसी वाद पर विचार करते समय दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन किसी आपराधिक न्यायालय में निहित हैं
 - (ग) जो कम्पनी विधि बोर्ड में निहित हैं
 - (घ) कोई नहीं
3. निवेशकों की निम्नलिखित श्रेणियों में से एक के लिए प्रतिभूतियों की खरीद, बिक्री या लेन-देन करने के लिए सेबी से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती :
 - (क) शेयर दलाल
 - (ख) पोर्टफोलियो प्रबन्धक
 - (ग) निवेश सलाहकार
 - (घ) खुदरा निवेशक
4. किसी -----के सम्बन्ध में शेयर बाजार के स्वामित्व, प्रबन्धन और व्यापार सम्बन्धी कार्यों को सुस्पष्ट रूप से पृथक कर दिया गया है।
 - (क) कम्पनीकृत शेयर बाजार
 - (ख) निगमीकृत शेयर बाजार
 - (ग) किसी भी शेयर बाजार
 - (घ) कोई नहीं
5. वर्तमान शेयरधारकों को उनके द्वारा पहले से ही धारित शेयरों के अनुपात में नयी प्रतिभूतियों का निर्गम ----- के रूप में जाना जाता है।
 - (क) अधिकार (Rights) निर्गम/अधिकार शेयर
 - (ख) बोनस निर्गम
 - (ग) अधिमान निर्गम
 - (घ) कोई नहीं
6. प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) से आशय है-----जो सूची में न शामिल कोई कम्पनी पहली बार जनता के समक्ष लाती है।
 - (क) प्रतिभूतियों का नया निर्गम
 - (ख) अपनी वर्तमान प्रतिभूतियों को बिक्री हेतु प्रदान करना
 - (ग) उपर्युक्त दोनों ही
 - (घ) कोई नहीं
7. सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार बही-रचना (Book Building) प्रक्रिया में मूल्य-पट्टी में छूट-----होनी चाहिए।
 - (क) आधार मूल्य का कम से कम 10 प्रतिशत
 - (ख) आधार मूल्य के 20 प्रतिशत से अनधिक
 - (ग) कोई सीमा नहीं
 - (घ) कोई नहीं
8. खुदरा वैयक्तिक निवेशक से आशय है एक ऐसा निवेशक जो-----आवेदन करता है या बोली लगाता है।
 - (क) 1,00,000 रुपये से अनधिक की प्रतिभूतियों के लिए या मूल्य के लिए
 - (ख) 1,00,000 रुपये से अनधिक अंकित मूल्य वाली प्रतिभूतियों के लिए
 - (ग) 1000 इकाइयों की प्रतिभूतियों के लिए
 - (घ) कोई नहीं
9. सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार सुरक्षा पाश (safety net) व्यवस्था केवल -----को ही उपलब्ध कराई जा सकती है।
 - (क) प्रति आवंटी अधिकतम 1000 शेयरों तक सीमित सभी मूल निवासी वैयक्तिक आवंटियों
 - (ख) प्रति आवंटी अधिकतम 1000 शेयरों तक सीमित सभी मूल आवंटियों

- (ग) प्रति शेयरधारक अधिकतम 1000 शेयरों तक सीमित सभी शेयरधारकों
(घ) कोई नहीं
10. लाल लहरदार बखिये वाली (Red Herring) विवरणिका एक ऐसी विवरणिका होती है----- ।
(क) जो लाल रंग में जारी की जाती है
(ख) जिसमें कुछेक खण्ड लाल रंग में होते हैं
(ग) जिसमें मूल्य या प्रस्तावित किए जा रहे शेयरों की संख्या या निर्गम की रकम के ब्यौरे नहीं होते
(घ) कोई नहीं

4.6 'अपनी प्रगति जांचिए' के उत्तर

1. (घ), 2. (क), 3. (घ), 4. (क), 5. (क), 6. (ग), 7. (ख), 8. (क), 9. (क), 10. (ग)

4.7 प्रमुख शब्द

Collective Investment Scheme	सामूहिक निवेश योजना
Equity Shares	इक्विटी शेयर
Rolling settlement	चल समझौता
Offer document	प्रस्ताव प्रलेख
Safety net	सुरक्षा पाश

इकाई 5

पारस्परिक निधियों की भूमिका एवं कार्य

रूपरेखा

5.0 उद्देश्य

5.1 पारस्परिक निधि क्या है ?

5.2 पारस्परिक निधियों का प्रबन्धन

5.3 विभिन्न प्रकार की पारस्परिक निधि योजनाएं

5.3.1 पुनर्खरीद या मोचन मूल्य

5.4 पूंजी बाजार में पारस्परिक निधियों की भूमिका

5.5 अपनी प्रगति जांचिए

5.6 'अपनी प्रगति जांचिए' के उत्तर

5.7 प्रमुख शब्द

5.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन कर लेने पर आप निम्नलिखित में समर्थ हो जाएंगे :

- भारत में पारस्परिक निधियों की संकल्पना को समझने,
- पारस्परिक निधि से सम्बन्धित विनियामक अपेक्षाओं के बारे में जानने,
- विभिन्न प्रकार की पारस्परिक निधि योजनाओं के बारे में जानने,
- पारस्परिक निधियों की कार्यप्रणाली में मध्यवर्तियों/वितरकों की भूमिका को समझने,
- सर्वव्यापी बैंकिंग की संकल्पना को समझने।

5.1 पारस्परिक निधि क्या है ?

पारस्परिक निधि जनता को यूनितें जारी करने के माध्यम से उससे प्राप्त संसाधनों को समूहित करने तथा इस विधि से एकत्रित निधियों को प्रस्ताव प्रलेख में यथा प्रकटित उद्देश्यों के अनुसार प्रतिभूतियों में निवेश करने की एक व्यवस्था है। पारस्परिक निधि निवेशकों को यूनितें उनके द्वारा निवेश किए गए धन की मात्रा के अनुसार जारी करती है। पारस्परिक निधियों के निवेशकों को यूनित धारक के रूप में जाना जाता है। निधि/योजना के लाभों/हानियों में निवेशकों द्वारा हिस्सेदारी उनके निवेशों के अनुपात में की जाती है। किसी पारस्परिक निधि का सेबी के पास पंजीकृत होना आवश्यक होता है, जो प्रतिभूति बाजारों का, उनके द्वारा जनता से निधियां एकत्रित किए जा सकने के पहले विनियमन करता है। सेबी निवेशकों के हितों का संरक्षण करने हेतु नीतियां निर्धारित करता है और पारस्परिक निधियों का विनियमन करता है।

5.2 पारस्परिक निधियों का प्रबन्धन

पारस्परिक निधि का गठन एक ऐसे न्यास के रूप में किया जाता है जिसमें प्रायोजकों, न्यासियों, आस्ति प्रबन्धन कम्पनियों (AMCs) और अभिरक्षकों का समावेश होता है। उक्त न्यास एक प्रायोजक या एक से अधिक प्रायोजकों द्वारा स्थापित किया जाता है। प्रायोजक किसी कम्पनी के प्रवर्तक की भांति होता है। पारस्परिक निधि के न्यासी उसकी सम्पत्तियों को यूनित धारकों के लाभार्थ धारित करते हैं। सेबी द्वारा अनुमोदित एक आस्ति प्रबन्धन कम्पनी (AMC) विविध प्रकार की प्रतिभूतियों में निवेश के माध्यम से निधियों का प्रबन्धन करती है। एक अभिरक्षक, जो सेबी के पास पंजीकृत भी होता है, उक्त निधि की विविध योजनाओं की प्रतिभूतियों को अपने अभिरक्षण में रखता है। न्यासियों में आस्ति प्रबन्धन कम्पनी के अधीक्षण एवं निर्देश के/की सामान्य अधिकार /शक्ति निहित होते होती हैं। वे पारस्परिक निधियों के कार्य-निष्पादन और सेबी के विनियमों के अनुपालन पर निगरानी रखते हैं।

सेबी के विनियमों में यह अपेक्षित है कि न्यासी कम्पनी या न्यासी बोर्ड के कम से कम दो-तिहाई निदेशक आवश्यक रूप से स्वतंत्र हों अर्थात् उन्हें प्रयोजक से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आरिस्ट प्रबन्धन कम्पनी के 50 प्रतिशत निदेशकों को भी आवश्यक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए।

पारस्परिक निधि की किसी विशिष्ट योजना के कार्य-निष्पादन का पता निवल आरिस्ट मूल्य (NAV) से चलता है। प्रति यूनिट निवल आरिस्ट मूल्य किसी योजना की प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य होता है, घटाएँ योजना पर हुए खर्च, किसी विशिष्ट तिथि को योजना की यूनिटों की कुल संख्या से विभाजित करें। पारस्परिक निधियों द्वारा निवल आरिस्ट मूल्य को नियमित आधार पर -योजना के प्रकार पर निर्भर करते हुए प्रकट किया जाना आवश्यक होता है।

5.3 विभिन्न प्रकार की पारस्परिक निधि योजनाएं

किसी पारस्परिक निधि योजना को उसकी परिपक्वता अवधि के आधार पर असीमित अवधि वाली निधि और सीमित अवधि वाली निधि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। किसी योजना के निवेश उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसे संवृद्धि निधि, आय निधि या संतुलित निधि के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है।

असीमित अवधि वाली योजना/प्लान : असीमित अवधि वाली योजना/योजना-चित्र वह है जो अभिदान और पुनर्खरीद हेतु निरंतर आधार पर उपलब्ध रहती है। इन योजनाओं में नियत परिपक्वता अवधियां नहीं होतीं। निवेशक निवल आरिस्ट मूल्य (NAV), जो दैनिक आधार पर घोषित किए जाते हैं, पर यूनिटें सुविधापूर्वक खरीद और बेच सकते हैं। पारस्परिक निधि नियमित रूप से यूनिटें खरीदती और बेचती है। असीमित अवधि वाली योजनाओं की प्रमुख विशेषता होती है चलनिधि।

सीमित अवधि वाली योजना/प्लान : सीमित अवधि वाली योजना/प्लान में परिपक्वता अवधि विनिर्दिष्ट होती है, यथा 3 से लेकर 5 वर्ष तक। यह निधि अभिदान के लिए उसकी शुरुआत के समय केवल विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान खुली रहती है। निवेशक इस योजना में प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के समय निवेश कर सकते हैं तथा उसके बाद वे इस योजना की यूनिटें उनके किसी मान्यताप्राप्त शेयर बाजार की सूची में शामिल होने पर शेयर बाजार में खरीद या बेच सकते हैं। निवेशकों को गमन-मार्ग (exit route) प्रदान करने के उद्देश्य से कुछेक सीमित अवधि वाली निधियां यूनिटों को निवल आरिस्ट मूल्य से सम्बद्ध कीमतों पर पारस्परिक निधियों को वापस बेच देने का विकल्प देती हैं। सेबी विनियम में यह निर्धारित किया गया है कि निवेशक को दो में से कम से कम एक गमन-मार्ग अर्थात् पुनर्खरीद सुविधा या शेयर बाजार की सूची में समावेश उपलब्ध कराया जाए। ये पारस्परिक निधि योजनाएं निवल आरिस्ट मूल्य का प्रकटन सामान्यतया साप्ताहिक आधार पर करती हैं।

संवृद्धि योजना / इक्विटी उन्मुख योजना ; संवृद्धि निधियों का लक्ष्य मध्यम से लेकर दीर्घ अवधियों में पूंजी अधिमूल्यन प्रदान करना होता है। इस प्रकार की योजनाएं सामान्यतया उनकी मूल निधि का काफी बड़ा हिस्सा इक्विटियों में निवेश करती हैं। इस प्रकार की निधियों में तुलनात्मक रूप से अधिक जोखिम होते हैं। ये योजनाएं निवेशकों को लाभांश विकल्प, पूंजी अधिमूल्यन आदि जैसे विभिन्न विकल्प प्रदान करती हैं तथा निवेशक उनके अधिमानों के आधार पर एक विकल्प का चयन कर सकते हैं।

आय योजना/ ऋण-उन्मुख योजना : आय निधियों का लक्ष्य निवेशकों को नियमित और स्थिर आय प्रदान करना होता है। इस प्रकार की योजनाएं सामान्यतया बॉण्डों, कम्पनी डिबेंचरों, सरकारी प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजार के लिखतों जैसी स्थिर आय वाली प्रतिभूतियों में निवेश करती हैं। इस प्रकार की निधियां इक्विटी योजनाओं की तुलना में कम जोखिमपूर्ण होती हैं। ये निधियां इक्विटी बाजारों में होने वाले उतार-चढ़ावों से प्रभावित नहीं होतीं। हालांकि, इस प्रकार की निधियों में पूंजी अधिमूल्यन के अवसर भी सीमित होते हैं। इस प्रकार की निधियों के निवल आरिस्ट मूल्य देश में ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण प्रभावित होते हैं। यदि ब्याज दरों में गिरावट आती है, तो इस प्रकार की निधियों के निवल आरिस्ट मूल्य में अल्प-काल में ही बढोत्तरी हो जाने तथा इसके विपरीत स्थिति की संभावना रहती है।

संतुलित प्लान/योजना : संतुलित योजनाओं का उपयोग संवृद्धि एवं नियमित आय, दोनों ही उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है, इसीलिए ये योजनाएं इक्विटियों और स्थिर आय वाली प्रतिभूतियों, दोनों ही में उनके प्रस्ताव प्रलेख में वर्णित अनुपात में निवेश करती हैं। वे सामान्यतया 40-60 प्रतिशत निवेश इक्विटी और ऋण लिखतों में करती हैं। ये निधियां भी शेयर बाजार

में शेयर मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव द्वारा प्रभावित होती हैं। हालांकि इस प्रकार की निधियों के निवल आस्ति मूल्य के विशुद्ध इक्विटी निधियों की तुलना में कम अस्थिर होने की संभावना रहती है।

मुद्रा बाजार या नकदी (liquid) निधि: ये निधियां भी आय निधि होती हैं तथा उनका लक्ष्य सहज चलनिधि, पूंजी परिरक्षण उपलब्ध कराना तथा सामान्य आय सुनिश्चित करना होता है। ये योजनाएं अनन्य रूप से खजाना बिलों, जमा प्रमाण पत्रों, वाणिज्यिक पत्र तथा अन्तर-बैंक मांग मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियों आदि जैसे अपेक्षाकृत सुरक्षित अल्पावधिक लिखतों में निवेश करती हैं। इन योजनाओं पर प्रतिलाभ में घट-बढ़ अन्य निधियों के मुकाबले काफी कम होती है।

श्रेष्ठ (Gilt) निधि : ये निधियां अनन्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करती हैं। सरकारी प्रतिभूतियों में चूक जोखिम नहीं रहता। इन योजनाओं का निवल आस्ति मूल्य भी आय और ऋण उन्मुख योजनाओं के मामले में यथा परिलक्षित प्रवृत्ति की भांति ही ब्याज दरों में परिवर्तन और अन्य आर्थिक कारकों के कारण घटता-बढ़ता रहता है।

सूचकांक निधि : सूचकांक निधियां बम्बई शेयर बाजार का संवेदनशील सूचकांक, एस एवं पी राष्ट्रीय शेयर बाजार 50 सूचकांक (निफ्टी) आदि जैसे किसी विशिष्ट सूचकांक पोर्टफोलियो की प्रतिकृति होती हैं। ये योजनाएं प्रतिभूतियों में निवेश किसी सूचकांक में शामिल भारिता (weightage) में ही करती हैं। इस प्रकार की योजनाओं के निवल आस्ति मूल्य में सूचकांक में होने वाली वृद्धि या कमी के अनुसार बढ़ोत्तरी या गिरावट आती है, यद्यपि वह तकनीकी शब्दावली में 'ट्रैकिंग त्रुटि' (tracking error) रूप में ज्ञात कुछेक कारकों की वजह से उतने ही प्रतिशत में नहीं होती। पारस्परिक निधियों द्वारा आरंभ की गई शेयर बाजार में लेन-देन में प्रयुक्त होने वाली सूचकांक निधियां भी अस्तित्व में हैं, जिनका शेयर बाजारों में लेन-देन किया जाता है।

क्षेत्र-विशिष्ट निधिया : ये ऐसी निधिया/योजनाएं होती हैं जो केवल उन्हीं क्षेत्रों या उद्योगों में निवेश करती हैं जिनका प्रस्ताव प्रलेख में उल्लेख रहता है यथा- फार्मास्युटिकल्स, सॉफ्टवेयर, त्वरित गति से वृद्धिशील उपभोक्ता सामान (FMCG), पेट्रोलियम स्टॉक आदि। इन निधियों में प्रतिलाभ सम्बन्धित क्षेत्रों/उद्योगों के कार्य-निष्पादन पर निर्भर करते हैं। जहां ये निधियां अपेक्षाकृत अधिक प्रतिलाभ दिला सकती हैं, वहीं वे विविधीकृत निधियों की तुलना में अधिक जोखिमपूर्ण होती हैं। निवेशकों के लिए यह आवश्यक है कि वे उन क्षेत्रों/उद्योगों के कार्य-निष्पादन पर सतर्क नजर रखें तथा अनुकूल समय आने पर उस निवेश से आवश्यक रूप से मुक्ति पा लें। वे किसी विशेषज्ञ की सलाह भी ले सकते हैं।

कर बचाने वाली योजनाएं : ये योजनाएं निवेशकों को आय कर अधिनियम, 1961 के विशिष्ट प्रावधानों के अधीन कर में छूट प्रदान करती हैं, क्योंकि सरकार विशिष्ट क्षेत्रों यथा- इक्विटी सम्बद्ध बचत योजना (ELSS) में निवेश हेतु कर प्रोत्साहन प्रदान करती है। पारस्परिक निधियों द्वारा आरंभ की गई पेंशन योजनाएं भी कर-लाभ प्रदान करती हैं। ये योजनाएं प्रमुख रूप से इक्विटियों में संवृद्धि एवं निवेश-उन्मुख होती हैं। उनमें निहित संवृद्धि के अवसर तथा उनसे जुड़े जोखिम किसी भी इक्विटी-उन्मुख योजना की ही भांति होते हैं।

निधियों की निधि (FOF) : वह योजना जो प्राथमिक रूप से उसी पारस्परिक निधि या अन्य पारस्परिक निधियों में निवेश करती है, निधियों की निधि (FOF) योजना के रूप में जानी जाती है। निधियों की निधि योजना निवेशकों को एक ही योजना के माध्यम से अधिकाधिक विविधीकरण लाने में समर्थ बनाती है। यह जोखिमों को वृहत्तर लोक में फैला देती है।

5.3.1 पुनर्खरीद या मोचन मूल्य :

पुनर्खरीद या मोचन मूल्य वह मूल्य या निवल आस्ति मूल्य होता है जिस पर सीमित अवधि वाली योजना यूनिट धारकों से उसकी यूनिटें खरीदता या मोचित करता है। प्रत्येक योजना या निधि में निहित प्रावधानों के अधीन सामान्यतया यह देखा जाता है कि निधि गृह एक निर्गम भार (exit load) निर्धारित करते हैं। इस प्रकार किसी योजना से बाहर निकलने वाले निवेशक को निवल आस्ति मूल्य घटाएं निर्गम भार, यदि कोई हो, के बराबर एक रकम प्राप्त होगी।

आश्वासित प्रतिलाभ योजना : आश्वासित प्रतिलाभ योजनाएं वे योजनाएं होती हैं जो योजना के कार्य-निष्पादन पर ध्यान दिए बिना यूनिट धारकों को एक विशिष्ट प्रतिलाभ का आश्वासन देती हैं।

जब तक इस प्रकार के प्रतिलाभ प्रायोजकों या आरिस्त प्रबन्धन कम्पनी द्वारा पूर्णरूपेण गारंटीकृत न हों कोई योजना प्रतिलाभ का वचन नहीं दे सकती और प्रस्ताव प्रलेख में इसे प्रकटित किया जाना आवश्यक होता है।

5.4 पूंजी बाजार में पारस्परिक निधियों की भूमिका

भारत में निवेश करने वाली जनता के लिए पारस्परिक निधियां एक महत्वपूर्ण वित्तीय मध्यवर्ती के रूप में उभर रही हैं। संकल्पनात्मक एवं परिचालनात्मक रूप से वे बैंक से भिन्न होती हैं। पारस्परिक निधियों को सम्पूर्ण देश में फैले विशाल संख्या में निवेशकों तक लाने वाला मुख्य चैनल मध्यवर्तियों/वितरकों का नेटवर्क है। इन मध्यवर्तियों/वितरकों को निवेशकों के वित्तीय सलाहकारों की भूमिका भी निभानी होगी।

सेबी ने पारस्परिक निधि उत्पादों के विपणन एवं उनकी बिक्री में संलग्न किसी भी संस्था/व्यक्ति के लिए भारतीय पारस्परिक निधि संघ (AMFI) की प्रमाण पत्र परीक्षा (सलाहकर खण्ड) उत्तीर्ण करना और भारतीय पारस्परिक निधि संघ (AMFI) से एक पंजीकरण संख्या प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। फर्मों और कम्पनियों को भारतीय पारस्परिक निधि संघ (AMFI) से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा पारस्परिक निधि उत्पादों की बिक्री और विपणन करने में संलग्न कार्पोरेट वितरकों के सभी कर्मचारियों को पारस्परिक निधियों के व्यवसाय की अभ्यर्थना करने से पहले भारतीय पारस्परिक निधि संघ (AMFI) की प्रमाण पत्र परीक्षा (सलाहकर खण्ड) उत्तीर्ण करना और भारतीय पारस्परिक निधि संघ (AMFI) से पंजीकरण प्राप्त करना होगा।

इन दिनों बैंक भी अपने आप को कार्पोरेट वितरकों के रूप में नामांकित कराते हैं तथा उन्होंने अपने विशाल शाखा नेटवर्क और विद्यमान आधारभूत संरचना का उपयोग करते हुए पारस्परिक निधि उत्पादों का विपणन आरंभ कर दिया है। चूंकि पारस्परिक निधियां वितरकों को दलाली/कमीशन के रूप में अभ्यर्थित (लाए गए) कारोबार का लगभग 1.5 से लेकर 2.5 प्रतिशत तक भुगतान करती हैं, बैंकों को भी शुल्क-आधारित आय का उपार्जन करने का एक अतिरिक्त अवसर मिल जाता है। इसके अलावा, पारस्परिक निधि उत्पाद वित्तीय उत्पादों के उनके उस गुलदस्ते के लिए अनुकूल भी सिद्ध होते हैं, जिसे वित्तीय सुपर बाजार के रूप में एक ही छत के नीचे बेचा जा सकता है।

5.5 अपनी प्रगति जांचिए

1. पारस्परिक निधि का गठन -----के रूप में किया जाता है।

- (क) न्यास
- (ख) भारतीय कम्पनी अधिनियम के अधीन निगमित एक कम्पनी
- (ग) संसद के एक अधिनियम द्वारा
- (घ) कोई नहीं

2. पारस्परिक निधि में उसके प्रायोजकों के अलावा-----शामिल रहते हैं।

- (क) न्यासी
- (ख) आरिस्त प्रबन्धन कम्पनी
- (ग) अभिरक्षक
- (घ) उपर्युक्त सभी

3. आरिस्त प्रबन्धन कम्पनी का मुख्य कार्य -----है।

- (क) विविध योजनाओं की प्रतिभूतियों को धारित करना
- (ख) विविध प्रकार की प्रतिभूतियों में निवेश के माध्यम से निधियों का प्रबन्धन करना
- (ग) उसकी सम्पत्ति को यूनिट धारकों के लाभार्थ धारित करना
- (घ) उपर्युक्त सभी

4. पारस्परिक निधियों द्वारा निवल आरिस्त मूल्य को -----आधार पर प्रकटित किया जाना आवश्यक होता है।

- (क) दैनिक
- (ख) साप्ताहिक
- (ग) योजना के प्रकार पर निर्भर करते हुए
- (घ) कोई नहीं

5. निधियों की निधि (FOF) वह योजना होती है जो प्राथमिक रूप से -----निवेश करती है।

- (क) मुद्रा बाजार के लिखतों में
- (ख) उसी पारस्परिक निधि या अन्य पारस्परिक निधियों की अन्य योजनाओं में
- (ग) सराफा बाजार में
- (घ) केवल प्राथमिक बाजार में

6. संतुलित निधियों का लक्ष्य -----प्रदान करना होता है।
(ख) संवृद्धि (पूंजी अधिमूल्यन) (ख) नियमित आय
(ग) संवृद्धि और नियमित आय, दोनों ही (घ) कोई नहीं
7. सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार पारस्परिक निधि उत्पादों के विपणन एवं बिक्री में संलग्न किसी भी संस्था/व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह -----से प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण करे तथा एक पंजीकरण संख्या प्राप्त करे।
(ख) सेबी (ख) भारतीय पारस्परिक निधि संघ (AMFI)
(ग) राष्ट्रीय शेयर बाजार (NSE) (घ) कोई नहीं

5.8 अपनी प्रगति जांचिए के उत्तर

1. (क), 2. (घ), 3. (ख), 4. (ग), 5. (ख), 6. (ग), 7. (ख)

5.8 प्रमुख शब्द

Custodian
Asset Management Company (AMC)
Net Asset Value (NAV)
Universal Banking

अभिरक्षक
आस्ति प्रबन्धन कम्पनी
निवल आस्ति मूल्य
सर्वव्यापी बैंकिंग

इकाई 6

बीमा कम्पनियों, बैंकबीमा और बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) की भूमिका एवं उनके कार्य

रूपरेखा

6.0 उद्देश्य

6.1 बीमा कम्पनियों की भूमिका एवं उनके कार्य

- 6.1.1 प्रस्तावना
- 6.1.2 भारतीय बीमा बजार में प्रतिस्पर्धी (Players)
- 6.1.3 बीमा क्षेत्र का निजी प्रतिस्पर्धियों की सहभागिता हेतु मुक्त कर दिया जाना
- 6.1.4 उद्योग की विनियामक अपेक्षाएं
- 6.1.5 बीमा व्यवसाय के प्रकार
- 6.1.7 जीवन बीमा
- 6.1.8 जीवन बीमा वित्तीय संरक्षण के लाभ
- 6.1.9 सामूहिक बीमा योजनाएं
- 6.1.10 एजेन्ट और बीमा मध्यवर्ती

6.2 बैंकबीमा (Bancassurance)

- 6.2.1 भारत में बैंकबीमा
- 6.2.2 बैंकिंग और बीमा का अभिसरण
- 6.2.3 बैंकबीमा प्रतिमान (Models)

6.3 बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA)

- 6.3.1 बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) के कर्तव्य, अधिकार / शक्तियां एवं कार्य

6.4 अपनी प्रगति जांचिए

6.5 'अपनी प्रगति जांचिए' के उत्तर

6.6 प्रमुख शब्द

6.0 उद्देश्य

इस इकाई का गहन अध्ययन पाठकों को निम्नलिखित में सक्षम बनाएगा:

- भारत में बीमा उद्योग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने,
- उद्योग की विनियामक अपेक्षाओं को जानने,
- विभिन्न प्रकार की बीमा पॉलिसियों और प्रचलन में लाए गए नये उत्पादों को जानने,
- बैंकबीमा और उसके प्रतिमानों (मॉडलों) के बारे में जानने,
- बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण और उसके कार्यों एवं अधिकारों (शक्तियों) के बारे में जानने,
- उद्योग में मध्यवर्तियों/एजेन्टों की भूमिका तथा उनकी लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को जानने।

6.1 बीमा कम्पनियों की भूमिका एवं उनके कार्य

भारतीय बीमा उद्योग उतना ही पुराना है जितना कि वह विश्व के अन्य भागों में है। भारत में पहली बीमा कम्पनी की शुरुआत 1818 में कोलकाता में की गई थी। जब तक इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था कई एक भारतीय और विदेशी बीमाकर्ता भारतीय बाजार में परिचालन कर रहे थे। इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण के कारण अधिकतर कुछ प्रतिस्पर्धियों द्वारा

बीमा उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध अपनाई जाने वाली अनैतिक परम्पराओं से सम्बन्धित थे। राष्ट्रीयकरण ने इस उद्योग को सुदृढ़ता, संवृद्धि एवं फैलाव प्रदान किया, जो अनुपम है। हालांकि, इन उपलब्धियों के साथ ही बाजार की आवश्यकताओं के प्रति असंवेदनशीलता की भावना भी पनपी, तकनीकी कौशलों को समुन्नत करने के लिए आधुनिक परम्पराएं अपनाने में शिथिलता के साथ-साथ निष्क्रियता की अनुभूति होने लगी, जिसके फलस्वरूप जनता में यह भावना पैदा हुई कि बीमा उद्योग ग्राहकों की आवश्यकताओं के प्रति पूर्णतः अनुक्रियाशील नहीं है। बीमा क्षेत्र में सुधारों से सम्बन्धित समिति ने बीमा क्षेत्र में सुधारों के प्रश्न पर विचार किया तथा 1994 में यह सिफारिश की कि विविध बीमाकर्ताओं में प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करने के लिए तथा उपभोक्ताओं को विकल्प प्रदान करने के लिए उक्त क्षेत्र को निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए मुक्त कर दिया जाए। समिति को यह भी आशा थी कि उद्योग को इस प्रकार का व्यापक आधार प्रदान कर दिए जाने से देश के बीमा बाजार की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के अनुरूप बेहतर पैठ सुनिश्चित होगी , जो एशियाई क्षेत्र के कुछेक विकसशील देशों की तुलना में अत्यधिक कम स्तर पर स्थिर है।

6.1.2 भारतीय बीमा बाजार में प्रतिस्पर्धी (Players)

वर्ष 1999-2000 तक बीमा उद्योग में मुख्यतः दो प्रतिस्पर्धियों का समावेश था। जीवन बीमा खण्ड में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) एकमात्र प्रतिस्पर्धी था और सामान्य बीमा खण्ड में भारतीय सामान्य बीमा निगम (GIC) उसकी चार अनुषंगी कम्पनियों, नामतः

- (क) दि ओरियंटल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
- (ख) दि न्यू इंडिया अश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
- (ग) नेशनल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
- (घ) यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

सहित प्रतिस्पर्धी था।

भारतीय सामान्य बीमा निगम (GIC) राष्ट्रीय बीमाकर्ता के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है और इन चारों अनुषंगी कम्पनियों को मूल कम्पनी से असम्बद्ध कर दिया गया है तथा (दिसम्बर 2000 से) स्वतंत्र इश्योरेंस कम्पनी बना दिया गया है।

6.1.3 बीमा क्षेत्र का निजी प्रतिस्पर्धियों की सहभागिता हेतु मुक्त कर दिया जाना

निजी प्रतिस्पर्धियों के उद्योग में प्रवेश को सुगम बनाते हुए बीमा क्षेत्र को वर्ष 1999 में मुक्त कर दिया गया। जिनके पर्याप्त रूप से दीर्घावधिक हित जुड़े थे तथा जिनके पास प्रवर्तकों से इक्विटी अंशदानों के माध्यम से जब तक परिचालनों में स्थिरता नहीं आ जाती उस समय तक निरंतर रूप से निधियां जुटाने की क्षमता मौजूद थी, उन्हें छोड़कर अन्य कम्पनियों को रोकने के लिए प्रवेश स्तर की पूंजी आवश्यकताएं 1 करोड़ रुपये के स्तर पर पर्याप्त रूप से अधिक रखी गई थीं। बीमा कम्पनियों के परिचालन हेतु जो विनियामक ढांचा तैयार किया गया था, उसमें बीमाकर्ताओं के लिए आधारभूत नियम निर्धारित किए गए थे तथा वे सरकार द्वारा स्वाधिकृत और निजी बीमाकर्ताओं, दोनों ही को समान रूप से लागू होते थे।

नये परिवेश ने प्रतियोगी स्थितियों का निर्माण किया है तथा उद्योग ने जीवन और सामान्य, दोनों ही खण्डों में ठोस संवृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई है। नये प्रतिस्पर्धियों ने न केवल अपने-आप को प्रमाणित करने में सफलता प्राप्त की है , अपितु उन्होंने एक अच्छे बाजार अंश पर कब्जा भी जमा लिया है। वर्तमान बीमाकर्ता भी उनके द्वारा बीमाकृत प्रीमियमों में संवृद्धि दर्शाने में समर्थ हुए हैं।

बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) की वार्षिक रिपोर्ट 2005-06 के अनुसार इस समय 14 जीवन और सामान्य बीमा कम्पनियां हैं। सामान्य बीमा कम्पनियों में से दो विशिष्टीकृत बीमा कम्पनियां हैं -यथा कृषि बीमा कम्पनी, जो फसल बीमा व्यवसाय का संचालन करती है और निर्यात ऋण गारंटी निगम, जो केवल निर्यात ऋण बीमा का ही संचालन करती है।

भारत में पंजीकृत बीमाकर्ताओं की संख्या

तालिका 6.1 : भारत में पंजीकृत बीमाकर्ता

व्यवसाय के प्रकार	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग
जीवन बीमा	1	13	14
सामान्य बीमा	6	8	14
पुनर्बीमा	1	0	1
योग	8	21	29

6.1.4 उद्योग की विनियामक अपेक्षाएं

देश में बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय को विनियमित एवं विकसित करने के लिए बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अनुसार वर्ष 2000 में बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) की एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापना की गई। उक्त प्राधिकरण को बीमाकर्ताओं के पंजीकरण, उनके व्यवसाय संचालन, शोधक्षमता मार्जिनों, पुनर्बीमा व्यवसाय के संचालन, लाइसेंसीकरण और विश्वव्यापी स्तर पर स्वीकार्य मानकों के क्षेत्र में आवश्यक विनियमन का कार्य सौंपा गया है।

6.1.5 बीमा व्यवसाय के प्रकार

बीमा व्यवसाय को चार वर्गों में विभाजित किया गया है :

- | | |
|------------------|-------------------|
| (क) जीवन बीमा | (ख) अग्नि बीमा |
| (घ) समुद्री बीमा | (घ) प्रकीर्ण बीमा |

जीवन बीमा जीवन बीमा व्यवसाय का संचालन करता है; सामान्य बीमा शेष व्यवसाय का संचालन करता है। कानून के अनुसार किसी प्रकार के समझौते की अनुमति नहीं है।

विधान : भारत में बीमा संघीय विषय है। भारत में बीमा व्यवसाय से सम्बन्धित प्राथमिक विधान निम्नानुसार हैं :

बीमा अधिनियम, 1938, और

बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999.

6.1.6 बीमा उत्पाद

जीवन बीमा

लोकप्रिय उत्पाद : बन्दोबस्ती बीमा (सहभागी), धन-वापसी (सहभागी) और सावधि बीमा (गैर-सहभागी) पॉलिसियां। जीवन बीमा व्यवसाय का 80 प्रतिशत से अधिक कारोबार इन्हीं उत्पादों से होता है।

सामान्य बीमा

अग्नि और प्रकीर्ण बीमा व्यवसाय मुख्यतः इसी श्रेणी में आते हैं मोटर वाहन बीमा अनिवार्य होता है।

प्रशुल्क (टैरिफ) सलाहकार समिति (TAC) कुछेक सामान्य बीमा उत्पादों की टैरिफ दरें निर्धारित करती है।

जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा कतिपय नये उत्पादों की शुरुआत की गई है। इनमें यूनिट सम्बद्ध बीमा उत्पाद (ULIP) शामिल हैं।

बीमा संविदा

बीमा संविदा अत्यधिक सद्भाव वाली संविदा होती है जिसे तकनीकी रूप से प्रचुर आस्था के रूप में जाना जाता है। सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकटित करने का सिद्धान्त इस महत्वपूर्ण सिद्धान्त में सन्निहित होता है, जो सभी प्रकार के बीमों के लिए लागू होता है।

कोई पॉलिसी खरीदते समय पॉलिसी धारक को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रस्ताव फार्म में सभी प्रश्नों के उत्तर दिए सही ढंग से दिए गए हों। किसी भी प्रलेख में किसी भी प्रकार का अन्यथा कथन, अप्रकटन या ऐसी धोखाधड़ी, जो जोखिमों की स्वीकार्यता को जन्म दे, बीमा संविदा को अकृत और शून्य बना देगी।

6.1.7 जीवन बीमा

जीवन बीमा एक ऐसी संविदा होती है जो बीमित व्यक्ति (अथवा उसके नामिती) को वह जिसके विरुद्ध बीमित है उस घटना के (घटित) हो जाने पर किसी रकम के भुगतान का वचन देती है।

उक्त संविदा निम्नलिखित के दौरान बीमित रकम के भुगतान हेतु वैध होती है :

- परिपक्वता की तिथि, या
- आवधिक अंतरालों पर विनिर्दिष्ट तिथियां, या
- दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु, यदि वह समय से पहले होती है।

अन्य बातों के साथ-साथ संविदा में पॉलिसीधारक द्वारा बीमाकर्ता को समय-समय पर प्रीमियम के भुगतान की भी व्यवस्था होती है। जीवन बीमा को वैश्विक स्तर पर ऐसी व्यवस्था माना जाता है, जो 'जोखिम' को समाप्त कर देता है, अनिश्चितता को निश्चितता में बदल देता है तथा रोटी कमाने वाले की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में परिवार की समय पर सहायता के लिए पहुंच जाता है।

कमो-बेश जीवन बीमा मृत्यु द्वारा निर्मित समस्याओं के बारे में सभ्यता का आंशिक समाधान होता है। संक्षेप में जीवन बीमा उन दो खतरों से सम्बन्धित होता है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उपस्थित होते हैं।

1. समय-पूर्व मृत्यु आश्रित परिवार को अपनी रक्षा स्वयं करने हेतु छोड़ देना।
2. सहायता के किसी दृश्य साधन के बिना वृद्धावस्था तक जीना।

6.1.8 जीवन बीमा के लाभ : वित्तीय संरक्षण

जीवन बीमा के माध्यम से बचतें बचतकर्ता की मृत्यु के जोखिम के समक्ष संरक्षण की गारंटी देती हैं। इसके अलावा, मृत्यु हो जाने की स्थिति में, जीवन बीमा समस्त बीमित रकम (जहां कहीं लागू हो बोनसों सहित) के भुगतान का आश्वासन देता है, जबकि अन्य बचत योजनाओं में केवल बचाई गई रकम (ब्याज सहित) देय होती है।

किफायत को मदद : जीवन बीमा 'मितव्यय' (किफायत) को प्रोत्साहित करता है। यह दीर्घ-कालिक बचतों की अनुमति देता है, क्योंकि योजना में अन्तर्निहित 'सरल किस्त सुविधा' के कारण भुगतान प्रयत्न-रहित रूप से किए जा सकते हैं। बीमा प्रीमियम के भुगतान मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक आधार पर किए जा सकते हैं।

उदाहरण के लिए : आम तौर से एस एस एस के रूप में ज्ञात वेतन बचत योजना व्यक्ति के वेतन से रकम की कटौती करते हुए प्रत्येक माह प्रीमियम के भुगतान की सुविधाजनक पद्धति उपलब्ध कराती है।

इस मामले में नियोजक काटे गए प्रीमियम का बीमाकर्ता को सीधे भुगतान करता है।

चलनिधि : जिसने ऋण मूल्य अर्जित कर लिया है, ऐसी पॉलिसी की एकल प्रतिभूति पर ऋण प्राप्त करना सरल होता है। इसके अलावा, किसी जीवन बीमा पॉलिसी को सामान्यतया वाणिज्यिक ऋण के लिए भी प्रतिभूति के रूप में स्वीकार किया जाता है।

कर-राहत : आय कर और सम्पदा कर पर कर कटौती प्राप्त करने हेतु जीवन बीमा सर्वोत्तम उपाय है। जीवन बीमा के प्रीमियम के रूप में प्रदत्त रकमों के लिए कर में छूटें/ रियायतें उपलब्ध होती हैं। इस प्रकार के मामलों में प्रभावी तौर पर बीमा के लिए अन्यो की अपेक्षा बीमित कम प्रीमियम का भुगतान करता है।

आप की आवश्यकता के अनुरूप धन: ऐसी पॉलिसी जिसमें उपयुक्त बीमा योजना या विभिन्न योजनाओं का संयोजन मौजूद हो, का इस प्रकार की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है, जो समय-समय पर उद्भूत हो सकती हैं जैसे कि बच्चों की शिक्षा या उनके विवाह का प्रावधान या यहां तक कि थोड़े समय के अन्तराल पर नकदी की आवधिक आवश्यकताओं को जीवन बीमा के माध्यम से कम तनावपूर्ण बनाया जा सकता है।

वैकल्पिक तौर पर, किसी की सेवा से निवृत्ति के समय पॉलिसी का धन उपलब्ध कराया जा सकता है तथा उसका मकान की खरीद या अन्य निवेशों जैसे विशिष्ट उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जा सकता है। पॉलिसीधारकों को गृह-निर्माण के लिए या फ्लैटों की खरीद के लिए (कुछेक शर्तों के अधीन) ऋण मंजूर किए जाते हैं।

चिकित्सकीय और गैर-चिकित्सकीय योजनाएं : जीवन बीमा आम तौर पर बीमित किए जाने वाले जीवन की चिकित्सकीय जांच के उपरान्त प्रदान किया जाता है। हालांकि, बीमे के अधिकाधिक प्रसार को सुगम बनाने के लिए तथा असुविधा से बचने के लिए भी, बीमा कम्पनियां कुछेक शर्तों के अधीन किसी प्रकार की चिकित्सकीय जांच के बिना भी बीमा सुखा उपलब्ध करा देती हैं।

लाभ-सहित और लाभ-रहित योजनाएं : कोई बीमा पॉलिसी लाभ 'सहित' या 'रहित' हो सकती है। पहले वाली में आवधिक मूल्यांकनों के बाद पॉलिसी को बोनस, यदि कोई घोषित किया गया हो, आवंटित किए जाते हैं तथा वे संविदाकृत रकम के साथ देय होते हैं।

लाभ 'रहित' योजना में संविदाकृत रकम का भुगतान किसी परिवर्धन के बिना किया जाता है। इसलिए लाभ 'सहित' पॉलिसी हेतु प्रभारित प्रीमियम दर लाभ 'रहित' पॉलिसी की अपेक्षा अधिक होती है।

महत्वपूर्ण व्यक्ति (Keyman) बीमा : महत्वपूर्ण व्यक्ति बीमा किसी व्यावसायिक फर्म द्वारा फर्म को उन वित्तीय हानियों, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति के समय-पूर्व निधन के कारण हो सकती हैं, से बचाने के लिए महत्वपूर्ण कर्मचारी (कर्मचारियों) के जीवन पर कराया जाता है।

6.1.9 सामूहिक बीमा योजनाएं

सामूहिक बीमा बीमे की एक ऐसी योजना होती है जो 'मास्टर पॉलिसी' कही जाने वाली एक ही पॉलिसी के तहत कई व्यक्तियों को जीवन सुरक्षा उपलब्ध कराती है। इस एकल संविदा में कई व्यक्ति शामिल होते हैं। प्रशासनिक और चिकित्सकीय जांच सम्बन्धी व्ययों में बचत के कारण समूह को कम लागत पर सुरक्षा प्रदान करना संभव हो जाता है। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता जीवनों (व्यक्तियों) के चयन और उनकी हामीदारी से सम्बन्धित होती है। वैयक्तिक जीवनों का मूल्यांकन नहीं किया जाता। चयन समूह का होता है। सामूहिक चयन का लक्ष्य वह समूह बनाना होता है जो मृत्यु की औसत दर दर्शाएगा।

नये उत्पादों की शुरुआत

क्षेत्र के निजी प्रतिस्पर्धियों की सहभागिता के लिए मुक्त कर दिए जाने के परिणामस्वरूप नये उत्पादों, विशेष रूप से यूनिट सम्बद्ध उत्पादों की शुरुआत हुई, जो पूंजी अधिमूल्यन और बीमा सुरक्षा, दोनों ही प्रदान करते हैं तथा जिन्होंने बीमित व्यक्ति का ध्यान आकर्षित किया है। आज उत्पादों के बीमित की आवश्यकताओं के अनुकूल एवं तदनु रूप होने के कारण ग्राहक को अपेक्षाकृत व्यापक विकल्प उपलब्ध हैं। आरोहकों (Riders), विशेषतः स्वास्थ्य आरोहकों की उपलब्धता एक सकारात्मक घटना सिद्ध हुई है। बीमाकर्ता जीवन और सामान्य, दोनों ही खण्डों में उत्पाद विकसित करने के प्रयास कर रहे हैं। सामान्य खण्ड में एक निजी बीमाकर्ता ने देश में सर्व प्रथम मौसम बीमा की शुरुआत की। सामान्य बीमाकर्ताओं द्वारा प्रचलन में लाए गए अन्य उत्पादों में पारस्परिक निधि पैकेज पॉलिसी, प्रदूषण दायित्व पैकेज पॉलिसी और निर्यात ऋण (अल्प-कालिक) पॉलिसी-पहलकदमियां शामिल हैं, जो नये बीमाकर्ताओं ने की हैं। ऋण बीमा के क्षेत्र में निर्यात ऋण गारंटी निगम (ECGC) द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा की भी शुरुआत की गई है।

6.1.10 एजेंट और बीमा मध्यवर्ती

एजेंट और कार्पोरेट एजेंट किसी भी बीमाकर्ता के मुख्य वितरण चैनल होते हैं। इन एजेंट्सियों का विकास आवश्यक रूप से सर्वोत्तम व्यावसायिक आधार पर होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने प्रवेश स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं तथा एक परीक्षा के उपरान्त व्यावहारिक प्रशिक्षण निर्धारित कर रखा है। ग्रामीण और गैर-शहरी केन्द्रों में बीमा बिक्री बढ़ाने में सहायता करने के लिए अनिवार्य लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें अलग-अलग बीमाकर्ताओं के लिए पूरा करना आवश्यक है। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने ग्रामीण एजेंटों के लिए दसवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को भी कम कर दिया है। उसने एजेंटों के लिए अर्हता परीक्षा संचालित करने हेतु तथा विविध देशी भाषाओं में पुस्तकें और प्रशिक्षण सामग्री प्रकाशित करने हेतु भारतीय बीमा संस्थान को भी प्रोत्साहित किया है।

ग्राहक संरक्षण

बीमा उद्योग ने 12 शहरों में लोकपाल (Ombudsmen) नियुक्त कर रखे हैं। प्रत्येक लोकपाल को यह अधिकार प्राप्त है कि वह वैयक्तिक जीवन, जिसमें बीमित रकम 20 लाख रुपये से कम होती है, पर बीमा संविदा के सम्बन्ध में ग्राहक परिवारों का लोकपाल योजना के अनुसार निवारण करे।

भारतीय अर्थव्यवस्था में बीमा उद्योग की भूमिका

बीमा क्षेत्र देश के घरेलू क्षेत्र की उन वित्तीय बचतों का एक महत्वपूर्ण अंशदाता है, जिन्हें इससे आगे विविध निवेश मार्गों में घुमाया जाता है। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार वर्ष 2003-04 में वित्तीय बचतों में बीमा निधियों का अंशदान 14.9 प्रतिशत अर्थात् वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद का 2.2 प्रतिशत था। जीवन बीमा निधियों, डाक बीमा और राज्य बीमा ने क्रमशः 14.5 प्रतिशत, 0.1 प्रतिशत और 0.3 प्रतिशत का अंशदान किया। वर्तमान बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद में जीवन बीमा का प्रतिशत पिछले वर्ष के 2.1 प्रतिशत से बढ़ गया। उल्लेखनीय रूप से वित्तीय बचतों में भविष्य और पेंशन निधियों का अंशदान पिछले वर्ष के 14.3 प्रतिशत से घट कर 13 प्रतिशत हो गया। बीमा उद्योग में समग्र संवृद्धि सकारात्मक रही।

वैश्विक बीमाकर्ताओं ने उस विशाल बाजार में रुचि प्रदर्शित की जो भारत उपलब्ध कराता है। यह देखते हुए कि वित्तीय बचतों का 42.9 प्रतिशत बैंकिंग क्षेत्र के पास चला जाता है, बीमा क्षेत्र के विकास की विशाल संभावना मौजूद है। आज 2,940.67 बिलियन अमरीकी डालर के वैश्विक बीमा बाजार में भारत की हिस्सेदारी केवल 0.59 प्रतिशत है। कई अन्तरराष्ट्रीय अध्ययनों

में अनुमान लगाया गया है कि भारत में बीमा उद्योग आगामी दस वर्षों में 12.5 प्रतिशत की दर से विकास कर सकता है। वास्तव में भारत की पहचान दो सर्वाधिक तीव्र गति से वृद्धिशील बीमा बाजारों में से एक के रूप में की गई है। सामान्य खण्ड के मुकाबले जीवन खण्ड में संवृद्धि के अपेक्षाकृत तीव्र रहने की आशा है। बीमा क्षेत्र के निजी प्रतिस्पर्धियों की सहभागिता के लिए मुक्त कर दिए जाने के उपरान्त निर्मित परिवेश में इस उद्योग में कार्यरत बीमा कम्पनियों द्वारा अभीमित जनता में जोखिम के प्रति जागरूकता के स्तर में वृद्धि करते हुए अतिरिक्त बाजार निर्मित किए जाने की आशा है, जिसके माध्यम से अपेक्षाकृत व्यापक प्रतिनिधित्व वाले वर्गों में बीमे के संदेश और उससे जुड़े लाभ, दोनों ही फैलाए जा सकेंगे। उदारीकृत वातावरण से भी ग्राहक संतुष्टि के स्तर में वृद्धि होने की आशा है। अब तक उपेक्षित जोखिम अनाश्रयताओं (exposures) से निपटने के लिए नये उत्पादों के प्रचलन में लाए जाने की आशा है।

6.2 बैंकबीमा (Bancassurance)

बैंकबीमा एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं कार्पोरेट एजेन्टों के रूप में काम करती हैं तथा अपने ग्राहकों को बीमा कम्पनियों द्वारा विकसित किए गए बीमा उत्पादों का वितरण करती हैं। यह बैंकिंग और बीमा के अभिसरण के अलावा और कुछ भी नहीं है।

6.2.1 भारत में बैंकबीमा

भारत में बैंकिंग उद्योग नब्बे वाले दशक के प्रारंभिक दिनों से ही सर्वोत्तम अन्तरराष्ट्रीय परम्पराओं एवं लेखांकन मानदंडों के अंगीकरण की दिशा में प्रवसन के फलस्वरूप उनकी ब्याजगत आय में संकुचन (कमी) का अनुभव करता रहा है। उदारीकरण के कारण बैंकिंग क्षेत्र को निजी और अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों की सहभागिता के लिए मुक्त कर दिए जाने के साथ ही प्रतियोगिता पर्याप्त भयंकर और गहन हो गई है, जिसके फलस्वरूप उद्योग में मार्जिनों में और भी संकुचन आ गया है। अन्य स्रोतों से अपनी आय को बढ़ाने के उद्देश्य से बैंक एक अवसर की गंभीरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। परिवर्तनों की अनुभूति करते हुए भारत सरकार ने अगस्त, 2000 में एक अधिसूचना जारी की, जिसमें बीमा का उल्लेख एक ऐसे अनुमेय व्यवसाय के रूप में किया गया है जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6(1) (0) के अधीन बैंकों द्वारा हाथ में लिया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2000-01 की अपनी मौद्रिक एवं ऋण नीति में बीमा व्यवसाय में बैंकों के प्रवेश की अनुमति देने के अपने निश्चय की घोषणा की तथा अगस्त, 2000 में एक विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया। तदनुसार इसके नीचे वर्णित विधि से बीमा व्यवसाय आरंभ करने के इच्छुक किसी भी बैंक को इस प्रकार के व्यवसाय में लगने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए :

1. किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को जोखिम में किसी प्रकार की सहभागिता किए बिना बीमा कम्पनियों के शुल्क के आधार पर एजेन्ट के रूप में बीमा व्यवसाय आरंभ करने की अनुमति दी जाएगी। बैंकों की सहायक कम्पनियों को भी एजेन्सी के आधार पर बीमा उत्पादों के वितरण का कार्य हाथ में लेने की अनुमति होगी।
2. कुछेक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले बैंकों को सुरक्षोपायों की शर्त पर जोखिम में सहभागिता के साथ बीमा व्यवसाय आरंभ करने हेतु संयुक्त उद्यम कम्पनी गठित करने की अनुमित होगी।

चूंकि भारतीय बैंकों के पास देश भर में फैली शाखाओं का एक विशाल नेटवर्क तथा विपुल जनशक्ति मौजूद है, बैंकिंग और बीमा का यह अभिसरण बीमा उद्योग के लिए एक वरदान बन कर आया। बीमा कम्पनियों को बैंकबीमा अप्रयुक्त बाजार तक त्वरित पहुंच, प्रशासनिक लागत में अत्यधिक किफायत तथा नये संमिश्र उत्पादों को प्रचलन में लाने के अवसर के कारण लाभदायक व्यवसाय लगता है। इसने बीमा कम्पनियों को अपने वितरण माध्यमों को पुनर्व्यवस्थित करने तथा अपने लिए अल्प लागत पर ग्राहक प्राप्त करने हेतु बैंकों के विशाल नेटवर्क का उपयोग करने हेतु प्रेरित किया।

6.2.2 बैंकिंग और बीमा का अभिसरण

बैंकों को होने वाले लाभ कई प्रकार के हैं, यथा- उन्नत ग्राहक प्रतिधारण, समग्र ग्राहक संतुष्टि, काफी लम्बी अवधि तक कमीशन के रूप में जोखिम-रहित गैर-ब्याजगत आय के उपार्जन की बहुत अच्छी संभावना की व्यवस्था, वित्तीय स्थिति में सुधार, अधिक कर्मचारी उत्पादकता तथा आस्ति पर अधिक प्रतिलाभ, क्योंकि वे केवल विद्यमान आधारभूत संरचना और उपलब्ध जनशक्ति का ही उपयोग करते हैं। इसमें अतिरिक्त पूंजी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि बैंकबीमा पूर्णतः जोखिम-रहित है।

6.2.3 बैंकबीमा के प्रतिमान (मॉडल)

अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर बैंकबीमा के चार प्रतिमान (मॉडल) प्रचलन में हैं। वे निम्नानुसार हैं ;

(क) कार्पोरेट एजेन्सी मॉडल या वितरण गंठजोड़ मॉडल।

(ख) संयुक्त उद्यम मॉडल जिसमें एक बीमा कम्पनी और एक बैंक स्थानीय सरकार के विनियमों के अधीन उनके संयुक्त उद्यम की इक्विटी पूंजी में हिस्सेदारी करते हैं।

(ग) एक बैंक और एक बीमाकर्ता के बीच विलयन।

(घ) अपना बीमा परिचालन निर्मित करना या खरीदना।

भारत में केवल पहले दो मॉडलों को अपनाया गया है। यद्यपि कुछेक वर्ष पहले भारतीय जीवन बीमा निगम ने कार्पोरेशन बैंक और ओरियेन्टल बैंक आफ कॉमर्स की इक्विटी पूंजी में रणनीतिक एवं महत्वपूर्ण जोखिम अधिगृहीत किया था, वे भी केवल पहले दो मॉडलों को अपनाते हैं।

जीवन एवं सामान्य, दोनों ही खण्डों में उनके परम्परागत बीमा उत्पादों का वितरण करने के अलावा कुछेक बीमा कम्पनियों ने सामूहिक बीमा के तहत नवोन्मेषी, काउंटर पर विक्रेय उत्पाद तैयार किए हैं, जिनका बैंकों के विशाल ग्राहक वर्ग में विपणन किया जा सकता है। यहां तक कि भारत सरकार ने भी अपने सामाजिक उद्धार कार्यक्रम (जन श्री बीमा योजना और सर्वव्यापी स्वास्थ्य रक्षा पॉलिसियों) के एक अंग के रूप में कुछेक बीमा उत्पाद तैयार करने और उन्हें गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को प्रदान करने हेतु बैंकबीमा मॉडल का उपयोग किया है।

6.3 बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA)

बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) का गठन बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) अधिनियम, 1999 के अनुसार एक स्वायत्त निकाय के रूप में देश में बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय को विनियमित करने तथा उनका विकास करने के लिए किया गया था। उक्त प्राधिकरण भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 277 के तहत 19 अप्रैल, 2000 को गठित किया गया था। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) का मुख्य उद्देश्य बाजार की कार्यकुशलता को बढ़ावा देना और उपभोक्ता संरक्षण को सुनिश्चित करना है।

6.3.1 बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) के कर्तव्य, अधिकार (शक्तियां) एवं कार्य

बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का कर्तव्य बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय को विनियमित करना, उसका संवर्धन करना तथा उसकी व्यवस्थित संवृद्धि सुनिश्चित करना होगा।

बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के/की अधिकारों/शक्तियों एवं कार्यों में निम्नलिखित का समावेश होगा :

(क) आवेदकों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना, इस प्रकार के पंजीकरण को नवीकृत करना, आशोधित करना, वापस लेना, निलम्बित करना या निरस्त करना;

(ख) पॉलिसी के समनुदेशन, पॉलिसी धारकों द्वारा नामन, बीमा-योग्य हित, बीमा दावों के निपटान, पॉलिसी के अभ्यर्षण मूल्य तथा बीमा संविदा की अन्य शर्तों एवं निबन्धनों से सम्बन्धित मामलों में पॉलिसी धारकों के हितों का संरक्षण;

(ग) अपेक्षित अर्हताओं, आचरण संहिता और मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्तियों और एजेन्टों के व्यावहारिक प्रशिक्षण का विनिर्देशन;

(घ) सर्वेक्षकों और हानि-निर्धारकों के लिए आचरण संहिता का विनिर्देशन;

(ङ) बीमा व्यवसाय के संचालन में कार्यकुशलता को बढ़ावा देना;

(च) बीमा एवं पुनर्बीमा व्यवसाय से जुड़े व्यावसायिक संगठनों को बढ़ावा देना तथा उनका विनियमन करना;

(छ) इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए शुल्कों एवं अन्य प्रभारों की वसूली करना;

(ज) बीमाकर्ताओं, मध्यवर्तियों, बीमा मध्यवर्तियों और बीमा व्यवसाय से जुड़े अन्य संगठनों से सूचना मंगवाना, उनका निरीक्षण करना, लेखा-परीक्षा सहित जांचों, जाच-पड़तालों का संचालन करना;

(झ) उन दरों, लाभों, शर्तों एवं निबन्धनों का नियंत्रण एवं विनियमन जो बीमाकर्ताओं द्वारा सामान्य बीमा व्यवसाय में प्रस्तावित की जा सकती हैं, जिनका बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 64 यू के तहत टैरिफ सलाहकार समिति (TAC) द्वारा इस प्रकार का नियंत्रण एवं विनियमन नहीं किया जाता ;

(ञ) उस रूप एवं विधि का विनिर्देशन जिसमें बीमाकर्ताओं और अन्य बीमा मध्यवर्तियों द्वारा लेखा-बहियां रखी जाएंगी तथा लेखा-विवरण प्रदान किए जाएंगे;

(ट) बीमा कम्पनियों द्वारा निधियों के रख-रखाव का विनियमन करना;

(ठ) शोधक्षमता मार्जिन के रख-रखाव का विनियमन करना;

- (ड) बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों या बीमा मध्यवर्तियों के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन;
 (ढ) टैरिफ सलाहकार समिति (TAC) की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण करना;
 (ण) खण्ड (च) में उल्लिखित व्यावसायिक संगठनों को बढ़ावा देने और उनका विनियमन करने हेतु योजनाओं के वित्तीयन के लिए बीमाकर्ताओं की प्रीमियम आय के प्रतिशत को विनिर्दिष्ट करना;
 (त) बीमाकर्ता द्वारा ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्र में हाथ में लिए जाने वाले जीवन बीमा व्यवसाय या सामान्य बीमा व्यवसाय के प्रतिशत को विनिर्दिष्ट करना;
 (थ) इस प्रकार के /की अन्य अधिकारों/शक्तियों का प्रयोग करना जो निर्धारित किए / की जाएं।

6.4 अपनी प्रगति जांचिए

1. भारत में पहली बीमा कम्पनी की शुरुआत 1818 में -----में की गई थी।
 (क) कोलकाता (ख) चेन्नै (ग) मुंबई (घ) नई दिल्ली
2. भारत में किसी नयी बीमा कम्पनी के लिए प्रवेश स्तर की पूंजी आवश्यकता -----है।
 (क) 100 करोड़ रुपये (ख) 50 करोड़ रुपये (ग) 500 करोड़ रुपये (घ) कोई नहीं
3. 31 मार्च 2006 के दिन जीवन बीमा व्यवसाय में संलग्न बीमा कम्पनियों की कुल संख्या -----है।
 (क) 15 (ख) 14 (ग) 1 (घ) कोई नहीं
4. भारत में बीमा व्यवसाय से सम्बन्धित प्राथमिक विधान-----है।
 (क) बीमा अधिनियम, 1938 (ख) बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999
 (ग) बीमा अधिनियम, 1938 और बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999, दोनों ही
 (घ) भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम
5. बैंकबीमा एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से -----।
 (क) वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं कार्पोरेट एजेंटों के रूप में अपने ग्राहकों को बीमा कम्पनियों द्वारा विकसित किए गए बीमा उत्पादों का वितरण करती हैं
 (ख) बीमा कम्पनियों की शाखाएं कार्पोरेट एजेंटों के रूप में अपने ग्राहकों को बैंकों द्वारा विकसित किए गए बैंकिंग उत्पादों का वितरण करती हैं
 (ग) (क) और (ख), दोनों ही (घ) कोई नहीं

6.5 'अपनी प्रगति जांचिए' के उत्तर

1. (क), 2. (क), 3. (ख), 4.(ग), 5.(क)

6.6 प्रमुख शब्द

Life insurance	जीवन बीमा
Fire insurance	अग्नि बीमा
Marine insurance	समुद्री बीमा
Bancassurance	बैंकबीमा
Keyman insurance	महत्वपूर्ण व्यक्ति बीमा
Group insurance	सामूहिक बीमा

इकाई 7

लेनदारी लेखा क्रय (Factoring), फॉरफेटिंग(Forfaiting) और तुलन पत्र में शामिल न जाने वाली मदें

रूपरेखा

- 7.0 उद्देश्य
- 7.1 लेनदारी लेखा क्रय (factoring)
 - 7.1.1 प्रस्तावना
 - 7.1.2 लेनदारी लेखा क्रय (factoring) के प्रकार
 - 7.1.3 लेनदारी लेखा क्रय के लाभ
- 7.2 फॉरफेटिंग सेवाएं
 - 7.2.1 फॉरफेटिंग - परिभाषा
 - 7.2.2 फॉरफेटिंग की व्यवस्था
 - 7.2.3 फॉरफेटिंग के लाभ
- 7.3 तुलन पत्र में शामिल न की जाने वाली मदें
 - 7.3.1 गारंटियां
 - 7.3.2 साख पत्र
 - 7.3.3 वायदा विदेशी मुद्रा संविदा
 - 7.3.4 वायदा दर करार (FRA) और ब्याज दर अदला-बदली (IRS)
- 7.4 अपनी प्रगति जांचिए के उत्तर
- 7.6 प्रमुख शब्द

7.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन कर के आप निम्नलिखित में समर्थ हो सकेंगे :

- लेनदारी लेखा क्रय सेवाएं, बिल की भुनाई और लेखा क्रय सेवाओं के बीच अन्तर तथा उसके लाभों को समझने,
- फॉरफेटिंग सेवाओं तथा निर्यातक समुदाय को उससे होने वाले लाभों के बारे में जानने,
- तुलन पत्र में शामिल न की जाने वाली मदों के रूप में दिखाई देने वाली मदों से परिचित होने।

7.1 लेनदारी लेखा क्रय सेवाएं (Factoring)

7.1.1 प्रस्तावना

लेनदारी लेखा क्रय सेवा एक ऐसी सेवा है जो घरेलू और अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में वित्तीय एवं लेखे में प्राप्य राशियों की वसूली से सम्बन्धित होती है। यह ग्राहक और आढ़तिया (Factor) (सामान्यतः कोई बैंक या वित्तीय संस्था) के बीच निरन्तर व्यवस्था होती है, जिसमें माल एवं सेवाओं की खुली लेखा बिक्री पर बनाए गए बीजक के वित्तीयन, वसूली और बिक्री खाता-बही व्यवस्था के लिए आढ़तिया (Factor) को नियमित रूप से समनुदेशित किए जाते हैं। ग्राहक कार्यशील पूंजी आवश्यकता हेतु वित्त जुटाने के लिए बीजकीकृत प्राप्य राशियों को बड़े पर आढ़तिया (Factor) को बेच देता है। आढ़तिया (Factor) उपाश्रयी (incumbent) ऋण जोखिम को स्वीकार कर सकता है अथवा वैसा नहीं भी कर सकता। लेनदारी लेखा क्रय सेवा कम्पनियों को उनके बकाया बही ऋणों को नकदी हेतु बेच देने में समर्थ बनाती है।

7.1.2 लेनदारी लेखा क्रय के प्रकार

लेनदारी लेखा लेखा क्रय सेवाएं दो प्रकार की होती हैं, अवलम्ब लेखा क्रय (अवलम्ब के साथ) और अनवलम्ब लेखा क्रय (अवलम्ब के बिना)। अवलम्ब लेखा क्रय में ग्राहकों द्वारा बीजकों की गैर-अदायगी के मामले में ग्राहक द्वारा उधार दी गई रकम आढ़तिया वसूल करेगा। अनवलम्ब लेखा क्रय में आढ़तिया वित्त और ऋण संरक्षण दोनों ही उपलब्ध कराएगा। ग्राहकों द्वारा बीजकों की गैर-अदायगी की स्थिति में अशोध्य ऋण के जोखिम को आढ़तिया वहन करेगा।

आढ़तिया विक्रेता कम्पनी से उनके बीजकीकृत ऋणों की खरीद के माध्यम से परिचालन करता है। इन्हें सामान्यतया आढ़तिया द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋण संरक्षण के साथ खरीदा जाता है, जो तब समस्त ऋण नियंत्रण, वसूली और बिक्री लेखांकन कार्य के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रकार कम्पनी का प्रबन्धन उत्पादन और बिक्री पर ध्यान केन्द्रित कर सकता है तथा उसे गैर-लाभदायक नियंत्रण एवं बिक्री लेखांकन के मामलों के प्रति स्वयं को चिंतित करने की आवश्यकता नहीं होती।

घरेलू लेखा क्रय

घरेलू लेखा क्रय में केवल व्यापार से उद्भूत प्राप्य राशियों पर ही लेखा क्रय के लिए विचार किया जाएगा। आपूर्तिकर्ता/उधारकर्ता आपूर्ति किए गए माल हेतु विनिमय बिल आहरित करेगा तथा खरीदार उसे स्वीकार करेगा। विनिमय बिलों की स्वीकृति के उपरान्त आढ़तिया विनिमय बिल की अवधि के लिए सामान्य ब्याज दरों पर अपने बट्टा प्रभारों की कटौती करने के बाद आपूर्तिकर्ता को बीजक मूल्य के 80 प्रतिशत का पूर्व-भुगतान कर देगा। शेष राशि (बीजक मूल्य का 20 प्रतिशत) का भुगतान खरीदार से भुगतान की वसूली करने के बाद किया जाएगा। यदि खरीदार नियत तिथियों को देय राशि का भुगतान नहीं कर पाता, तो उसका भुगतान आपूर्तिकर्ता करेगा। उधारकर्ता/आपूर्तिकर्ता बीजक और लारी रसीद/रेलवे रसीद के साथ विनिमय बिल प्रस्तुत करेगा।

लेखा क्रय सेवा के अधीन सामान्यतः अनुमत ऋण की अवधि अधिकतम साठ दिनों की अनुग्रह अवधि सहित एक सौ साठ दिन होती है।

आढ़तिया द्वारा विक्रेता को देनदारों के काल-प्रभावन (Ageing) विश्लेषण, खातों के साप्ताहिक विवरण, बिक्री विश्लेषण तथा बकाया बीजकों के विवरण जैसी विविध प्रकार की प्रबन्ध सूचना रिपोर्टें (MIS) प्रदान की जाती हैं। लेखा क्रय हेतु पात्र बनने के लिए आपूर्तिकर्ताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे निरंतर लाभप्रदता और सकारात्मक न्यूनतम निवल मालियत के साथ व्यवसाय में कुछेक वर्षों के अस्तित्व से सम्बन्धित पिछले कार्य-निष्पादन के न्यूनतम रिकार्ड रखते हों।

आम तौर पर आपूर्तिकर्ता को अग्रिम रूप से भुगतान किए जाने से पहले खरीदार के ऋणों को आढ़तिया को समनुदेशित किए जाने हेतु आपूर्तिकर्ता के साथ एक करार निष्पादित किया जाता है और आढ़तिया केवल इस विशिष्ट खरीदार पर आहरित बीजकों पर ही अग्रिम भुगतान करता है। प्रत्येक खरीदार की उप-सीमा निर्धारित कर दी जाती है तथा इन उप-सीमाओं की रकम ही आपूर्तिकर्ता की समग्र सीमा होती है। सामान्यतया, लेखा-क्रय हेतु पात्र होने के लिए यह अपेक्षित होता है कि खरीदार आपूर्तिकर्ता के साथ एक निश्चित न्यूनतम अवधि से लेनदेन करता रहा हो। लेखा क्रय की सीमा सामान्यतया कम्पनी की उधार बिक्री से सम्बन्धित अनुमानित प्राप्य राशियों के आधार पर तथा कम्पनी द्वारा उसके बैंक से प्राप्त की गई वर्तमान बिल/ बही ऋण सीमाओं को घटा कर निर्धारित की जाती है।

आम तौर पर लेखा क्रय सेवा प्रभारों में (i) प्राप्य राशियों की खरीद हेतु वित्तीयन प्रभार (इस वित्तीयन प्रभार में बाजार की ब्याज दरों के अनुरूप घट-बढ़ होती रहती है तथा इसका निर्धारण ऋण रेटिंग के आधार पर किया जाता है) (ii) वसूली, अनुवर्तन, प्रशासन आदि के सेवा प्रभार का समावेश होता है (सेवा प्रभार में बीजक मूल्य के 0.1 प्रतिशत से लेकर 2.0 प्रतिशत तक का अन्तर होता है तथा इसका निर्धारण आढ़तियों को प्रस्तुत बीजकों के मूल्य के आधार पर किया जाता है)।

अन्तरराष्ट्रीय लेखा क्रय सेवाएं

अन्तरराष्ट्रीय लेखा क्रय सेवा में आम तौर पर दो आढ़तिए होते हैं। निर्यात आढ़तिया निर्यातक के वित्तीयन और बिक्री व्यवस्था (जिसमें बीजकों का सही समय पर प्रस्तुतन तथा भुगतानों की वसूली प्रमुख कार्य होते हैं) का कार्य देखता है। आयात आढ़तिया खरीदार के मूल्यांकन, मुद्रा की समय पर वसूली के साथ ही यह सुनिश्चित करने में रुचि रखता है कि वह चूक से संरक्षित रहे।

अन्तरराष्ट्रीय लेखा क्रय सेवा में चारों प्रकार की सेवाएं समाविष्ट होती हैं - अर्थात् पूर्व-भुगतान, बिक्री बही की व्यवस्था, ऋण संरक्षण और वसूली।

आइए हम अन्तरराष्ट्रीय बैंकिंग से जुड़े महत्वपूर्ण उपायों को समझ लें। आयातक माल की खरीद हेतु निर्यातक को आदेश देता है।

निर्यातक आयातक से सम्बन्धित सीमा अनुमोदन के लिए निर्यात आदितिए से अनुरोध करता है। इसके बदले में निर्यात आदितिया इस अनुरोध को आयातक के देश में स्थित किसी आयात आदितिए को अग्रप्रेषित करता है। आयात आदितिया आयातक का मूल्यांकन करता है तथा अपने अनुमोदन की सूचना निर्यात आदितिए को देता है जो बदले में निर्यातक को लेखा क्रय व्यवस्था के प्रारंभ हो जाने की सूचना देता है।

निर्यातक आयातक को माल की सुपुर्दगी करता है।

निर्यातक निर्यात आदितिए को प्रलेख प्रस्तुत करता है।

निर्यात आदितिया निर्यातक को निर्णीत पूर्व-भुगतान की रकम तक की निधि संवितरित कर देता है और उसके साथ ही प्रलेखों को आयात आदितिए को अग्रप्रेषित कर देता है।

आयातक बीजक की नियत तिथि को आयात आदितिए को भुगतान कर देता है, जो उसके एवज में इस भुगतान को निर्यात आदितिए को विप्रेषित कर देता है।

निर्यात आदितिया प्राप्त निधि का उपयोग बीजक पर अग्रिम रूप से प्रदत्त बकाया रकम को समायोजित करने में करता है। निर्यातक को शेष रकम का भुगतान प्राप्त हो जाता है।

7.1.3 लेखा क्रय सेवा के लाभ

(क) लेखा क्रय सेवा अधिक लागत वाले बाजार ऋण का स्थान ले लेती है तथा नकद बट्टा प्राप्त करने के लिए नकदी आधार पर खरीद को संभव बना देती है।

(ख) ग्राहक प्रत्येक बीजक पर अविलम्ब वित्त पा जाता है।

(ग) कम मार्जिन (20 प्रतिशत तक) जिसके माध्यम से नकदी प्रवाह में बढ़ोत्तरी हो जाती है।

(घ) ग्राहक को अधिक ऋण/अनुग्रह अवधि प्राप्त हो जाती है।

(ङ) आदितिया द्वारा प्रत्येक बीजक का नियत तिथि को और उसके बाद भी भुगतान हेतु अनुवर्तन किया जाता है।

(च) आदितिया द्वारा प्रबन्ध सूचना प्रणाली रिपोर्टें और बिक्री बही व्यवस्था का पूर्णरूपेण ध्यान रखा जाता है।

(छ) लेखा क्रय सेवा से प्राप्य राशियों के आवर्त में बढ़ोत्तरी होती है तथा परिचालन चक्र में सुधार आता है जिसके फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि, बिक्री में बढ़ोत्तरी, लाभार्जन में वृद्धि तथा निवेश पर प्रतिलाभ में बढ़ोत्तरी होती है।

7.2 फॉरफेटिंग (Forfeiting) सेवाएं

7.2. फॉरफेटिंग - परिभाषा

फॉरफेटिंग उस वित्त (ऋण) का एक साधन है जो कोई माल निर्यातक फॉरफेटर कहे जाने वाले किसी मध्यवर्ती से निर्यात की प्राप्य राशियों पर किन्तु ऋण को चुकाने की बाध्यता के बिना प्राप्त करता है। फॉरफेटिंग का उपयोग अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के लेनदेनों हेतु किया जाता है। वास्तव में यह साख पत्र पर आहरित ड्राफ्टों, विनिमय बिलों, वचन पत्रों या मुक्त रूप से परक्राम्य अन्य लिखतों जैसी प्राप्य राशियों की अनवलम्ब (अर्थात् आयातक के नियत तिथि को भुगतान करने में असफल हो जाने की स्थिति में निर्यातक को किसी प्रकार का अवलम्ब न रह जाने) के आधार पर भुनाई होती है। यह एक ऐसी अत्यन्त लचीली तकनीक होती है जो किसी निर्यातक को उसके नकदी प्रवाह को क्षति पहुंचाए बिना तथा आयातक द्वारा किए जाने वाले संभाव्य विलंबित भुगतान या भुगतान में चूक के जोखिमों के बिना विदेशी खरीदारों को उधार बिक्री की आकर्षक शर्तें प्रस्तावित करने में समर्थ बनाती है। इसके साथ ही निर्यातक ऋण की अवधि के दौरान ब्याज और/अथवा मुद्रा दरों में होने वाले प्रतिकूल उतार-चढ़ावों के समक्ष पूर्णतः संरक्षित रहता है, क्योंकि सम्पूर्ण जोखिम फॉरफेटर को अन्तरित हो जाता है। इस प्रकार फॉरफेटिंग एक ऐसा अत्यन्त प्रभावी बिक्री उपकरण होता है जो निर्यातक को नकदी प्रवाह में बढ़ोत्तरी और जोखिम निर्मूलन की सुविधाएं एक साथ उपलब्ध कराता है।

कुछेक बैंकर फॉरफेटिंग को उस मध्यावधिक पूंजीगत माल के वित्तीयन के रूप में परिभाषित करते हैं जो किसी विनिमय बिल को बट्टे पर किसी अन्य पक्ष, जो फॉरफेटर होता है, को बेच कर किया जाता है। यह अन्य पक्ष अनिवार्यतः किसी विदेशी ग्राहक से किसी संपार्श्विक बैंक (कों) के माध्यम से भुगतान प्राप्त करता है, इस प्रकार वह निर्यातकों के अन्तर्निहित उत्तरदायित्व को ग्रहण कर लेता है और उसके साथ ही आयातकों को अल्पकालिक ऋण को मध्यकालिक ऋण के रूप में परिवर्तित करते हुए व्यापार वित्त भी उपलब्ध कराता है।

7.2.2 फॉरफेटिंग की व्यवस्था

निर्यातक अपने आयातक को अभिज्ञात करता है और उनके बीच बातचीत के माध्यम से तय कीमत पर उसके माल की बिक्री हेतु आयातक को आयातित माल का भुगतान करने के लिए उपयुक्त उधार अवधि प्रदान करते हुए उसके साथ एक संविदा हस्ताक्षरित करता है। निर्यातक आयातक को यह भी सूचित करेगा कि निर्यातक बिक्री से सम्बन्धित प्राप्य राशियों को किसी फॉरफेटर के साथ भुनाएगा तथा प्राप्य राशियां फॉरफेटर को समनुदेशित करेगा। आयातक अपने बैंकर के साथ निर्यातक के पक्ष में एक साख पत्र जारी किए जाने की व्यवस्था करता है। निर्यातक फॉरफेटर के साथ एक फॉरफेटिंग करार करता है। इसके बाद वास्तविक निर्यात किया जाता है। निर्यातक (विक्रेता) द्वारा ऋण लिखत आहरित किए जाते हैं, वे आयातक (खरीदार) द्वारा स्वीकार किए जाते हैं तथा वे आयातक के बैंक के शर्त-रहित आपाती साख पत्र (गारंटी) द्वारा पुष्ट (समर्थित) होते हैं। फॉरफेटर इन प्रलेखों को आयातक के बैंक को भेजता है, जो फॉरफेटर को उसकी प्राप्ति अभिस्वीकृति देता है। फॉरफेटर संविदा के अनुसार अपने बड़े और अन्य प्रासंगिक प्रभारों को काट लेने के बाद निर्यातक को (निर्यात मूल्य के 100 प्रतिशत जितना) भुगतान कर देता है। इसके उपरान्त उक्त भुगतान के बदले में फॉरफेटर आयातक से उधार राशि का दावा करने का उत्तरदायित्व अभिगृहीत कर लेता है। फॉरफेटर (एक लिखत के रूप में) इन नोटों को या तो पूर्ण परिपक्वता तक अपने पास रखता है या फिर उन्हें किसी अन्य निवेशक को अनवलम्ब आधार पर बेच देता है। फिर इन नोटों का धारक प्रत्येक प्राप्य राशि का प्रलेख उनके देय होने पर उस बैंक को प्रस्तुत करता है जिस पर वे देय होते हैं।

साख पत्र को निर्यातक के देश में हस्तांतरणीय या सूचितकर्ता बैंक द्वारा पुष्टि किए जाने योग्य नहीं होना चाहिए; अपितु वह आवश्यक रूप से अन्तरराष्ट्रीय वाणिज्य मण्डल, पैरिस (यूसीपी 500) के प्रलेखी ऋण हेतु एक समान सीमा शुल्क एवं परम्परा (यूसीपीडीसी) के अधीन होना चाहिए। वचन पत्र या विनिमय बिल/ड्राफ्ट वास्तव में सर्वाधिक सामान्य रूप से फॉरफेट किए जाने वाले ऋण लिखत होते हैं। फॉरफेटिंग करार के अधीन उधारकर्ता के ऋण की प्रत्येक किस्त के लिए एक वचन पत्र या विनिमय बिल/ड्राफ्ट जारी किया जाता है, इस प्रकार आयातक पर निर्यातक के दावे के उस अस्तित्व को प्रलेखीकृत किया जाता है, जो पूर्णतः संक्षिप्त (abstract) होता है अर्थात् वह शर्त-रहित, अप्रतिसंहरणीय और अन्तर्निहित व्यापारिक लेनदेन से पृथक होता है।

सामान्यतया निर्यातक से फॉरफेटर द्वारा अपेक्षित प्रलेख निम्नानुसार होंगे :

(क) आपूर्ति संविदा या उसके भुगतान की शर्तों की प्रति।

(ख) साख पत्र या गारंटी, जो किसी बिल या नोट के भुगतान के सम्बन्ध में फॉरफेटर की अधिमन्य प्रतिभूति होते हैं। किसी साख पत्र/गारंटी को स्वीकार्य बनाने के लिए जारीकर्ता बैंक का अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित और विश्वसनीय होना आवश्यक होता है। याद रखने हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि कोई भी साख पत्र/गारंटी अप्रतिसंहरणीय, शर्त-रहित, विभाज्य और समनुद्देश्य होने/होनी चाहिए।

(ग) हस्ताक्षरित वाणिज्यिक बीजक की प्रति।

(घ) प्राप्ति प्रमाण पत्र, रेलवे बिल, हवाई -मार्ग बिल, लदान बिल या उसके समकक्ष प्रलेखों सहित पोतलदान प्रलेखों की प्रति।

(ङ) समनुदेशन पत्र और गारंटीदाता को सूचना पत्र।

7.2.3 फॉरफेटिंग के लाभ

फॉरफेटिंग परम्परागत अन्तरराष्ट्रीय व्यापार वित्तीयन पद्धतियों का एक लचीला, रचनात्मक विकल्प उपलब्ध कराती है तथा वह विकासशील राष्ट्रों में खरीदारों के साथ लेनदेन में विशेष रूप से उपयोगी होती है। निर्यातकों को फॉरफेटिंग से होने वाले लाभ निम्नानुसार हैं:

(क) फॉरफेटिंग 100 प्रतिशत वित्तीयन उपलब्ध कराती है -- वह भी अवलम्ब के बिना तथा निर्यातक के उधार क्षेत्र को हस्तगत किए बिना। इसका तात्पर्य यह है कि निर्यातक के एक बार वित्तपोषित निधि प्राप्त कर लेने पर उसे उक्त ऋण को चुकाने के उत्तरदायित्व से मुक्ति मिल जाएगी।

(ख) फॉरफेटिंग निर्यातक के नकदी प्रवाह को--प्राप्य राशियों को चालू नकदी अन्तर्वाह में परिवर्तित कर के बढ़ाती है तथा वह निर्यातक को उसकी चलनिधि बढ़ाने और उसकी निधि जुटाने की क्षमता को और अधिक बढ़ाने की उसकी योग्यता में वृद्धि लाने में सहायक होती है।

(ग) फॉरफेटिंग से प्रशासनिक लागत में बचत होती है--फॉरफेटिंग सुविधा का उपयोग करते हुए निर्यातक प्राप्य राशियों के प्रबन्धन के दायित्व से मुक्त हो जाएगा। इसके फलस्वरूप सम्बद्ध लागतों में अत्यधिक कमी आ जाएगी।

(घ) फॉरफेटिंग व्यापार के अवसर बढ़ाती है--फॉरफेटिंग की सहायता से निर्यातक अपने खरीदारों को मुक्त रूप से उधार सुविधा देने में समर्थ होता है और इस प्रकार वह बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बन जाता है।

(ङ) फॉरफेटिंग मूल्य अन्तरण की प्राप्ति में भी सहायक होती है--निर्यातक समनुरूपी वित्तीयन लागत को बिक्री मूल्य में भी अन्तरित कर सकता है।

(च) फॉरफेटिंग निर्यातक को विविध प्रकार के जोखिमों से बचने में भी समर्थ बनाती है--अर्थात् फॉरफेटिंग निर्यातक को आस्थगित भुगतान से उद्भूत होने वाले ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम, ऋण जोखिम जैसे विविध जोखिमों को अन्तरित करने में समर्थ बनाती है।

7.3. तुलन पत्र में शामिल न की जाने वाली मदें

तुलन पत्र में शामिल न की जाने वाली मदें बैंक की बहियों की ऐसी मदें होती हैं, जिनका बैंक के तुलन पत्र में उल्लेख नहीं किया जाता। ये मदें इस प्रकार की आस्तियां या देयताएं नहीं होतीं, जिनकी तुलन पत्र की तिथि को उसमें रिपोर्ट की जानी होती है, अपितु वे किसी निश्चित घटना के होने पर बाद वाली किसी तिथि को आस्ति या देयता के रूप में परिवर्तित हो सकती हैं। ये मदें कुछेक वचनबद्धताओं के उल्लंघन पर अवलम्बित होती हैं तथा इन्हें आकस्मिक देयताएं भी कहा जाता है। इन आकस्मिक देयताओं को तुलन पत्र की टिप्पणियों के रूप में प्रकटित किया जाना होता है। किन्तु इन वचनबद्धताओं के एक बार परिणत हो जाने पर, ये बैंक की आस्तियों या देयताओं का अंग बन जाती हैं तथा इन्हें तुलन पत्र में दर्शाना पड़ता है। इन मदों में निम्नलिखित का समावेश होता है :

(क) प्रत्यक्ष ऋण स्थानापन्न, अर्थात् ऋणग्रस्तता की सामान्य गारंटियां (ऋणों एवं प्रतिभूतियों के लिए वित्तीय गारंटियों के रूप में प्रयुक्त होने वाले आपाती साख पत्रों सहित) और स्वीकृतियां (स्वीकृति के स्वरूप वाले पृष्ठांकनों सहित)।

(ख) कुछेक लेनदेनों से सम्बन्धित अनुषंगी मदें (अर्थात् कार्य-निष्पादन बॉण्ड, बोली (Bid) बॉण्ड, आश्चस्तियां (warranties) तथा विशिष्ट लेनदेनों से सम्बन्धित आपाती साख पत्र)।

(ग) अल्पकालिक स्वयमेव-परिसमापक व्यापार से सम्बन्धित आकस्मिकताएं (जैसे अन्तर्निहित पोतलदानों द्वारा संपार्श्विक प्रलेखी ऋण)।

(घ) बिक्री एवं पुनर्खरीद करार तथा अवलम्ब सहित आस्ति की बिक्री, जिसमें ऋण जोखिम बैंक उठाता है।

(ङ) आस्ति की वायदा खरीद, वायदा निक्षेप और अंशतः प्रदत्त शेयर एवं प्रतिभूतियां, जो किसी ड्राडाउन (drawdown) के द्योतक होते हैं।

(च) नोट निर्गमन सुविधाएं तथा परिक्रामी हामीदारी सुविधाएं।

(छ) समग्र बकाया विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाएं।

(ज) संस्था अधिगृहीत करने की बहियों में अंतरण वित्त (Take-out finance)।

(i) शर्त-रहित अंतरण वित्त

(ii) सशर्त अंतरण वित्त

(iii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा में गैर-निधिक निवेश।

(झ) शेयर दलालों और शेयर संतुलनकर्ताओं की ओर से जारी गारंटियां।

(ञ) मानक आस्ति लेनदेनों के प्रतिभूतिकरण हेतु चलनिधि उपलब्ध कराने की वचनबद्धता।

(ट) विदेशी मुद्रा की आरंभिक स्थिति।

(ठ) सोने की आरंभिक स्थिति।

(ड) वायदा दर करार (FRA)/ ब्याज दर अदला-बदली (swap) (IRS)।

बैंक तुलन पत्र में शामिल न किए जाने वाले उनके निवेशों को तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं -पूर्ण जोखिम (ऋण स्थानापन्न) - आपाती साख पत्र, मुद्रा गारंटियां आदि; मध्यम जोखिम (ऐसे प्रत्यक्ष ऋण स्थानापन्न नहीं, जो विद्यमान वित्तीय बाध्यताओं को सहारा नहीं देते) - बोली (Bid) बॉण्ड, साख पत्र, क्षतिपूर्तियां और आश्चस्तियां (warranties) और न्यून जोखिम - प्रत्यावर्ती पुनः खरीद (reverse repos), मुद्रा अदला-बदली (swap), (भविष्य के लिए) विकल्प, भावी सौदे आदि। आइए हम इनमें से कुछेक मदों का विस्तार से अध्ययन करें।

7.3.1 गारंटियां

बैंक गारंटी उन सुविधाओं में से एक होती है जो बैंक अपने ग्राहकों को प्रदान करते हैं। गारंटी की संविदा वचन पूरा करने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चूक किए जाने की स्थिति में उसकी देयता का उन्मोचन करने की संविदा होती है। गारंटी संविदा में तीन व्यक्ति शामिल होते हैं; गारंटी देने वाले व्यक्ति को गारंटीदाता या प्रतिभू (जामिन) कहा जाता है, जिस व्यक्ति की ओर से गारंटी दी जाती है, उसे प्रधान देनदार (ऋणी) कहा जाता है और जिस व्यक्ति के पक्ष में गारंटी दी जाती है, उसे लेनदार या हिताधिकारी कहा जाता है।

गारंटी के प्रवर्तन का परिणाम निधियों के परिव्यय के रूप में नहीं होता। बैंक की देयता केवल तभी उद्भूत होती है जब ग्राहक जिस काम के लिए गारंटी जारी की गई है उसे पूरा करने में असफल हो जाता है और बैंक के लिए गारंटी के हिताधिकारी को कोई धनराशि देना आवश्यक हो जाता है। गारंटी सीमाओं के गैर-निधि आधारित सीमाओं के रूप में वर्गीकृत किए जाने का मुख्य कारण यही है। गारंटियों को आकस्मिक देयता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गारंटियों को व्यापक तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

- (क) कार्य-निष्पादन गारंटियां;
- (ख) वित्तीय गारंटियां;
- (ग) आस्थगित भुगतान गारंटियां;

कार्य-निष्पादन गारंटियां

ये ऐसी गारंटियां होती हैं जो किसी संविदा या बाध्यता/दायित्व के निष्पादन के सम्बन्ध में जारी की जाती हैं। बाध्यताओं/दायित्वों के गैर-निष्पादन या अल्प-निष्पादन की स्थिति में बैंक से गारंटी बाध्यता/दायित्व को पूरा न किए जाने के कारण होने वाली मौद्रिक हानि की गारंटीकृत रकम में से भरपाई करने के लिए कहा जाता है। यह जिस व्यक्ति की ओर से गारंटी जारी की गई है, उस व्यक्ति की कार्य-निष्पादन क्षमता की पुष्टि करने वाली गारंटी होती है। हालांकि, देयता घट कर मुद्रा में परिवर्तित हो जाती है।

निम्नलिखित गारंटियों को कार्य-निष्पादन गारंटियां माना जा सकता है :

निविदा राशि/बयाना धन जमा (EMD) के स्थान पर गारंटी, प्रतिभूति जमा के स्थान पर गारंटी तथा पोतलदान गारंटी।

वित्तीय गारंटियां

बैंक ग्राहकों द्वारा किसी सरकारी विभाग/अर्ध-सरकारी विभाग/बड़ी कम्पनियों के साथ निष्पादित की जाने वाली कुछेक संविदाओं में ग्राहक को संविदा के अधीन कार्य आरंभ करने तथा संविदाकृत काम/कार्य/परियोजना का निष्पादन आरंभ करने में समर्थ बनाने के लिए बैंक गारंटी पर एक निश्चित धनराशि का अग्रिम रूप से भुगतान किए जाने का प्रावधान होता है। उक्त अग्रिम संविदा के निष्पादन में समर्थ बनाता है। वह रकम जो गारंटीकृत होती है (यह संभव है कि गारंटी संविदा की रकम या उसके प्रतिशत से कम हो) ग्राहक को अग्रिम रूप से उपलब्ध करा दी जाती है तथा गारंटी की शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी शामिल होता है कि ग्राहक के संविदा की शर्तों को संविदा में उल्लिखित अवधि के भीतर पूरा न कर पाने की स्थिति में उक्त रकम का भुगतान बैंक द्वारा किया जाएगा। ऐसी स्थिति में ग्राहक को धन की सम्पूर्ण रकम प्राप्त हो जाती है तथा इस प्रकार की गारंटियों को मुद्रा गारंटियों के रूप में जाना जाता है।

वित्तीय /मुद्रा गारंटियों के उदाहरण निम्नानुसार हैं :

- (क) उधार के आधार पर माल की आपूर्ति हेतु बैंक गारंटी,
- (ख) सीमाशुल्क प्राधिकारियों के पक्ष में गारंटियां,
- (ग) कर प्राधिकारियों के पक्ष में बैंक गारंटियां।

आस्थगित भुगतान गारंटियां

ये गारंटियां आम तौर पर ग्राहकों द्वारा (भारत के या उसके बाहर के आपूर्तिकर्ताओं से) मशीनरी या इसी प्रकार के अन्य पूंजीगत उपकरण की खरीद की स्थिति में उद्भूत होती हैं। मशीनरी का विनिर्माता 10 प्रतिशत या 15 प्रतिशत के नकद भुगतान पर मशीनरी की आपूर्ति कर देता है और शेष रकम के बिल की खरीदार के बैंक से स्वीकृति प्राप्त कर लेता है या

वैकल्पिक रूप से मशीनरी का विक्रेता शेष रकम के लिए गारंटियां जारी करवा लेता है। इस प्रकार की गारंटियों को आस्थगित भुगतान गारंटियों के रूप में जाना जाता है।

7.3.2 साख पत्र

साख पत्र को खरीदार के बैंक द्वारा खरीदार की ओर से विक्रेता को दिए जाने वाले उस वचन के रूप में समझाया जा सकता है, जिसमें इस अंश का उल्लेख रहता है कि विनिर्दिष्ट प्रलेखों के विनिर्दिष्ट तिथि के भीतर प्रस्तुत किए जाने पर इस प्रकार के साख पत्र की शर्तों के अनुसार आहरित बिल की रकम का भुगतान वह बैंक करेगा जिसने ऋण (साख) की व्यवस्था की है।

साख पत्र से सम्बन्धित पक्ष

साख पत्र से अनिवार्यतः निम्नलिखित पक्ष सम्बन्धित होते हैं :

खरीदार : जिसे क्रेता के रूप में भी जाना जाता है या वह व्यक्ति जो साख पत्र हेतु आवेदन करता है।

खोलने वाली शाखा/वाला बैंक : वह शाखा/बैंक जो साख पत्र खोलती/ता है तथा अपनी ऋण अवस्थिति को खरीदार की ऋण अवस्थिति में मिला देता है।

विक्रेता : जिसे पोतलदानकर्ता के रूप में भी जाना जाता है तथा जो ऋण के तहत हिताधिकारी होता है।

परक्रामणकर्ता शाखा या बैंक : यह खोलने वाली शाखा के अलावा ही कोई ऐसी/सा शाखा या कोई अन्य बैंक होती/ता है जिसमें हिताधिकारी किसी साख पत्र के अधीन आहरित ड्राफ्टों का परक्रामण कर सकता है।

ऋण (साख) के प्रकार

1. **अप्रतिसंहरणीय- अवलम्ब-रहित साख पत्र :** इस प्रकार का साख पत्र हिताधिकारी या विक्रेता की सहमति के बिना उस खरीदार द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता जिसकी ओर से वह खोला गया है या उस बैंक द्वारा वापस नहीं लिया जा सकता, जिसने उसे खोला हो। उपर्युक्त प्रकार की साख (ऋण) के एक बार खोल दिए जाने पर तथा हिताधिकारी को सूचित कर दिए जाने पर उक्त साख (ऋण) के तहत आहरित ड्राफ्टों का उसके अधीन प्रलेखों के साथ साख की शर्तों के अनुसार पाए जाने पर, खोलने वाले बैंक द्वारा भुगतान किया जाना होगा। चूंकि यह 'अवलम्ब-रहित' साख पत्र होता है, इस प्रकार के बिलों का एक बार भुगतान कर दिए जाने पर हिताधिकारी के विरुद्ध किसी प्रकार का आश्रय नहीं लिया जा सकता।
2. **प्रतिसंहरणीय- अवलम्ब-रहित साख पत्र :** ये बैंकों और हिताधिकारियों के बीच कानूनी रूप से बाध्यकर वचन नहीं होते। इस प्रकार की साख (के ऋण) हिताधिकारी को सूचित किए बिना ही किसी भी क्षण आशोधित या निरस्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार के ऋणों (साख) के निरसन या आशोधन की प्राप्ति से पहले परक्रामणकर्ता शाखा/बैंक द्वारा प्रदत्त, परक्रामित या स्वीकृत बिल/बिलों को खोलने वाली/वाले शाखा/बैंक द्वारा सकारा (भुगतान किया) जाना होगा। इस प्रकार की साख (के ऋण) आम तौर पर आजकल प्रचलन में नहीं है।
3. **परिक्रामी साख पत्र :** परिक्रामी साख पत्र वह होता है जिसमें यह भी व्यवस्था होती है कि उसमें निर्धारित आहरण की रकम खरीदार और विक्रेता के बीच हुई सहमति के अनुसार एक निर्धारित अवधि के भीतर हिताधिकारी को बारंबार उपलब्ध होगी। इसमें आहरण की आवृत्ति को नियंत्रित करने तथा उस कुल सीमा को सीमित रखने का भी प्रावधान किया जा सकता है, जो इस प्रकार नियत तिथि के भीतर आहरित की जा सकती है।

हालांकि, बैंक इस बात पर बल देते हैं कि परिक्रामी साख पत्र में आम तौर पर पुनः स्थापन खण्ड के रूप में ज्ञात एक संरक्षक खण्ड शामिल कर लिया जाए।

7.3.3 वायदा विदेशी मुद्रा विनिमय संविदा

वायदा विदेशी मुद्रा विनिमय संविदा बैंक और उसके ग्राहकों के बीच एक पूर्व-निर्धारित दर पर किसी उल्लिखित विदेशी मुद्रा की एक विनिर्दिष्ट मात्रा खरीदने/बेचने हेतु निष्पादित की जाने वाली एक पुष्ट/निश्चित संविदा होती है। संविदा के निष्पादित हो जाने पर एक नियत तिथि को संविदाकृत विनिमय दर पर लेनदेन सम्पन्न हो जाएगा, उस समय की प्रचलित हाजिर दर चाहे जो भी क्यों न हो। वायदा विदेशी मुद्रा विनिमय संविदा स्वयं को विनिमय दरों में होने वाले उतार-चढ़ावों से संरक्षित रखने की एक पद्धति होती है। विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाएं विदेशी मुद्राओं में लेनदेनों से प्रतिरक्षा का सर्वाधिक सामान्य साधन हैं।

7.3.4 वायदा दर करार (FRA) ब्याज दर अदला-बदली (swap) (IRS)

वायदा दर करार (FRA) ब्याज दर अदला-बदली (swap) (IRS) इस प्रकार के लिखत होते हैं जो ब्याज दर जोखिमों के विरुद्ध प्रभावी प्रतिरक्षा उपलब्ध करा सकते हैं। वायदा दर करार या ब्याज दर अदला-बदली नियत/परिवर्ती ब्याज दरों पर दिए जाने वाले उधारों या लिए जाने वाले उधारों से पैदा होने वाले ब्याज दर जोखिमों से प्रतिरक्षा के साधन उपलब्ध कराते हैं।

वायदा दर करार प्रारंभ की तिथि से परिपक्वता तिथि तक की अवधि के लिए 'नाममात्र के मूलधन' की रकम के ब्याज के भुगतानों का निपटान तिथि को विनिमय करने के लिए दो पक्षों के बीच निष्पादित एक वित्तीय संविदा होता है। तदनुसार निपटान तिथि को सम्बन्धित पक्षों द्वारा एक-दूसरे को संविदा पर आधारित (नियत) नकदी तथा निपटान दर का भुगतान किया जाता है। निपटान दर उस दिन प्रचलित सहमत न्यूनतम/ संदर्भ दर होती है।

ब्याज दर अदला-बदली (स्वैप) एक विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान कई अवसरों पर एक 'नाममात्र के मूलधन' की रकम के ब्याज भुगतानों की एक धारा का विनिमय या अदला-बदली करने वाले दो पक्षों के बीच निष्पादित एक वित्तीय संविदा होती है। इस प्रकार की संविदाओं में सामान्यतया 'स्थायी से अस्थायी' या 'अस्थायी से अस्थायी' ब्याज दरों का विनिमय शामिल होता है। तदनुसार, अदला-बदली की अवधि के दौरान पड़ने वाली प्रत्येक भुगतान तिथि को सम्बन्धित पक्षों द्वारा एक-दूसरे को स्थायी/अस्थायी और अस्थायी दरों के आधार पर नकद भुगतान किए जाते हैं।

7.4 अपनी प्रगति जांचिए

- लेनदारी लेखा क्रय सेवाओं से आशय है :
 - बिलों की वसूली
 - लेखा बहियों का रख-रखाव
 - बिलों की भुनाई
 - उपर्युक्त सभी
- वह व्यवस्था जिसके अधीन बैंक विक्रेता को बिल के मूल्य का भुगतान कर देता है और बाद में उसे खरीदार से नियत तिथि को वसूल कर लेता है को -----कही जाती है।
 - बिल की भुनाई
 - फॉरफेटिंग
 - लेनदारी लेखा क्रय
 - कोई नहीं
- लेनदारी लेखा क्रय का वह प्रकार जिसके अधीन आढ़तिया विक्रेता से नियत तिथि को बिल की गैर-अदायगी की स्थिति में उसके द्वारा प्रदत्त रकम वापस वसूल कर लेता है -----कहा जाता है।
 - अवलम्ब लेनदारी लेखा क्रय
 - बिलों की भुनाई
 - अवलम्ब-रहित लेनदारी लेखा क्रय
 - बिलों की खरीद
- घरेलू लेनदारी लेखा क्रय में बिलों का वह भुगतान जो विक्रेता आढ़तिया से प्राप्त करता है----- होता है।
 - प्रस्तुतन के तत्काल बाद बिलों के मूल्य का 100 प्रतिशत
 - बिल सौंपने पर बिल की रकम का लगभग 80 प्रतिशत तथा शेष रकम नियत तिथि को
 - बिल सौंपने पर बिल की रकम का लगभग 80 प्रतिशत तथा शेष रकम नियत तिथि को खरीदार से उसकी वसूली करने के बाद
 - खरीदार से वसूली हो जाने के बाद ही बिल के मूल्य का 100 प्रतिशत
- अन्तरराष्ट्रीय लेनदारी लेखा क्रय में आढ़तियों की संख्या-----होगी।
 - 2
 - 1 या 2
 - 1
 - 2 से अधिक
- फॉरफेटिंग किसी निर्यातक को निर्यात से प्राप्य राशियों पर----- वित्त उपलब्ध कराती है।
 - निर्यातक से अवलम्ब सहित
 - दोनों
 - निर्यातक से अवलम्ब-रहित
 - कोई एक
- फॉरफेटर -----होता है।
 - निर्यातक और आयातक के बीच एक मध्यवर्ती
 - आयातक
 - निर्यातक
 - बैंक

8. फॉरफेटिंग निर्यातक को प्राप्य राशियों पर -----उपलब्ध कराती है।
 (क) 100 प्रतिशत वित्तीयन (ख) 80 प्रतिशत वित्तीयन
 (ग) फॉरफेटर के साथ हुई संविदा पर निर्भर करता है (घ) कोई नहीं
9. फॉरफेटिंग निर्यातक को निम्नलिखित जोखिमों से बचने में सक्षम बनाती है।
 (क) ब्याज दर जोखिम (ख) मुद्रा जोखिम
 (ग) ऋण जोखिम और राजनीतिक जोखिम (घ) सभी
10. बैंक गारंटियां -----द्वारा जारी की जाती हैं।
 (क) किसी बैंक (ख) केवल विनिर्दिष्ट बैंकों
 (ग) केवल इस प्रकार का कारोबार करने हेतु अनुमत बैंकों (घ) कोई नहीं
11. बैंक गारंटी में शामिल पक्षों की संख्या-----होती है।
 (क) तीन (ख) दो
 (ग) कई (घ) एक
12. साख पत्र -----में परिभाषित किया गया है।
 (क) भारतीय संविदा अधिनियम (ख) परक्राम्य लिखत अधिनियम
 (ग) सम्पत्ति का अन्तरण अधिनियम (घ) कोई नहीं
13. परिक्रामी साख पत्र वह होता है जिसमें यह व्यवस्था होती है कि उसमें निर्धारित आहरण की रकम -----हिताधिकारी को उपलब्ध होगी।
 (क) खरीदार और विक्रेता के बीच हुई सहमति के अनुसार एक निर्धारित अवधि के भीतर बारंबार
 (ख) कितनी भी बार
 (ग) केवल एक बार
 (घ) कोई भी नहीं
14. वायदा विदेशी मुद्रा विनिमय संविदा बैंक और उसके----- के बीच एक पूर्व-निर्धारित दर पर किसी उल्लिखित विदेशी मुद्रा की एक विनिर्दिष्ट मात्रा खरीदने/बेचने हेतु निष्पादित की जाने वाली एक पुष्ट/निश्चित संविदा होती है।
 (क) निर्यातकों (ख) आयातकों
 (ग) दोनों ही (घ) कोई नहीं

7.5 'अपनी प्रगति जांचिए' के उत्तर

1. (घ), 2. (क), 3. (क), 4. (ग), 5. (क), 6. (ख), 7. (क), 8. (क), 9. (घ), 10. (क), 11. (क), 12. (घ), 13. (क), 14. (ग).

7.6 प्रमुख शब्द

Factoring	लेनदारी लेखा क्रय सेवाएं
Forfeiting	फॉरफेटिंग
Guarantees	गारंटियां
Letter of Credit	साख पत्र
Forward Contracts	वायदा संविदाएं
Forward Rate Agreements	वायदा दर संविदाएं
Interest Rate swaps	ब्याज दर अदला- बदली

इकाई

8

जोखिम प्रबन्धन और बासेल II एक विहंगावलोकन

रूपरेखा

8.0 उद्देश्य

8.1 प्रस्तावना - जोखिम प्रबन्धन

- 8.1.1 जोखिम प्रबन्धन का कार्य
- 8.1.2 जोखिम प्रबन्धन की रूपरेखा
- 8.1.3 ऋण पुनरीक्षा व्यवस्था (LRM)
- 8.1.4 ऋण जोखिम
- 8.1.5 बाजार जोखिम
- 8.1.6 परिचालन जोखिम

8.2 प्रस्तावना - बासेल II

- 8.2.1 बासेल I करार
- 8.2.2 बासेल II करार
- 8.2.3 दूसरा स्तंभ - पर्यवेक्षी पुनरीक्षा प्रक्रिया
- 8.2.4 तीसरा स्तंभ - बाजार अनुशासन

8.3 अपनी प्रगति जांचिए

8.4 'अपनी प्रगति जांचिए' के उत्तर

8.5 प्रमुख शब्द

8.0 उद्देश्य

इस इकाई के गहन अध्ययन से आप निम्नलिखित को समझने में समर्थ हो जाएंगे :

- किसी बैंक के समक्ष उपस्थित होने वाले विविध प्रकार के जोखिम और उनका प्रभावी प्रबन्धन, तथा
- बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में बासेल II की अर्थच्छाया।

8.1 प्रस्तावना - जोखिम प्रबन्धन

वित्तीय मध्यस्थता की प्रक्रिया से गुजर रहे बैंकों को विविध प्रकार के वित्तीय और गैर-वित्तीय जोखिमों- यथा ऋण जोखिम, ब्याज दर जोखिम, विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम, चलनिधि जोखिम, इक्विटी मूल्य जोखिम, पण्य मूल्य जोखिम, विधिक (कानूनी) जोखिम, विनियामक जोखिम, प्रतिष्ठा जोखिम, परिचालन जोखिम आदि का सामना करना पड़ता है। ये जोखिम इस प्रकार की स्वतंत्र और परस्पर आश्रित घटनाएं होती हैं, जो बैंक/वित्तीय संस्था को प्रभावित करती हैं। जोखिम के एक क्षेत्र का विस्तार उसकी अन्य श्रेणियों तक हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए बैंकों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे उनके द्वारा उठाए गए जोखिमों के समग्र स्तर की पहचान, माप, निगरानी और नियंत्रण करें।

8.1.1 जोखिम प्रबन्धन का कार्य

जोखिम प्रबन्धन कार्य के व्यापक मानदंडों में निम्नलिखित का समावेश होना चाहिए :

- (क) संगठनात्मक ढांचा
- (ख) व्यापक जोखिम मापन दृष्टिकोण
- (ग) निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबन्धन नीतियां, जिन्हें अपेक्षाकृत व्यापक व्यावसायिक रणनीतियों, पूंजीगत शक्तियों, प्रबन्धन विशेषज्ञता तथा जोखिम उठाने की समग्र उत्सुकता से सुसंगत होना चाहिए।
- (घ) जोखिम उठाने के निर्णय को अभिशासित करने हेतु प्रयुक्त विवेकसम्मत सीमाओं की विस्तृत रूपरेखा सहित दिशानिर्देश एवं अन्य मानदंड
- (ङ) जोखिमों की रिपोर्टिंग करने, उन पर निगरानी रखने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए सुदृढ़ प्रबन्ध सूचना प्रणाली

- (च) सुनिर्धारित कार्यविधियां, प्रभावी नियंत्रण तथा व्यापक जोखिम रिपोर्टिंग ढांचा
 (छ) परिचालनात्मक विभागों से स्वतंत्र तथा जोखिम प्रबन्धन के लिए उत्तरदायित्व के स्तरों के सुस्पष्ट निरूपण सहित एक अलग जोखिम प्रबन्धन संगठन/ढांचा
 (ज) आवधिक पुनरीक्षा और मूल्यांकन।

8.1.2 जोखिम प्रबन्धन की रूपरेखा

प्रत्येक बैंक को अपने जोखिमों और जोखिम वहन करने की क्षमता का मूल्यांकन करने के बाद जोखिम सीमाएं निर्धारित कर लेनी चाहिए। संगठनात्मक स्तर पर समग्र जोखिम प्रबन्धन का कार्य एक स्वतंत्र जोखिम प्रबन्धन समिति को सौंपा जाता है। इस शीर्ष स्तरीय समिति का उद्देश्य एक समूह को बैंक के समक्ष उपस्थित होने वाले समग्र जोखिमों का मूल्यांकन करने तथा जोखिमों के उस स्तर का निर्धारण करने के उत्तरदायित्व के साथ अधिकार प्रदान करना होता है, जो बैंक के सर्वोत्तम हित में हो। जोखिम प्रबन्धन समिति के कार्य अनिवार्य रूप से बैंक की जोखिम प्रोफाइल की पहचान करना, उस पर निगरानी रखना और उसकी माप करना होते हैं। उक्त समिति नीतियां और कार्यविधियां भी तैयार करती है, उन मॉडलों का सत्यापन करती है जिनका जटिल उत्पादों के मूल्य निर्धारण में प्रयोग किया जाता है, बाजारों में होने वाली घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में जोखिम मॉडलों की पुनरीक्षा करती है तथा नये जोखिमों की पहचान भी करती है।

8.1.3 ऋण पुनरीक्षा व्यवस्था (LRM)

यह ऋण बही की गुणवत्ता के निरंतर मूल्यांकन तथा ऋण क्रियान्वयन में गुणात्मक सुधार लाने का एक प्रभावी उपकरण होता है। अतएव बैंकों ने ऋण पुनरीक्षा व्यवस्था (LRM) का उपयोग अधिक मूल्य वाले खातों के मामले में ऋण क्रियान्वयन की प्रभावशीलता के मूल्यांकन, ऋण श्रेणीकरण प्रक्रिया की ईमानदारी को बनाए रखने, ऋण हानि प्रावधान, पोर्टफोलियो की गुणवत्ता आदि का निर्धारण करने जैसे विविध क्षेत्रों में उत्तरदायित्व सौंपने के उद्देश्य से किया है। ऋण पुनरीक्षा व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हो सकते हैं :

- (क) ऐसे ऋणों की शीघ्रतापूर्वक पहचान करना जिनमें ऋण सम्बन्धी कमजोरियां आ जाती हैं तथा सुधारात्मक उपाय आरंभ करना,
 (ख) पोर्टफोलियो की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना तथा संभाव्य समस्यामूलक क्षेत्रों को विलग करना,
 (ग) ऋण हानि प्रावधान की पर्याप्तता के निर्धारण हेतु सूचना उपलब्ध कराना,
 (घ) ऋण नीतियों और कार्यविधियों की पर्याप्तता एवं उनके अनुपालन का निर्धारण तथा प्रासंगिक नियमों एवं विनियमों के पालन पर निगरानी रखना,
 (ङ) शीर्ष प्रबन्धन को ऋण स्वीकृति प्रक्रिया, जोखिम मूल्यांकन और स्वीकृति के उपरान्त वाली अनुवर्ती कार्रवाई सहित ऋण क्रियान्वयन से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराना।

पर्याप्त एवं सामयिक ऋण श्रेणीकरण किसी ऋण पुनरीक्षा व्यवस्था का मूलभूत संघटक होता है। ऋण श्रेणीकरण में ऋण गुणवत्ता का मूल्यांकन, समस्यामूलक ऋणों की पहचान तथा जोखिम रेटिंगों का समनुदेशन शामिल होता है। उपयुक्त ऋण श्रेणीकरण प्रणाली से पोर्टफोलियो की गुणवत्ता के मूल्यांकन और ऋण हानि प्रावधानों के निर्धारण में सहायता प्राप्त होनी चाहिए।

8.1.4 ऋण जोखिम

ऋण जोखिम को उधारकर्ताओं या प्रतिपक्षियों की ऋण गुणवत्ता में उस से जुड़ी हानियों की संभाव्यता के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी बैंक के पोर्टफोलियो में हानियां उधारों, व्यापार, निपटान और अन्य वित्तीय लेनदेनों से सम्बन्धित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में किसी ग्राहक या प्रतिपक्षी की असमर्थता या अनिच्छा के कारण होने वाली एकमुश्त चूक से उद्भूत होती हैं। वैकल्पिक रूप से हानियां ऋण की गुणवत्ता में आने वाली वास्तविक या अनुभूत गिरावट से उद्भूत पोर्टफोलियो के मूल्य में कमी के फलस्वरूप होती हैं। ऋण जोखिम किसी बैंक के किसी व्यक्ति, कम्पनी, बैंक, वित्तीय संस्था या शासक (sovereign) के साथ किए गए लेनदेन से पैदा होते हैं।

ऋण जोखिम निम्नलिखित रूप ले सकते हैं :

- (क) प्रत्यक्ष उधार (देना) : मूलधन और/या ब्याज की रकम चुकता नहीं की जा सकती।

- (ख) गारंटियां अथवा साख पत्र : देयता में परिणति के उपरान्त संघटकों से निधियों की आसन्न प्राप्ति नहीं हो सकती।
- (ग) खजाना परिचालन : सम्बन्धित संविदाओं के तहत प्रतिपक्षियों से प्राप्य भुगतान या आसन्न भुगतानों की श्रृंखला प्राप्त नहीं हो सकती या रुक सकती है।
- (घ) प्रतिभूतियों के लेनदेन का व्यवसाय : निधियों/प्रतिभूतियों के निपटान नहीं हो सकते।
- (8) सीमा-पार के निवेश (exposures) : विदेशी मुद्रा निधियों की उपलब्धता या उनका मुक्त अन्तरण या तो रुक सकता है या फिर शासक द्वारा उन पर प्रतिबन्ध लगाए जा सकते हैं।

इस पृष्ठभूमि में, यह अनिवार्य हो जाता है कि बैंकों के पास एक ऐसी सुदृढ़ ऋण जोखिम प्रबन्धन प्रणाली मौजूद हो जो इन कारकों के प्रति संवेदनशील और अनुक्रियाशील हो। ऋण जोखिम का प्रभावी प्रबन्धन व्यापक जोखिम प्रबन्धन का एक महत्वपूर्ण संघटक होता है तथा वह किसी भी बैंकिंग संगठन की दीर्घकालिक सफलता के लिए अनिवार्य होता है। ऋण जोखिम प्रबन्धन में ऋण जोखिम अनाश्रयताओं (exposures) की पहचान, मापन, निगरानी एवं नियंत्रण का समावेश होता है।

8.1.5 बाजार जोखिम

परम्परागत रूप से ऋण जोखिम प्रबन्धन बैंकों के लिए प्राथमिक चुनौती रहा है। क्रमिक विनियमन के फलस्वरूप बाजार के परिवर्तियों में हुए प्रतिकूल परिवर्तनों से उद्भूत ब्याज दर, विदेशी मुद्रा विनिमय दर, इक्विटी मूल्य तथा पण्य मूल्य जैसे बाजार जोखिम अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। बाजार को प्रभावित करने वाली वस्तुओं के मूल्य में होने वाले छोटे से परिवर्तन से भी बैंकों की आय और आर्थिक मूल्य में पर्याप्त परिवर्तन हो सकते हैं। बाजार जोखिम निम्नलिखित रूप लेता है :

- | | |
|---|----------------------|
| (क) चलनिधि जोखिम | (ख) ब्याज दर जोखिम |
| (ग) विदेशी मुद्रा विनिमय दर (forex) जोखिम | (घ) पण्य मूल्य जोखिम |
| (ङ) इक्विटी मूल्य जोखिम | |

8.1.6 परिचालन जोखिम

लेनदेनों के परिमाण में अभूतपूर्व वृद्धि, उच्च स्तरीय ढांचागत परिवर्तनों तथा जटिल सहायता प्रणालियों के एक दम बाद आधुनिक वित्तीय बाजारों में परिचालन जोखिम का प्रबन्धन सुदृढ़ जोखिम प्रबन्धन परम्पराओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता होता जा रहा है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकार के परिचालन जोखिम में आंतरिक नियंत्रणों और कारपोरेट अभिशासन में खराबियां शामिल होती हैं। इस प्रकार की खराबियों के कारण त्रुटि, धोखाधड़ी या समयबद्ध रीति से कार्य-निष्पादन करने में असफलता के माध्यम से वित्तीय हानि हो सकती है या बैंक का हित प्रभावित हो सकता है। सामान्यतया परिचालन जोखिम को किसी ऐसे जोखिम के रूप में परिभाषित किया जाता है जो बाजार या ऋण जोखिम या विविध प्रकार की मानवीय या तकनीकी गलतियों से उद्भूत होने वाली हानि जोखिम के रूप में श्रेणीकृत नहीं किया जाता। यह निपटान या भुगतान जोखिम तथा व्यवसाय में रुकावट, प्रशासनिक एवं विधिक जोखिमों का भी समानार्थी होता है। परिचालन जोखिम का ऋण एवं बाजार जोखिमों से किसी न किसी रूप में सम्बन्ध होता है। किसी व्यावसायिक लेनदेन के साथ जुड़ी परिचालनात्मक समस्या से ऋण या बाजार जोखिम पैदा हो सकता है।

8.2 प्रस्तावना - बासेल II

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (BCBS) बैंकिंग पर्यवेक्षी प्राधिकारियों की एक ऐसी समिति है जिसकी स्थापना 1985 में दस देशों के एक समूह वाले केन्द्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा की गई थी। इसमें बैंक के पर्यवेक्षी प्राधिकरणों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों तथा बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन, स्विटजरलैंड, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के केन्द्रीय बैंकों का समावेश है। इसकी बैठकें आम तौर पर बासेल में अन्तरराष्ट्रीय निपटान बैंक में आयोजित होती हैं, जहां इसका स्थायी सचिवालय स्थित है।

8.2.1 बासेल I करार

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (BCBS) ने पहले 1988 में तुलन पत्र में समाविष्ट और उसमें शामिल न किए जाने वाले व्यवसाय में विविध प्रकार की आस्तियों में जोखिम तत्वों को ध्यान में रखते हुए बैंकों के लिए पूंजी करार निष्पादित किया। अनिवार्य रूप से उपर्युक्त प्रणाली में तुलन पत्र की अस्तियों, गैर-निधिक मदों तथा तुलन पत्र में शामिल न किए जाने वाले अन्य निवेशों (exposures) को निर्धारित जोखिम भारों के अनुसार भारिता प्रदान की जाती है तथा बैंकों को जोखिम भारित आस्तियों और अन्य निवेशों के योग पर निरंतर आधार पर निर्धारित अनुपात के समकक्ष न्यूनतम अक्षुण्ण पूंजी निधि बनाए

रखनी होगी। बासेल। करार के तहत केवल ऋण जोखिम के तत्व पर ही विचार किया गया तथा पूंजी निधि की न्यूनतम आवश्यकता कुल जोखिम भारत आस्तियों का 8 प्रतिशत निर्धारित की गई थी। जोखिम समायोजित आस्तियों से आशय होगा निधिक और गैर-निधिक मदों का भारत योग। प्रतिशत भारिता के रूप में अभिव्यक्त ऋण जोखिम के स्तर तुलन पत्र की आस्तियों को तथा रूपान्तरण कारक तुलन पत्र में शामिल न की जाने वाली मदों को प्रदान किए गए हैं।

हालांकि, भारत में बैंकों के लिए जोखिम भारत आस्ति के अनुपात में न्यूनतम 9 प्रतिशत की पूंजी (CRAR)निरंतर आधार पर बनाए रखना आवश्यक है।

बैंकों की समग्र न्यूनतम पूंजी आवश्यकता निम्नलिखित रकम होगी :

(क) व्यापार बही में समाविष्ट मदों को छोड़कर तथा जोखिम भारिता के आधार पर काउण्टर पर लेनदेन की जाने वाली समस्त व्युत्पन्नियों पर प्रतिपक्षी ऋण जोखिम सहित समस्त ऋण अनाश्रयताओं (exposures) हेतु पूंजी आवश्यकता ; और

(ख) व्यापार बही में बाजार जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकता।

आस्तियों और तुलन पत्र में शामिल न की जाने वाली मदों के जोखिम समायोजित मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक आस्ति/मद के मूल्य में सम्बन्धित भारिताओं से गुणा किया जाएगा। न्यूनतम पूंजी अनुपात का परिकलन करने हेतु योग को ध्यान में रखा जाएगा।

8.2.2 बासेल II करार

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति ने 'पूंजी मापन एवं पूंजी मानकों का अन्तरराष्ट्रीय अभिसरण - एक संशोधित ढांचा 2004' शीर्षक वाली (जिसे आम तौर पर बासेल रिपोर्ट II कहा जाता है) एक रिपोर्ट प्रकाशित की। उक्त रिपोर्ट में अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत बैंकों की पूंजी पर्याप्तता को अभिशासित करने वाले पर्यवेक्षी विनियमनों के संशोधनों पर अन्तरराष्ट्रीय अभिसरण (सहमति) प्राप्त करने के लिए हाल के वर्षों में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति के कार्य परिणाम प्रस्तुत किए गए हैं। जून, 1999 में समिति के पूंजी पर्याप्तता ढांचे को संशोधित करने के पहले दौर वाले प्रस्तावों के प्रकाशन के बाद इन मूल प्रस्तावों में कई एक बहुमूल्य सुधार किए गए हैं। उक्त रिपोर्ट में पूंजी पर्याप्तता को मापने के लिए सहमत ढांचे और प्राप्त किए जाने वाले उन न्यूनतम मानकों के विवरण दिए गए हैं, जिन्हें उक्त समिति में राष्ट्रीय पर्यवेक्षी प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने वाले अपने सम्बन्धित देशों में अंगीकरण हेतु प्रस्तावित करेंगे। उक्त समिति उसके सदस्यों से यह अपेक्षा करती है कि वे अपने-अपने देशों में उपयुक्त अंगीकरण कार्यविधियों को अपनाते हुए इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और इसलिए ये वर्ष 2008 के अंत तक कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध होंगे।

1988 के करार के संशोधन से सम्बन्धित समिति के कार्य का मूलभूत उद्देश्य एक ऐसा ढांचा विकसित करना रहा है जो अन्तरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली की शोध क्षमता एवं स्थिरता को और भी सुदृढ़ बनाएगा जबकि इस आशय की पर्याप्त सहवर्तिता बनाए रखेगा कि पूंजी पर्याप्तता विनियमन अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक असमानता के पर्याप्त स्रोत न हों। समिति यह मानती है कि संशोधित ढांचे से बैंकिंग उद्योग द्वारा अपेक्षाकृत सुदृढ़ जोखिम प्रबन्धन परम्पराएं अपनाए जाने के कार्य को बढ़ावा मिलेगा तथा वह इसे इसके एक महत्वपूर्ण लाभ के रूप में देखती है।

संशोधित ढांचे को तैयार करने में समिति ने महत्वपूर्ण रूप से ऐसी जोखिम सुग्राही पूंजी आवश्यकताओं का निर्धारण करने का प्रयास किया है जो संकल्पना की दृष्टि से स्वस्थ हैं और उसके साथ ही अलग-अलग सदस्य देशों में विद्यमान पर्यवेक्षी और लेखांकन प्रणालियों की विशिष्ट विशेषताओं का समुचित सम्मान भी करती हैं। समिति ने बैंकों के लिए उनकी जोखिम-भारित आस्तियों के कम से कम 8 प्रतिशत जितनी कुल पूंजी धारित करने की सामान्य आवश्यकता, बाजार जोखिम के व्यवहार से सम्बन्धित 1996 के बाजार जोखिम संशोधन के मूलभूत ढांचे, और पात्र पूंजी की परिभाषा सहित 1988 के पूंजी पर्याप्तता ढांचे के प्रमुख तत्वों को बनाए रखा है।

संशोधित ढांचे का एक महत्वपूर्ण नवोन्मेष है बैंकों की आंतरिक प्रणालियों द्वारा पूंजी की गणना की निविष्टियों के रूप में उपलब्ध कराई गई जोखिम निर्धारण व्यवस्था का अधिकाधिक उपयोग।

संशोधित ढांचा 1988 के करार से अधिक जोखिम सुग्राही है, किन्तु उन देशों के लिए, जहां के स्थानीय बैंकिंग बाजार में जोखिम अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, तथापि इस पर विचार करना आवश्यक हो जाता है कि क्या बैंकों के लिए बासेल के तहत निर्धारित न्यूनतम मात्रा के अलावा भी अतिरिक्त पूंजी धारित करना आवश्यक होना चाहिए। यह बात विशेषतः अधिक विस्तीर्ण

(broad brush) मानकीकृत दृष्टिकोण के बारे में लागू होती है। हालांकि, आंतरिक रेटिंग-आधारित (IRB) दृष्टिकोण में भी भारी हानि वाली घटनाओं के जोखिम इस ढांचे में आम तौर पर अनुमत जोखिमों की अपेक्षा अधिक हो सकते हैं।

बासेल II के तीन स्तंभ

बासेल समिति का संशोधित ढांचा निम्नलिखित तीन स्तंभों पर आधारित है :

पहला स्तंभ : न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएं

(क) न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं और पूंजी संघटकों की गणना

(ख) ऋण जोखिम

-मानकीकृत दृष्टिकोण

-आंतरिक रेटिंग-आधारित दृष्टिकोण

-प्रतिभूतिकरण ढांचा

(ग) परिचालन जोखिम

(घ) बाजार जोखिम।

दूसरा स्तंभ : पर्यवेक्षी पुनरीक्षा प्रक्रिया।

तीसरा स्तंभ : बाजार अनुशासन

समिति ने बैंकों और पर्यवेक्षकों द्वारा संशोधित ढांचे के दूसरे (पर्यवेक्षी पुनरीक्षा) और तीसरे (बाजार अनुशासन) स्तंभों पर भी उपयुक्त ध्यान दिए जाने पर बल दिया है। यह महत्वपूर्ण है कि पहले स्तंभ की न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं के साथ ही बैंकों द्वारा उनकी पूंजी पर्याप्तता के मूल्यांकन और पर्यवेक्षकों द्वारा इस प्रकार के मूल्यांकनों की पुनरीक्षा किए जाने के प्रयासों सहित दूसरे के तहत वर्णित अपेक्षाओं के सुदृढ़ कार्यान्वयन की भी व्यवस्था की जाए। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाजार अनुशासन अन्य दो स्तंभों का पूरक हो, ढांचे के तीसरे स्तंभ के अधीन प्रावधानित प्रकटन भी आवश्यक होंगे।

पहला स्तंभ - न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएं

बैंक के पूंजी आधार में निम्नलिखित तीन प्रकार के पूंजी तत्व शामिल होते हैं : टियर 1, टियर 2, और टियर 3 पूंजी। टियर 1, टियर 2 और टियर 3 का योग निम्नलिखित सीमाओं की शर्त पर पूंजी आधार में शामिल किए जाने का पात्र होगा :

(क) टियर 2 (अनुपूरक) तत्वों के योग टियर 1 तत्वों के योग के अधिकतम 100 प्रतिशत तक सीमित रहेंगे।

(ख) गौण सावधि ऋण टियर 1 तत्वों के अधिकतम 50 प्रतिशत तक सीमित होंगे।

(ग) टियर 3 पूंजी बैंक की उस टियर 1 पूंजी के 250 प्रतिशत तक सीमित होगी जो बाजार जोखिमों को झेलने के लिए आवश्यक होती है।

(घ) जहां सामान्य प्रावधानों/सामान्य ऋण-हानि की आरक्षित निधि में आस्ति के कमतर मूल्यांकनों का प्रतिबिंबन करने वाली रकम या तुलन पत्र में मौजूद अन्तर्निहित किन्तु अनभिज्ञात हानियां शामिल हों, इस प्रकार के प्रावधानों की रकम या आरक्षित निधि अधिकतम 1.25 प्रतिशत तक सीमित होगी।

(ङ) आस्ति पुनर्मूल्यांकन की आरक्षित निधि जो अप्राप्त प्रतिभूतियों पर अन्तर्निहित अभिलाभ का रूप ले लेती है, 55 प्रतिशत के बड़े के अधीन रहेगी।

पूंजी तत्वों की परिभाषा

टियर 1 : केवल स्थायी शेयरधारकों की इक्विटी (जारी और पूर्णतः चुकता (प्रदत्त) सामान्य शेयरों/सामान्य स्टॉक और शाश्वत असंचयी अधिमान शेयरों) तथा प्रकटित आरक्षित निधियों (प्रतिधारित अर्जनों या अन्य अधिशेष, यथा - शेयर प्रीमियमों, प्रतिधारित लाभ, सामान्य आरक्षित निधियों और विधिक आरक्षित निधियों) के विनियोजनों द्वारा निर्मित या वर्धित का समावेश होता है।

(क) अप्रकटित आरक्षित निधियां अनुपूरक तत्वों में समावेश हेतु पात्र होती हैं, बशर्ते कि ये आरक्षित निधियां पर्यवेक्षक द्वारा स्वीकृत हों। इस प्रकार की आरक्षित निधियों में प्रतिधारित कर-पश्चात् लाभों के संचित अधिशेष के उस भाग का समावेश रहता है, जिसे कुछेक देशों के बैंकों को अप्रकटित आरक्षित निधि के रूप में बनाए रखने की अनुमति दी जा सकती है। इस तथ्य के बावजूद कि प्रकाशित तुलन पत्र में आरक्षित निधि अभिज्ञात नहीं की जाती, इसे वही उच्च गुणवत्ता और विशेषता प्राप्त होनी चाहिए जो प्रकटित आरक्षित पूंजी को प्राप्त होती है। इस प्रकार इसे किसी भी प्रावधान या अन्य ज्ञात देयता द्वारा भारग्रस्त नहीं किया जाना चाहिए, अपितु उसे अनपेक्षित भावी हानियों को पूरा करने के लिए मुक्त रूप से एवं

तत्काल उपलब्ध होना चाहिए। अप्रकटित आरक्षित निधियों की इस परिभाषा में तुलन पत्र में प्रतिभूतियों की धारिताओं से उद्धृत वाले उन प्रच्छन्न मूल्यों को शामिल नहीं किया गया है, जो वर्तमान बाजार मूल्य से कम हों।

(ख) पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियां टियर 2 में शामिल की जाती हैं तथा वे दो वर्षों में उद्धृत हो सकती हैं। पहला, कुछेक देशों में बैंकों (और अन्य वाणिज्यिक कम्पनियों) को अचल आस्तियों, आम तौर पर स्वयं उनके परिसरों को समय-समय पर बाजार मूल्यों में हुए परिवर्तनों के अनुरूप पुनर्मूल्यांकित करने की अनुमति दे दी जाती है। इनमें से कुछ देशों में इस प्रकार के पुनर्मूल्यन की रकम का निर्धारण कानून द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के पुनर्मूल्यन तुलन पत्र में पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि के रूप में दर्शाए जाते हैं। दूसरा, अप्रकट पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि के प्रच्छन्न मूल्य तुलन पत्र में परम्परागत अधिग्रहण लागत पर मूल्यांकित इक्विटी प्रतिभूतियों की दीर्घकालिक धारिताओं के फलस्वरूप मौजूद हो सकते हैं। दोनों ही प्रकार की पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियां टियर 2 में शामिल की जा सकती हैं, बशर्ते कि आस्तियां यथोचित रूप से मूल्यांकित की गई हों, कीमतों में उतार-चढ़ाव और जबरी बिक्री की संभावना का पूर्णरूपेण प्रतिबिंबन करती हों। अप्रकट पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियों के मामले में इस प्रकार की अप्राप्त पूंजी तथा उस पर नाममात्र के कर प्रभार का प्रतिबिंबन करने के लिए परम्परागत लागत वाले बही मूल्य और बाजार मूल्य के बीच अन्तर पर 55 प्रतिशत का बट्टा लागू किया जाएगा।

(ग) सामान्य प्रावधान/सामान्य ऋण-हानि की आरक्षित निधियां (ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करने वाले बैंकों के लिए) : ये प्रावधान या भविष्य के प्रति धारित ऋण-हानि की आरक्षित निधियां होते हैं। वर्तमान में, अनभिज्ञात हानियां, कालान्तर में परिणत होने वाली हानियां पूरी करने हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध होती हैं और इसलिए वे अनुपूरक तत्वों में समावेश के लिए पात्र होती हैं। विशिष्ट आस्तियों या ज्ञात देयताओं में अभिज्ञात गिरावट, चाहे वे अलग-अलग हों या समूह में, पर किए गए प्रावधान निकाल दिए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त भी, टियर 2 में समावेश हेतु पात्र सामान्य प्रावधान/सामान्य ऋण-हानि की आरक्षित निधियां जोखिम भारित अस्तियों के 1.25 प्रतिशत तक सीमित होंगी।

(घ) संमिश्र (ऋण/इक्विटी) पूंजी लिखत : इसमें कई प्रकार के ऐसे लिखत शामिल होते हैं, जिनमें इक्विटी पूंजी और ऋण की विशेषताएं सम्मिलित होती हैं। उनके वास्तविक विन्यास भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न होते हैं, किन्तु उन्हें निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी करनी चाहिए :

- (i) अप्रतिभूत, गौण और पूर्णतः चुकता (प्रदत्त);
- (ii) धारक की पहल पर या पर्यवेक्षी प्राधिकारी की पूर्व-सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं;
- (iii) बैंक को लेनदेन रोक देने के लिए बाध्य किए बिना (परम्परागत गौण ऋण के विपरीत) हानियों में सहभागिता करने हेतु उपलब्ध;
- (iv) यद्यपि इस पूंजी लिखत में इस प्रकार के ब्याज का भुगतान किए जाने की बाध्यता निहित हो सकती है, जिसे

(सामान्य शेयरधारकों की इक्विटी पर लाभांश के विपरीत) स्थायी रूप से कम या जिसका अधित्याग नहीं किया जा सकता, उसे (संचयी अधिमान शेयरों की भांति) जहां बैंक की लाभप्रदता भुगतान का समर्थन न करती हो, शोधन सम्बन्धी बाध्यताओं को आस्थगित रखने की अनुमति होनी चाहिए।

इन विशेषताओं वाले संचयी अधिमान शेयर इस श्रेणी में समावेश के पात्र होंगे।

(ङ) सावधि गौण ऋण : इसमें परम्परागत, अप्रतिभूत, गौण ऋण पूंजी लिखत, न्यूनतम पांच वर्ष से अधिक की मूल रूप से नियत परिपक्वता अवधि एवं सीमित जीवनकाल वाले प्रतिदेय अधिमान शेयर शामिल होते हैं। परिपक्वता में शेष अंतिम पांच वर्षों के दौरान इन लिखतों के नसमान मूल्य को प्रतिफलित करने के लिए निरंतर शक्ति के स्रोत के रूप में प्रति वर्ष 20 प्रतिशत का संचयी बट्टा (या परिशोधन) कारक लागू किया जाएगा। संमिश्र ऋण लिखतों के विपरीत, ये लिखत सामान्यतः उस बैंक की हानियों में सहभागिता करने हेतु उपलब्ध नहीं होते, जो लेनदेन जारी रखता है। इसी कारण के आधार पर ये लिखत टियर 1 के 50 प्रतिशत तक सीमित रहेंगे।

(iii) **टियर 3 : बाजार जोखिम को सुरक्षित करने वाले अल्पावधिक गौण ऋण** : बाजार जोखिमों को सुरक्षित करने हेतु पात्र पूंजी के मुख्य रूप में शेयरधारकों की इक्विटी और उपर्युक्त परिच्छेदों में यथा परिभाषित प्रतिधारित अर्जन (टियर I पूंजी) तथा अनुपूरक पूंजी (टियर II पूंजी) शामिल होती है। किन्तु बैंक उनके राष्ट्रीय प्राधिकारी के विवेक पर बाजार जोखिमों हेतु पूंजी आवश्यकताओं के एक अंश को पूरा करने के एकमात्र उद्देश्य हेतु अल्पावधिक गौण ऋण के समावेश वाली पूंजी के तीसरे टियर (टियर III) का भी नियोजन कर सकते हैं, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :

(क) बैंक टियर III पूंजी का उपयोग केवल बाजार जोखिमों को झेलने के लिए करने के पात्र होंगे।

(ख) टियर III पूंजी किसी बैंक की उस टियर I पूंजी के 250 प्रतिशत तक सीमित होगी जो बाजार जोखिम का सामना करने हेतु आवश्यक होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि बाजार जोखिमों से सम्बन्धित आवश्यकताओं के न्यूनतम लगभग 28.5

प्रतिशत अंश को उस टियर 1 पूंजी से पूरा किया जाना है जिसकी बही शेष में जोखिमों का सामना करने हेतु आवश्यकता नहीं पड़ती। टियर II के तत्वों को जब तक कि समग्र सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता उसी 250 प्रतिशत तक की टियर III से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, इसका तात्पर्य यह है कि पात्र टियर II पूंजी कुल टियर I पूंजी से अधिक नहीं होनी चाहिए, तथा दीर्घकालिक गौण ऋण टियर I पूंजी के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

(ग) राष्ट्रीय प्राधिकारियों को यह विवेकाधिकार प्राप्त होगा कि वे सामान्य रूप से अलग-अलग बैंकों के लिए या उनकी बैंकिंग प्रणालियों के लिए अल्पकालिक गौण ऋण के उपयोग से इन्कार कर दें। इसके अलावा, यह राष्ट्रीय विवेक का मामला है कि वर्तमान ढांचे में इस सिद्धान्त को लागू किया जाए अथवा नहीं कि टियर I पूंजी में कुल पात्र पूंजी के कम से कम 50 प्रतिशत का समावेश होना चाहिए अर्थात् यह कि कुल टियर I और टियर II पूंजी का योग कुल टियर I पूंजी से अधिक नहीं होना चाहिए।

अल्पकालिक गौण ऋण के टियर 3 पूंजी के रूप में पात्र होने के लिए, परिस्थितियों की मांग होने पर, यह आवश्यक होता है कि उसे किसी बैंक की स्थायी पूंजी का अंश बनने में सक्षम होना चाहिए और इस प्रकार उसे दिवालियेपन की स्थिति में हानि को अवशोषित करने हेतु उपलब्ध होना चाहिए। अतएव उसे आवश्यक रूप से कम से कम :

(क) अप्रतिभूत, गौण एवं पूर्णतः चुकता (प्रदत्त) होना चाहिए;

(ख) कम से कम दो वर्ष की मूल परिपक्वता अवधि वाली होना चाहिए;

(ग) जब तक कि पर्यवेक्षी प्राधिकारी सहमत न हो, सहमत चुकौती तिथि से पहले पुनर्देय नहीं होना चाहिए;

(घ) एक ऐसे निश्चित अवरुद्धता खण्ड के अधीन हो जिसमें यह विनिर्देश हो कि यदि इस प्रकार के भुगतानों का आशय यह हो कि बैंक उसकी पूंजी आवश्यकता से नीचे की श्रेणी में आ गया है या उससे नीचे की श्रेणी में ही बना हुआ है, तो (परिपक्वता पर भी) न तो ब्याज का और न ही मूलधन का भुगतान किया जाए।

पूंजी आधार से कटौतियां

टियर 1 से : प्रतिभूतिकरण निवेश (exposures) से उद्भूत सुनाम तथा इक्विटी पूंजी में वृद्धि घटा दी जाएगी।

निम्नलिखित तत्व टियर 1 से 50 प्रतिशत और टियर 2 से 30 प्रतिशत घटाए जाएंगे :

(क) असमेकित बैंकिंग एवं वित्तीय सहायक कम्पनियों में निवेश,

टिप्पणी : अनुमान है कि इस ढांचे को बैंकिंग समूहों पर समेकित आधार पर लागू किया जाएगा।

(ख) अन्य बैंकों एवं वित्तीय कम्पनियों की पूंजी में निवेश (राष्ट्रीय प्राधिकारी के विवेक पर),

(ग) अन्य वित्तीय संस्थाओं में महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक निवेश। जहां किसी प्रकार की कटौती नहीं लागू होती, अन्य बैंकों के पूंजी लिखतों में बैंक की धारिता पर 100 प्रतिशत का भार लागू होगा।

8.2.3 दूसरा स्तंभ - पर्यवेक्षी पुनरीक्षा प्रक्रिया

इस खण्ड में बैंकिंग जोखिमों के सम्बन्ध में समिति द्वारा तैयार किए गए पर्यवेक्षी पुनरीक्षा, जोखिम प्रबन्धन मार्गदर्शन और पर्यवेक्षी पारदर्शिता तथा जवाबदेही के प्रमुख सिद्धान्तों पर चर्चा की गई है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम के व्यवहार, ऋण जोखिम (दबाव-परीक्षण, चूक की परिभाषा, अवशिष्ट जोखिम तथा ऋण संकेन्द्रण जोखिम), परिचालन जोखिम, वर्धित सीमा-पार सम्प्रेषण और सहयोग तथा प्रतिभूतिकरण से सम्बन्धित मार्गदर्शन शामिल हैं।

पर्यवेक्षी पुनरीक्षा का महत्व

इस ढांचे की पर्यवेक्षी पुनरीक्षा प्रक्रिया का आशय केवल यह सुनिश्चित करना ही नहीं है कि बैंको के पास उनके व्यवसायों में निहित सभी जोखिमों को उठाने के लिए पर्याप्त पूंजी मौजूद हो, अपितु बैंकों को उनके जोखिमों पर निगरानी रखने तथा उनका प्रबन्धन करने हेतु बेहतर तकनीकों का विकास करने और उनका उपयोग करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी करना है।

पर्यवेक्षी पुनरीक्षा प्रक्रिया एक आन्तरिक पूंजी निर्धारण प्रक्रिया विकसित करने तथा पूंजी के ऐसे लक्ष्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में बैंकों के उत्तरदायित्व से परिचित है, जो बैंकों की जोखिम प्रोफाइल और नियंत्रण परिवेश के समनुरूप हों। इस ढांचे में यह सुनिश्चित करने का दायित्व पूर्ववत बैंक प्रबन्धन को ही निभाना है कि मुख्य न्यूनतम आवश्यकताओं से अधिक जोखिमों को उठाने के लिए बैंक के पास पर्याप्त पूंजी मौजूद हो।

पर्यवेक्षकों से यह अपेक्षित है कि वे इस बात का मूल्यांकन करें कि बैंक उनके जोखिमों के अनुपात में उनकी पूंजी आवश्यकताओं का निर्धारण कितने उपयुक्त ढंग से करते हैं, तथा जहां उचित हो, इसमें हस्तक्षेप करें। इस अन्तःक्रिया का आशय बैंकों और पर्यवेक्षकों के बीच इस प्रकार के संवाद की शुरुआत करानी है कि जब कमियों की पहचान हो जाए तो

जोखिम को कम करने या पूंजी को बचाए रखने के लिए त्वरित एवं निर्णायक कार्रवाई की जा सके। तदनुसार पर्यवेक्षक उन बैंकों पर अधिक गहनतापूर्वक ध्यान केन्द्रित करने के लिए कोई दृष्टिकोण अपनाने की इच्छा रख सकते हैं जिनके पास ऐसी जोखिम प्रोफाइलें और परिचालनात्मक अनुभव मौजूद हों जिनके लिए इस प्रकार की सावधानी आवश्यक होती है।

समिति बैंक द्वारा उसके जोखिमों के समक्ष धारित पूंजी की रकम और बैंक की जोखिम प्रबन्धन एवं आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के बीच विद्यमान सम्बन्ध से भी परिचित है। हालांकि, बढ़ी हुई पूंजी को बैंक के समक्ष उपस्थित होने वाले अधिक जोखिमों से निपटने के एकमात्र विकल्प के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। जोखिम प्रबन्धन को सुदृढ़ बनाने, आन्तरिक सीमाओं को लागू करने, प्रावधानों एवं आरक्षित निधियों के स्तर को मजबूती प्रदान करने तथा आन्तरिक नियंत्रणों में सुधार लाने जैसे जोखिमों से निपटने के अन्य साधनों पर भी आवश्यक रूप से विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा भी पूंजी को मौलिक रूप से अपर्याप्त नियंत्रण या जोखिम प्रबन्धन प्रक्रिया का स्थानापन्न नहीं माना जाना चाहिए।

तीन ऐसे मुख्य क्षेत्र हैं जो स्तंभ 2 के तहत व्यवहार के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हो सकते हैं। ये हैं : स्तंभ 1 के अधीन माने गए वे जोखिम जो स्तंभ 1 की प्रक्रिया (अर्थात् ऋण संकेन्द्रण जोखिम) द्वारा पूर्णतः गृहीत नहीं हैं; वे कारक जिनका स्तंभ 1 की प्रक्रिया में ध्यान नहीं रखा गया है (यथा- बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम, कारोबार और रणनीतिक जोखिम); तथा बैंक से बाहर वाले कारक (यथा- व्यवसाय चक्र के प्रभाव)। स्तंभ 2 का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है स्तंभ 1 की अधिक उन्नत पद्धतियों, विशेष रूप से ऋण जोखिम के लिए आईआरबी ढांचे तथा परिचालन जोखिम के लिए उन्नत मापन दृष्टिकोणों के न्यूनतम मानकों एवं प्रकटन सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुपालन का मूल्यांकन। पर्यवेक्षकों को यह अवश्य सुनिश्चित करना होगा की इन आवश्यकताओं को अर्हता सम्बन्धी मानदंडों और निरंतर आधार, दोनों ही दृष्टियों से पूरा किया जा रहा है।

पर्यवेक्षी पुनरीक्षा के चार प्रमुख सिद्धान्त

समिति ने पर्यवेक्षी पुनरीक्षा के चार प्रमुख सिद्धान्तों की पहचान कर रखी है, जो उस व्यापक पर्यवेक्षी मार्गदर्शन के पूरक हैं जिन्हें समिति द्वारा तैयार किया गया है। इसकी आधार-शिला है प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षण के मुख्य सिद्धान्त तथा उनकी कार्यप्रणाली। समिति द्वारा बैंकिंग जोखिमों के प्रबन्धन से सम्बन्धित विशिष्ट मार्गदर्शन की एक सूची भी उपलब्ध कराई गई है।

सिद्धान्त 1 : बैंकों के पास उनकी जोखिम प्रोफाइल के अनुपात में उनकी समग्र पूंजी पर्याप्तता के निर्धारण हेतु एक प्रक्रिया तथा उनके पूंजी स्तरों को बनाए रखने के लिए एक रणनीति मौजूद होनी चाहिए।

सिद्धान्त 2 : पर्यवेक्षकों को बैंकों के आन्तरिक पूंजी पर्याप्तता आकलनों एवं रणनीतियों के साथ ही साथ उनके द्वारा विनियामक पूंजी अनुपातों के अनुपालन पर निगरानी रखने और उसे सुनिश्चित करने की उनकी सामर्थ्य की पुनरीक्षा एवं मूल्यांकन करना चाहिए। पर्यवेक्षकों को इस प्रक्रिया के परिणामों से संतुष्ट न होने पर उपयुक्त पर्यवेक्षी कार्रवाई करनी चाहिए।

सिद्धान्त 3 : पर्यवेक्षकों को बैंकों से यह अपेक्षा करनी चाहिए कि वे न्यूनतम विनियामक पूंजी अनुपातों से अधिक पूंजी पर परिचालन करें तथा उनमें यह सामर्थ्य होना चाहिए कि वे बैंकों के लिए यह आवश्यक कर दें कि वे न्यूनतम से अधिक पूंजी रखें।

सिद्धान्त 4 : पर्यवेक्षकों को किसी विशिष्ट बैंक के जोखिम लक्षणों को झेलने के लिए आवश्यक पूंजी के न्यूनतम स्तरों से कम होने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए समय-पूर्व हस्तक्षेप करना चाहिए तथा पूंजी का रख-रखाव न किए जाने या उसे बनाए न रखे जाने पर त्वरित उपचारात्मक कार्रवाई करवानी चाहिए।

पर्यवेक्षी पुनरीक्षा प्रक्रिया के अधीन निराकरण किए जाने वाले विशिष्ट मुद्दे

समिति ने कई एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान की है जिन पर बैंकों और पर्यवेक्षकों को पर्यवेक्षी पुनरीक्षा प्रक्रिया को कार्यान्वित करते समय विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। इन मुद्दों में कुछेक उन प्रमुख जोखिमों और स्तंभ 1 के कुछेक पहलुओं पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षकों द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्धारणों का भी समावेश है जिनका स्तंभ 1 के तहत प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।

8.2.4 तीसरा स्तंभ - बाजार अनुशासन

प्रकटन आवश्यकताएं

समिति यह मानती है कि स्तंभ 3 का औचित्य पर्याप्त रूप से इतना सुदृढ़ है कि इस ढांचे का उपयोग करते हुए बैंकों के लिए प्रकटन सम्बन्धी आवश्यकताओं को लागू करना अनिवार्य हो जाए। पर्यवेक्षकों के पास उपायों का ऐसा विन्यास मौजूद है जिसका उपयोग वे बैंकों के लिए इस प्रकार के प्रकटन को आवश्यक बनाने में कर सकते हैं। इनमें से कुछेक प्रकटन विशिष्ट कार्यप्रणाली के उपयोग हेतु अर्हता मानदंडों या विशिष्ट लिखतों और लेनदेनों की पहचान से सम्बन्धित हो सकते हैं।

मार्गदर्शी सिद्धान्त

स्तंभ 3, बाजार अनुशासन का उद्देश्य न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं (स्तंभ 1) और पर्यवेक्षी पुनरीक्षा प्रक्रिया (स्तंभ 2) को पूरक बनाना है। समिति का ध्येय प्रकटन सम्बन्धी आवश्यकताओं का एक सेट तैयार कर के बाजार अनुशासन को प्रोत्साहित करना है, जिससे बाजार के सहभागियों को प्रयोज्यता के विषय-क्षेत्र, पूंजी, जोखिम अनाश्रयताओं (exposures), जोखिम निर्धारण प्रक्रियाओं और इसलिए, संस्था की पूंजी पर्याप्तता के सम्बन्ध में सूचना के मुख्य अंशों का आकलन करने का अवसर प्राप्त होगा। समिति यह मानती है कि इस प्रकार के प्रकटनों की उस ढांचे में प्रासंगिकता होती है, जहां आन्तरिक कार्यप्रणालियों पर निर्भरता बैंकों को पूंजी आवश्यकताओं का निर्धारण करने में और अधिक विवेकाधिकार प्रदान करती है।

सैद्धान्तिक रूप से बैंकों के प्रकटन वरिष्ठ प्रबन्धन और निदेशक मण्डल उसके जोखिमों का किस प्रकार निर्धारण एवं प्रबन्धन करते हैं उससे सुसंगत होने चाहिए। स्तंभ 1 के तहत बैंक उनके समक्ष उपस्थित होने वाले विविध जोखिमों तथा उनसे उद्भूत होने वाली पूंजी आवश्यकताओं को मापने में विनिर्दिष्ट दृष्टिकोणों/कार्यप्रणालियों का उपयोग करते हैं। समिति यह मानती है कि उन प्रकटनों को, जो इस सामान्य ढांचे पर आधारित होते हैं, उपलब्ध कराना बाजार को इन जोखिमों के प्रति बैंक की अनाश्रयता (exposures) के बारे में सूचित करने का एक प्रभावी साधन होता है तथा एक ऐसा सुसंगत और बोधगम्य प्रकटन ढांचा उपलब्ध कराता है जिससे उसकी तुलनीयता बढ़ जाती है।

यथोचित प्रकटन प्राप्त करना

समिति का अभिमत यह है कि पर्यवेक्षकों को प्रकटन आवश्यकता की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के अधिकार/शक्ति प्राप्त हैं। बाजार अनुशासन सुरक्षित और सुदृढ़ बैंकिंग परिवेश में सहायक हो सकता है तथा पर्यवेक्षक फर्मों के लिए एक सुरक्षित एवं सुदृढ़ विधि से परिचालन करना आवश्यक बना सकते हैं। सुरक्षा और सुदृढ़ता के आधार पर पर्यवेक्षक बैंकों के लिए सूचना प्रकटन आवश्यक बना सकते हैं। वैकल्पिक रूप से पर्यवेक्षकों को यह प्राधिकार होता है कि वे बैंकों से विनियामक रिपोर्टों में सूचना का प्रकटन करवा लें। कुछेक पर्यवेक्षक इन रिपोर्टों की कुछ या समस्त सूचनाओं को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करवा सकते हैं। इसके अलावा, कई एक ऐसी व्यवस्थाएं मौजूद हैं जिनके द्वारा पर्यवेक्षक आवश्यकताओं का प्रवर्तन करवा सकते हैं। ये व्यवस्थाएं अलग-अलग देशों में अलग-अलग प्रकार की होती हैं तथा वे बैंक के प्रबन्धन के साथ संवाद के माध्यम से (बैंक के व्यवहार में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से) नैतिक प्रत्यायन (suasion) से ले कर भर्त्सना या वित्तीय दण्ड (जुरमाने) तक होती हैं। प्रयोग में लाए जाने वाले सही उपाय का स्वरूप पर्यवेक्षक के कानूनी अधिकार/शक्ति तथा प्रकटन की कमी पर निर्भर करेगा। हालांकि, इसका आशय यह नहीं है कि प्रकटन न किए जाने का प्रत्यक्ष प्रत्युत्तर इसके नीचे यथा उल्लिखित को छोड़कर अतिरिक्त पूंजी आवश्यकताएं ही होंगी।

इसके पहले यथा वर्णित हस्तक्षेप के सामान्य उपायों के अलावा इस ढांचे में विशिष्ट उपायों की भूमिका की भी प्रत्याशा की गई है। जहां स्तंभ 1 के तहत अपेक्षाकृत कम जोखिम भारिता प्राप्त करने और/अथवा विशिष्ट व्यवस्थाएं लागू करने के लिए प्रकटन एक अर्हता मानदंड होता है, वहां प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध (अपेक्षाकृत कम भारिता या विशिष्ट व्यवस्था लागू किए जाने की अनुमति न दिए जाने के रूप में) लगाए जाएंगे।

8.3 अपनी प्रगति जांचिए

सही विकल्प का चयन करें :

क.1. निम्नलिखित में से किसी एक रूप से ऋण जोखिम नहीं उद्भूत होगा :

(क) प्रत्यक्ष उधार (दिए जाने) के मामले में : मूलधन या ब्याज की रकम चुकाई नहीं जा सकती;

(ख) गारंटियों या साख पत्रों के मामले में : देयता में परिणति के उपरान्त संघटकों से निधियों की आसन्न प्राप्ति नहीं हो सकती;

- (ग) खजाना परिचालन के मामले में : सम्बन्धित संविदाओं के तहत प्रतिपक्षियों से प्राप्य भुगतान या आसन्न भुगतानों की श्रृंखला प्राप्त नहीं हो सकती या रुक सकती है।
- (घ) कोई नहीं
2. परिचालन जोखिम विविध प्रकार की ----- से उद्भूत हानि का जोखिम होता है।
- (क) मानवीय त्रुटि
- (ख) बैंक में असफल प्रणालियां एवं कार्यविधियां
- (ग) आन्तरिक नियंत्रणों में खराबी
- (घ) उपयुक्त सभी
- ख.1.** बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति बैंकिंग पर्यवेक्षी प्राधिकारियों की एक ऐसी समिति है जिसकी स्थापना ----- द्वारा की गई थी।
- (क) दस देशों के एक समूह वाले केन्द्रीय बैंक के गवर्नरों
- (ख) यूरोपीय देशों
- (ग) भारत
- (घ) संयुक्त राज्य अमेरिका
2. बासेल 1 करार के अधीन बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति ने बैंकों के लिए पूंजी निधि की न्यूनतम आवश्यकता -----निर्धारित किया था।
- (क) कुल जोखिम भारित आस्तियों का 8 प्रतिशत
- (ख) कुल जोखिम भारित आस्तियों का 9 प्रतिशत
- (ग) कुल जोखिम भारित आस्तियों का 10 प्रतिशत
- (घ) 1000 करोड़
3. बासेल 1 ढांचा कितने स्तंभों पर आधारित है ?
- (क) 4 (ख) 3
- (ग) 2 (घ) 1
4. बासेल 2 के अधीन पूंजी आवश्यकताओं के लिए विचार किए गए जोखिम -----हैं।
- (क) ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम
- (ख) ऋण जोखिम, ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम
- (ग) ऋण जोखिम, राजनीतिक जोखिम, देश जोखिम
- (घ) कोई नहीं
5. बासेल 2 के तहत पहले स्तंभ में -----पर चर्चा की गई है।
- (क) न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं (ख) पर्यवेक्षी पुनरीक्षा
- (ग) बाजार अनुशासन (घ) प्रकटन मानदंडों
6. बासेल 2 ढांचे के अनुसार कुल अनुमत टियर 2 पूंजी अधिकतम -----तक है।
- (क) टियर 1 पूंजी के 100 प्रतिशत
- (ख) टियर 1 पूंजी के 250 प्रतिशत
- (ग) टियर 1 पूंजी के 80 प्रतिशत
- (घ) टियर 1 और टियर 3 पूंजी के 50 प्रतिशत
7. बैंकों की टियर 1 पूंजी में उसकी -----शामिल होती है।
- (क) चुकता (प्रदत्त) इक्विटी पूंजी
- (ख) जारी और पूर्णतः प्रदत्त सामान्य शेयर/सामान्य शेयर तथा निरंतर असंचयी अधिमान शेयर तथा प्रकटित आरक्षित निधियां
- (ग) प्राधिकृत पूंजी (घ) कोई नहीं
8. गौण सावधि ऋण अधिकतम -----तक सीमित होंगे।
- (क) टियर 1 तत्वों के 50 प्रतिशत (ख) टियर 1 तत्वों के 100 प्रतिशत
- (ग) टियर 1 तत्वों के 85 प्रतिशत
- (घ) कोई नहीं
9. टियर 3 पूंजी -----तक सीमित होगी।

(क) टियर III पूंजी किसी बैंक की उस टियर I पूंजी के 250 प्रतिशत तक सीमित होगी जो बाजार जोखिम का सामना करने हेतु आवश्यक होती है।

(ख) बैंक की टियर I पूंजी के 100 प्रतिशत

(ग) बैंक की टियर I पूंजी के 250 प्रतिशत

(घ) कोई नहीं

8.4 'अपनी प्रगति जांचिए' के उत्तर

क. 1, (घ) 2, (घ).

ख. 1, (क), 2. (क), 3. (ख), 4. (क), 5. (), 6. (क), 7. (ख), 8. (क), 9. (क).

8.5 प्रमुख शब्द

Liquidity Risk

Interest Rate Risk

Foreign Exchange Rate (Forex) Risk

Commodity Price Risk

Equity Price Risk

The Basel Committee on Banking Supervision

Capital Funds

Credit Risk

Operational Risk

Securitisation

Undisclosed Reserves

Risk-weighted Assets

चलनिधि जोखिम

ब्याज दर जोखिम

विदेशी मुद्रा विनिमय दर (Forex) जोखिम

पण्य मूल्य जोखिम

इक्विटी मूल्य जोखिम

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति

पूंजी निधियां

ऋण जोखिम

परिचालन जोखिम

प्रतिभूतिकरण

अप्रकटित आरक्षित निधियां

जोखिम-भारित आस्तियां

रूपरेखा

9.0 उद्देश्य

9.1 गठजोड़

9.1.1 गठजोड़ क्यों ?

9.1.2 रणनीतिक गठजोड़ - लाभ

9.2 विलयन

9.2.1 उद्देश्य

9.2.2 विलयन के प्रकार

9.2.3 लाभ

9.2.4 हानियां

9.3 समेकन

9.4 अभिग्रहण या अधिग्रहण

9.5 भारतीय बैंकिंग परिदृश्य में समेकन

9.6 अपनी प्रगति जांचिए

9.7 'अपनी प्रगति जांचिए' के उत्तर

9.8 प्रमुख शब्द

9.0 उद्देश्य

यह इकाई आपको निम्नलिखित में समर्थ बनाएगी :

- गठजोड़, विलयन और अभिग्रहण तथा समेकन के अर्थ को जानने;
- विलयन/समेकन के उद्देश्यों का अध्ययन करने;
- गठजोड़ों और विलयनों के लाभों एवं हानियों को जानने;
- भारतीय बैंकिंग उद्योग में विलयनों और गठजोड़ों की प्रगति एवं संभावनाओं का अध्ययन करने।

इससे आगे बढ़ने से पहले आइए हम गठजोड़, विलयन, समेकन, अधिग्रहण, अभिग्रहण आदि शब्दों के अर्थ को सुस्पष्ट रूप से समझ लें।

9.1 गठजोड़

रणनीतिक गठजोड़ कम्पनियों के बीच एक औपचारिक और 'पारस्परिक रूप से सहमत' वाणिज्यिक सहयोग होता है। भागीदार पारस्परिक अभिलाभ के लिए विशिष्ट व्यावसायिक संसाधनों का समूहन, विनिमय या एकीकरण कर लेते हैं, तथापि वे अलग-अलग व्यवसाय के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। यह एक ऐसी सहयोगी व्यवस्था होती है जिसके माध्यम से दो या उससे अधिक संगठन किसी व्यावसायिक कार्यकलाप में सहयोग करने हेतु सहमत होते हैं, जिसमें प्रत्येक सम्बन्धित कम्पनी विभिन्न शक्तियों एवं सक्षमताओं को उस व्यवस्था में लगा देती है। ये गठजोड़ इक्विटी-आधारित या गैर-इक्विटी - आधारित हो सकते हैं तथा ये विशिष्ट रूप से एक ऐसे सहकारी करार के साथ आरंभ होते हैं जो आगे चल कर निर्मित व्यवस्थाओं के एक पोर्टफोलियो के रूप में विकसित हो जाता है।

9.1.1 गठजोड़ क्यों ?

गंठजोड़ संक्रामक तेजी से बदलती बाजार की स्थितियों के बीच बाजार वृद्धि प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट उपकरण होता है। गंठजोड़ किसी कम्पनी की मुख्य सक्षमताओं को उसकी साथी कम्पनियों की सर्वोत्तम प्रकार की सक्षमताओं से जोड़ कर अपेक्षाकृत व्यापक व्यवसाय प्रणाली का निर्माण करने में सहायक हो सकते हैं।

किन्तु सभी गंठजोड़ सफल नहीं होते। प्रायः दो में से एक असफल हो जाते हैं। 'समस्यामूलक गंठजोड़ उद्योग के गति-सिद्धान्तों (उदाहरण के लिए विनियामक परिवर्तनों), नयी प्रौद्योगिकियों, नवागंतुकों या आर्थिक चक्र सहित कई कारकों के परिणाम हो सकते हैं।'

बाहरी शक्तियों से बच निकलने के साथ-साथ आन्तरिक गंठजोड़ संभाव्यताओं के अधिकतमकरण प्रयासों की गति में एक ऐसा ठोस गंठजोड़ आधार प्रदान करते हुए तीव्रता लाई जा सकती है, जिसमें अनुभव, पारस्परिक विश्वास, सुदृढ़ सम्बन्ध तथा स्वस्थ व्यावसायिक औचित्य शामिल हों। भलीभांति प्रबन्धित गंठजोड़ प्रचुर मूल्य का सृजन कर सकते हैं। विलयन एवं अभिग्रहण के एक विकल्प के रूप में परिचालनों में आउटसोर्सिंग, सहयोग से लाभ उठाने के माध्यम से लेनदेन लागतों में कमी लाने के लिए रणनीतिक गंठजोड़ और सहयोगपरक दृष्टिकोण के प्रयास किए जा सकते हैं और इस प्रकार सांस्कृतिक एकता से सम्बन्धित समस्याओं से बचा जा सकता है। विलयन / समेकन का लक्ष्य प्राप्त करना कठिन होने पर इस विकल्प को आजमाया जा सकता है। इसके अलावा, स्थानीय आर्थिक स्थितियों की पर्याप्त जानकारी के बिना विदेशी बाजारों में द्रुत विस्तार से अलग-अलग बैंकों की सुभेद्यता में वृद्धि हो सकती है और इसलिए किसी स्थानीय संस्था/कम्पनी के साथ रणनीतिक गंठजोड़ एक बेहतर निदान सिद्ध हो सकता है।

गंठजोड़ का एक उदाहरण है तीन मझोले आकार वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों - इंडियन बैंक, कार्पोरेशन बैंक और ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का एक साथ आ खड़े हो जाना - जिन्होंने अक्टूबर 2006 में एक 'रणनीतिक गंठजोड़' करार किया है। बैंकों की उनके सम्मिलित तुलन पत्र की शक्तियों का लाभ उठाने और भारी पैमाने की किफायतों के लाभों में हिस्सेदारी करने में सहायता करने के उद्देश्य से किए गए गंठजोड़ आज के भारतीय बैंकिंग अवकाश में प्रचलित गति-सिद्धान्त के परिचायक है। वर्तमान गतिविधियाँ हैं : सूचना प्रौद्योगिकी मंच में प्रारंभिक तौर पर एटीएमों के लिए साझेदारी का पूर्वानुमान करना, निधीयन हेतु विशाल परियोजनाओं के मूल्यांकन का काम हाथ में लेने के लिए मुंबई में एक संयुक्त मूल्यांकन कक्ष का गठन करना, एक-दूसरे के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभागिता करना तथा एक साझे डाटा केन्द्र की स्थापना करना।

9.1.2 रणनीतिक गंठजोड़ - लाभ

रणनीतिक गंठजोड़ों से उद्यमों को निम्नलिखित लाभ होते हैं :

- (क) अनुसंधान एवं उत्पाद विकास हेतु पूंजी में वृद्धि और तथापि अपेक्षाकृत कम जोखिम (नवोन्मेष)
- (ख) उत्पाद की समय-सीमाओं और जीवन चक्रों में कमी (समय सम्बन्धी दबाव)
- (ग) उन पूरक कौशलों और आस्तियों को एक साथ लाने की योग्यता जिनका उनमें से कोई भी एक कम्पनी अपने तौर पर सरलता से विकास नहीं कर सकती
- (घ) कम्पनी की सरहदों से बाहर के ज्ञान एवं विशेषज्ञता तक पहुंच (प्रौद्योगिकी हस्तांतरण)
- (ङ) द्रुत गति से मान, महत्वपूर्ण मानक और संवेग प्राप्त करना (भारी पैमाने की किफायतें - अपेक्षाकृत विशालता बेहतर है)
- (च) चैनल और अन्तरराष्ट्रीय बाजार में उपस्थिति में विस्तार (विदेशी बाजारों में प्रवेश)
- (छ) उद्योग में विश्वसनीयता एवं ब्रॉण्ड जागरूकता का निर्माण
- (ज) ग्राहकों को योजित मूल्य उपलब्ध कराना (मूल्य-योजन)
- (झ) उद्योग के लिए इस प्रकार के प्रौद्योगिकीय मानकों की स्थापना जिनसे फर्म को लाभ प्राप्त हो।

रणनीतिक गंठजोड़ सभी रूपों एवं आकारों में होते हैं तथा उनमें संविदात्मक से लेकर इक्विटी वाले रूप तक के व्यापक श्रेणी वाले सहयोग भी शामिल होते हैं।

9.2 विलयन

विलयन, जिसे समामेलन के रूप में भी जाना जाता है, को दो या उससे अधिक कम्पनियों के एक ही कम्पनी में समूहन के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक तो अपने नाम (या संयुक्त रूप से एक नये नाम) के साथ अस्तित्ववान रहती है तथा दूसरी अपना कारपोरेट अस्तित्व खो बैठती है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार 'विलयन' से आशय है 'दो वाणिज्यिक

कम्पनियों को एक ही में मिलाना' और 'समामेलन' से आशय है 'दो या उससे अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का एक ही में विलयन'। विलयित होने वाली कम्पनी की (तुलन पत्र में शामिल और उसमें शामिल न की जाने वाली, दोनों ही मर्दों की) समस्त आस्तियां और देयताएं अस्तित्ववान कम्पनी में हस्तांतरित हो जाती हैं। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में इस प्रकार के समामेलन का एक उदाहरण है ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का विलयन।

9.2.1 उद्देश्य

विनिर्माण एवं सेवा कार्यकलापो की वृद्धि और उनके विविधीकरण के लिए विलयन को एक अच्छी वाणिज्यिक परम्परा माना जाता है। विलयन निम्नलिखित विशेषताओं से अभिप्रेरित होते हैं :

- (क) कार्यकलापों के क्षेत्रों को विविधीकृत करना; अधिकतम आकार वाला कारोबार प्राप्त करना;
- (ख) निविष्टि (input) आपूर्ति के कुच्छेक मुख्य कारकों और अड़चनों को दूर करना;
- (ग) लाभप्रदता बढ़ाना;
- (घ) ग्राहक को बेहतर सेवा प्रदान करना;
- (ङ) बड़े पैमाने और आकार की आन्तरिक एवं बाहरी किफायतें लाना;
- (च) बाजार मूल्य की अपेक्षा कम मूल्य पर आस्तियां अभिगृहीत करना;
- (छ) अलग-अलग उद्यमों को एकल नियंत्रण के अधीन लाना;
- (ज) किसी अनुग्रह अवधि के बिना विकास करना और रुग्ण इकाई का पोषण करना तथा किसी परिचालनाधीन प्रतिष्ठान को अभिगृहीत करते हुए कर लाभ प्राप्त करना।

9.2.2 विलयन के प्रकार

विलयन चार प्रकार के होते हैं अर्थात् सम स्तरीय विलयन, विषम स्तरीय विलयन, संकेन्द्रित विलयन और संपिंडित विलयन। सम स्तरीय विलयन आम तौर पर दो या उससे अधिक ऐसी कम्पनियों के विलयन से सम्बन्धित होता है जो एक जैसे ही उत्पादों का निर्माण करती हैं या उसी प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं अर्थात् ऐसे उत्पाद या सेवाएं जो एक-दूसरे से प्रत्यक्ष रूप में प्रतिस्पर्धा करते हों। इस प्रकार के विलयन के परिणामस्वरूप सामान्यतया उस विशिष्ट उद्योग में प्रतिस्पर्धियों की संख्या में कमी आ जाती है तथा उससे प्रतिस्पर्धा में भी कमी आ सकती है या वह समाप्त ही हो सकती है। विषम स्तरीय विलयन दो ऐसी कम्पनियों के विलयन से सम्बन्धित होता है, जिसमें से एक कम्पनी दूसरी को माल या सेवाओं की वास्तविक या संभाव्य आपूर्तिकर्ता होती है। इस प्रकार के विलयन का उद्देश्य आपूर्ति का एक स्रोत या उत्पादों का एक बिक्री केन्द्र सुनिश्चित करना हो सकता है और उसका प्रभाव कार्यकुशलता में वृद्धि के रूप में सामने आ सकता है।

संकेन्द्रित या सजातीय विलयनों में दोनों कम्पनियां मूलभूत प्रौद्योगिकियों, उत्पादन प्रक्रियाओं या बाजारों के माध्यम से सम्बन्धित हो सकती हैं। विलयित कम्पनी अस्तित्ववान कम्पनी को उत्पाद श्रृंखला, बाजार या प्रौद्योगिकी में सहभागिताओं का एक विस्तार उपलब्ध कराती है। इस प्रकार के विलयन उसे इसके पूर्व प्राप्त होने वाले प्रतिलाभों से अपेक्षाकृत अधिक दिलाने वाले सम्बन्धित बाजार को विविधीकृत करने के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराते हैं। संपिंडित विलयन न तो प्रतिस्पर्धियों को एक साथ लाने के उद्देश्य से होते हैं और न ही उनके बीच कोई विषम सम्बन्ध होता है। इसमें कार्यकलापो में विविधीकरण लाने का एक प्रबल तत्व शामिल होता है। इस प्रकार इस श्रेणी के विलयन में एक कम्पनी विविधीकरण के माध्यम से अर्जन में अधिकाधिक स्थिरता लाने या बड़े पैमाने की किफायतों आदि से लाभ उठाने के उद्देश्य से अन्य उद्योगों में परिचालनरत कम्पनियों का अभिग्रहण करते हुए अपने राजस्व का अधिकांश एक विशिष्ट उद्योग से प्राप्त करती है।

9.2.3 लाभ

- (क) परिचालनों में सहयोग तथा निविष्टियों, उत्पादन एवं सुपुर्दगी में बड़े पैमाने की किफायतें लाता है जिसके फलस्वरूप अभिग्रहणकर्ता को लागत में बचत होती है।
- (ख) बढ़े हुए आकार के कारण ऊपरी पंक्ति (बिक्री की मात्रा) तथा निचली पंक्ति (लाभ) में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है।
- (ग) बाजारों में पैठ बनाने के अवसर निर्मित करता है - रणनीतिक लाभ।
- (घ) वर्धित ग्राहक सहूलियत तथा बाजारों में उपलब्ध विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए एक सुदृढ़ विपणन के प्रारंभिक भाग के निर्माण में सहायक होता है।
- (ङ) उनके व्यवसाय क्षेत्र में विश्व-स्तरीय मानकों की प्राप्ति में समर्थ बनाता है।

(च) उत्पाद नवोन्मेष को सुगम बनाता है, क्योंकि उनके संसाधन इस दृष्टि से अधिक पूरक हैं।

9.2.4 हानियां

(क) दो कम्पनियों के विलयन के फलस्वरूप बाजार में प्रतिस्पर्धा में कमी आ सकती है, जिससे उपभोक्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है।

(ख) बाजार के अधिकारों /की शक्तियों का दुरुपयोग हो सकता है।

(ग) समेकन से उद्भूत होने वाले अपेक्षाकृत अधिक संकेन्द्रण में प्रणालीगत जोखिम की संभाव्यता अधिक हो सकती है।

9.3 समेकन

समेकन को दो विद्यमान कम्पनियों को एक नयी कम्पनी के रूप में संयुक्त करने के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें दोनों ही विद्यमान कम्पनियां समाप्त हो जाती हैं तथा एक नयी कम्पनी बना या सृजित कर ली जाती है। विद्यमान कम्पनियां अपनी पहचान खो देती हैं तथा एक अलग या उसी नाम से एक नयी कम्पनी सृजित कर ली जाती है। दोनों ही कम्पनियों की आस्तियां एवं देयताएं नयी कम्पनी में मिला दी जाती हैं। भारतीय कारपोरेट इतिहास में हम बिड़ला समूह की कम्पनियों 'इंडियन रेयान एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड' और 'इंडो गल्फ इंडस्ट्रीज लिमिटेड' के उदाहरण का उल्लेख कर सकते हैं, जिनका समेकन इस समय अस्तित्ववान आदित्य बिड़ला नुवो लिमिटेड नामक नयी कम्पनी को जन्म देने हेतु किया गया था।

9.4 अभिग्रहण या अधिग्रहण (Take-over)

किसी कम्पनी के अभिग्रहण या अधिग्रहण से आशय है किसी एक कम्पनी के स्वामित्व में किसी अन्य कम्पनी द्वारा नियंत्रक जोखिमों का अधिगृहीत कर लिया जाना। यह कार्य सामान्यतया एक कम्पनी द्वारा किसी अन्य कम्पनी की शेयर पूंजी की या तो शत्रुतापूर्ण विधि से या फिर वर्तमान स्वामियों की सहमति से खरीदी करके किया जाता है।

9.5 भारतीय बैंकिंग परिदृश्य में समेकन

उदारीकृत युग में, भारतीय बैंकों को चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धी बनना होगा और अवसरों से लाभ उठाना होगा। किसी बैंक के अंतिम ध्येय उसके बाजार अंश को बढ़ाना, अधिक विविधीकृत होना, किसी नये व्यवसाय में प्रवेश करने से सम्बन्धित जोखिम को कम करना तथा व्यवसायों की विभिन्न धाराओं का अभिग्रहण करते हुए प्रतियोगी लाभ को पुनर्परिभाषित करना होते हैं। समेकन बैंकों को नयी सक्षमताएं, प्रौद्योगिकियां एवं उत्पाद उपलब्ध कराएगा, प्रवेश में आने वाले अवरोधों पर काबू पाने में सहायता करेगा, नये बाजारों में तत्काल प्रवेश सुनिश्चित करेगा तथा संसाधनों के समेकन के माध्यम से परिचालन लागतों में कमी लाएगा। वर्तमान बैंकों के निजी और अन्तरराष्ट्रीय बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए रणनीतिक कारक होंगे आकार, सेवा की गुणवत्ता तथा महत्वपूर्ण मानकों की प्राप्ति के माध्यम से अल्प लागत वाले वित्त। कमजोर बैंकों के जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु विनियामक द्वारा प्रारंभ किए जा रहे विलयनों के अनुभवों के विपरीत निजी बैंकों के बीच और निजी बैंकों के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ बाजार से प्रभावित विलयनों की प्रवृत्ति में तेजी आ सकती है। समेकन लघु से लेकर मध्यम आकार वाले उद्यमों (SME) को उधार, क्रेडिट कार्ड और बीमा जैसे व्यवसाय के विशिष्ट क्षेत्रों को शामिल करते हुए रणनीतिक गंतजोड़ों या भागीदारियों के माध्यम से हो सकता है।

भारतीय बैंकिंग में विलयन कोई नयी घटना नहीं है तथा इनका क्रम 1921 में ही आरंभ हो गया था। वास्तव में 1921 में तीन प्रेसिडेंसी बैंकों - दि बैंक ऑफ बंगाल, दि बैंक ऑफ बॉम्बे और दि बैंक ऑफ मद्रास इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया में समामेलित किए गए थे, जिसे अब भारतीय स्टेट बैंक कहा जाता है। पिछले कुछेक वर्षों में कई एक छोटे बैंकों का अपेक्षाकृत बड़े बैंकों में विलयन किया गया, जैसा कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नैशनल बैंक में, बैंक ऑफ तमिलनाडु का इंडियन बैंक में आदि। हाल ही के कुछ वर्षों में भारत में कतिपय विलयन हुए हैं, किन्तु वे आवश्यक रूप से व्यावसायिक कारणों से नहीं, अपितु कुछेक रुग्ण बैंकों को बचाने (उनकी जमानत देने या bail out) के लिए हुए हैं। हाल ही के दिनों में हुए कुछेक विलयन हैं ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड का ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ विलयन तथा यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक का भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के साथ विलयन। बाजार से प्रभावित विलयन का एक उदाहरण टाइम्स बैंक के एचडीएफसी बैंक के साथ विलयन और बैंक ऑफ मदुरा के आईसीआईसीआई बैंक के साथ विलयन में मिलता है। हाल ही के दिनों में अधिक व्यवहार्य व्यावसायिक इकाइयों की स्थापना करने और परिचालनों में आई निरर्थकताओं में कमी लाने के लिए कई एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) का भी विलयन किया गया है। बाजार में शहरी सहकारी बैंकों के परिदृश्य में भी विलयन की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई है।

चालू आर्थिक सुधारों तथा भविष्य में उदारीकरण की प्रक्रिया में और तेजी आने के फलस्वरूप और विश्व व्यापार संगठन (WTO) के टैरिफ और व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार (GATT) के प्रवृत्त हो जाने के परिणामस्वरूप वैविध्यपूर्ण बाजार का अनुभव तथा वित्तीय सुदृढता वाले बड़े अन्तरराष्ट्रीय बैंकों के भारतीय बैंकिंग की रंगभूमि में प्रवेश होने पर भारतीय बैंकों को अपेक्षाकृत कठिन प्रतियोगिता का सामना करना होगा। प्रतियोगी एवं सुदृढ निजी और विदेशी बैंक अन्य कमजोर और विखंडित बैंकों को परिचालनों में लाभप्रदता एवं कार्यकुशलता के सम्बन्ध में तुलना किए जाने योग्य बना देंगे। इससे कमजोर और अपेक्षाकृत छोटे बैंकों समेकन को अपनाने या समाप्त हो जाने पर विवश हो जाएंगे।

मार्च, 2008 में भारत में लगभग 89 वाणिज्यिक विदेशी, निजी और सरकारी बैंक तथा कुछेक सौ सहकारी बैंक हैं। इसके अलावा लगभग छियानबे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी हैं। भारतीय स्टेट बैंक और उसके सात सहयोगियों की लगभग 13,800 शाखाएं हैं; उन्नीस राष्ट्रीयकृत बैंकों की 33,500 शाखाएं हैं; क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की करीब 14,500 शाखाएं तथा विदेशी बैंकों की लगभग 215 शाखाएं हैं। विखंडन के इस स्तर को सुधारे जाने की आवश्यकता है, ताकि चार से पांच तक 'उचित-आकार' वाले, भारतीय स्टेट बैंक के आकार के विश्व-स्तरीय मानकों, जो उन्हें विश्वव्यापी अवसरों के प्रोत्साहनों का प्रत्युत्तर देने में समर्थ बनाएंगे, वाले बैंकों का गठन किया जा सके। आकार बैंकों को चुनिंदा कम्पनियों को बड़ी रकम में उधार देने में समर्थ बनाता है, जिसके द्वारा बेहतर गुणवत्ता वाली आरिस्त बही सुनिश्चित होती है। इसके अलावा, ऐसे खुदरा उत्पादों की व्यापक किस्मों के लिए महत्वपूर्ण ऊर्ध्ववर्ती आधारभूत सुविधा आवश्यक होती है, जिनकी आज के ग्राहक-प्रेरित बैंकिंग परिवेश में मांग की जाती है। इस प्रकार की विशाल आधारभूत सुविधा को केवल बड़े आकार वाले बैंकों द्वारा ही प्रभावी रूप से बनाए रखा जा सकता है। बैंकिंग उद्योग में वृद्धि के लिए निरंतर पूंजी लगाना एक आवश्यक संघटक होता है। छोटे बैंकों की अपेक्षा बेहतर मूल्यांकनों पर पूंजी बढ़ाने का सामर्थ्य बड़े बैंकों में ही होता है।

वित्तीय बाजार से पूंजी जुटाए जाने से बैंकों को स्वामित्व और प्रबन्धन के मूल स्वरूप में और कमी लाए बिना समेकन में सहायता प्राप्त होगी तथा वे विश्वव्यापी प्रतियोगिता का सामना करने में समर्थ होंगे। घटी मध्यस्थता लागतों के कारण जोखिमधारकों को लाभ होगा तथा समेकन से बैंकिंग प्रणाली के कर्मचारियों को भी लाभ पहुंचने की संभावना होती है, क्योंकि इसके फलस्वरूप कार्यबल को पुनर्प्रशिक्षित एवं पुनर्कुशल बनाया जा सकेगा।

अतएव यह स्पष्ट है कि प्रतियोगिता, समेकन तथा अभिसरण आज भारत में बैंकिंग क्षेत्र के मुख्य संचालक हैं। बासेल II के कार्यन्वयन से पूंजी बाध्यता पर काबू पाने, जोखिम प्रबन्धन को युक्तियुक्त बनाने, पूंजी पर प्रतिलाभ को अधिकतम करने, कार्यकुशलता प्राप्त करने हेतु प्रौद्योगिकी का बेहतर और व्यापक उपयोग करने, अधिक सुदृढ जोखिम-आधारित मूल्य-निर्धारण तथा सर्वोत्तम अन्तरराष्ट्रीय परम्पराओं के साथ घनिष्ठ पंक्तिबद्धता (alignment) के लिए समेकन की उभरती प्रवृत्तियों में तेजी आने की संभावना है। सूचना प्रौद्योगिकी, खजाना संसाधनों जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने और अन्तरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों, बीमा एवं अन्य वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में धावा बोलने का ध्येय रखने वाला दिओरियेंटल इंडियन कारपोरेशन (OIC) गंठजोड़ इसी दिशा में बढ़ाया गया एक कदम लगता है।

बैंकों की और अधिक सफलता कठोरतापूर्वक परिभाषित रणनीतिक ध्यान संकेन्द्रण, परिचालनगत सक्षमताओं को बढ़ाने तथा लाभप्रद ढंग से विकास करने का एक मार्ग तलाशने पर निर्भर करेगी, वह चाहे भौगोलिक व्याप्ति में विस्तार करते हुए, उत्पाद/बाजार की व्याप्ति क्षेत्र को बढ़ाते हुए हो अथवा विलयन या अभिग्रहण या इनके समेकन द्वारा हो।

9.6 अपनी प्रगति जांचिए

1. रणनीतिक गठबंधन के मामले में -----।

- (क) भागीदार अलग-अलग संस्थाएं बने रहेंगे
- (ख) भागीदार अपनी व्यक्तिगत पहचान खो बैठेंगे
- (ग) एक भागीदार दूसरे के साथ विलयित हो जाएगा
- (घ) कोई नहीं

2. तीन मझोले आकार वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अक्टूबर, 2006 में एक रणनीतिक गठजोड़ किया है। वे निम्नानुसार हैं :

- (क) इंडियन बैंक, कार्पोरेशन बैंक और ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
- (ख) इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक
- (ग) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक और कार्पोरेशन बैंक
- (घ) केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक और कार्पोरेशन बैंक

3. दो या उससे अधिक कम्पनियों को एक कम्पनी में इस प्रकार मिला देने, जिसमें एक अपने नाम के साथ अस्तित्ववान रहती है तथा अन्य कम्पनियां उनके कार्पोरेट अस्तित्व को खो बैठती हों, को-----कहा जाता है।

- (क) विलयन
- (ख) गठजोड़
- (ग) समेकन
- (घ) अभिग्रहण

4. 1921 में, तीन प्रेसिडेंसी बैंकों - दि बैंक ऑफ बंगाल, दि बैंक ऑफ बॉम्बे और दि बैंक ऑफ मद्रास को एक बैंक में समामेलित कर दिया गया था, जिसे अब -----कहा जाता है।

- (क) भारतीय स्टेट बैंक
- (ख) भारतीय रिजर्व बैंक
- (ग) इंडियन बैंक
- (घ) कोई नहीं

9.7 'अपनी प्रगति जांचिए' के उत्तर

1. (क), 2. (क), 3. (क), 4. (क).

9.8 प्रमुख शब्द

Alliances	गठजोड़
Mergers	विलयन
Consolidation	समेकन
Take-over	अधिग्रहण
WTO	विश्व व्यापार संगठन

इकाई 10

ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड (CIBIL), ऋण वसूली की उचित व्यवहार संहिता तथा भारतीय बैंकिंग आचार संहिताएं एवं मानक बोर्ड

रूपरेखा

10.0 उद्देश्य

10.1 ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड (CIBIL)

10.1.1 स्वामित्व का विन्यास

10.1.2 ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड (CIBIL) के कार्य

10.2 ऋण वसूली की उचित व्यवहार संहिता

10.2.1 ऋणदाताओं के दायित्व सम्बन्धी कानून की मांग

10.2.2 सामान्य दिशानिर्देश

10.2.3 भारतीय बैंक संघ (IBA) द्वारा की गई पहल

10.2.4 बैंकिंग लोकपाल सेवा

10.3 भारतीय बैंकिंग आचार संहिता एवं मानक बोर्ड (BCSBI)

10.3.1 प्रस्तावना

10.3.2 भारतीय बैंकिंग आचार संहिताएं एवं मानक बोर्ड (BCSBI) का गठन

10.3.3 ग्राहकों के प्रति बैंकों की प्रतिबद्धता की आचार संहिता

10.3.4 भारतीय बैंकिंग आचार संहिता एवं मानक बोर्ड (BCSBI) के कार्य

10.3.5 शिकायत निवारण

10.4 अपनी प्रगति जांचिए

10.5 'अपनी प्रगति जांचिए' के उत्तर

10.6 प्रमुख शब्द

10.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन आपको निम्नलिखित को समझने में समर्थ बनाएगा :

- ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड (CIBIL) की भूमिका एवं उसके कार्य
- बैंकों की ऋण वसूली की उचित व्यवहार संहिता
- ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार के प्रति बैंकों की प्रतिबद्धता के सम्बन्ध में भारतीय बैंकिंग आचार संहिता एवं मानक बोर्ड (BCSBI) की भूमिका

10.1. ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड (CIBIL)

10.1.1 स्वामित्व का विन्यास

भारत का प्रथम ऋण आसूचना ब्यूरो ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड (CIBIL) भारतीय स्टेट बैंक और एचडीएफसी प्रत्येक द्वारा 40 प्रतिशत की शेयरधारिता के साथ स्थापित किया गया था, जबकि डन एण्ड ब्रैडस्ट्रीट इन्फार्मेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (D&B) और ट्रान्स यूनिजन इंटरनेशनल इंक. (TU) प्रत्येक 10 प्रतिशत शेयर धारण करते हैं। डन एण्ड ब्रैडस्ट्रीट तथा ट्रान्स यूनिजन ने ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड (CIBIL) को आवश्यक तकनीकी एवं सॉफ्टवेयर सहायता भी प्रदान की है। ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड (CIBIL) सूचना का भण्डार (Repository) है, जिसमें वाणिज्यिक एवं उपभोक्ता उधारकर्ताओं के ऋण से सम्बन्धित पूर्व-वृत्त शामिल रहते हैं। ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड (CIBIL) यह सूचना उसके सदस्यों को ऋण सूचना रिपोर्टों (CIRs) के रूप में उपलब्ध कराता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वर्ष 2004-05 की अपनी 'वार्षिक मौद्रिक एवं ऋण नीति' में यह उल्लेख किया था कि ऋण ब्यूरो के सम्बन्ध में 'यह वांछनीय है कि उद्देश्य पर्याप्त रूप से ऐसे विविधीकृत स्वामित्व की ओर बढ़ना होना चाहिए जिसमें कोई भी एक कम्पनी/संस्था प्रथम चरण में प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत तथा बाद वाले चरण में 5 प्रतिशत से अधिक के स्वामित्व वाली न हो।' तदनुसार भारतीय स्टेट बैंक और एचडीएफसी ने उनके इक्विटी जोखिम ऋण प्रदाताओं की सभी श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले महत्वपूर्ण डाटा प्रदाताओं के पक्ष में विनिवेशित (divest) कर दिए हैं। 31 दिसम्बर, 2006 के दिन एचडीएफसी, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, डन एण्ड ब्रैडस्ट्रीट और ट्रान्स यूनियन प्रत्येक ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड (CIBIL) में 10 प्रतिशत जोखिम धारण करते थे, जबकि सिटीकॉर्प फाइनेन्स (इंडिया) लिमिटेड, स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एचएसबीसी, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ोदा और इंडियन ओवरसीज बैंक प्रत्येक 5 प्रतिशत जोखिम धारण करते हैं, वहीं शेष 5 प्रतिशत जीई स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड और सुंदरम फाइनेन्स द्वारा समान रूप से धारित है।

10.1.2 ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड (CIBIL) के कार्य

ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड (CIBIL) एक ऐसा मिश्रित ब्यूरो है, जो वाणिज्यिक और उपभोक्ता, दोनों ही खण्डों की आवश्यकताएं पूरी करता है। उपभोक्ता ऋण ब्यूरो में व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किए गए ऋण शामिल होते हैं, जबकि वाणिज्यिक ब्यूरो में भागीदारी फर्मों, स्वामित्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, निजी और सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों जैसे गैर-व्यक्तियों द्वारा लिए गए ऋणों का समावेश होता है।

ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड (CIBIL) के वाणिज्यिक ब्यूरो का ध्येय सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों, निजी लिमिटेड कम्पनियों, भागीदारी फर्मों, स्वामित्वपूर्ण प्रतिष्ठानों आदि जैसे गैर-वैयक्तिक उधारकर्ताओं के सम्बन्ध में ऋण सूचनाएं उपलब्ध कराते हुए समवर्ती और क्रमिक चूकों में कमी लाना है। ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड (CIBIL) उसके सदस्यों से प्राप्त होने वाली सूचनाओं का एक केन्द्रीय डाटाबेस रकता है। वह मांग किए जाने पर इस सूचना की जांच करता है तथा वाणिज्यिक ऋण सूचना रिपोर्टों के रूप में अपने सदस्यों को ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया में उनकी सहायता करने हेतु उसे प्रसारित करता है।

10.2 ऋण वसूली की उचित व्यवहार संहिता

10.2.1 ऋणदाताओं के दायित्व सम्बन्धी कानून की मांग

भारत में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 में अधिनियमित किया गया। उक्त अधिनियम ने बैंकों को बोझिल कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना ही चूककर्ता कम्पनियों की आस्तियों को कब्जे में लेने की अनुमति प्रदान कर दी। कई एक देशों में बैंकों को ऋणदाताओं, जमाकर्ताओं और अन्य ग्राहकों के हितों एवं अधिकारों का सम्मान करने के लिए कानून द्वारा अधिदेशित किया गया है। इसलिए भारतीय उद्योग ने बैंकों को प्रतिभूतिकरण कानून का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए ऋणदाताओं के दायित्व सम्बन्धी कानून की दृढ़तापूर्वक मांग की। भारत सरकार ने इस प्रकार की मांग को अस्वीकृत कर दिया, किन्तु भारतीय रिजर्व बैंक से इस मामले पर विचार करने के लिए कहा।

भारत सरकार द्वारा ऋणदाताओं के दायित्व सम्बन्धी कानून पर गठित कार्य दल की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार और कुछ बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से परामर्श करते हुए 'ऋणदाताओं हेतु उचित व्यवहार संहिता' नामक संहिताओं के एक सेट को अंतिम रूप दिया तथा बैंकों को उक्त दिशानिर्देशों को अपनाने की सलाह दी और उसे 1 नवम्बर, 2003 से कार्यान्वित कर दिया।

10.2.2 सामान्य दिशानिर्देश

ऋणों के लिए आवेदन पत्र और उनका संसाधन

(क) प्राथमिकता क्षेत्र ऋण तथा 2 लाख रुपये तक के अग्रिमों से सम्बन्धित आवेदन पत्र व्यापक होने चाहिए। इनमें संसाधन हेतु देय शुल्कों/प्रभारों, यदि कोई हों, के बारे में सूचनाएं शामिल होनी चाहिए। आवेदन अस्वीकृत किए जाने की स्थिति में इस प्रकार के शुल्कों की रकम वापस किए जाने योग्य होती है। इस प्रकार अन्य बैंकों के साथ उनकी सार्थक तुलना की जा सकती है तथा उधारकर्ता द्वारा सूचित निर्णय लिया जा सकता है।

(ख) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को सभी ऋण आवेदनों की प्राप्ति अभिस्वीकृति देनी होगी। इस प्रकार के आवेदनों की अभिस्वीकृति में 2 लाख रुपये तक के ऋण आवेदनों को जिस समयावधि में निपटाया जाएगा उसका उल्लेख भी किया जाना चाहिए।

(ग) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को ऋण आवेदनों की छानबीन समुचित समयावधि के भीतर कर लेनी चाहिए। यदि अतिरिक्त विवरणों/प्रलेखों की आवश्यकता हो, तो उन्हें उसकी सूचना उधारकर्ताओं को तत्काल देनी चाहिए।

(घ) छोटे उधारकर्ताओं द्वारा 2 लाख रुपये तक के ऋण की मांग किए जाने की स्थिति में ऋणदाताओं को उस /उन मुख्य कारण /कारणों को लिखित रूप में बताना चाहिए, जिनके फलस्वरूप बैंक की राय में उचित विचार किए जाने के उपरान्त ऋण आवेदनों को निर्धारित अवधि के भीतर अस्वीकृत कर दिया गया।

ऋण मूल्यांकन और शर्तें एवं निबन्धन

(क) ऋणदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण प्रस्ताव आवेदकों की ऋणपात्रता का निर्धारण करने के बाद समुचित रूप से मूल्यांकित किया गया है। उन्हें मार्जिन और प्रतिभूति विनिर्देशनों का उपयोग ऋणपात्रता से सम्बन्धित उचित परिश्रमशीलता के स्थानापन्न के रूप में नहीं करना चाहिए।

(ख) ऋण सुविधाओं को अभिशासित करने वाली शर्तों एवं निबन्धनों और अन्य चेतावनियों का निर्धारण उधारकर्ता के साथ उचित बातचीत के बाद किया जाता है, उनमें कटौती लिखित रूप में की जानी चाहिए तथा वह प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विहित रूप से प्रमाणित होनी चाहिए। ऋण करार की एक प्रति उसमें उद्धृत सभी अनुलग्नकों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ उधारकर्ता को प्रदान की जानी चाहिए।

(ग) ऋणदाता द्वारा ऋण सीमा की स्वीकृति की सूचना उधारकर्ता को उसकी शर्तों एवं निबन्धनों के साथ दी जानी चाहिए तथा इन शर्तों एवं निबन्धनों की उधारकर्ता द्वारा स्वीकृति को रिकार्ड में रखना चाहिए।

(घ) यथासंभव ऋण करार में सुस्पष्ट रूप से यह उल्लेख होना चाहिए कि मंजूर की गई ऋण सुविधाएं पूर्णतः ऋणदाताओं के विवेक पर हैं। इनमें स्वीकृत सीमाओं से अधिक के आहरणों, ऋण स्वीकृति में विशिष्ट रूप से सहमत उद्देश्यों को छोड़कर किसी अन्य उद्देश्य हेतु जारी चेकों को सकारे जाने तथा किसी उधार खाते के अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बाद उस पर या स्वीकृति की शर्तों का पालन न किए जाने के कारण आहरण अस्वीकृत किए जाने जैसे सुविधाओं के अनुमोदन या अस्वीकृति शामिल की जानी चाहिए। इस बात का भी विशिष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि व्यवसाय में वृद्धि आदि के कारण ऋण सीमाओं की समुचित पुनरीक्षा किए बिना उधारकर्ताओं की और अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रति ऋणदाता किसी भी रूप में बाध्य नहीं है।

(ङ) सहायता संघ व्यवस्था के तहत उधार के मामले में सहभागिता करने वाले ऋणदाताओं को प्रस्तावों के मूल्यांकन का कार्य व्यवहार्य सीमा तक समयबद्ध विधि से पूरा करने की कार्यविधि विकसित कर लेनी चाहिए तथा वित्तीय या अन्यथा के सम्बन्ध में अपने निर्णयों की सूचना उपयुक्त समय के भीतर दे देनी चाहिए।

शर्तें एवं निबन्धन शामिल करते हुए ऋणों का संवितरण

ऋणदाताओं को स्वीकृत ऋणों का इस प्रकार की स्वीकृति को अभिशासित करने वाली शर्तों एवं निबन्धनों के अनुरूप समय पर संवितरण सुनिश्चित करना चाहिए। ऋणदाताओं को ब्याज दरों, सेवा प्रभारों आदि सहित शर्तों एवं निबन्धनों में किसी भी परिवर्तन की सूचना देनी चाहिए। ऋणदाताओं को यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ब्याज दरों और प्रभारों में परिवर्तन केवल भविष्यलक्षी प्रभाव से ही लागू किए जाएं।

संवितरणोत्तर पर्यवेक्षण

(क) ऋणदाताओं द्वारा विशेषतः 2 लाख रुपये तक के ऋणों से सम्बन्धित संवितरणोत्तर पर्यवेक्षण उधारकर्ता के समक्ष उपस्थित होने वाली ऋणदाता से सम्बन्धित किसी वास्तविक कठिनाई को ध्यान में रखने के उद्देश्य से रचनात्मक होना चाहिए।

(ख) भुगतान वापस मांगने / त्वरित करने या करार के अधीन कार्य-निष्पादन या अतिरिक्त प्रतिभूतियां मांगने के बारे में कोई निर्णय लेने से पहले ऋणदाताओं द्वारा उधारकर्ताओं को ऋण करार में यथा विनिर्दिष्ट रूप में सूचना या ऋण करार में इस प्रकार की कोई शर्त न होने पर उपयुक्त अवधि दी जानी चाहिए।

(ग) ऋणदाताओं को ऋण का भुगतान प्राप्त हो जाने या ऋण की वसूली हो जाने पर उधारकर्ताओं के विरुद्ध उठने वाले उनके किसी अन्य दावे के वैध अधिकार या धारणाधिकार को छोड़कर सभी प्रतिभूतियों को मुक्त कर देना चाहिए। यदि इस प्रकार के अधिकार का प्रयोग किया जाना है, तो उधारकर्ताओं को शेष बचे दावों के बारे में पूरे विवरण तथा उन प्रलेखों के

साथ उसकी सूचना दी जानी होगी जिनके अधीन ऋणदाता सम्बन्धित दावे का निपटारा / भुगतान किए जाने तक प्रतिभूतियां अपने पास रखने के पात्र हैं।

सामान्य

(क) ऋणदाताओं को (जब तक कि इसके पूर्व उधारकर्ता द्वारा प्रकट न की गई कोई नयी सूचना ऋणदाता के ध्यान में न आई हो)

ऋण स्वीकृति प्रलेखों की शर्तों एवं निबन्धनों में किए गए प्रावधानों को छोड़कर उधारकर्ताओं के मामलों में हस्तक्षेप करने से विरत रहना चाहिए।

(ख) ऋणदाताओं को आवश्यक रूप से उधार देने के मामले में लिंग, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, यह ऋणदाता को समाज के कमजोर वर्गों के लिए बनाई गई ऋण-सम्बद्ध योजनाओं में सहभागिता करने से निवारित नहीं करता।

(ग) ऋणों की वसूली के मामले में ऋणदाताओं को अनुचित उत्पीड़न के तरीके नहीं अपनाने चाहिए यथा- उधारकर्ताओं को असुविधाजनक समय में निरंतर रूप से परेशान करना, ऋणों की वसूली हेतु बाहुबल का उपयोग आदि।

(घ) चाहे उधारकर्ता से या किसी बैंक/वित्तीय संस्था से उधार खाते के स्थानान्तरण हेतु इस प्रकार का अनुरोध प्राप्त होने की स्थिति में, जिसमें खाते को अधिगृहीत किए जाने का प्रस्ताव किया गया हो, ऋणदाता की सम्मति या अन्यथा, यदि कोई हो, की सूचना अनुरोध प्राप्ति की तिथि से इक्कीस दिन के भीतर दे दी जानी चाहिए।

उचित व्यवहार संहिता के अलावा, प्रत्येक बैंक ने इस सम्बन्ध में उठने वाले विवादों का निराकरण करने के लिए संगठन के भीतर ही यथोचित शिकायत निवारण व्यवस्था कर रखी है। इस प्रकार की व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि ऋणदात्री संस्थाओं के पदाधिकारियों के निर्णयों से उठने वाले सभी विवादों की सुनवाई और उनका निपटारा अगले उच्चतर स्तर पर ही कर दिया जाए। बैंक उचित व्यवहार संहिता के अनुपालन तथा नियंत्रक कार्यालयों के विविध स्तरों पर शिकायत निवारण व्यवस्था की कार्यप्रणाली की आवधिक पुनरीक्षा भी किया करते हैं। बैंकों ने उनके द्वारा अपनाई गई उचित व्यवहार आचार संहिता को अपनी वेबसाइटों पर भी डाल रखा है तथा उसका व्यापक प्रचार कर रखा है।

10.2.3 भारतीय बैंक संघ (IBA) द्वारा की गई पहल

भारतीय बैंक संघ ने अपनी 'बैंकों की उचित व्यवहार' संहिता का प्रकाशन जून, 2004 में किया था तथा सभी सदस्य बैंकों ने इसे स्वैच्छिक रूप से अंगीकृत कर लिया था। उक्त संहिता अनिवार्यतः अलग-अलग ग्राहकों से व्यवहार करते समय निष्पक्ष एवं पारदर्शी रहने की एक प्रतिबद्धता थी। भारतीय बैंक संघ ने इन क्षेत्रों में बैंकिंग परम्पराओं के बारे में ग्राहकों द्वारा व्यक्त की गई विशिष्ट चिंताओं के निवारण हेतु 'क्रेडिट कार्ड परिचालनों की उचित व्यवहार संहिता' और 'प्राप्य राशियों की वसूली और प्रतिभूति को पुनः कब्जे में लेने की मॉडल संहिता' का भी अलग-अलग प्रकाशन किया था। भारतीय बैंकिंग आचार संहिता एवं मानक बोर्ड का गठन 18 फरवरी, 2006 को हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश पर भारतीय बैंकिंग आचार संहिता एवं मानक बोर्ड ने सदस्य बैंकों द्वारा अपनाए जाने हेतु 'ग्राहकों के प्रति बैंकों की प्रतिबद्धता संहिता' का प्रकाशन किया था। उक्त संहिता में बैंकों द्वारा अलग-अलग ग्राहकों के साथ व्यवहार किए जाते समय उनके द्वारा अपनाई जाने वाली बैंकिंग परम्पराओं के न्यूनतम मानक निर्धारित किए गए हैं। यह संहिता अन्य बातों के साथ-साथ ऋणों की वसूली हेतु उचित व्यवहार संहिता से सम्बन्धित है।

10.2.4 बैंकिंग लोकपाल सेवा

बैंक उनकी वेबसाइटों पर तथा उनकी समस्त शाखाओं में यह स्पष्ट करते हुए एक नोटिस प्रदर्शित करेंगे कि वह भारतीय रिजर्व बैंक की बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 में समाविष्ट है तथा उक्त योजना की प्रतियां अनुरोध किए जाने पर नाममात्र के प्रभार पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

किसी बैंक के पास शिकायत दर्ज कराए जाने के तीस दिन के भीतर ग्राहक को उससे उसका संतोषजनक प्रत्युत्तर न प्राप्त होने पर तथा ग्राहक के शिकायत निवारण हेतु अन्य मार्ग अपनाने का इच्छुक होने पर वह बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकता/सकती है। बैंकिंग लोकपाल योजना की मुख्य विशेषताएं शाखा के सूचना पट्टों में प्रदर्शित की गई हैं तथा बैंक की वेबसाइट पर पूरी योजना ही प्रदर्शित की गई है। बैंक के कर्मचारी इससे सम्बन्धित कार्यविधि समझा देंगे।

10.3 भारतीय बैंकिंग आचार संहिता एवं मानक बोर्ड (BCSBI)

10.3.1 प्रस्तावना

नवम्बर, 2003 में भारतीय रिजर्व बैंक ने सामान्य व्यक्ति को पर्याप्त बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता से सम्बन्धित मुद्दों के निराकरण हेतु श्री एस.एस.तारापोर (भूतपूर्व उप गवर्नर) की अध्यक्षता में लोक सेवाओं की कार्यविधियों और कार्य-निष्पादन पर समिति का गठन किया। उक्त समिति को दिए गए अधिदेश में उन कारकों की पहचान करना जो सर्वोत्तम ग्राहक सेवाओं की प्राप्ति को निषिद्ध करती हैं तथा अलग-अलग ग्राहकों को दी जाने वाली ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु उपाय सुझाना शामिल था। उक्त समिति का यह अनुभव था कि बैंकों द्वारा उनके ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं के पैकेज को निरंतर आधार पर समुन्नत करने के प्रयास में इस प्रकार की सेवाओं के न्यूनतम मानदंड निर्धारित किए जाने की आवश्यकता थी। आरंभिक स्तर पर गहन अध्ययन के उपरान्त समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि सर्वोत्तम परम्पराओं (संहिता एवं मानकों) का प्रतिबिंबन करने वाले न्यूनतम मानदंड के समक्ष बैंकों के कार्य-निष्पादन को मापने के मामले में संस्थागत अन्तर विद्यमान था। अतएव समिति ने व्यापक रूप से इंग्लैंड में कार्यरत बैंकिंग आचार संहिता एवं मानक बोर्ड के अनुरूप भारतीय बैंकिंग आचार संहिता एवं मानक बोर्ड के गठन की सिफारिश की।

वर्तमान संस्थागत ढांचों में बैंकिंग लोकपाल की योजना, जो पिछले काफी समय से कार्यरत है, एक निर्धारित गुणवत्ता वाली सेवाएं लागू करने की दृष्टि से प्रणालीगत मुद्दों से सम्बन्धित नहीं है। आदर्श रूप में इस प्रकार के कार्य किसी स्व-विनियामक संगठन (SRO) द्वारा किए जाने चाहिए, किन्तु भारत में बैंकिंग क्षेत्र के वर्तमान ढांचे को देखते हुए यह अनुभव किया गया कि इस कार्य के लिए एक स्वतंत्र, स्वायत्त बोर्ड सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। अतएव भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने मौद्रिक नीति वक्तव्य (अप्रैल, 2005) में यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार की आचार संहिता तैयार की जाए और उसका पालन किया जाए, बैंकिंग आचार संहिता एवं मानक बोर्ड की स्थापना की घोषणा की।

10.3.2 भारतीय बैंकिंग आचार संहिता एवं मानक बोर्ड (BCSBI) का गठन

भारतीय बैंकिंग आचार संहिता एवं मानक बोर्ड (BCSBI) को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत 18 फरवरी, 2008 को एक अलग सोसाइटी के रूप में पंजीकृत कराया गया है। भारतीय बैंकिंग आचार संहिता एवं मानक बोर्ड (BCSBI) जिन पर बैंक सहमत हुए थे उन संहिताओं और वैयक्तिक ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मानकों के अनुपालन पर निगरानी रखने और उसका मूल्यांकन करने हेतु एक स्वायत्त निकाय के रूप में काम करता है।

भारतीय बैंकिंग आचार संहिता एवं मानक बोर्ड (BCSBI) भारतीय रिजर्व बैंक का कोई विभाग नहीं है। वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकिंग सेवाओं के उपभोक्ताओं को वह प्राप्त हो जिसका उन्हें बैंकों द्वारा वचन दिया गया है, बैंकिंग उद्योग का एक स्वतंत्र हित-प्रहरी होता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि बोर्ड उद्योग के स्वायत्त एवं स्वतंत्र हित-प्रहरी के रूप में वास्तविक रूप से कार्य करे, भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले पांच वर्षों के लिए उसके सम्पूर्ण खर्चों को पूरा करने के रूप में बोर्ड को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। इससे बोर्ड अपने उन महत्वपूर्ण आर्थिक मानकों को प्राप्त करने में सक्षम होगा, जो उसे उसकी कार्य प्रणाली में वास्तविक रूप से स्वतंत्र बनाएंगे तथा उसके अस्तित्व को किसी प्रकार के खतरे में डाले बिना किसी भी बैंक के सम्बन्ध में धारणा बनाने में समर्थ बनाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक अपनी ओर से उन बैंकों के मामले में पर्यवेक्षी सहूलियत प्राप्त करता है जो बोर्ड के सदस्य हैं। संक्षेप में उक्त बोर्ड की स्थापना यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि बैंकिंग उद्योग से वित्तीय सेवाओं के उपभोक्ता के रूप में सामान्य व्यक्ति किसी भी रूप में अलाभकर स्थिति में न रहे तथा वह वास्तविक रूप में वह पा सके जिसका उसे वचन दिया गया है।

भारतीय बैंक संघ की भूमिका

भारतीय बैंक संघ ने अपनी 'बैंकों की उचित व्यवहार' संहिता का प्रकाशन जून 2004 में किया था तथा सभी सदस्य बैंकों ने इसे स्वैच्छिक रूप से अंगीकृत कर लिया था। उक्त संहिता अनिवार्य रूप से वैयक्तिक ग्राहकों से व्यवहार करने में निष्पक्ष एवं पारदर्शी होने की एक प्रतिबद्धता थी। भारतीय बैंक संघ ने 'क्रेडिट कार्ड परिचालनों की उचित व्यवहार संहिता' और 'प्राप्य राशियों की वसूली और प्रतिभूतियों को पुनः कब्जे में लेने की मॉडल संहिता' का भी इन क्षेत्रों में बैंकिंग परम्पराओं के बारे में ग्राहकों द्वारा व्यक्त की गई विशिष्ट चिंताओं को दूर करने के लिए अलग-अलग प्रकाशन किया था।

10.3.3 ग्राहकों के प्रति बैंकों की प्रतिबद्धता की संहिता

भारतीय रिजर्व बैंक ने वार्षिक नीति वक्तव्य में भारतीय बैंकिंग आचार संहिता एवं मानक बोर्ड (BCSBI) के गठन की घोषणा करते हुए भारतीय बैंक संघ से बैंकों द्वारा समान रूप से अंगीकृत किए जाने हेतु ग्राहक सेवा के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक व्यापक उचित व्यवहार संहिता का प्रारूप तैयार करने का अनुरोध किया था। तदनुसार भारतीय बैंक संघ ने अन्तरराष्ट्रीय प्रथाओं का अध्ययन करने और वर्तमान संहिताओं की पुनरीक्षा करने हेतु एक कार्य दल का गठन किया था। उक्त कार्य दल ने इंग्लैंड, कनाडा, हांगकांग, सिंगापुर और आस्ट्रेलिया जैसे अन्य प्रभाव-क्षेत्रों में बैंकों द्वारा अपनाई गई उचित व्यवहार संहिताओं का परीक्षण किया था तथा उन प्रलेखों से कुछेक अपेक्षाकृत श्रेष्ठ मुद्दों को शामिल करते हुए बैंकों की उचित व्यवहार संहिता का प्रारूप तैयार किया था। उक्त कार्यदल ने सदस्य बैंकों से प्राप्त सुझावों को शामिल करते हुए संहिता के प्रारूप को और भी परिष्कृत कर दिया और उसे भारतीय बैंकिंग आचार संहिता एवं मानक बोर्ड (BCSBI) को प्रस्तुत कर दिया। भारतीय बैंकिंग आचार संहिता एवं मानक बोर्ड (BCSBI) ने उक्त संहिता में और भी परिष्करण किया तथा 'ग्राहकों के प्रति बैंकों की प्रतिबद्धता संहिता' का प्रकाशन किया गया। इस संहिता में बैंकों के लिए वैयक्तिक ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय उनके पालन के लिए बैंकिंग परम्पराओं के न्यूनतम मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

'ग्राहकों के प्रति बैंकों की प्रतिबद्धता संहिता' 1 जुलाई, 2006 को भारतीय रिजर्व बैंक में आयोजित उद्घाटन समारोह में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. वाई. वी. रेड्डी द्वारा विमोचित की गई।

बैंकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपने आप को भारतीय बैंकिंग आचार संहिता एवं मानक बोर्ड (BCSBI) के पास सदस्य के रूप में पंजीकृत कराएं तथा उक्त संहिता को उनके सम्बन्धित निदेशक मण्डलों से अंगीकृत करवाएं। उसके बाद जब वे उक्त संहिता में सन्निहित प्रतिबद्धताओं को कार्यान्वित करने हेतु तैयार हो जाएं तो जहां तक उक्त संहिता के कार्यान्वयन का सम्बन्ध है, उन्हें अपने आप को भारतीय बैंकिंग आचार संहिता एवं मानक बोर्ड (BCSBI) द्वारा निगरानी किए जाने हेतु बाध्य करते हुए भारतीय बैंकिंग आचार संहिता एवं मानक बोर्ड (BCSBI) के साथ एक प्रसंविदा करनी होगी। बैंकों के लिए यह भी आवश्यक होगा कि वे उनके उत्पादों एवं सेवाओं से सम्बन्धित कुछेक नीतिगत एवं कार्यविधिक पहलुओं में आवश्यक परिवर्तन करें। ऐसे सदस्य बैंकों, जो भारतीय बैंकिंग आचार संहिता एवं मानक बोर्ड (BCSBI) के सदस्य हैं, पर 'ग्राहकों के प्रति बैंकों की प्रतिबद्धता संहिता' को अपनाए जाने के फलस्वरूप भारतीय बैंक संघ की निम्नलिखित स्वैच्छिक संहिताएं उन पर नहीं लागू होंगी:

- (क) बैंकों की उचित व्यवहार संहिता - जून, 2004 से
- (ख) क्रेडिट कार्ड परिचालनों की उचित व्यवहार संहिता
- (ग) प्राप्य राशियों की वसूली और प्रतिभूति को पुनः कब्जे में लेने की मॉडल संहिता

हालांकि, ऐसे सदस्य बैंकों द्वारा इन संहिताओं का पालन जारी रहेगा, जो भारतीय बैंकिंग आचार संहिता एवं मानक बोर्ड (BCSBI) के सदस्य नहीं हैं या उसके सदस्य बनने के पात्र नहीं हैं।

यह संहिता बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले निम्नलिखित प्रकार के उत्पादों एवं सेवाओं के सम्बन्ध में प्रत्येक सदस्य बैंक की वैयक्तिक ग्राहकों को दी जाने वाली सेवा के न्यूनतम मानकों के प्रति प्रतिबद्धता का द्योतन करती है :

- जमा खाते
- सुरक्षित जमा लॉकर
- मृत खाता धारकों के खातों का निपटारा
- विदेशी मुद्रा सेवाएं
- भारत के भीतर विप्रेषण
- ऋण और अग्रिम तथा गारंटियां
- क्रेडिट कार्ड
- इंटरनेट बैंकिंग

इन क्षेत्रों में यह संहिता अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित से भी सम्बन्धित है :

- ब्याज दरें
- टैरिफ अनुसूची
- बैंक और ग्राहक के बीच सम्बन्ध को अभिशासित करने वाली शर्तें एवं निबन्धन
- बैंक की ओर से हुए लोप एवं कृत्य के आचरणों के कारण हानि, यदि कोई हुई हो, की क्षतिपूर्ति
- ग्राहक से सम्बन्धित सूचना की एकान्तता एवं गपनीयता
- बैंकों द्वारा विज्ञापनों, विपणन एवं बिक्री को अभिशासित करने वाले मानदंड

प्रत्येक सदस्य बैंक के लिए निम्नलिखित की व्यवस्था करना आवश्यक है :

- शाखा में हेल्प डेस्क/हेल्पलाइन
- शाखा के ऊपर वाले स्तर पर प्रत्येक नियंत्रक कार्यालय में संहिता अनुपालन अधिकारी
- प्रत्येक शाखा में संहिता अनुपालन अधिकारी के नाम और संपर्क संख्या का प्रदर्शन करना
- बैंकिंग लोकपाल के नाम और संपर्क संख्या का प्रदर्शन करना

यह व्यवस्था ग्राहक की उस स्थिति में सहायता करने के लिए है, जब उसका बैंक संहिता में दिए वचन के अनुसार सेवाएं न प्रदान करता हो।

10.3.4 भारतीय बैंकिंग आचार संहिता एवं मानक बोर्ड (BCSBI)

बोर्ड का मुख्य कार्य 'ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता' का अनुपालन सुनिश्चित करना है। यह संहिता स्वैच्छिक है तथा इसमें बैंकों द्वारा जब वे अपने दैनंदिन परिचालनों में वैयक्तिक ग्राहकों से व्यवहार कर रहे होते हैं, उस समय पालन किए जाने हेतु बैंकिंग परम्पराओं के न्यूनतम मानक निर्धारित किए गए हैं। इस संहिता का आशय न केवल वैयक्तिक ग्राहकों को संरक्षण प्रदान करना है, अपितु इससे सामान्य व्यक्ति में बैंकिंग सेवाओं के उपभोक्ता के रूप में उसके अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करना भी है। अतएव भारतीय बैंकिंग आचार संहिता एवं मानक बोर्ड (BCSBI) का प्रयोजन सामान्य व्यक्ति ही है।

10.3.5. शिकायत निवारण

भारतीय बैंकिंग आचार संहिता एवं मानक बोर्ड (BCSBI) के सदस्य बैंक अपने बैंकों में निम्नलिखित शिकायत निवारण व्यवस्था करेंगे:

- शाखा में हेल्प डेस्क/हेल्पलाइन की व्यवस्था और प्रत्येक शाखा में संहिता अनुपालन अधिकारी के नाम और संपर्क संख्या का प्रदर्शन तथा बैंकिंग लोकपाल के नाम और संपर्क संख्या का प्रदर्शन।
- शाखा स्तर से ऊपर वाले प्रत्येक नियंत्रक कार्यालय में संहिता अनुपालन अधिकारी की व्यवस्था।

ग्राहक को पहले शाखा की हेल्प डेस्क से संपर्क करना चाहिए। मुद्दे का निराकरण न होने की स्थिति में शिकायतकर्ता द्वारा बैंक के संहिता अनुपालन अधिकारी से संपर्क किया जाना चाहिए। मुद्दे का ग्राहक की संतुष्टि के अनुरूप निराकरण न होने की स्थिति में उसे बैंकिंग लोकपाल के पास ले जाना चाहिए।

बैंकिंग लोकपाल और भारतीय बैंकिंग आचार संहिता एवं मानक बोर्ड (BCSBI) के बीच अंतर यह है कि बैंकिंग लोकपाल बैंकों और उसके ग्राहकों के बीच विवादों से सम्बन्धित काम को देखने तथा बैंकिंग सेवाओं में कमियों से सम्बन्धित वैयक्तिक शिकायतों के निवारण की व्यवस्था होता है। दूसरी ओर भारतीय बैंकिंग आचार संहिता एवं मानक बोर्ड (BCSBI) 'ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता' के अनुपालन पर निगरानी रखने हेतु उद्योग का हित-प्रहरी होता है। वह निवारण व्यवस्था नहीं है तथा वह किसी वैयक्तिक शिकायत पर केवल उसी सीमा तक ध्यान देगा जिसमें संहिता के अनुपालन में किसी प्रणालीगत खराबी की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया हो।

10.4 अपनी प्रगति जांचिए

1. ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड (CIBIL) की पूंजी में निम्नलिखित में से एक 10 प्रतिशत इक्विटी जोखिम का स्वामित्व नहीं रखता :

- (क) एचडीएफसी (ख) भारतीय स्टेट बैंक
(ग) आईसीआईसीआई बैंक (घ) स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक

2. ऋण ब्यूरो के रूप में ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड (CIBIL) -----की आवश्यकताएं पूरी करता है ।

- (क) उपभोक्ता खण्ड (ख) वाणिज्यिक खण्ड
(घ) वाणिज्यिक एवं उपभोक्ता, दोनों ही खण्डों (घ) कोई नहीं

3. उपभोक्ता ऋण ब्यूरो में -----द्वारा प्राप्त किया गया ऋण शामिल होता है।

- (क) व्यक्तियों (ख) स्वामित्वपूर्ण प्रतिष्ठानों
(ग) निजी एवं सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों (घ) बैंकों

4. ऋण सूचना रिपोर्टें -----द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं।

- (क) केवल उन्हीं सदस्यों द्वारा , जिन्होंने ऋण आसूचना ब्यूरो को उनके सभी आंकड़े उपलब्ध कराए हैं
(ख) किसी भी बैंक द्वारा
(ग) किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा
(घ) कोई नहीं

5. उधार खाते के स्थानान्तरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने की स्थिति में ऋणदाता की सम्मति या आपत्ति, यदि कोई हो, की सूचना -----के भीतर दे दी जानी चाहिए।

- (क) अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से इक्कीस दिन
(ख) अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से इक्कीस दिन
(ग) अनुरोध की प्राप्ति के तत्काल बाद
(घ) कोई नहीं

6. भारतीय बैंकिंग आचार संहिता एवं मानक बोर्ड 18 फरवरी, 2006 को -----के अधीन पंजीकृत कराया गया था।

- (क) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम (ख) बैंककारी विनियमन अधिनियम
(घ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (घ) कोई नहीं

7. बैंकों की उचित व्यवहार संहिता-----द्वारा जून, 2004 में प्रकाशित की गई थी।

- (क) भारतीय बैंक संघ (ख) भारतीय रिजर्व बैंक
(ग) भारत सरकार (घ) कोई नहीं

10.5 'अपनी प्रगति जांचिए' के उत्तर

1. (घ), 2. (ग), 3. (क), 4. (क), 5. (क), 6. (ग), 7. (क)

10.6 प्रमुख शब्द

Credit Information Reports

Code of Bank's Commitment to Customers

Post disbursement supervision

ऋण सूचना रिपोर्टें

ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता

संवितरणोत्तर पर्यवेक्षण

इकाई 11

भारतीय बैंकिंग प्रणाली की हाल ही की घटनाएं

रूपरेखा

- 11.0 उद्देश्य
- 11.1 भारतीय वित्तीय प्रणाली की संरचना
- 11.2 वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु सुधार
- 11.3 मुद्रा बाजार का विकास
 - 11.3.1 वाणिज्यिक पत्र
- 11.4 सरकारी प्रतिभूति बाजार का विकास
- 11.5 पूंजी बाजार का विकास
- 11.6 विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार का विकास
- 11.7 भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए विनियामक ढांचा
- 11.8 अपनी प्रगति जांचिए
- 11.9 'अपनी प्रगति जांचिए' के उत्तर
- 11.10 प्रमुख शब्द

11.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन कर के आप भारतीय वित्तीय प्रणाली के महत्वपूर्ण खण्डों तथा इन खण्डों में हुई अद्यतन घटनाओं को समझने में समर्थ हो सकेंगे।

11.1 भारतीय वित्तीय प्रणाली की संरचना

बैंकों, गैर-बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के समावेश वाले ऋण बाजार के अलावा मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूति बाजार, पूंजी बाजार और विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार का भारतीय वित्तीय प्रणाली के महत्वपूर्ण खण्डों में समावेश होता है।

11.2 वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु सुधार

1991 के मध्य से ही भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय बाजार के विविध खण्डों को विकसित करने, उनके एकीकरण की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करने तथा उनकी कार्य-कुशलता को बढ़ाने के लिए कतिपय उपाय किए हैं। इन उपायों में अनिवार्य रूप से मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूति बाजार और विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार शामिल थे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और भारत सरकार जैसे अन्य विनियामकों द्वारा भी अन्य बाजारों, विशेषतः पूंजी बाजार के इक्विटी और ऋण खण्डों को विकसित करने के उपाय किए गए थे। इन क्षेत्रों में की गई नीतिगत पहलकदमियां नये लिखतों, संस्थाओं तथा परम्पराओं की शुरुआत से सम्बन्धित थीं। सहभागिता आधार को व्यापक बनाने, सभी सहभागियों के लिए सूचना आधार को बढ़ाने, अधिकाधिक पारदर्शिता लाने तथा अच्छी बाजार परम्पराओं को प्रोत्साहित करने, कार्यकुशल निपटान व्यवस्थाएं लागू करने, कर ढांचों को युक्तियुक्त बनाने, अपेक्षाकृत त्वरित लेनदेन को सुगम बनाने और उनकी लागतों में कमी लाने के भी प्रयास किए गए हैं।

11.3 मुद्रा बाजार का विकास

1980 वाले दशक के अंत तक भारतीय मुद्रा बाजार लिखतों की कमी द्वारा बाध्य था तथा यह सहभागियों और ब्याज दरों के सम्बन्ध में अत्यधिक विनियमित था। मौद्रिक प्रणाली की समीक्षा करने हेतु गठित समिति (अध्यक्ष : प्राध्यापक सुखमय चक्रवर्ती 1985) और मुद्रा बाजार पर कार्य दल (अध्यक्ष : श्री एन. वाघुल, 1988) की सिफारिशों के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संस्था निर्माण और लिखत विकास के माध्यम से मुद्रा बाजार को व्यापक एवं गहन बनाने के लिए कई प्रकार

के उपायों की शुरुआत की गई। रिजर्व बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित भारतीय मितिकाटा और वित्त गृह लिमिटेड (DFHI) ने चलनिधि बढ़ाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ अल्पावधिक मुद्रा बाजार लिखतों का लेन-देन करने हेतु अप्रैल, 1988 में परिचालन आरंभ किया। वाघुल समिति और नरसिंहम समिति II द्वारा उपलब्ध कराए गए ढांचे के आधार पर 1990 वाले दशक में नये लिखतों की शुरुआत, सहभागियों के आधार को व्यापक बनाए जाने तथा संस्थागत आधारभूत सुविधा के सुदृढीकरण के प्रयासों को आगे बढ़ाया गया।

वर्ष 2000-01 के बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए कई एक उपायों ने मुद्रा बाजार के विकास और परिष्करण में योगदान किया है। इनमें चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) का लागू किया जाना शामिल है, जिसने 5 जून, 2000 से काम करना आरंभ किया। 20 जनवरी, 2003 से भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (CCIL) के माध्यम से संपार्श्विक उधार लेने और उधार देने सम्बन्धी दायित्व (CBLO) की शुरुआत तथा चलनिधि समायोजन सुविधा के बाहर रेपो बाजार के विस्तार से भी बैंक और गैर-बैंक सहभागियों को मांग/मुद्रा बाजार के विशुद्ध अन्तरबैंक बाजार में परिवर्तित हो जाने के बाद निधियों का लेन-देन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बाजार को व्यापकता प्रदान करने के उद्देश्य से गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास श्रेष्ठ (gilt) खाते रखने वाली सूची में शामिल कम्पनियों को भी भारतीय रिजर्व बैंक के बाहर वाले रेपो बाजार में सहभागिता करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। प्रौद्योगिकीय आधारभूत सुविधा, विशेषतः तयशुदा लेनदेन प्रणाली (NDS), तत्काल सकल भुगतान प्रणाली (RTGS) और केन्द्रीकृत निधि प्रबन्धन प्रणाली (CFMS) के लागू किए जाने के फलस्वरूप प्राथमिक व्यापारियों (PDs) का यह उत्तरदायित्व हो गया है कि वे प्राथमिक व्यापारियों के लिए 100 प्रतिशत की हामीदारी प्रतिबद्धताओं; प्राथमिक व्यापारियों को उनके कारोबार का विविधीकरण एवं विस्तार करने की अनुमति दिए जाने; तथा तयशुदा लेनदेन प्रणाली-आदेश मिलान (NDS-OM) प्रणाली के प्रवर्तन जैसे प्राथमिक प्रवर्तकों की सहायता करें।

बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों पर समिति (अध्यक्ष : श्री एम. नरसिंहम, 1998) की सिफारिशों के अनुसरण में मांग/सूचना मुद्रा बाजार के एक विशुद्ध अन्तर बैंक बाजार में रूपान्तरण की प्रक्रिया अगस्त, 2005 में पूरी की गई। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के बाहर एक रेपो बाजार का विकास भी किया गया, जिसमें गैर-बैंक सहभागियों को उनकी अधिशेष / कम चलनिधि का लेन-देन करने की अनुमति होती है। मांग/सूचना बाजार में बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के उधार लेने और उधार देने की विवेकसम्मत सीमाएं निर्धारित कर दी गई हैं।

मांग/सूचना और मीयादी मुद्रा बाजार (NDS-CALL) में सभी लेन-देनों के लिए एक स्क्रीन-आधारित तयशुदा भाव (बोली) प्रणाली 18 सितम्बर, 2006 से प्रवर्तित की गई। यह प्रणाली भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड द्वारा विकसित की गई है तथा इससे लेनदेनों की सहूलियत में वृद्धि होने और अधिकाधिक पारदर्शिता आने तथा कुशल मूल्य अन्वेषण की आशा है।

बाजार सहभागियों को चल निधि स्थितियों का कुशल और पारदर्शी विधि से निर्धारण करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से मुद्रा बाजार के संपार्श्विक खण्ड में लेनदेनों से सम्बन्धित सूचना भी 24 अप्रैल, 2006 से भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जा रही है।

11.3.1 वाणिज्यिक पत्र

वचन पत्र के रूप में जारी एक अप्रतिभूत मुद्रा बाजार लिखत वाणिज्य पत्र (CP) की भारत में शुरुआत 1990 में अत्यधिक रेटिंग वाले कार्पोरेट उधारकर्ताओं को उनके अल्पकालिक उधारों को विविधीकृत करने में समर्थ बनाने तथा निवेशकों को एक अतिरिक्त लिखत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई। पारदर्शिता बढ़ाने और अपेक्षाकृत व्यापक प्रसारण को सुगम बनाने के लिए जारीकर्ता और अदाकर्ता एजेन्टों (IPAs) द्वारा तयशुदा लेनदेन प्रणाली के मंच पर यथा सूचित वाणिज्य पत्रों के प्रवर्तन से सम्बन्धित सूचना जुलाई, 2005 से रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है।

जमा प्रमाण पत्र

मुद्रा बाजार लिखतों की विस्तार सीमा को और अधिक व्यापक बनाने तथा निवेशकों को उनकी अल्पकालिक अधिशेष निधियों को अभिनियोजित करने में अधिकाधिक लोच प्रदान करने के उद्देश्य से जमा प्रमाण पत्रों (CDs) की शुरुआत भारत में 1989 में की गई। जमा प्रमाण पत्र एक परक्राम्य मुद्रा बाजार लिखत होता है तथा वह किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्था में एक विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए जमा की गई निधियों के लिए बेकागजीकृत रूप में या एक मुदती वचन पत्र के रूप में जारी

किया जाता है। उसे वाणिज्यिक पत्रों और बैंकों के पास मीयादी जामाराशियों की न्यूनतम परिपक्वता के साथ पंक्तिबद्ध करने के लिए जमा प्रमाण पत्रों की न्यूनतम परिपक्वता अवधि 29 अप्रैल 2005 से 15 दिन से घटा कर 8 दिन कर दी गई।

11.4 सरकारी प्रतिभूति बाजार का विकास

घाटे के स्वयमेव मौद्रीकरण प्रणाली की समाप्ति और बाजार से उधार के लिए बाजार से सम्बन्धित ब्याज दरों को अपनाए जाने के फलस्वरूप सरकारी प्रतिभूतियों के लिए एक वास्तविक बाजार का विकास करना संभव हो गया। शून्य कूपन बॉण्डों, अस्थायी दर वाले बॉण्डों तथा पूंजी सूचकांक बॉण्डों जैसे नये लिखतों की शुरुआत, प्रतिभूति व्यापार निगम की स्थापना, प्राथमिक व्यापारियों एवं अनुषंगी व्यापारियों की प्रणाली तथा सुपुर्दगी बनाम भुगतान (DvP) प्रणाली सरकारी प्रतिभूति बाजार में सुधारों के अन्य क्षेत्र थे।

सरकारी प्रतिभूति बाजार को गहन एवं व्यापक बनाने के उद्देश्य से निवेशक आधार का विविधीकरण आवश्यक था। इस संदर्भ में सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री महत्वपूर्ण हो जाती है। रिजर्व बैंक से चलनिधि सहायता के प्रावधान के साथ प्राथमिक व्यापारियों और अनुषंगी व्यापारियों (SDs) की प्रणाली को स्थापित करते हुए यह आशा की जाती है कि व्यापारी सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक और गौण बाजारों में अपेक्षाकृत बड़ी भूमिका निभाएंगे। बोली प्रतिबद्धताओं और प्राथमिक एवं गौण, दोनों ही बाजारों में कार्य-निष्पादन के आधार पर चलनिधि सहायता व्यवस्था व्यापारियों की बाजार बनाने और प्रतिभूतियों के मूल्यों में अस्थिरता को कम करने में सहायता करेगी। समर्पित जिल्ट निधियों को भी रिजर्व बैंक से चलनिधि सहायता उपलब्ध कराई गई है। बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों की एकमुश्त आधार पर मुक्त रूप से खरीद और बिक्री तथा सरकारी प्रतिभूतियों की बैंकेतर ग्राहकों को बिक्री और खरीद की अवधि पर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध के बिना खुदरा बिक्री करने की अनुमति प्रदान की गई है। खुदरा धारकों की प्रतिभूतियों के बेकागजीकरण को संभव बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (NSDL), भारतीय स्टॉक धारिता निगम लिमिटेड (SHCIL) और भारतीय राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम लिमिटेड (NSCCL) को भारतीय रिजर्व बैंक के पास सहायक प्रधान खाता बही (SGL) खाते खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (FRBM) अधिनियम के कार्यान्वयन के फलस्वरूप भारतीय प्रतिभूति बाजार के लिए कतिपय ढांचागत एवं विकासपरक उपाय आवश्यक हो गए हैं, ताकि उसे प्राथमिक खण्ड से रिजर्व बैंक की वापसी के लिए तैयार किया जा सके।

(क) प्रतिभूतियों के नये प्रवर्तन के लिए 'कब जारी' बाजार

सरकारी प्रतिभूतियों में 'कब जारी' (WI) नामक एक सुविधा की शुरुआत की गई तथा उसका बाजार में लेनदेन अगस्त 2006 से आरंभ हो गया। प्रारंभ में 'कब जारी' लेनदेन की अनुमति पुनः जारी किए जाने योग्य प्रतिभूतियों के लिए ही प्रदान की गई है। अब 'कब जारी' लेनदेन सुविधा को चुनिंदा आधार पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के नये निर्गमों के मामले में विस्तारित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) अंतः दिवसीय निपटान चक्र के बाद मंदड़िया बिक्री की अनुमति

केन्द्रीय सरकारी प्रतिभूति बाजार पर तकनीकी दल की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में अंतः दिवसीय मंदड़िया बिक्री की अनुमति फरवरी 2006 से प्रदान की गई। बाजार से प्राप्त प्रति सूचना के मूल्यांकन पर पात्र सहभागियों अर्थात् अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) और प्राथमिक व्यापारियों (PDs) को नवम्बर 2006 से उनकी खरीद से अधिक बिक्री की स्थिति को पांच व्यापार दिवसों के भीतर व्यवस्थित कर लेने की अनुमति प्रदान की गई है। चूंकि इस व्यवस्था के फलस्वरूप खरीद से अधिक बिक्री की स्थिति सभी निपटान चक्रों तक आगे चलती रहेगी, सहभागियों को रेपो बाजार से अल्पावधिक प्रतिभूति उधार ले कर उसे सौंपने की अनुमति दी जाएगी।

(ग) सरकारी प्रतिभूतियों का समेकन

भारतीय रिजर्व बैंक की यह मान्यता है कि चलनिधि को बढ़ाने तथा बाजार में मूल्य निर्धारण को सुधारने और उसकी नीतियों को तदनुसार लागू किए जाने के उद्देश्य से सक्रिय रूप से लेनदेन की जाने वाली केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों की संख्या में विस्तार किए जाने की आवश्यकता है।

11.5 पूंजी बाजार का विकास

निक्षेपागारों, समाशोधन निगमों, शेयर बाजारों आदि के गठन और सभी शेयर बाजारों में ऑनलाइन लेनदेनों की शुरुआत से पूंजी बाजार की कार्य-कुशलता बढ़ाने में सहायता प्राप्त हुई है। चन्द्रात्रे समिति की सिफारिशों, जिन्हें सेबी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, के फलस्वरूप सूची से निकाले जाने से सम्बन्धित मानदंड कठोर बना दिए गए हैं। सार्वजनिक रूप से जारी समस्त ऋण लिखतों की, उनकी परिपक्वता अवधि चाहे जितनी भी हो, ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा रेटिंग आवश्यक होती है। शेयर बाजार की सूची में शामिल सभी कम्पनियों के लिए उनके गैर-लेखा-परीक्षित वित्तीय परिणामों को तिमाही आधार पर प्रकाशित करना भी आवश्यक है। कम्पनी मामलों में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से सेबी ने कार्पोरेट अभिशासन पर समिति (अध्यक्ष: श्री के.एम. बिड़ला) की सिफारिशें स्वीकार कर ली थीं तथा कार्पोरेट अभिशासन संहिता का प्रतिबिंबन करने के लिए सूचीकरण मानदंडों को कठोर बना दिया गया है। बाजार में होने वाले हेरफेरों का पता लगाने के उद्देश्य से सेबी बाजार में होने वाले उतार-चढ़ावों पर नियमित रूप से निगरानी रखता है तथा शेयर बाजार के कार्यकलापों पर नजर रखता है। पूंजी बाजार के सम्बन्ध में किए गए इन उपायों से सूचना प्रवाहों में सुधार लाने तथा शेयर बाजारों में लेनदेन लागतों में कमी लाने में सहायता प्राप्त हुई है।

11.5 विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार का विकास

भारतीय बाजारों को विदेशी बाजारों से एकीकृत करने के उपाय व्यापक रूप से भुगतान संतुलन पर उच्च स्तरीय समिति (अध्यक्ष: डॉ. सी रंगराजन) की रिपोर्ट और भारत में विदेशी मुद्रा विनिमय बाजारों पर विशेषज्ञ दल (अध्यक्ष: श्री ओ. पी. सोढानी) की रिपोर्ट की सिफारिशों द्वारा निर्देशित थे। पहली रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ चालू खातों के लेनदेन में लचीलेपन, ऋणोत्तर के पक्ष में ऋण से अलग - पूंजी प्रवाहों में संरचनात्मक बदलावों, विशेषतः अपेक्षाकृत कमतर परिपक्वताओं वाले बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ECBs) का कठोर विनियमन तथा अनिवासी भारतीयों (NRIs) से होने वाले अन्तर्वाहों में अस्थिर तत्वों को हतोत्साहित करने के उपायों की सिफारिश की। चालू खातों के लेनदेनों में क्रमिक लचीलेपन की पृष्ठभूमि के समक्ष मार्च 1992 से आरंभ होने वाले एक वर्ष के लिए उदारीकृत विनिमय दर प्रबन्ध प्रणाली (LERMS) के तहत दोहरी विनिमय दर प्रणाली के सफल प्रयोग के माध्यम से 1 मार्च 1993 को बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दर की ओर संक्रमण का लक्ष्य प्राप्त किया गया। अक्टूबर, 1993 में बैंकों को विदेशों में निर्यात बिलों को अन्तरराष्ट्रीय दरों से सम्बद्ध दरों पर पुनः भुनाने की अनुमति प्रदान की गई। नवम्बर 1993 में विदेशी मुद्रा में लदानपूर्व निर्यात ऋण की शुरुआत से भारतीय व्यापारी अन्तरराष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी दर पर निधियां प्राप्त करने में समर्थ हो गए।

अक्टूबर, 1996 में प्राधिकृत व्यापारियों (ADs) को उनके निवासी संघटकों को उनकी विदेशी मुद्रा के साथ-साथ रुपये सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उन्हें उधार देने के लिए विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) निधियों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की गई। सोढानी समिति की सिफारिशों के आधार पर विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार को गहन एवं व्यापक बनाने के लिए कतिपय उपाय आरंभ किए गए। अप्रैल 1998 में प्राधिकृत व्यापारियों को उनके विदेशी कार्यालयों/संपर्ककर्ताओं से उधार लेने और 10 मिलियन अमरीकी डालर तक की निधियां विदेशी मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई। अक्टूबर 1998 में यह सीमा बढ़ा कर बैंकों की टियर 1 पूंजी के 15 प्रतिशत तक कर दी गई। प्राधिकृत व्यापारियों की एकदिवसीय विदेशी मुद्रा क्रय-विक्रय की स्थितियों से सम्बन्धित 15 करोड़ की समरूप सीमा 4 जनवरी 2006 से समाप्त कर दी गई तथा बैंकों को उनके प्रबन्धकों द्वारा निर्धारित एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पुष्ट सीमाओं पर परिचालन करने की अनुमति दी गई। समग्र अन्तर सीमा (SGL) जो पहले 100 मिलियन अमरीकी डालर या किसी बैंक द्वारा स्वाधिकृत निवल निधियों के छह गुने से अधिक नहीं होनी थी, वह अप्रैल 1996 से अलग-अलग बैंकों द्वारा उनके विदेशी मुद्रा विनिमय परिचालनों, जोखिम उठाने की क्षमताओं, तुलन पत्र के आकार तथा रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदन की शर्त पर अन्य प्रासंगिक मानदंडों के आधार पर निर्धारित की जाने हेतु छोड़ दी गई।

पूंजी लेखे के उदारीकरण को एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए, किसी एकल घटना के रूप में नहीं। पूंजी लेखे की परिवर्तनीयता (CAC) के प्रति दृष्टिकोण में सुधार सम्बन्धी प्रारंभिक उपाय चालू खाते की परिवर्तनीयता की ओर निर्देशित थे, जिनके फलस्वरूप अगस्त 1994 में अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) करार से सम्बन्धित अनुच्छेदों के VIII वें अनुच्छेद को स्वीकार किया गया। भारत में पूंजी लेखे की परिवर्तनीयता को कार्यान्वित करने के लिए अन्तर्वाहों (कम प्रतिबन्धित), अन्तर्वाहों से सम्बद्ध बहिर्वाहों (मुक्त) और अन्य बहिर्वाहों (अधिक प्रतिबन्धित) के बीच विषम व्यवहार करते हुए अन्तर्वाहों एवं बहिर्वाहों के बीच सुस्पष्ट विभेद किया जाता है। निवासियों बनाम अनिवासियों पर और व्यक्तियों बनाम कार्पोरेट कम्पनियों

तथा वित्तीय संस्थाओं पर विभेदक प्रतिबन्ध भी लगाए जाते हैं। पूंजी लेखे के प्रबन्धन हेतु एक विवेकसम्मत दृष्टिकोण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष एवं बाजार-आधारित नियंत्रण उपकरणों के मिले जुले रूप का उपयोग किया जाता है। कुल ऋण देयताओं में ऋण देयताओं के बढ़ते अंश तथा अल्पकालिक ऋण के कमतर प्रतिशत के कारण एक सुविधायी पूंजी लेखा सुनिश्चित करने की नीति भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), पोर्टफोलियो निवेश और विदेशी वाणिज्यिक उधार सम्बन्धी नीति में प्रतिबिम्बित होती है। विदेशी वाणिज्यिक उधारों पर मात्रात्मक वार्षिक उच्चतम सीमाओं के साथ ही परिपक्वता और अन्तिम उपयोग सम्बन्धी प्रतिबन्ध व्यापक रूप से विदेशी वाणिज्यिक उधार सम्बन्धी नीति को आकार प्रदान करते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को एक लचीले किन्तु दोहरे मार्ग - क्रमिक रूप से विस्तृत होने वाले स्वयमेव मार्ग और मामला-दर-मामला मार्ग के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है।

पोर्टफोलियो निवेश चुनिंदा संस्थाओं/कम्पनियों, विशेषतः अनुमोदित संस्थागत निवेशकों और अनिवासी भारतीयों तक सीमित होते हैं। अल्पकालिक पूंजी अभिलाषों पर अपेक्षाकृत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाषों की तुलना में उच्चतर दर पर कराधान किया जाता है। भारतीय कम्पनियों को निर्धारित दिशानिर्देशों के अधीन वैश्विक निक्षेपागार रसीदों/ अमरीकी निक्षेपागार रसीदों के माध्यम से अन्तरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने की भी अनुमति दी जाती है। विदेशों में संयुक्त भारतीय उद्यम के रूप में विदेशी निवेश की भी स्वयमेव और मामला-दर मामला, दोनों ही मार्गों के माध्यम से अनुमति होती है।

पूंजी लेखे की परिवर्तनीयता पर समिति (अध्यक्ष: श्री एस.एस. तारापोर), जिसने 1998 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ने अधिक खुले पूंजी लेखे के लाभों को रेखांकित किया था, किन्तु उसके साथ ही यह चेतावनी भी दी थी कि पूंजी लेखे की परिवर्तनीयता से वित्तीय प्रणाली पर अत्यधिक दबाव भी पड़ सकते हैं। पूंजी लेखे की परिवर्तनीयता की दिशा में अधिक स्थायी संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए उक्त रिपोर्ट में कुछेक नामस्तंभों और पूर्वशर्तों की सिफारिश की गई थी, जिनमें तीन महत्वपूर्ण सिफारिशें राजकोषीय समेकन, अधिदेशात्मक मुद्रास्फीति दर तथा सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली से सम्बन्धित हैं।

रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए भारत ने पिछले वर्षों में अपने पूंजी लेखे में कुछेक लेनदेनों को उदारीकृत कर दिया है। विदेशी क्षेत्र के लिए प्रचुर रूप से उदार नीतिगत परिवेश का पता विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम, 1999 (फेमा) से चलता है, जिसने पूर्ववर्ती विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1983 (फेरा) का स्थान ले लिया है। नया अधिनियम अपने उद्देश्यों को इस रूप में निरूपित करता है, 'विदेशी व्यापार एवं भुगतान को सुगम बनाना' और 'भारत में विदेशी मुद्रा विनियम बाजार के सुव्यवस्थित विकास और रख-रखाव को बढ़ावा देना।'

हाल के वर्षों में विदेशी मुद्रा व्यवसाय संचालन को उदारीकृत करने के लिए रिजर्व बैंक ने कतिपय पहलकदमियों की हैं। विदेशी लेनदेनों में त्वरित एवं कुशल ग्राहक सेवा को सुगम बनाने के उद्देश्य से कार्यविधियों का युक्तिकरण एवं सरलीकरण एक महत्वपूर्ण विचार रहा है।

भारत सरकार के परामर्श से रिजर्व बैंक ने पूंजी लेखे की अपेक्षाकृत पूर्णतः परिवर्तनीयता (FCAC) पर 20 मार्च, 2006 को एक समिति (अध्यक्ष श्री एस. एस. तारापोर) नियुक्त की थी। उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को जुलाई 2006 में प्रस्तुत की थी। उक्त समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित उपाय लागू किए हैं :

- (क) कार्यविधिक युक्तिकरण और सरलीकरण के लिए आन्तरिक कार्य बल का गठन।
- (ख) उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत सीमाओं में बढ़ोत्तरी : निवासी व्यक्तियों को अब यह स्वतंत्रता होगी कि वे किसी भी चालू या पूंजी लेखे से सम्बन्धित लेनदेन या दोनों के मिश्रण के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष में 50,000 अमरीकी डालर का विप्रेषण कर सकें। निवासी व्यक्तियों द्वारा विदेशी कम्पनियों में उपहार, दान और निवेश की वर्तमान सुविधाएं इस संशोधित सीमा के अधीन प्रतिस्थापित हो जाएंगी। प्रति वित्तीय वर्ष में 10,000 अमरीकी डालर तक की निजी यात्रा की वर्तमान सुविधा स्व-घोषणा के अधार पर मिलनी जारी रहेगी।
- (ग) विदेशी मुद्रा अर्जकों के विदेशी मुद्रा खातों का उदारीकरण : सभी पात्र निवासियों को समान रूप से यह सुविधा उपलब्ध कराने के विचार से विदेशी मुद्रा अर्जकों की सभी श्रेणियां अब से उनके विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खातों (EEFC) में उनके विदेशी मुद्रा अर्जन के 100 प्रतिशत तक की रकम प्रतिधारित कर सकेंगी।
- (घ) परियोजना एवं सेवा निर्यात से सम्बन्धित कार्यविधियां उदारीकृत।
- (ङ) विदेशों से बैंकों के उधारों में बढ़ोत्तरी।

- (च) विदेशी वाणिज्यिक उधारों तक वर्धित पहुंच।
- (छ) विदेशों में कार्यालयों की स्थापना के लिए अपेक्षाकृत अधिक लोच।
- (ज) सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी संस्थागत निवेशकों (Fills) की निवेश सीमाओं में वृद्धि।
- (झ) वायदा संविदा विनियमनों का उदारीकरण।
- (ञ) डाटा संग्रहण एवं निगरानी।

अन्य उपाय

(क) प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को व्यापार से सम्बन्धित अस्थायी ऋणों को सुरक्षित करने हेतु बैंक गारंटियों और/या साख पत्रों के सम्बन्ध में अधिकारों/शक्तियों का प्रत्यायोजन

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को भारत से बाहर स्थित अन्तरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाले किसी बैंक की काउंटर गारंटी के बिना ही 100,000 अमरीकी डालर तक की सेवाओं के आयात के लिए अग्रिम विप्रेषण करने की अनुमति है। और अधिक उदारीकरण के एक उपाय के रूप में प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को 100,000 अमरीकी डालर तक की सेवाओं के आयात हेतु ऐसी गारंटियां/साख पत्र जारी किए जाने का प्रस्ताव है, जिनमें उक्त गारंटी का उद्देश्य किसी निवासी और अनिवासी के बीच संविदा से उद्भूत प्रत्यक्ष संविदात्मक देयता को प्रतिभूत करना हो।

(ख) अनिवासी सामान्य खातों से बाहर के विप्रेषण

अनिवासियों और भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIOs) को किसी भी वास्तविक उद्देश्य हेतु उनके अनिवासी सामान्य (NRO) खातों में जमा-शेषों में से प्रति कैलेंडर वर्ष एक मिलियन अमरीकी डालर तक की रकम विप्रेषित करने की अनुमति है। अनिवासी सामान्य खातों में जमा रकमों में सम्बन्धित अनिवासी द्वारा भारत में उसके संसाधनों या उत्तराधिकार या उपहार के रूप में प्राप्त सम्पत्ति के आगमों में से अभिगृहीत अचल सम्पत्ति के आगम भी शामिल होंगे।

11.7 भारतीय वित्तीय प्रणाली हेतु विनियामक ढांचा

रिजर्व बैंक वाणिज्यिक और शहरी सहकारी बैंकों (UCBs), वित्तीय संस्थाओं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (NBFCs), और प्राथमिक व्यापारियों (PDs) के समावेश वाली वित्तीय प्रणाली पर अपनी पर्यवेक्षी भूमिका का उपयोग वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (BFS) के माध्यम से करता है। 31 मार्च 2006 के दिन (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) नवासी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, 133 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 1,864 शहरी सहकारी बैंक, 8 विकासपरक वित्तीय संस्थाएं (DFIs), 13,049 गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं (NBFCs) (जिनमें से 434 गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को जनता से जमाराशियां स्वीकार करने/धारित करने की अनुमति है) और 18 प्राधिकृत व्यापारी (PDs) हैं। रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड की एक समिति के रूप में 1 नवम्बर 1994 से गठित वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (BFS) के अध्यक्ष गवर्नर हैं, जिसमें उपाध्यक्ष के रूप में एक उप गवर्नर तथा अन्य उप गवर्नरों और केन्द्रीय बोर्ड के चार निदेशकों का सदस्यों के रूप में समावेश है।

वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड विनियामक नीतियों और पर्यवेक्षी प्रथाओं के सम्बन्ध में निरंतर आधार पर निर्देशन प्रदान करता है। जहां जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक विनियामक होता है, वहीं पर्यवेक्षण के अधिकार/शक्तियां राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में निहित होते/होती हैं। बीमा कम्पनियों और पारस्परिक निधियां क्रमशः बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा विनियमित होती हैं। पर्यवेक्षण के प्रति एक समन्वित दृष्टिकोण का सुनिश्चयन वित्तीय बाजारों से सम्बन्धित एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति के माध्यम से किया जाता है जिसके अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) तथा भविष्य निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) के प्रधान और सचिव, आर्थिक मामले, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार सदस्य होते हैं।

11.8 अपनी प्रगति जांचिए

1. मांग/सूचना मुद्रा बाजार में निम्नलिखित सहभागियों को लेनदेन करने की अनुमति होती है :

- (क) सभी कम्पनियों
- (ख) सभी बैंकों, प्राथमिक व्यापारियों और पारस्परिक निधियों

- (ग) केवल बैंकों
(घ) किसी को भी नहीं
2. अप्रैल, 2005 से जमा प्रमाण पत्रों (CDs) की न्यूनतम परिपक्वता अवधि ----- है।
(क) 8 दिन (ख) 15 दिन
(ग) 21 दिन (घ) कोई नहीं
3. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) और प्राथमिक व्यापारियों (PDs) को नवम्बर, 2006 से उनकी खरीद से अधिक बिक्री की स्थिति को -----की विस्तारित अवधि के भीतर व्यवस्थित कर लेने की अनुमति प्रदान की गई है।
(क) पांच व्यापार दिवसों (ख) दो व्यापार दिवसों
(ग) खरीद से अधिक बिक्री अनुमत नहीं है (घ) कोई नहीं
4. निवासी व्यक्तियों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे किसी भी चालू या पूंजी लेखे से सम्बन्धित लेनदेन या दोनों के मिश्रण के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष में -----तक का विप्रेषण कर सकें।
(क) 25,000 अमरीकी डालर (ख) 50,000 अमरीकी डालर
(ग) 10,000 अमरीकी डालर (घ) कुछ नहीं

11.9 'अपनी प्रगति जांचिए' के उत्तर

1. (ग), 2. (क), 3. (क), 4.(ख)

11.10 प्रमुख शब्द

Primary Dealers	प्राथमिक व्यापारी
Real-Time Gross Settlement (RTGS)	तत्काल सकल भुगतान प्रणाली
Screen-based negotiated quote-driven system	स्क्रीन-आधारित तयशुदा भाव-बोली प्रणाली

